ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी

ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं और कार्यक्रमों
का विश्लेषण और ग्रामीण–अर्थव्यवस्था को मजबूत करने
के लिए सिफारिशें ताकि पलायन को कम किया जा सके।

सितम्बर, 2019

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में जहाँ 66% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों (पहाड़ी जिलों में 80% से अधिक) में रहती है, वहाँ कठिन भौगौलिक प्रस्तावना परिस्थिति और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई आबादी, विकास साझा करने एवं गरीबी पर काबू पाने में बड़ी चुनौती है। उत्तराखण्ड के हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी आई है, परन्तु पर्वतीय जिले अधिक विकसित नहीं हो पाये हैं। पहाड़ी इलाकों में भूमि धारण बहुत ही कम और खंडित हैं। पहाड़ी इलाकों में केवल 10 प्रतिशत भूमि सिंचित है। पहाड़ों में अधिकांश ग्रामीण आबादी या तो निर्वाह कृषि पर जीती है या रोजगार के लिए देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर जाती है। बिजली, सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ी जिलों में विकास कम हुआ है। बुनियादी ढांचे में अंतर–जिला असमानता पर्वतीय और मैदानों के बीच आय और आजीविका के मामले में असामनता को बढ़ाती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में गैर–कृषि पर आय निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। राज्य के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों से पलायन, एक बड़ी समस्या बन गयी है, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्वासित बस्तियां या गाँव हैं, जिनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। पलायन की समस्या से निपटने के लिए पहाड़ी गांवों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

ग्राम्य विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के लिए प्रमुख घटक में से एक माना गया है, विशेष रूप से उन पहाड़ी जिलों में, जहां इन क्षेत्रों में 80% से अधिक आबादी रहती है। ग्रामीण आबादी काफी हद तक उनकी आजीविका के लिए कृषि और श्रम पर निर्भर रहती है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इन क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने के लिए मुख्य भूमिका निभाएगा। साथ ही, उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में अद्‌भुत क्षमता है। मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये भी ग्रामीण पलायन से प्रभावित है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही है, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। अत: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जानकारी एवं गंभीरता का आकलन करने हेतु आयोग स्थापित करने का फैसला किया और उत्तराखंड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखंड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया। इस आयोग के कार्यो में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टीकोण विकसित कर पलायन की गंभीरता को कम करना एवं ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करना, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर सयुंक्त रूप से हो, राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजनाओं की सिफारिशें प्रस्तुत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो, प्रमुख है।

यह रिपोर्ट जून 2018 में इस हेतु स्थापित कार्य दल के कार्य पर आधारित है; क्षेत्र के व्यापक दौरे और विशेषज्ञों, अधिकारियों और स्थानीय आबादी एवं राज्य मुख्यालय में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत,

36 ब्लॉक के 156 गाँवों में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का एक विस्तृत क्षेत्र मूल्यांकन भी किया गया था, जिसके परिणाम अनुबंध 1 में प्रस्तुत किए गए हैं। ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के हेतु ग्रामीण विकास क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं और कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें दी गई हैं, जो पलायन को कम करेगा।

आयोग अपने अध्यक्ष और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमन्त्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों के लिए श्री उत्पल कुमार सिंह मुख्य सचिव, श्रीमती मनीषा पवार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड; विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी; विभिन्न जिलों में अन्य हितधारक; श्री ए.के.राजपूत, उपायुक्त (कार्यक्रम) ग्राम्य विकास विभाग; डॉ. आर. एस. पोखरिया, सदस्य सचिव; विशेषज्ञ समूह की सदस्य श्रीमती सुधा तोमर (बी.डी.ओ, रायपुर), श्री. नवीन आनंद (विशेषज्ञ), श्री. राजिंदर सिंह (परियोजना निदेशक, देहरादून), श्री. जी बी चंदानी, शोध अधिकारी; आयोग के युवा व्यावसायिकों श्री गोविंद सिंह धामी, श्रीमती दिव्या पांडे के सुझाव और प्रयासों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है।

सितम्बर, 2019

डॉ. शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

विषय – सूची

संकेतांक 1

अध्याय 1: उत्तराखण्ड से पलायन..... 3

अध्याय 2: ग्रामीण विकास : योजनाएँ एवं कार्यक्रम 9

अध्याय 3: ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की वर्तमान स्थिति 37

अध्याय 4: उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना 141

अध्याय 5: पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति 167

अध्याय 6: सहकारी समितियां..... 185

अध्याय 7: सफलता की कहानियां..... 204

अध्याय 8: विश्लेषण एवं सिफारिशें..... 222

अनुबंध 1 : ग्राम्य विकास योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन 239

अनुबंध 2 रिपोर्ट के लिए समिति गठन पत्र..... 250

संकेतांक

ए.ए.पी. :	वार्षिक कार्य योजना
ए.यू.पी. :	एग्रीबिजनेस अप स्केलिंग प्लान
ए.डब्ल्यू.सी.एस. :	आंगनवाड़ी केन्द्रों
बी.पी. :	व्यवसाय प्रोत्साहक
बी.पी.एल. :	गरीबी रेखा के नीचे
सी.सी. :	संग्रहण केन्द्र
सी.सी.एल. :	नकद क्रेडिट सीमा
सी.एल.एफ. :	क्लस्टर लेवल फेडरेशन
सी.आर.पी. :	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
डी.ए.वाय. – एन.आर.एल.एम. :	दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.आई.सी. :	जिला उद्योग केन्द्र
डी.एम.यू. :	संभागीय प्रबधन इकाई
डी.आर.डी.ओ. :	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ई.डी.पी. :	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ई.एफ.एम.एस. :	इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली / विद्युत धन प्रबंधन प्रणाली
एफ.एल. – सी.आर.पी. :	वित्तीय समावेशन – सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
एफ.एम.यू. :	क्षेत्र प्रबंधन इकाई
एफ.एन.जी.ओ. :	गैर सरकारी संगठन सुविधा / गैर सरकारी संगठन की सुविधा
एफ.एस.आई.पी. :	खाद्य सुरक्षा सुधार योजना
जी.पी. :	ग्राम पंचायत
एच.एच.एस. :	परिवारों
आई.सी.डी.एस. :	समेकित बाल विकास योजना
आई.एफ.ए.डी. :	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि
आई.जी.ए.एस. :	आय सृजन गतिविधियाँ
आई.एल.एस.पी. :	एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना
जे.आई.सी.ए. :	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी / जापान की इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी जायका
के.वी.के. :	किसान विज्ञान केन्द्र
एल.बी. :	श्रम बजट
एल.सी.एस. :	आजीविका सामदायिक

एल.डी.पी.ई. :	कम घनत्व पोलीथाईलीन
एम.ए.पी. :	औषधीय और सुगंधित पौधे
एम.सी.पी. :	माइक्रो क्रेडिट योजना
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. :	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. :	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम.ओ.आर.डी. :	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू. :	समझौता ज्ञापन
एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबार्ड) :	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एन.पी.ए. :	नॉन परफॉर्मिंग एसेट
एन.आर.एम. :	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन
एन.आर.आर.डी.ए. :	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एन.एस.डी.सी. :	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एन.एस.क्यू.एफ. :	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क / नैशनल स्किल्स क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क
पी.जी. :	निर्माता समूह / उत्पादक समूह
पी.एम.जी.एस.वाय. :	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.आर.पी.एस. :	परियोजना संसाधन व्यक्ति
आर.एस.ई.टी.आई.एस. :	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
एस.सी.सी. :	छोटे संग्रह केंद्र
एस.ई.आर.पी. :	ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सोसायटी
एस.एच.जी.एस. :	स्वयं सहायता समूह
एस.टी. :	अनुसूचित जनजाति
एस.टी.ए. :	राज्य तकनीकी एजेंसी
यू.एफ.आर.एम.पी. :	उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना
यू.जी.वी.एस. :	उत्तराखंड ग्राम विकास समिति
यू.एल.आई.पी.एच. :	उत्तराखंड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना
यू.पी.ए.एस.ए.सी. :	उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी
यू.आर.ई.डी.ए. :	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
यू.एस.आर.एल.एम. :	उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
वी.पी.जी. :	कमजोर उत्पादक समूह
डब्ल्यू.एम.डी. :	जलागम प्रबंधन निदेशालय

अध्याय 1

उत्तराखंड से पलायन की स्थिति

1.1 आंकड़ें और पलायन के प्रमुख कारण

वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करने पर उत्तराखंड में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पलायन की गंभीर चुनौती स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जो राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में जनसंख्या की धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के बीच अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों की आबादी में 17868 व्यक्तियों की पूर्ण कमी राज्य के अनेक पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बाहर प्रवासन की ओर संकेत करती है। राज्य को 2 प्रशासनिक प्रभागों; 13 जिले; 102 तहसील; 95 विकास खंड; 670 न्याय पंचायतों; 7950 ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है। राज्य में 16793 जनगणना गाँव (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हैं, जिनमें 15745 आबदीयुक्त हैं और 1048 निर्जन (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हैं।

विगत 10 वर्षों के दौरान, 6338 ग्राम पंचायतों से कुल मिलाकर 3,83,726 व्यक्ति अर्ध–स्थायी आधार पर पलायन कर चुके हैं, हालांकि वे समय–समय पर गांवों में अपने घरों में आते हैं और स्थायी रूप से पलायन नहीं करते हैं।

विगत 10 वर्षों के दौरान, 3946 ग्राम पंचायतों के 1,18,981 लोग स्थायी प्रवासी बन चुके हैं। आकड़ों के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में स्थायी प्रवासियों की तुलना में अर्ध–स्थायी प्रवासी अधिक हैं।

पलायन आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि राज्य के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसके बाद श्रम और सरकारी सेवा का नंबर आता है।

पहाड़ी जिलों जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का जिलावार सकल घरेलू उत्पाद देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों के 40% से कम है। यह शायद उनकी अपेक्षाकृत कम आबादी और बड़े पैमाने पर ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था के कारण है। जब हम वर्ष 2009–10 और वर्ष 2016–17 के बीच राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की अनुमानित दर की तुलना करते हैं, तो यह पहाड़ी जिलों के मामले में लगभग 2 या 2.5 गुना और मैदानी जिलों के मामले में 3 गुना या उससे अधिक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2011–12 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14% था, जो वित्त वर्ष 2018–19 में घटकर 10.81% रह गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 52.13% से घटकर 48.28% रह गया है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 33.88% से बढ़कर 40.91% हो गया है। (आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19, उत्तराखण्ड).

निरंतर मूल्य (वर्ष 2011–12) पर, देहरादून का जिला आर्थिक विकास 7.62% पर उच्चतम है, जबकि चंपावत का सबसे कम 5.75% है। हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः रु 2,54,050.00, रु 1,95,925.00 और रु 1,87,313.00 था। (वर्ष 2016–17) अन्य सभी पर्वतीय जिलों में प्रति व्यक्ति आय राज्य की औसत आय की तुलना में कम है, रुद्रप्रयाग जिले में (रु 83521.00) है। (आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19, उत्तराखण्ड)।

पहाड़ी जिलों के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के औसत से बहुत अधिक है, भले ही यह गिरावट की प्रवृति दिखाई दे रही है। यह पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों की, मुख्य रूप से कृषि और उनकी आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता का संकेत करने का एक और प्रमाण है। वर्ष 2016–17 में, डी.डी.पी. में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हरिद्वार जिले में सबसे कम केवल 4.4% था जबकि यह अल्मोड़ा के डी.डी.पी. में सबसे अधिक 30.2% था। (स्रोतः जिला घरेलू उत्पाद अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक)

वर्ष 1981 और वर्ष 2011 के बीच विभिन्न जिलों की दशकीय वृद्धि धीमी हो गई है, यह आंकड़ा पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में नकारात्मक होने और टिहरी जिले में अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई।

1.2 प्रवास करने वाले लोगों का विभाजन – युवा, मध्यम आयु वर्ग के लोग जिनके परिवार हैं, वरिष्ठ सेवानिवृत्त व्यक्ति

ग्राम पंचायतों से जिला और आयु–वार प्रवासन की स्थिति (प्रतिशत में)			
जिला	25 वर्ष की आयु से कम	26 से 35 वर्ष के बीच	35 वर्ष की आयु से अधिक
उत्तरकाशी	30.68	36.56	32.77
चमोली	26.71	43.49	29.79
रुद्रप्रयाग	28.97	41.83	29.2
टिहरी गढ़वाल	29.26	40.92	29.82
देहरादून	38.41	34.47	27.12
पौड़ी गढ़वाल	29.23	41.67	29.1
पिथौरागढ़	28.32	42.58	29.1
बागेश्वर	33.92	42.1	23.97
अल्मोड़ा	29.19	42.22	28.59
चम्पावत	25.23	45.49	29.29
नैनीताल	29.48	44.57	25.96
उधम सिंह नगर	16.66	43.34	40
हरिद्वार	13.99	52.79	33.22

तालिका 1.1 स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

उत्तराखंड के प्रवासियों का विभाजन उपरोक्त तालिका में दिया गया है। तालिका में सभी जिलों के 26 से 35 आयु वर्ग में अधिकतम प्रतिशत प्रवास दिखाया गया है।

राज्य से पलायन करने वाले 26 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का औसत प्रतिशत 42.25 है, जो राज्य के युवा है।

1.3 कारण

पलायन आयोग की रिपोर्ट में पहचान किए गए मुख्य कारणों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

जिला	रोजगार	चिकित्सा सुविधाओं	शिक्षा	आधारभूत संरचना	खराब कृषि उपज	करने वाले परिवार का अनुसरण	जानवरों द्वारा कृषि उपज का	अन्य
उत्तरकाशी	41.77	6.04	17.44	2.29	7.14	2.1	4.04	19.17
चमोली	49.3	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	3.09	4.87
रुद्रप्रयाग	52.9	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	5.11	5.72
टिहरी गढ़वाल	53.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52
देहरादून	56.13	6.33	12.5	1.2	2.08	1.4	1.65	18.7
पौड़ी गढ़वाल	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	6.27	3.21
पिथौरागढ़	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	4.08	11.48
बागेश्वर	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65
अल्मोड़ा	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	10.99	6.02
चम्पावत	54.9	6.67	10.24	5.46	6.31	4.3	6.65	5.46
नैनीताल	53.7	7.79	10.37	4.96	4.94	2.1	6.38	9.76
उधम सिंह नगर	65.63	4.27	3.52	0.6	0.38	5.4	2.6	17.6
हरिद्वार	76.6	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	0.82	15.85

तालिका 1.2 स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

राज्य से पलायन करने वाले कुल लोगों में से, रोजगार की खोज के कारण अधिकतम (50.16%) लोग पलायन कर गए। इसके बाद, 15.21% लोगों के प्रवास के साथ शिक्षा पलायन के कारणों में दूसरे स्थान पर है।

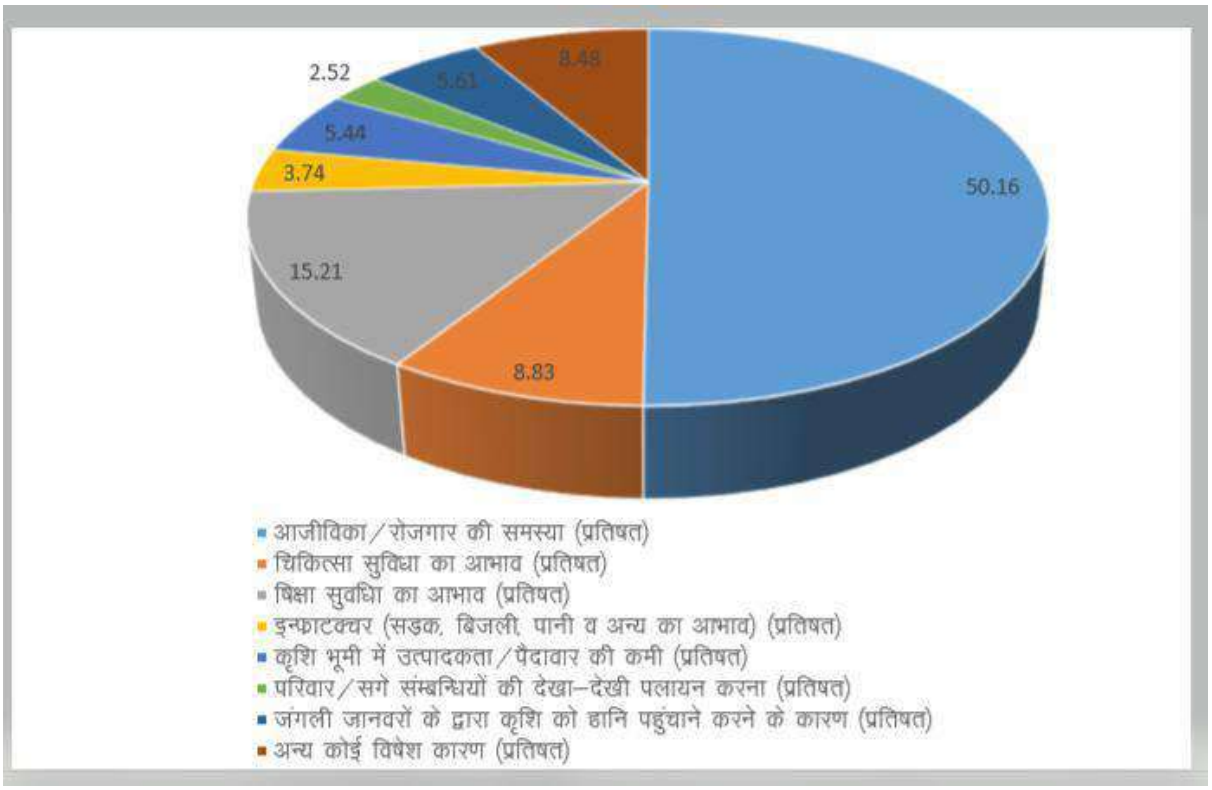

चित्र 1.1 : स्रोतः उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में प्रवास की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट।

उपरोक्त तालिका राज्य से प्रवास के मुख्य कारणों और प्रवासन में उनके प्रतिशत योगदान को दर्शाता है।

1.4 विशिष्ट क्षेत्र जहां प्रवास अधिक है

राज्य में कुछ क्षेत्रों से पलायन दूसरों की तुलना में अधिक है। वर्ष 2011 के बाद राज्य के अनेक गाँव आबादी–विहीन हो गए हैं। ऐसे गाँवों का जिलावार वितरण नीचे दिया गया है:

जिला	*कुल राजस्व गाँव / तोक / मजरा*
उत्तरकाशी	70
चमोली	41
रुद्रप्रयाग	20
टिहरी गढ़वाल	58
देहरादून	7
पौड़ी गढ़वाल	186
पिथौरागढ़	75
बागेश्वर	77
अल्मोड़ा	57

चम्पावत	64
नैनीताल	22
उधम सिंह नगर	19
हरिद्वार	38

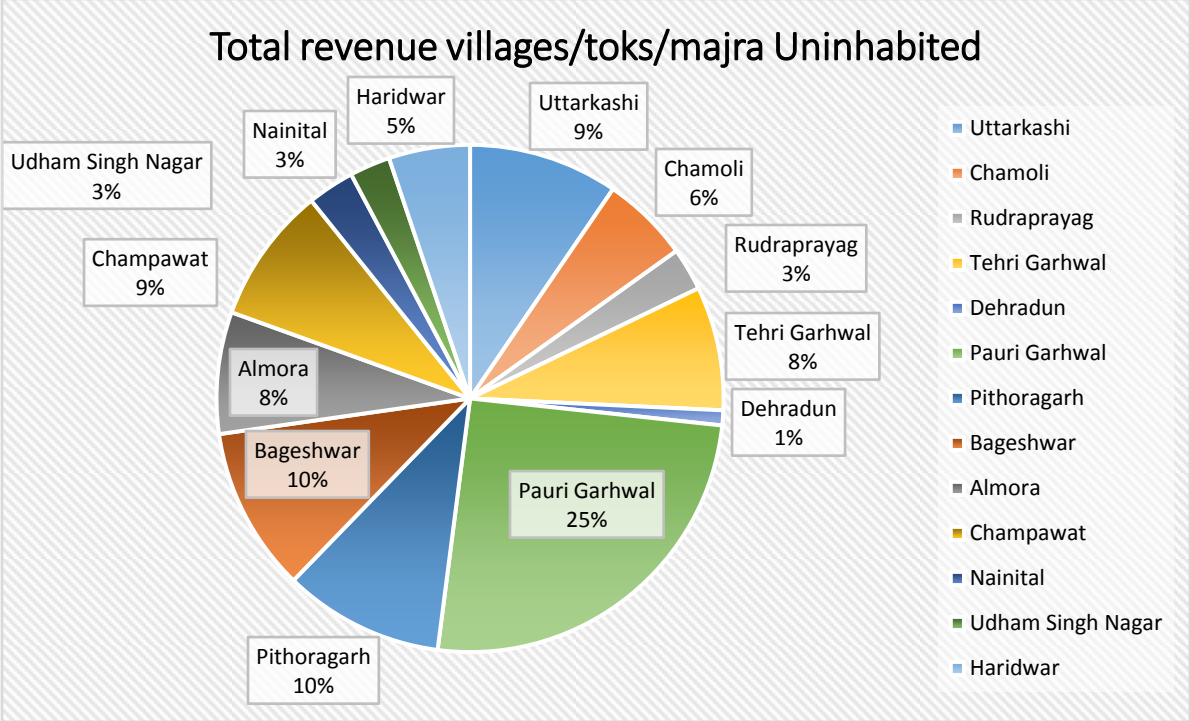

चित्र 1.2 : स्रोत: उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में प्रवास की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट।

वर्ष 2011 के बाद सबसे अधिक आबादी–विहीन गाँवों की संख्या पौड़ी जिले में पाई गई है, जो इसे एक प्राथमिकता वाला जिला बनाता है। अधिकांश आर्थिक अवसर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों में बड़ी आय असमानताएँ उत्पन्न हुईं। बागेश्वर, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिलों में प्रति व्यक्ति आय देहरादून और हरिद्वार की तुलना में लगभग आधी है। (जिलेवार प्रति व्यक्ति आय, वर्ष 2016–17)।

गाँवों / तोक / मजरों की संख्या जहाँ की जनसंख्या में 50% से अधिक कमी आई है

जिलों की संख्या	कुल गाँव / तोक / मजरा
उत्तरकाशी	63
चमोली	18
रुद्रप्रयाग	23
टिहरी गढ़वाल	71
देहरादून	42

पौड़ी गढ़वाल	112
पिथौरागढ़	45
बागेश्वर	37
अल्मोड़ा	80
चम्पावत	44
नैनीताल	14
उधम सिंह नगर	9
हरिद्वार	7

पिछले 10 वर्षों में कुल आबादी में 50% से अधिक की कमी वाले गाँवों / तोक / मजरा की संख्या 564 है। राज्य में पौड़ी जिले के निर्जन गाँव में ऐसा ही रुझान देखने को मिला है, 112 ऐसे गांवों / तोक / मजरा में आबादी में 50% से अधिक गिरावट वाले गावों की संख्या के साथ पौड़ी जिले में ऐसे गाँवों की संख्या सर्वाधिक है और इसके बाद 80 गाँवों के साथ अल्मोड़ा का स्थान है।

ये आकड़ें उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों के बीच असमानताओं को दर्शातें है। उत्तराखंड में बाहर की ओर प्रवासन का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और क्षेत्र में प्रवास को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भः

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान, 2011 –12 से 2016–17

जिलावार प्रति व्यक्ति आय (उत्तराखंड), 2016–17

उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19

उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में प्रवासन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट, पलायन आयोग (अप्रैल, 2018)

अध्याय 2

ग्रामीण विकास : योजनाएँ और कार्यक्रम

"ग्रामीण विकास..." अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में राज्य द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक अलग दृष्टिकोण को संदर्भित करती है, और 'कृषि विकास' की तुलना में व्यापक और अधिक विशिष्ट है। यह व्यापक है क्योंकि वह कृषि उत्पादन के विकास की तुलना में बहुत अधिक है – वास्तव में यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। यह उस दृष्टि से अधिक विशिष्ट है कि वह विशेष रूप से गरीबी और असमानता पर ध्यान केन्द्रित करता है (इसके शब्दार्थ और सिद्धांत में)। हालाँकि पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र और "ग्रामीण विकास" की चिंताओं के बीच पर्याप्त ओवरलैप है, "ग्रामीण विकास" को प्रभावित करते कारकों को समझने के लिए आवश्यक अध्ययन के प्रकार कृषि अर्थशास्त्र के शिक्षण के भीतर समाविष्ट नहीं किए गए हैं। (हैरिसः 1982)

ग्रामीण विकास को हाल ही में काफी महत्व हासिल हुआ है खास करके विकासशील देशों में। वह भारत जैसे देश में काफी महत्वपूर्ण है जहाँ अधिकांश आबादी, लगभग 65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में ग्रामीण विकास की मौजूदा रणनीति वेतन और स्व–रोजगार के अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, बहतर आजीविका अवसर, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है।

भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित नीतियों, नियमों और कार्यों के गठन के लिए शीर्ष निकाय है। कृषि, हस्तकला, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और डेयरी ग्रामीण व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

उत्तराखंडः

उत्तराखंड का गठन भारत के 27वें राज्य के तौर पर 9 नवंबर 2000 को किया गया था, जब उसे उत्तरी उत्तर प्रदेश में से काटकर अलग किया गया था। हिमालयन् पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित, यह काफी हद तक पर्वतीय राज्य है, जिसके उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। उसके उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह कई ग्लेशियरों, नदियों, घने जंगलों और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी और जंगलों से समृद्ध है।

उत्तराखंड की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उत्तराखंड में विकास के लिए और गरीबी पर काबू पाने के लिए मुख्य चुनौती कठिन पर्वतीय इलाका है। उत्तराखंड के कम विकसित पर्वतीय जनपदों की तुलना में मैदानी जनपदों में विकास जारी है जो हैं हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि–धारण बहुत ही कम और खंडित हैं। पर्वतीय जनपदों में केवल लगभग 10% भूमि सिंचित है। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण समावेशी विकास में बाधक हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण आबादी की जीविका कृषि पर निर्भर है अथवा बेहतर आजीविका अवसरों के लिए पलायन करती है। बिजली, सड़कें और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के संबंध में पहाड़ी इलाकों में विकास में कमी जारी है। बुनियादी ढांचों में अंतर–जिला असमानता पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच आय और आजीविका के

मामले में असमानता को बढ़ाती है। इसके अलावा, क्षेत्र में गैर–कृषि क्षेत्र पर आय निर्भरता काफी हद तक बढ़ी है। (उत्तराखंड सरकार) साथ ही, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जबरदस्त क्षमता है। विशाल प्राकृतिक संसाधन राज्य के आकर्षण को एक निवेश गंतव्य के रूप में जोड़ते हैं, विशेष रूप से पर्यटन और कृषि– और वन आधारित उद्योगों के लिए।

राज्य में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2.1 एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.:

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में एक संशोधन के अनुसार शब्द "महात्मा गांधी" राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आगे उपसर्ग के रूप में जोड़े गए थे। इस अधिनियम में उन जिलों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है जिसकी शहरी आबादी सौ प्रतिशत है। महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.ए. अधिनियम में प्रावधानों की श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को कई कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जहाँ यह अधिनियम एक साल में प्रति ग्रामीण परिवार कार्य के सौ दिनों का प्रावधान करता है, यह अधिकारों और हकदारिया का सुदृढ़ क़ानूनी ढांचा है जो प्रति वर्ष सौ दिनों के काम को संभव बनाता है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. का लक्ष्य ह प्रत्येक गरीब परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत वेतन रोजगार के एक सौ दिन प्रदान करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है जिस परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल कार्य करने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार होते हैं। महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.ए. एक माँग संचालित कार्यक्रम है, इसलिए निधि और रोजगार सृजन की आवश्यकता काम की मांग पर निर्भर करती है। अधिनियम का प्रमुख फोकस रोजगार अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है और इस तरह स्थानीय लोगों के समग्र विकास के प्रति योगदान देना है।

2008-2009 में, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की गतिविधियों के साथ एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. गतिविधियों के संमिलन के लिए संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए थे ताकि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. गतिविधियों और इन मंत्रालयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बनाया जा सके, दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जा सके और ग्रामीण आजीविका स्थिरता के लिए टिकाऊ और उत्पादक संपत्ति बनाई जा सके। प्रारंभ में, संमिलन गतिविधियों के लिए पायलट के रूप में भारत के 126 जनपदों को चुना गया था। बाद में, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. संमिलन को कुछ अधिक योजनाओं / गतिविधियों तक बढ़ाया गया था जैसेकि पी.एम.के.एस.वाय., राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आदि (उत्तराखंड में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत संमिलन गतिविधियों के मूल्यांकन पर अध्ययन रिपोर्ट, एन.आई.आर.डी.पी.आर.)

योजना के तहत कार्य के प्रकारः

- जलभराव क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य।
- सभी मौसम की पहुँच प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी। केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य।
- जल संरक्षण और जल संचयन।
- सूखा प्रूफिंग (वनीकरण और वृक्षारोपण)

- सिंचाई नहरें
- आई.ए.वाय. के तहत एस.सी./एस.टी. लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान।
- पारंपरिक जलस्रोतों का नवीनीकरण, टंकियों में से गाद निकालना
- भूमि विकास

उत्तराखंड में गरीबों को उत्पादक संपत्तियो और आय सृजन रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए, कई राज्य और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू किया गया है। एम.जी.एन.आर.ई.जी. योजना एक महत्वपूर्ण माग–संचालित रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जो उन लोगो के लिए रोजगार प्रदान करता रहा है जो अपनी आजीविका के लिए छोटे–मोटे काम पर निर्भर हैं। हालाँकि इस योजना के लिए रोजगार के समग्र दिन कम (डेढ़ महीना) हैं, लेकिन उच्चतम पंचमक समूहों की तुलना में इस तरह के रोजगार पर निर्भरता कम पंचमक आय समूहों में अधिक है। (एच.डी.आर., उत्तराखंड 2017)

2.2 डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था। वह 1999 में शुरू हुआ था और उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुनर्गठित किया गया था। एस.जी.एस.वाय. का लक्ष्य ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए आय सृजन संपत्तियां/आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें टिकाऊ आय प्रदान करना था।

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) ने योजना क्रियान्वयन के विविध पहलुओं की जाँच करने के लिए एस.जी.एस.वाय. (प्रो. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में) के तहत क्रेडिट संबंधित मुद्दों पर एक समिति गठित की थी। समिति ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन क लिए "आजीविका दृ ष्टिकोण" अपनाने की सिफारिश की थी। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित चार अंतर–संबंधित कार्य शामिल हैं:

- गरीब परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी एस.एच.जी.एस. और उनके संघों में संगठित करना।
- बैंक क्रेडिट और वित्तीय, तकनीकी तथा विपणन सेवाआ के लिए पहुँच बढ़ाना।
- लाभप्रद और स्थायी आजीविका विकास के लिए क्षमताओं और कौशलों का निर्माण करना।
- गरीब परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सहाय सेवाओं के कार्यक्रम वितरण के लिए विविध योजनाओं को मिलाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवारों को लाभप्रद स्व–रोजगार और कुशल वेतन रोजगार अवसरों की पहुँच के लिए संक्षम बनाकर गरीबी कम करने के लिए दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू कर रहा है जिससे गरीबों के मजबूत और जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से उनकी आजोविकाओं में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार होगा। उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, जब 6-8 साल की अवधि के लिए एस.एच.जी. नेटवर्क में होता है, परिवार खाद्य सुरक्षा प्राप्त

करने के लिए सक्षम है और उस परिवार में 3-4 स्थिर आजिविकाएँ हैं। देश में लगभग 90% ग्रामीण गरीब वाले 13 उच्च गरीबी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू की जा रही है।

डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम. देश के सभी जनपदों में ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करता ह। आर.एस.ए.टी.आई. इन जनपदों में से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद व्यवस्थित रूप से हैंडहोल्डिग सहायता और बैंक लिंकेज के माध्यम से आत्मविश्वास से स्व–नियोजित उद्यमियों में बदलते हैं। बैंकों को चयन, प्रशिक्षण ओर प्रशिक्षण के बाद के कार्यों में शामिल किया गया है।

एन.आर.एल.एम. स्व–प्रबंधित स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) और संघबद्ध संस्थाओं के माध्यम से देश में 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारो को सम्मिलित करने और 8-10 वर्षों की अवधि में उन्हें आजीविका सामूहिकता के लिए समर्थन करने की एक कार्यसूची के साथ प्रस्थापित है।

इसके अलावा, गरीबों को अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी। डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम. गरीबों की जन्मजात क्षमताओं को उपयोग में लाने में विश्वास रखता है और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उन्हें क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता) के साथ परिपूरक बनाता ह।

नवंबर 2015 में, इस कार्यक्रम का नाम बदल कर दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाय.–एन. आर.एल.एम) कर दिया गया था।

2.2.1 घटक

2.2.1.1 वित्तीय समावेशन

1. गरीब को वित्तीय संस्थान के लिए पसंदीदा ग्राहक बनाना

एन.आर.एल.एम. गरीबों की संस्थानों की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने और मुख्य धारा के बैंक वित्तपोषण को आकर्षित करने के लिए अपने ट्रैक रिकॉर्ड का निर्माण करने के लिए गरीबों के संस्थानों को असीमता में संसाधनों के रूप में रिवोल्विग फंड एन्ड कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सी. आई.एफ.) प्रदान करता है।

एन.आर.एल.एम. प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोर्पस के रूप में और बार–बार दोहराने वाले बैंक वित्त के लिए उत्प्रेरक पूंजी के रूप में एस.एच.जी.एस. को 10ए000.15ए000 रुपये का रिवोल्विग फंड (आर.एफ.) प्रदान करता है। आर.एफ. उन एस.एच.जी.एस. को दिया जाता है जो "पंचसूत्र" का अभ्यास कर रहे हैं (नियमित बैठकें; नियमित बचत; नियमित अंतर–ऋण; समय पर पुनर्भुगतान; और खातों की अद्यतन किताबें)।

- एन.आर.एल.एम. एस.एच.जी.एस./ग्राम्य संगठनों के माध्यम से सदस्यों की क्रेडिट आवश्यकताओं को और विविध स्तरों पर सामूहिक गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के

लिए **क्लस्टर स्तर पर एस.एच.जी. फेडरेशनों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में सामुदायिक निवेश कोष** प्रदान करता है।

- एन.आर.एल.एम. खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि जैसी कमजोरियों को संबोधित करने के लिए और गाँव में कमजोर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **ग्राम्य स्तर पर एस.एच.जी. फेडरेशनों को वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड (वी.आर.एफ.)** प्रदान करता है।

एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेज: मिशन सामुदायिक संस्थानों को केवल उत्प्रेरक पूंजी समर्थन करता है, यह उम्मीद है कि बैंक ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऋण की जरूरतों की समग्र श्रेणी को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रमुख हिस्सा प्रदान करें। इसलिए यह मिशन उम्मीद करता है कि एस.एच.जी.एस. बैंक क्रेडिट की महत्वपूर्ण राशि का लाभ उठाएँ।

- मिशन मानता है कि पांच साल की अवधि में, प्रत्येक एस.एच.जी. 10ए00ए000/– रुपये दोहराव खुराक में संचयी बैंक क्रेडिट का लाभ उठाने में सक्षम होगा, ताकि औसतन हर सदस्य परिवार 100000/– रुपये की संचयी राशि का उपयोग करता है।

- **बैंक लिंकेजिस सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियाँ (एस.एल.बी.सी)** एस.एच.जी. बैंक लिंकेजिस और एन.आर.एल.एम. गतिविधियों में वित्तीय समावेशन के लिए विशेष उप समितियों का गठन करेंगी। इसी प्रकार, जिला स्तरीय समन्वय समितियाँ और ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियाँ एस.एच.जी.–बैंक लिंकेज और एन.आर.एल.एम. की समीक्षा करेंगी।

- मिशन इकाइयों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे **बैंक मित्र/सखी** जैसे क्षेत्र स्तर के ग्राहक संबंध प्रबंधकों की सेवाओं का उपयोग करें।

- इसके अलावा, गरीबों के संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे समुदाय आधारित वसूली तंत्र (बैंक लिंकेज और ऋणों की वसूली पर उप–समितियों) का मार्गदर्शन करेंगे।

2.2.1.2 सामाजिक समावेशन और विकास

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गरीब परिवार छूट नहीं जाता है, एन.आर.एल.एम. अनुसूचित जातियाँ (एस.सी.एस.), अनुसूचित जनजातियाँ (एस.टी.एस.), आदिम जनजातीय समूह (पी.टी.जी.एस.), एकल महिलाएँ और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, विकलांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी.एस.), भूमिहीनों, प्रवासी श्रमिकों, पृथक समुदायों और दूरस्थ, पहाड़ी और अशांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय जैसे अधिक कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यात्मक रूप से प्रभावी और स्व–प्रबंधित संस्थानों में सभी पहचाने गए ग्रामीण गरीब परिवारों के सामाजिक समावेश के लिए अंतर रणनीतियों का उपयोग करेगा।

यह गरीब के सहभागी पहचान (पी.आई.पी.) के माध्यम से सबसे गरीब और कमजोर पहचान करेगा। जुटाव सबसे पहले उनके साथ शुरू होगा। जुटाव का प्रयास विकसित किए गए और एक भागीदारी तरीके से परीक्षित के रूप में जुटाव और अंशांकन के विविध चरणों के लिए संतोषजनक सामुदायिक तत्परता और मील के पत्थर के साथ प्रगति करेगा। मौजूदा संस्थानों, उनके लीडर्स, स्टाफ और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सी.आर.पी.एस.) समावेशन और जुटाव की प्रक्रियाओं का समर्थन करेंगे।

2.2.1.3: संस्थागत और क्षमता निर्माण

एन.आर.एल.एम. सभी गरीब परिवारों (महिलाओं) को गरीबों के कुल संस्थानों में संगठित करता है जो उन्हें आवाज, जगह और संसाधन प्रदान करते हैं। यह "गरीबों के" और "गरीबों के लिए" मंच गरीबों को सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय स्व–सरकारों, सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं, बैंका, निजी क्षेत्र और अन्य मुख्यधारा के संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा।

2.2.1.4: संमिलन और साझेदारियाँ

भारत सरकार और राज्य सरकारें गरीबी और वंचन के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू कर रहे हैं। गरीबों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों को व्यापक तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –

- हकदारियां – पी.डी.एस., एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, आदि
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना – स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता, स्थायी आवास, बिजली आदि
- क्षमताओं में वृद्धि – प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, कौशल वृद्धि, आदि
- आजीविका अवसर पैदा करना – संस्थागत वित्तपोषण, कृषि, पशुपालन, जल विभाजन, एम.एस.एम. ई. विकास, खाद्य प्रसंस्करण आदि
- भौतिक अवसंरचना योजनाएँ – सड़के, बिजली, दूरसंचार आदि

2.2.1.5: आजीविका संवर्धन

एन.आर.एल.एम. अपने तीन स्तंभों के माध्यम से गरीबों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर बनाने और बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करता है

- मौजूदा आजीविका विकल्पों को सुदृढ़ बनाकर/आगे बढ़ाकर तथा और विस्तार करके एवं कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करके "भेद्यता में कमी" तथा "आजीविका वृद्धि";
- 'रोजगार' – बाहर नौकरी बाजार के लिए कौशल निर्माण करना; और
- 'उद्यम' – स्व–नियोजित और उद्यमियों का पोषण करना (सूक्ष्म–उद्यमों के लिए)।

2.2.2 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाः

कौशल विकास योजना एक रोजगार पंजीरण से जुड़ी हुयी योजना है और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल. एम. का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण गरीबों की आय में

विविधता लाने की आवश्यकता में से विकसित हुई है। उसका लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं को के स्किलिंग और उन्हें नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियाँ प्रदान करना है (न्यूनतम 6000 रुपये प्रति मास अथवा न्यूनतम वेतन से अधिक पर इनमें से जो भी उच्चतर है)।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के गरीब परिवारों से 15 और 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। स्किल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में, वह सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया अभियानों जैसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 से 34 वर्ष की आयु के बीच की देश की 180 मिलियन या 69ः से अधिक युवा आबादी उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से, गरीब परिवारों के पिरामिड युवाओं की संख्या, जिनके पास कोई मामूली रोजगार नहीं है, लगभग 55 मिलियन है।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. स्किलिंग इकोसिस्टम में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) अथवा राष्ट्रीय मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एन.एम.एम.यू. अथवा एन.यू.), राज्यों के मिशन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ अथवा प्रशिक्षण भागीदारों और तकनिकी समर्थन एजेंसियाँ शामिल हैं। पाठ्यक्रम समर्थन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) के सेक्टर कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) के माध्यम से है। उद्योग साझेदारियाँ और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी युक्त, इकोसिस्टम एक प्रत्याशी के लिए सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए एक साथ आता है।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. कार्यक्रम के दिशा निर्देशों (2016) द्वारा निर्देशित है। दिशानिर्देश प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जैसे कि किन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, संभावित पी.आई.ए.एस. के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड, परियोजनाओं और पी.आई.ए. मूल्यांकन मानदंडों, धन के मानदंड एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ। इनमें से कई प्रक्रियाओं को मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) में आगे विस्तृत की गई हैं, जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। डी.डी.यू.–जी.के.वाय. को लागू करने के लिए समग्र नीति ढांचे और संस्थागत प्रक्रियाओं को समझने के लिए एस.ओ.पी. और दिशानिर्देशों को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

2.3: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) (स्त्रोतः pmgsy.nic.in)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों के लिए सभी मौसम सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विशेष श्रेणी के राज्यों में जिसमें उत्तराखंड शामिल है और चयनित आदिवासी तथा पिछड़े जनपदों में (गृह मंत्रालय / तत्कालीन योजना आयोग द्वारा पहचाने गए) 500 और उससे अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले (2001 की जनगणना के अनुसार) सभी पात्र असंबंद्ध बस्तियों को जोड़ने की परिकल्पना करता है।

पी.एम.जी.एस.वाई. उन जनपदा में मौजूदा ग्रामीण सडकों के उन्नयन (निर्धारित मानकों के अनुसार) की अनुमति देता है जहाँ 100 और अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सभी पात्र बस्तियां पी.एम.जी.एस.वाय. के तहत कवर किए जाने के पात्र होंगी। पी.एम.जी.एस.वाय.–II का उद्देश्य सड़क–नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए मानदंडों पर आधारित मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को सम्मिलित करना है। "2022 तक बाजार में बेहतर पहुँच" प्राप्त करने के लिए, अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों की आर्थिक क्षमता के आधार पर उनके उन्नयन के लिए और ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका प्रदान करके ग्रामीण सड़क नेटवर्क को समेकित करके "न्यू इंडिया 2022" के सपने के साथ पी.एम.जी.एस.वाय.–III शरू की जा रही है।

पी.एम.जी.एस.वाई. केवल ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करेगा। शहरी सड़कों को इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पी.एम.जी.एस.वाई. केवल **ग्रामीण सड़कों** को सम्मिलित करता है अर्थात वह सड़कें जिसे पहले **"अन्य जनपद सड़कें"** (ओ.डी.आर.) और **"ग्राम सड़कों"** (वी.आर.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अन्य जनपद सड़कें (ओ.डी.आर.) उत्पादन के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत सड़कें और बाजार केंद्रों, तालुका (तहसील) मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों या अन्य मुख्य सड़कों के लिए आउटलेट प्रदान करती सड़कें हैं। ग्राम सड़कें (वी.आर.) गाँवों / निवास स्थान अथवा निवास स्थान के समूह और उच्च श्रेणी के निकटतम सड़क के समूह को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली सड़कें हैं। प्रमुख जनपद सड़कें, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पी.एम.जी.एस.वाय. के तहत सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं, भले ही वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों। यह नई कनेक्टिविटी सड़कों के साथ–साथ उन्नयन कार्यों पर भी लागू होता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें ग्रामीण सड़क मैन्युअल (आई.आर.सी. :एस.पी20रू2002) में दिए गए अनुसार इंडियन रोड्स कांग्रेस (आई.आर.सी.) के प्रावधान के अनुसार होंगी। पहाड़ी सडकों के मामले में, ग्रामीण सड़क नियमावली द्वारा सम्मिलित नहीं किए जाने वाले मामलों के लिए, हिल्स रोड्स मैनुअल (आई.आर.सी. :एस.पी.: 48) के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

2.4 राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (रुर्बन)

श्यामा प्रसाद मुखर्जीरुर्बन मिशन फरवरी 2016 में 300 रुर्बन समूह बनाने और इन समूहों में बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक एवं डिजिटल सुविधाओं में स्थित अंतरों का नियंत्रण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से एकल बस्तियाँ नहीं लेकिन बस्तियों के एक समूह का हिस्सा हैं, जो एक–दूसरे के अपेक्षाकृत समीप हैं। यह समूह आम तौर पर विकास की क्षमता का उदाहरण देते हैं, इनमें आर्थिक कारक हैं और स्थानीय तथा प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए, ऐसे समूहों के लिए ठोस नीति निर्देशों के लिए एक मामला बनाना है। जब यह समूह विकसित हो जाते हैं फिर उन्हें "रुर्बन" के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। इसलिए इस पर संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधानीकरण द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।

कृषि–सेवाओं, पर्यटन और एस.एम.ई. के क्षेत्रों में विषयगत आर्थिक विकास बिंदुओं के साथ, 300 रुर्बन समूहों में से कम से कम 100 रुर्बन समूहों के साथ उभरने के लिए बुनियादी और आर्थिक सुविधाओं का प्रावधान होगा जो खुले में शौच मुक्त, शून्य अपशिष्ट वाले होंगे, हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट के साथ आवरित किए जाएँगे, जिसमें सुरक्षित पेयजल के उपयोग वाले घर शामिल हैं और एलपीजी कनेक्शन के साथ परिपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) गाँवों के समूह के विकास की दृष्टि का अनुपालन कर्ता है जो प्रकृति में शहरी होने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना निष्पक्षता और समाविष्टि पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार का संरक्षित और पोषण करता है, इस प्रकार "**रुर्बन गाँव**" बनाने हैं।

2.5 प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीणः

ग्रामीण आवास कार्यक्रम को एक स्वतंत्र कार्यक्रम के तौर पर जनवरी 1996 मे इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के साथ शुरू किया गया था। हालाँकि आई.ए.वाई. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय आवश्यकताओं को संबोधित करता था, समवर्ती मूल्यांकनों और 2014 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा प्रदर्शन लेखा परीक्षा में कुछ अंतरालों की पहचान की गई थी। यह अंतराल अर्थात आवास का गैर–मूल्यांकन, कमी, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का अभाव, आवास की निम्न गुणवत्ता तथा तकनोकी पर्यवेक्षण की कमी, संमिलन का अभाव, लाभार्थियों द्वारा ऋण का लाभ न उठाना और निगरानी के लिए कमजोर तंत्र कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामों को सीमित कर रहा था।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन अंतरालों को संबोधित करने और योजना द्वारा 2022 तक "सभी के लिए घर" प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की दृष्टि से, आई.ए.वाई. को प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पी.एम.ए.वाय.–जी.) डब्ल्यू.ई.एफ. में पुनःसंरचित किया गया है जो 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई है। पी. एम.ए.वाई.–जी. का उद्देश्य 2022 तक सभी बेघर परिवार को और कच्चे एवं जीर्णशीर्ण घर में रहते परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। तत्काल उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 के तीन सालों में कच्चे/जीर्णशीर्ण घर में रहने वाले 1.00 करोड़ परिवारों को आवरित कर लेना है। घर का न्यूनतम आकार स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) तक बढ़ा दिया गया है। मैदानी इलाकों में इकाई सहायता 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम

इलाकों तथा आई.ए.पी. जनपदों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दी गई है। लाभार्थी एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. से अकुशल श्रम के 90-95 श्रम दिनों के लिए हकदार है। शौचालय के निर्माण के लिए सहायता का लाभ एस.बी.एम.–जी., एम.जी.एन.आर.ए.जी.एस. अथवा वित्त पोषण का कोई अन्य समर्पित स्रोत के साथ संमिलन के माध्यम से उठाया जाएगा। पाइप पेयजल, बिजली कनेक्शन, एल.पी. जी. गैस कनेक्शन आदि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी प्रयास किए जाने हैं।

इकाई सहायता की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60:40 अनुपात में और उत्तर पूर्वी तथा हिमालयन राज्यों के लिए 90:10 अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच साझा की जाएगी। पी.एम.ए.वाय.–जी. के लिए वार्षिक बजटीय अनुदान में से, 90% कोष पी.एम.ए.वाई.–जी. के तहत नए घर के निर्माण के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदर्शों को जारी किए जाएँगे जिसमे प्रशासनिक व्यय के लिए 4% आवंटन भी शामिल होगा। 5% बजटीय अनुदान विशेष परियोजनन के लिए आरक्षित निधि के तौर पर केन्द्रीय स्तर पर कायम रखा जाएगा। राज्यों के लिए वार्षिक आवंटन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) पर आधारित होगा और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कोष को दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। पी.एम.ए.वाई.–जी. की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है लाभार्थी का चयन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों को लक्षित की जाती है जो वास्तव में वचित हैं और चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है, पी.एम.ए.वाई.–जी. बी.पी.एल. परिवारों में से लाभार्थी का चयन करने के बजाय सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 की तारीख में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थी को चुनता है जिसका सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना है। एस.ई.सी.सी. डेटा परिवारों में से आवास से संबंधित विशिष्ट वंचन को देखता है। डेटा का उपयोग करके जो परिवार बेघर हैं और 0, 1 तथा 2 कच्ची दीवार तथा कच्ची छत वाले घरों में रहते हैं उन्हें अलग और लक्षित किया जा सकता है। इस तरह से बनी स्थायी प्रतीक्षा सूची यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्यों के पास आने

वाले वर्षों में (वार्षिक चयन सूचियों के माध्यम से) योजना के तहत आवरित किए जाने वाले घरों की तैयार सूची है जो कार्यान्वयन की बेहतर योजना के लिए अग्रणी है।

2.6 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

यह वृद्ध, विधवाओं और विकलांगों के लिए तथा उन परिवारों के लिए जो कमानेवाले की मृत्यु के मामले में बी.पी.एल. परिवार हैं, एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 की भावना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर अनुपयुक्त माँग के अन्य मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजानिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देती है। यह योजना शुरू करने का आशय यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा समग्र देश में उपलब्ध है और इसके लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एन.एस.ए.पी. **गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (बी.पी.एल.)** के लिए निम्न योजनाओ का समावेश करता है:

(a) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)** : इस योजना के तहत, 60-79 के आयु वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्ति को प्रति माह 200 रुपये की और 80 साल तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तिओं को प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(b) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.)** : इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार 40-79 के आयु वर्ग में आती और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(c) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)** : इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार 18-79 के आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविध विकलांगता वाले और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(d) **राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना (एन.एफ.बी.एस.)**: इस योजना के तहत एक बी.पी.एल. परिवार 18-59 वर्ष के बीच की आयु के प्राथमिक कमानेवाले की मृत्यु पर धन की लमसम राशि के लिए हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रुपये है।

(e) **अन्नपूर्णा** : इस योजना के तहत, प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न उन नागरिकों को बिना किसी मूल्य के प्रदान किए जाते हैं जो, आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत पात्र होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

2.7 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.):

यह देश के सभी हिस्सों में मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन के उद्देश्य के साथ 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। एस.ए.जी.वाई. ग्राम पंचायतों का विकास बिना किसी अतिरिक्त धन के आवंटन के मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के संयोजन और कार्यान्वयन के माध्यम से संसद के माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन में होता है। यह "आदर्श ग्राम" गाँव समुदाय के भीतर स्थानीय विकास और प्रशासन

के स्कूल बनकर, पड़ोसी ग्राम पंचायतों को प्रेरणा देकर "स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली और सौहार्द के केन्द्र" के रूप में कार्य करते हैं।

संसद सदस्य (एम.पी.) इस योजना को चलाने वाले केंद्रबिंदु हैं। ग्राम पंचायत विकास के लिए बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000–5000 और पहाड़ी, आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में 1000–3000 होगी। जिन जनपदों में यह इकाई आकार उपलब्ध नहीं है, वांछनीय जनसंख्या आकार से सन्निकट ग्राम पंचायतों को चुना जा सकता है। सांसदो द्वारा तुरंत कार्य के लिए एक ग्राम पंचायत, और कुछ समय बाद पश्चात कार्यो के लिए दो अन्य ग्राम पंचायतों की पहचान करेंगे। लोक सभा एम.पी. को अपने चुनावक्षेत्र में से ही एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है और राज्य सभा सांसदों को राज्य के अपनी पसंद के किसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में से ग्राम पंचायत चुननी होती है जहाँ से वह निर्वाचित है। नामित एम.पी. देश में किसी भी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में से ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। शहरी चुनावक्षेत्रों के मामले में (जहाँ कोई ग्राम पंचायतें नहीं होती हैं), एम.पी. निकटवर्ती ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत की पहचान करेगा। मुख्य रूप से, लक्ष्य है मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम का विकास करना, जिसमें से एक 2016 तक प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद, 2024 तक पाँच ऐसे आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) चुने और विकसित के जाएँगे।

2.8 मिशन अन्त्योदयः

मिशन अन्त्योदय के तहत, राज्य सरकार ने हेतुपूर्वक 50ए000 गाम पंचायतों का चयन किया है और भौतिक अवसंरचना, मानव विकास तथा आर्थिक गतिविधियों के मानदंडों पर उनका रैंकिंग अक्टूबर, 2017 में किया गया था। यह अगले 1000 दिनों में संमिलन कार्यों के माध्यम से गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की तलाश में अंतरालों की पहचान करना सुविधाजनक बनाने के लिए है। राज्य सरकारों ने मिशन अन्त्योदय ग्राम पंचायतों/समूहों के संबंध में डेटा अपलोड किए हैं। अपलोड किए गए डेटा का एक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारों को 40 से कम स्कोर करने वाली ग्राम पंचायतों पर विशेष फोकस के साथ, 60 से कम स्कोर वाली ग्राम पंचायतों में अवसंरचनात्मक और सामाजिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में राज्य कार्य योजना मिशन अन्त्योदय जी.पी.एस. के अंतराल विश्लेषण पर आधारित होगी ताकि वर्ष 2018–19 में संतृप्ति मोड में उन अंतरालों को भरा जा सके।

2.9 एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना (आई.एफ.ए.डी.):

एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना (आई.एल.एस.पी.) उत्तराखंड सरकार और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आई.एफ.ए.डी.) का संयुक्त उपक्रम है और ग्रामीण विकास विभाग के तहत उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जनपदों के 44 ब्लॉक्स में लागू की जा रही है। आई.एल.एस.पी. का लक्ष्य है गरीबी कम करना जो "ग्रामीण परिवारों को व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत आजीविका के अवसरों को लेने में सक्षम बनाने" के लिए अधिक तत्काल विकास उद्देश्य के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

आई.एल.एस.पी. उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जनपदों के 44 ब्लॉक्स में लागू किया जा रहा एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, चम्पावत, पिथौरागढ और नैनीताल)।

आई.एल.एस.पी. के पीछे की रणनीति है पर्वतीय जनपदों में आजीविका निर्माण के लिए दो आयामी दृष्टिकोण अपनाना। इन में से पहला है खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सहायता करना और उनका विकास करना जो अधिकांश परिवारों के लिए सहायता का मुख्य माध्यम बने रहे हैं। इस परियोजना का दूसरा प्रमुख रुझान है गैर–कृषि आजीविका, विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी, और व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके नकद आय उत्पन्न करना।

प्रभावी परियोजना कार्यान्वयन प्रबंधन के लिए आई.एल.एस.पी. में निगरानी और मूल्यांकन परियोजना के तहत एक लगातार प्रक्रिया के रूप में विकसित किए गए हैं। एम.एन्ड.ई. प्रक्रिया का उद्देश्य है परिणामों की प्राप्ति के प्रति प्रदर्शन तथा प्रगति मापन के लिए वि"वसनीय डेटा और जानकारी इकठ्ठा करना; और सफलता एवं विफलताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, और परियोजना गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय करना। उसका उपयोग परिणाम आधारित प्रबंधन के आधार पर विविध स्तरों पर परियोजना रणनीतियों और संचालन पर निर्णय लेने में सहायक प्रतिबिंब के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए और निर्णय–निर्धारण को समर्थन देने के लिए एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी किया जाता है।

परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन की सुविधा के लिए आई.एल.एस.पी. के तहत विकसित तंत्र में ऑनलाइन एम.आई.एस.; राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियाँ, सर्वेक्षण और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन आदि शामिल हैं।

2.10 उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी.)

उत्तराखंड राज्य में, पहाड़ियों में रहने वाली लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। प्रमुख फसलें निर्वाह अनाज हैं जिनकी उत्पादकता 1.2 से 1.4 टन / हेक्टेयर है। सब मिलाकर, मैदानी इलाकों में मिलने वाली पैदावार की तुलना में पहाड़ियों में पैदावार मुख्य रूप से सिंचाई पानी, खराब इन–सीटू वर्षा जल संरक्षण, और ऊपर की उपजाऊ मिट्टी के नुकसान की विवश पहुँच के कारण 50 प्रतिशत कम है। पहाड़ियों में, पारंपरिक सिंचाई पद्धतियाँ संभव नहीं हैं।

इसके अलावा, सोतों और जल स्रोतों की रिहाई दर में सामान्य कमी आई हैः इनमें से लगभग 10 प्रतिशत जल स्रोत पिछले एक दशक में गायब हो गए हैं। ये वर्षा आधारित कृषि पद्धतियों को उन्नत करने और कृषि दक्षता का विस्तार करने की वास्तविक आवश्यकताएँ हैं। निम्नीकृत भूमि गरीब परिवारों के स्वामित्व में है, और उनका भूमि धारण कम और बिखरा हुआ है। परिणामस्वरूप परिवार की आय कम है और 24 प्रतिशत से अधिक आबादी बाहर पलायन कर जाती है। खेती की दक्षता का विस्तार करने और उत्तराखंड के वर्षा क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए इन लाइनों के साथ जलागम उपचार के माध्यम से जल पहुँच को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। (पी.ए.डी., यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. 2)

2.10.1 ग्राम्या 1

परियोजना विकास उद्देश्यः प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना और सामाजिक रूप से समावेशन, संस्थागत एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ दृष्टिकोणों के माध्यम से चयनित जलागमों में ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना।

परियोजना क्षेत्रः इस परियोजना में 11 जनपदों के 18 विकास ब्लॉक्स में पहचानी गई 468 ग्राम पंचायतों ने हिस्सा लिया था। परियोजना की अनुमानित 2,58,000 आबादी को परियोजना के परिणामों से को लाभान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था।

परियोजना के घटकः

1. सहभागी जलागम विकास और प्रबंधन

- **सामाजिक गतिशीलता और समुदाय संचालित निर्णय–निर्धारण का संवर्धन**
  - ❖ स्वामित्व
  - ❖ जवाबदेही
  - ❖ पारदर्शिता
  - ❖ लागत प्रभावशीलता
  - ❖ वंचित समूहों की भागीदारी
  - ❖ **जलागम उपचार और ग्राम विकासः** जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. में मिट्टी और नमी संरक्षण, वनीकरण, जल संचयन, कृषि छत की मरम्मत जैसी गतिविधियाँ, उच्च मूल्य वाली फसलों का परिचय और कृषि उपज, बागवानी, पशुधन प्रबंधन और प्रजनन गतिविधियों का मूल्यवर्धन, चारा उत्पादन, सड़कों और पुलियों की मरम्मत, गैर–पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम जैसे कृषि हस्तक्षेप शामिल किए गए थे। पर्यावरणीय और सामाजिक दिशानिर्देशों (ई.एस.जी.) को जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. और उप–परियोजनाओं का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया था। उन दिशानिर्देशों के माध्यम से उद्देश्य था नकारात्मक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को कम करना अथवा उनका शमन करना तथा सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि करना।

2. आजीविका के अवसरों में वृद्धि

- खेती प्रणालियों में सुधार
- मूल्य संवर्धन और विपणन समर्थन
- पाइन ब्रिकेटिंग
- कमजोर समूहों के लिए आय सृजन गतिविधियाँ

3. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- ग्राम पंचायतों और स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं का क्षमता निर्माण
- सूचना, शिक्षा और संचार
- परियोजना प्रबंधन और सूचना प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन (आई.एम.एम.ई.)
- बाहरी निगरानी (बेसलाइन, एम.टी.आर. और अंतिम प्रभाव आकलन परामर्श)
- सहभागी निगरानी और मूल्यांकन (पी.एम.ई.)

2.10.2 चरण–II (ग्राम्या):

यह परियोजना यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. चरण–I परियोजना के एक सीक्वेल के साथ वर्ल्ड बैंक फंडेड (आई.डी.ए. क्रेडिट) है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के चयनित सूक्ष्म–जलागम क्षेत्रों में

प्राकृतिक संसाधन उपयोग की कार्यक्षमता और सहभागी समुदायों द्वारा वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

परियोजना का उद्देश्य (a) सूक्ष्म–जलागम स्तर पर व्यापक रूप से जलागम क्षेत्रों के उपचार के माध्यम से स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को समर्थन देकर; (b) विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के माध्यम से कृषि योग्य भूमि पर उत्पादकता में वृद्धि करके; (c) लक्षित किसानों के लिए कृषि व्यवसाय के विकास और कमजोर घरों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि करना; और (d) आवश्यकतानुसार, लक्ष्य योग्य सूक्ष्म–जलागम क्षेत्रों में एक योग्य संकट या आपातकाल के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करके प्राप्त किया जाएगा।

यह परियोजना तीन संस्थाओं के बीच के संयुक्त रिश्ते पर आधारित होगीः (i) ग्राम समुदायों और ग्राम पंचायतों; (ii) डब्ल्यू.एम.डी.; और (iii) गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं।

2.10.2.1 परियोजना के घटक

चार प्रमुख सिद्धांत सूचित ग्राम्य II का मार्गदर्शन करते हैं

(a) परियोजना जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी.एस. नीचे से ऊपर की तैयारी, कार्यान्वयन, और निगरानी को बढ़ावा देगी, जो जी.पी. संस्थागत क्षमता का निर्माण करेंगे और समुदाय आधारित संगठनों का विकास करेंगे;

(b) सूक्ष्म जलागम नियोजन कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि, आरक्षित वन और अंतर–जी.पी. क्षेत्र समेत पर्वत शिखर श्रृंखला से लेकर घाटी तल के समग्र भू–दृश्य सम्मिलित करता है;

(c) जलागम उपचार वर्षा आधारित कृषि विकास का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि वह स्वस्थानी जल दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में वृद्धि करके वषा आधारित फसलों की संवर्धित उत्पादकता का समर्थन करता है; और

(d) जलागम उपचार नए क्षेत्रों को सिंचाई के तहत लाता है और वर्तमान में सिंचित क्षेत्रों के लिए पानी की उपलब्धता और दक्षता में सुधार करता है, जहाँ परियोजना उच्च मूल्य वाली सब्जियों की फसलों का समर्थन करेगी।

2.10.2.2 स्थिरता

ग्राम्य I की सफलता उसकी अभिनव डिज़ाइन पर निर्मित थी जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए वित्त सहित विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन था। ग्राम्य I ने परियोजना प्रबंधन, प्रत्ययी और सुरक्षा उपायों का अनुपालन, और सामाजिक जवाबदेही में जी.पी. क्षमता को बढाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया था। जी.पी. डब्ल्यू.डी.पी. तैयारी और कार्यान्वयन में सहभागी दृष्टिकोण ने जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी.एस. में जी.पी. स्वामित्व को और परियोजना निवेशों की स्थिरता को भी सुनिश्चित किया था, (a) चेक डैम और जल संचयन संरचनाओं के लिए उपयोगकर्ता समूह; (b) नए वन वृक्षारोपण के लिए वी.पी.; और (c) मूल्य वर्धित गतिविधियों के लिए एफ.एफ.एस. के गठन द्वारा। सूचित ग्राम्य विकेन्द्रीकृत जलागम उपचार को सुदृढ़ बनना और जी.पी.एस, वी.पी.एस, जल उपयोगकर्ता समूहों, एफ.आई.जी.एस, और एफ.एफ.एस, सहित स्थानीय संस्थागत क्षमता का निर्माण करना जारी रखेगा, जो संपूर्ण परियोजना स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

परियोजना क्षेत्र उत्तराखंड में 8 पर्वतीय जनपदों के, 18 विकास ब्लॉक में 509 ग्राम पंचायतों के 82 एम.डब्ल्यू.एस. (1 मॉडल एम.डब्ल्यू.एस. सहित) में 263837 हेक्टेयर पर फैला है। इस परियोजना से लगभग 300553 आबादी के साथ 55605 परिवारों को लाभ होने की संभावना है। परियोजना पी.आई.ए. के रूप में ग्राम पंचायत के साथ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाएगी।

2.11 जे.आई.सी.ए. द्वारा वित्तपोषित उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना (यू. एफ.आर.एम.पी.–जे.आई.सी.ए.)

परियोजना पृष्ठाधार

भारत के वन सर्वक्षण (एफ.एस.आई.) "वन की स्थिति" (2011) के अनुसार उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 80% हिस्सा खुला और मध्यम रूप से घना है। इस परियोजना का समग्र लक्ष्य समुदाय को उन्नत आजीविकाओं और आय सृजन के माध्यम से सशक्त बनाकर पर्यावरण की बहाली और वन संसाधनों के विकास के प्रति योगदान देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परियोजना निम्न बुनियादी दृष्टिकोण अपनाती हैः

a. वन–सीमांत समुदायों को विशेष रूप से महिलाओं को, स्थायी आजीविकाओं के माध्यम से सशक्त बनाना और ग्रामीण लोगों को उनके खुद के पर्यावरण के प्रबंधन में सकारात्मक रूप से शामिल करना सुनिश्चित करना।

b. सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना जैसे कि वन पंचायतें और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बी.एम.सी.एस.)

c. आय सृजन हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की गरीबी को कम करना।

d. मिट्टी और नमी संरक्षण सहित स्थल विशिष्ट तकनिकी और वैज्ञानिक वानिकी हस्तक्षेपों का आयोजन और कार्यान्वयन, जिसमें शामिल है उपलब्ध प्रकंद की अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करके उचित सिल्वीकल्चरल कार्यों के माध्यम से निम्नीकृत क्षेत्रों की बहाली करना और उपयुक्त प्रजातियों के साथ अंडरप्लांटिंग, खाली पैच में ब्लॉक रोपण। अंतर–क्षेत्रीय संमिलन को बढ़ावा देना।

e. हस्तक्षेपों का आयोजन और कार्यन्वयन वन पंचायतों और जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

f. मौजूदा एजेंसी (उत्तराखंड वन विभाग) और अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जो वन पंचायत (आरक्षित वन, सिविल और सोयम वनों, आदि) के बाहर पर्यावरण की बहाली के प्रति योगदान देगा।

g. स्थायी रोजगार पैदा करने, उद्योगों का विकास करने और वनों के मूल्य को बढ़ाने के लिए वन–आधारित और गैर–वन–आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना (जैसेकि औषधीय और सुगंधित पौधे, राल, शहद जैसे खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक रंग, वन बायोमास का उपयोग, इकोटूरिज्म, हस्तशिल्प, ऑफ–सीजन सब्जी, डेयरी उत्पादों आदि का मूल्य संवर्धन और विपणन)।

h. जे.आई.सी.ए. दिशानिर्देश और लागू भारतीय कानून तथा विनियमों के अनुसार समाज में उचित सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित समूहों की देखभाल करना, जैसेकि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, वनवासियों, महिलाओं और अन्य कमजोर लोग।

i. अधिक संसाधन जुटाने और संरक्षण के लिए गति उत्पन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना, जैसेकि यू.एन.–आर.ई.डी.डी. + रामसर अधिवेशन, यूनेस्को वि"व धरोहर स्थल (प्राकृतिक), य्नेस्को मनुष्य और जीवमंडल (एम.ए.बी.) कार्यक्रम, आदि.।

2.11.1 परियोजना के घटक

- **पतित वनों की पर्यावरण–बहाली**

  यह घटक पतित वनों की बहाली को सुलझाता है, विशेष रूप से सीमांत वन क्षेत्रों, जहाँ वनों पर सामुदायिक दबाव स्थायी सीमाओं से अधिक है। ये वन अधिक पतित हैं।

- **आजीविका विकास और आय सृजन**

  यह घटक यह सीमांत वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदाय के आय स्तरों को ऊपर उठाने और अन्य बुनियादी मानव जरुरुतों पर ध्यान केन्द्रित करता है ताकि वनों पर उनकी निर्भरता घटती है और हम वनों के स्थायी प्रबंधन को प्राप्त करने में सक्षम बनते हैं।

- **अन्य सहायक गतिविधिया**

  यह घटक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लोजिस्टिक्स की देखभाल करता है।

उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना (यू.एफ.आर.एम.पी.)

2.11.2 लक्ष्य क्षेत्र चयन

उपचार क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए वन पंचायतों के चयन के लिए प्राथमिक मापदंडः

- वी.पी. परियोजना की प्राथमिकता वाली श्रेणियों में होनी चाहिए।
- वी.पी. में एक निर्वाचित निकाय होना चाहिए।
- वी.पी. को परियोजना में भाग लेने के लिए सहमति दी गई होनी चाहिए।
- वहाँ अन्य किसी भी तरह का जारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

2.12 विकास केन्द्र

राज्य में विकास केन्द्र योजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पहचानी गई स्थानीय उपज और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में पहचानी गई आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिसूचना 1800ध्टप्02;05द्ध. डैडम्ध्2018 द्वारा शुरू कर दी गई है। विकास को तेज बनाने क लिए विकास केन्द्रों को चयनित क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किस निवेश में बैकवर्ड और फोरवर्ड लिंकेज विकसित करना है वह तय किया जाएगा।

विकास केन्द्र मुख्य रूप से उत्पाद आधारित अथवा सेवा आधारित हो सकते हैं। जहाँ केन्द्र अपनी अलग अग्रणी वित्तीय गतिविधियों को चलाते हैं, वे विशेष वित्तीय केंद्र होंगे।

उद्देश्यः

- विकास केन्द्रों को मुख्य रूप से अग्रणी उत्पाद / सेवा केन्द्रों के रूप में स्थापित करना, जिसमें महत्वपूर्ण अंतरालो को दूर करके और वित्तीय गतिविधि का प्रसार करके क्षेत्र विशिष्ट विकास की ओर आगे बढ़ा जाता है।

- सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तथा सेवा क्षेत्र उद्यमों के सफल संचालन के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण पर सफल उद्यमियों / कृषि उत्पादकों / शिल्पकारों और बुनकरों को अपना व्यवसाय स्थायी बनाने के लिए सक्षम बनाना।

- सामूहिक सुविधा केन्द्रों, परीक्षण प्रयोगशालाएँ और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए क्षमता विकास जैसेकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बड़े पैमाने पर पर्यवेक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन।

- समूह स्तर पर चयनित / प्रोत्साहित गतिविधि के लिए इन्वेंट्री इनपुट्स स्थापित करना जैसेकिः नई तकनीक का समावेश, मशीनरी और उपकरण की उपलब्धता क लिए इन्वेंट्री लिंकेज लागू करना, डिजाइन, पैकेजिंग और वितरण संबंधित बुनियादी ढाँचा।

- उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन और प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति भावी उद्यमियों में जागरूकता पैदा करना।

- समूह स्तर पर उपलब्ध उत्पाद का मुल्यांकन, विपणन के लिए अधिशेष का आकलन, जिसमें अर्ध–प्रसंस्कृत / प्रसंस्कृत मूल्य के लिए संवर्धित उत्पाद के लिए कलेक्टर समूह और श्रमिक के बीच संयोजन और जानकारी की उपलब्धता।

- समूह स्तर पर प्रेरित उद्यम / उत्पाद संचालित उद्यमों को बाजार का अवसर, व्यवसाय चयन, व्यवसाय योजना और विपणन संगोष्ठी प्रदान करना।

- उत्पादों के लिए ब्रांड का विकास, पैकेजिंग और टेस्टिंग लैब, सामान्य सुविधा केन्द्र, डिज़ाइन स्टूडियो, ट्रेड सेंटर आदि का विकास। विविध राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मेलों में विचरण सुविधाओं और भागीदारी के लिए ई–मार्केटिंग।

- युवाओं के पलायन पर अंकुश लगाकर, स्थानीय स्तर पर त्वरित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

2.13 पंचायती राज

भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ग्रामीणों में से अस्तित्व में आते हैं। पंचायत आधारित ग्रामीण विकास और न्यायिक व्यवस्था प्राचीन काल से आधारित रही है। भारत के इतिहास में, वह सरकारी व्यवस्थाएँ सफल रही हैं, जिनकी पंचायत आधारित न्यायिक व्यवस्था अच्छी है। गांधीजी के भारत के सपने का मूल भी ग्रामीण स्व–शासन की ताकत थी।

पंचायत प्रणाली को 73वे संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया रूप देते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आम ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के रास्ता खुल गया।

उत्तराखंड राज्य में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यह लाभप्रद योजनाएँ, जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, इन योजनाओं से अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। पंचायती राज विभाग गाँवों के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ ले जाने का प्रयास कर रहा है।

2.13.1 14 वाँ केन्द्रीय वित्त आयोगः

14वें वित्त आयोग की सिफारशों के अनुसार, धनराशि ग्राम पंचायतों के व्यवस्थापन में रखी जाती है, जिसमें, पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुसार, जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सहित सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव, सड़क, फुटपाथों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट और कब्रिस्तान और श्मशान घाट और विकास / निर्माण कार्य किए जाते हैं।

2.13.2 राज्य वित्त आयोगः

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकार हर साल धनराशि प्राप्त कर रही है जिसे पंचायतों के व्यवस्थापन मे रखा जाता है। उक्त धनराशि में से पंचायतों द्वारा स्थानीय जरुरत के अनुसार विकास / निर्माण कार्य किए जाते हैं। चौथे राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए मात्राओं के वितरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, 35 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए, 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों के लिए और 35 प्रतिशत का वितरण जनपद पंचायतों के लिए।

मानकों के अनुसार, चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय की राशि का भुगतान निधि से किया जाएगा। बाकी की राशि जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज प्रबंधन का निर्माण, जल निकासी और स्वच्छता, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, आंगनवाड़ी इमारतों / अतिरिक्त कक्षा–कक्षाओं का निर्माण आदि और सामुदायिक ईमारत निर्माण आदि. जैसे विकास कार्यों पर खर्च किए जाएँगे।

2.13.3 जी.पी.डी.पी. (ग्राम पंचायत विकास योजना)

पंचायती राज, भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर, ग्राम पंचायतों द्वारा सभी स्त्रोत से प्राप्त संसाधनों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने का निर्णय लिया गया है।

यह नोट करना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (जैसा कि उत्तराखंड में है) के अनुच्छेद 15-A के अनुसार, ग्राम पंचायत हर साल पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना को "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" नाम दिया है जिसके तहत राज्य की गाँव पंचायतों द्वारा परस्पर संवादात्मक नियोजन और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों में से व्यापक और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना की ड्राफ्ट योजना तैयार की जाएगी। अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में, समुदाय, विशेष रूप से ग्राम सभा, की भागीदारी और गतिविधि सुनिश्चित की जाएगी ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस योजना के लिए नोडल विभाग पंचायत राज विभाग होगा।

2.13.4 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.एस.पी.ए.)/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू हुई थी। यह 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्तपोषित और 25 प्रतिशत राज्य–वार है। योजना के प्रारंभ में योजना के मुख्य घटकों में

1. ग्राम पंचायतों में स्थापना सुविधाओं का विस्तार तथा क्षतिग्रस्त इमारतों का पुनर्निर्माण और जिन पंचायतों में इमारते उपलब्ध नहीं है वहाँ इमारतों का निर्माण।
2. निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों और कर्मियों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण
3. राज्य, जनपद और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे की तैयारी
4. ई–पंचायत के तहत ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर / नेटवर्किंग प्रदान करना
5. अन्य नवाचार गतिविधियों, आदि को शामिल किया गया था।

इस योजना का प्रारूप वर्ष 2015-16 से बदल दिया गया है। अब इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी संरचना का विकास और क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण जैसे घटक शामिल किए गए हैं। इस योजना में, वर्ष 2012-13 के लिए 281.96 लाख रुपये और संयुक्त रूप से वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के लिए 2469.01 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2015-16 के लिए, 1259. 665 लाख रुपये का आयोजन अनुमोदित किया गया है, जिसके सामने केन्द्र ने पहली किस्त के रूप में 309 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

2.13.5 पंचायत सशक्तिकरण अवॉर्ड्स

1. राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड (आर.जी.जी.एस.)

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, हर साल, ग्राम सभा की बैठक / ग्राम पंचायत बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएँगी, ताकि सामाजिक सुधार और उनसे संबंधित अन्य उल्लेखनीय कार्य आयोजित किए जा सकें। ग्राम सभा की गतिविधियों के आधार पर, अवार्ड का चयन किया जाता है।

.2. पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड (पी.एस.पी.)

यह योजना भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को मजबूत और उत्तरदायी बनाने के लिए वर्ष 2011-12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के रूप में शुरू की गई है। हाल में वह भारत सरकार द्वारा पंचायत सशकीकरण अवार्ड (पी.एस.पी.) योजना के तौर पर चलाई जा रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है उत्कृष्ट कार्य करना जैसेकि ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें, पंचायत कर संग्रह, पंचायतें अपने स्वयं के स्रोता से आय बढ़ाएगी और आय सृजन संपत्ति बनाएगी, शुद्ध पेय जल, स्ट्रीट लाइटिंग, पंचायत क्षेत्र में पानी, निकासी का प्रावधान, स्वच्छता आदि, जन्मों का 100% पंजीकरण, बच्चों का स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकरण, और बच्चों का 100% टीकाकरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, सेक्स अनुपात में सुधार, घरेलू हिंसा रोकना, पंचायतों को शिक्षा और सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता और कर्तव्यों और कार्यों के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करके पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।

3. एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. अवाड्र्स –

उन ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत सम्मानित किया जाता है जो एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. योजना के कार्यान्वयन में अच्छा काम कर रही हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय पंचायती राज परिषद की सिफारिशों पर दिया जाता है।

2.13.6 पंचायत भवन निर्माण

उत्तराखंड में इस समय 7950 ग्राम पंचायतों में से, 6816 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है जबकि 1134 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं। पंचायत भवन पिछले वर्षों में विभागीय योजना पंचायत भवन निर्माण / केन्द्र पोषित योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) के तहत बनाए गए हैं।

2.13.7 क्षेत्र पंचायत विकास निधि

क्षेत्र पंचायत के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में समान काम पाने के उद्देश्य से, इस योजना के तहत सरकार द्वारा धन अधिकृत किया गया है। वर्ष 2005-06 में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार, हर साल, पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रति विकास ब्लॉक 25 लाख रूपये की दर से धन आवंटित किया गया है। वर्ष 2012-13 में, पंचायतों को प्रति विकास ब्लॉक 35 लाख रुपये की दर से कुल 33.25 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वर्ष 2015-16 में, केवल 720 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। इस राशि में से सभी 3266 क्षेत्र पंचायतों के विकास कार्य किए जाते हैं।

2.14 सहकारिता

सहकारिता वह उद्यम हैं जो लोगों को उनके व्यवसाय के केन्द्र में रखते हैं न की पूंजी में। सहकारिता व्यवसाय उद्यम हैं और इस प्रकार तीन मूल हितों के संदर्भ में परिभाषित किए जा सकते हैंः स्वामित्व, नियंत्रण और लाभार्थी। केवल सहकारी उद्यम में सभी तीन हित सीधे उपयोगकर्ता के हाथों निहित होते हैं।

सहकारिता संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है।

पंचायती राज संस्थानें और सहकारी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सहकारिता पूरे देश में विस्तारित हुई है और वर्तमान में देश भर में अनुमानित 230 मिलियन सदस्य हैं। सहकारी ऋण प्रणाली का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है और सहकारी समितियों ने वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक श्रेय प्राप्त किया है। उर्वरक उत्पादन और वितरण में भारतीय उर्वरक सहकारी की बाजार के 35% से अधिक हिस्से पर कमान है। चीनी के उत्पादन में बाजार की सहकारी

हिस्सेदारी 58% से अधिक है और कपास में उनकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। हाथ–बुनाई क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र 55%ः करघे के लिए उत्तरदायी है। (स्त्रोतः भारतीय सहकारी आंदोलनः एक सांख्यिकीय प्रोफाइल – 2016, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ)

भारतीय सहकारी आंदोलन एक नजर में **(at a glance)**: 2016-2017

तालिका 2.1

सहकारी समितियों की कुल संख्या	**8,54,355**
कुल में से, मृत/निष्क्रिय	52,440
क्रेडिट सहकारी समितियाँ (सभी प्रकार)	177605
गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ (सभी प्रकार)	676750
सहकारी समितियों की कुल सदस्यता	**290.06 million**
क्रेडिट सहकारी समितियाँ (सभी प्रकार)	206.16 million
गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ (सभी प्रकार)	83.921 million
शेयर पूंजी (सभी स्तर और सभी प्रकार)	**Rs. 4,06,886.8 million**
प्राथमिक गैर–क्रेडिट सहकारी समितियों की पूंजी	Rs. 131505.2 million
कार्यशील पूंजी (क्रेडिट + गैर–क्रेडिट)	**Rs. 125,36,174 million**
राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ	17
राज्य स्तर के सहकारी संघ	390
जनपद स्तर के सहकारी संघ	2,705
बहु राज्य सहकारी समितियाँ	1,435
प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पी.ए.सी.एस.)	97,961
पी.ए.सी.एस. (व्यवहार्य)	64,438
पी.ए.सी.एस. (संभावित रूप से व्यवहार्य)	18,101
पी.ए.सी.एस. द्वारा आवृत गाँवों की संख्या	**6,44,458**
पी.ए.सी.एस. (सदस्यता)	131.23 million
पी.ए.सी.एस. (कुल चुकता शेयर पूंजी)	Rs. 1,41,215 million
पी.ए.सी.एस. (सरकार की भागीदारी)	5.87%
पी.ए.सी.एस. (कुल जमा)	Rs. 846,163 million
पी.ए.सी.एस. (भंडारण क्षमता) मिलियन एमटी में (2016-2017)	6.26 million MT
कुल सहकारी भंडारण क्षमता	22.77 million MT
जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्ड (मार्च 2017 के अंत तक)	71,474 million
सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (मार्च 2017 के अंत तक)	35,883 million
सहकारी समितियों द्वारा संवितरित राशि (2016-17)	Rs. 14,27,580 million

(स्त्रोतः भारतीय सहकारी आंदोलनः एक सांख्यिकीय प्रोफाइल – 2018, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ)

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का प्रतिशत
तालिका 2.2

सहकारी समितियाँ	प्रतिशत (%)
सहकारी समितियों द्वारा आवृत ग्रामीण नेटवर्क	98.0
ग्रामीण नेटवर्क (पी.ए.सी.एस. द्वारा आवृत गाँव)	90.8
कुल कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा संवितरित (2016-2017)	13.40
अल्पकालिक कृषि ऋण छोटे एवं सीमांत किसानों को सहकारी समितियों द्वारा संवितरित	19.13
किसान क्रेडिट काड्र्स सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी (मार्च 2017 के अंत तक)	67.3
किसान क्रेडिट काड्र्स सहकारी समितियों द्वारा जारी (मार्च 2017 के अंत तक)	50.2
उर्वरकों का वितरण किया गया (2016-2017) अनुमानित	35.00
उर्वरक उत्पादन क्षमता (वर्ष 2016-2017 के लिए 5.35 मिलियन टन)	24.92
उर्वरक उत्पादन (वर्ष 2016-2017 के लिए 51.62 मिलियन टन)	28.80
उर्वरक उत्पादों की क्षमता (वर्ष 2016-2017 के लिए 10.77 मिलियन टन)	20.32
उवरक विनिर्माण ईकाइयों की स्थापित क्षमता	25.60
(3.638 मिलियन टन, एन. न्युट्रीएन्ट, 31.03.2017 के दिन)	
उर्वरक विनिर्माण ईकाइयों की स्थापित क्षमता	23.53
(1.713 मिलियन टन, पी. न्युट्रीएन्ट, 31.03.2017 के दिन)	
चीनी कारखानों की स्थापित संख्या (284, 31.03.2017 के दिन)	38.63
उत्पादित चीनी (5.654 मिलियन टन, 31.03.2017 के दिन)	30.60
चीनी मिलों की क्षमता का उपयोग (31.03.2017 के दिन)	46.14
सहकारी समितियों द्वारा ख़रीदे गए कुल दूध में से बेचा गया तरल दूध	84.17
कुल उत्पादन के लिए दूध खरीद (2016-2017)	9.5
विपणन अधिशेष के लिए दूध की खरीद (2016-2017)	17.5
भंडारण सुविधा वाले पी.ए.सी.एस. (ग्राम स्तर पर) (2016-2017)	55.5
सहकारी क्षेत्र की कुल भंडारण क्षमता (2016-17) 22.77 मिलियन एमटी	14.79
सहकारी समितियों में मच्छीमार (सक्रिय)	20.05
गेहूं खरीद (2017-18 के दौरान 4.4 मिलियन टन)	13.3
धान खरीद (2016-17 के दौरान 7.5 मिलियन टन)	20.4
खुदरा उचित मूल्य की दुकानें (ग्रामीण + शहरी)	20.3
सहकारी समितियों में स्पिंडलीज (3.56 मिलियन – 31.03.2018 के दिन)	29.34
सहकारी समितियों द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष रोजगार	13.30
स्व–रोजगार व्यक्तियों के लिए सर्जित	10.91

(स्त्रोतः भारतीय सहकारी आंदोलनः एक सांख्यिकीय प्रोफाइल – 2018, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ)

2.14.1 उत्तराखंड में सहकारी समितियाँ

उत्तराखंड सरकार के सहकारी विभाग का उद्देश्य है:

- सहकारी आंदोलन को जनता तक ले जाना
- किसानों को कम ब्याज दरों पर सुलभ कृषि ऋण प्रदान करना
- कृषि इनपुट्स की समय पर आपूर्ति
- किसानों को उनकी उपज के लिए एक उचित मूल्य देना
- सहकारी समितियाँ सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण देती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्वों के लिए गैर–कृषि ऋण
- किसानों को साहूकारों से मुक्त करवाना
- सहकारी समितियों के माध्यम से स्व–रोजगार पैदा करना
- सहकारी संस्थानों के माध्यम से सरकार की जनहितकारी नीतियों का कार्यान्वयन
- दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दरों पर उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराना
- सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि उपज की खरीद और विपणन
- बिना टेंडर के काम करने या 2ण्00 लाख रुपये तक श्रम समितियों को आवंटित करके रोजगार सृजन
- सहकारिता की स्वायत्तता
- 1042 स्वायत्त सहकारी समितियों का गठन
- सभी जनपदों में जिला सहकारी बैंकों की स्थापना
- सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाना
- पी.ए.सी.एस. (प्राथमिक कृषि साख समिति) को चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय संस्था के रूप में परिवर्तित करना
- ग्रामीण समुदायों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहन

2.14.2 उत्तराखंड सहकारी समितियां अधिनियम–2003–एक झलक

- इस अधिनियम में अलग कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कोई शासनादेश नहीं है।
- शहरी बैंकों को अनुच्छेद 2 में पारिभाषित किया गया था।
- अधिनियम के अनुच्छेद 3 (3) के प्रावधान विस्तृत रूप में दिए गए हैं।
- अनुच्छेद 4 के तहत सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया।
- प्रतिनिधित्व की प्रणाली जब समिति रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत नहीं है।
- अनुच्छेद 17 के तहत समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए स्व–सहायता समूहों और छात्रों के लिए प्रावधान

- सहानुभूति सदस्य बनाने का प्रावधान खत्म हो गया है।
- प्रबंध समितियों का कार्यकाल पाँच वर्ष का किया गया (97वाँ संवैधानिक संशोधन)
- प्रबंध समिति में अधिकतम 1 गैर–सरकारी सदस्य के नामांकन का प्रावधान
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अवि"वास के लिए प्रस्ताव का अनुच्छेद 30 (a) प्रावधान
- अनुच्छेद 31 (a) में शीर्ष सहकारी बैंक के लिए अनुभवी बैंक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान
- प्रबंध–निदेशक के वित्तीय अधिकारों की सीमाओं में वृद्धि
- अनुच्छेद 35 (a) बकाया राशि के लिए पुनःप्राप्ति प्रतिशत 60 प्रतिशत किए गए
- राज्य सरकार की भागीदारी को परिभाषित किया गया था।
- ऑडिटिंग की प्रक्रिया चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से की जा सकती है
- ऑडिट फीस के निर्धारण और छूट का प्रावधान
- अनुच्छेद 71 (6) अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और हलफनामों पर शपथ और पुष्टि देने का प्रावधान
- अनुच्छेद 71 (a) वित्त पोषण समिति / बैंक द्वारा वित्त पोषित समिति के बकाएदारों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का प्रावधान
- अनुच्छेद 74 (b) समिति की शेष संपत्तियो के निपटान का प्रावधान, जिसे पूर्व अधिनियम में समाप्त किया जाना है
- सहकारी कृषि समितियों के गठन के लिए अनुच्छेद 77
- अनुच्छेद 97 के स्थगन के खिलाफ अपील की तारीख 30 दिनों के बजाय बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई
- अन्य अपीलों, आदेशों, और निर्णयों की अनुच्छेद 98 में अपील को 30 दिन से 45 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- अनुच्छेद 103 विभिन्न प्रकारों के दंड में वृद्धि
- अपराध के लिए अनुच्छेद 104 को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है और निरंतर अपराध के मामले में 10 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 100 रुपय प्रति दिन कर दिया गया है।
- अनुच्छेद 116 सहभागिता और संयुक्त प्रकटीकरण के रूप में विकसित किए जाने वाले सहयोग।
- अनुच्छेद 117 के तहत सहायक संगठनों के प्रवर्तन का प्रावधान
- सात सदस्यों वाली पुनर्निर्माण परिषद का अनुच्छेद 118
- नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यक्ष / संचालन बोर्ड की भागीदारी का प्रावधान

उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए संगठित बाजारों तक बिना किसी पहुँच के खेती, सीमांत भूमि धारण शैली, खेती के पारंपरिक तरीकों द्वारा चिह्नित है। आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक अनुपस्थित है या उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं जो विनाशशील कृषि उत्पादों के लिए प्रभावी परिवहन तंत्र के लिए वांछित हैं। किसान या तो निर्वाह खेती या बहुत कम कीमतों पर स्थानीय बाजारों में बिक्री का सहारा लेते हैं।

सहकारी समितियों में किसानों के उन्नत कल्याण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। उत्तराखंड में सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय प्राथमिक समितियाँ बनाया गया है और कानूनी व्यवसाय गतिविधियों के बड़े विस्तार का आधार हो सकती हैं।

राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम (2003), एक सहकारी समिति को परिभाषित करता है, सहकारी समिति के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और एक रजिस्ट्रार की भूमिका, सहकारी समिति के सदस्य और उनके अधिकार और दायित्व, समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों, संपत्तियों और सहकारी समितियों के फंड को राज्य सहायता; ऑडिट, पूछताछ, निरीक्षण, अधिभार और विवादों का निपटारा; सहकारी समिति का समापन और विघटन; सहकारी कृषि समितियाँ, सहकारी बैंकों का बीमा और उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद का गठन और भूमिका।

2.14.3 सहकारी भागीदारी योजना

उत्तराखंड राज्य में, सहकारी समितियों को सहकारी आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से छोटे और सीमांत किसानों तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा लिए गए सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना फसल ऋण, औद्योगिक ऋण, ट्रैक्टर ऋण, आवास ऋण, रेशम उत्पादन, पशुपालन ऋण आदि प्रदान करती है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे के किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। सहकारी भागीदारी योजना के तहत वितरित ऋण पर ब्याज राहत प्रदान की जा रही है।

2.14. 4 सहकारी ऋण और अधिकोषण योजना

यह योजना विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सहायता करती है। हाल में, सहकारी क्रेडिट समितियाँ अपने किसान सदस्यों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि के लिए साधन उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा, उसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हाशिए पर नहीं रहने में मदद करना है और इस श्रेणी में कम से कम 30 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य में जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण समितियों में मिनी बैंक भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 5 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से नैनीताल और अल्मोड़ा की म्युनिसिपल बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर मिल रहे हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके संस्थानों में वेतनभोगी सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें उनके सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिकतम वेतनभोगी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं:

1. पी.ए.सी.एस. सचिवों के वेतन के लिए सामान्य कैडर अनुदान

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के शेयरों की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण / अनुदान

3. प्रारंभिक कृषि क्रेडिट समितियों को नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान

4. कृषि सहकारी क्रेडिट समितियों के लिए मिनी बैंक की स्थापना के लिए प्रशासनिक और रखरखाव अनुदान

5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत के लिए अनुदान

6. महिला बचत समूह को मार्जिन मनी

7. महिला बचत समूहों की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

2.14.5 सहकारी क्रय–विक्रय योजना

यह कार्यक्रम विभाग द्वारा किसानों को उनकी उपज के लिए उनके गाँव के पास उचित बाज़ार उपलब्ध कराने, उनके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें बाज़ार के विभिन्न शोषणों से बचाने के लिए लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य योजनाएँ निम्नानुसार हैं:

1 पी.ए.सी. के क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत के लिए अनुदान।

2 क्रय–विक्रय समितियों की पुनः स्थापना के लिए अनुदान

3 गोदामों के निर्माण के लिए पी.ए.सी.एस. को अनुदान

4 पी.ए.सी.एस./एल.ए.एम.पी.एस. के ग्राम गोदामों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी बनाने के लिए अनुदान

1– पी.ए.सी.एस. के क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत के लिए अनुदान–

मूल्यांकन के आधार पर, क्षतिग्रस्त गोदाम की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2– वस्तुओं की पुनर्खरीद के लिए अनुदान–

कमजोर खरीद समितियों को केवल एक बार फिर से स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3– गोदामों के निर्माण के लिए पी.ए.सी.एस. को अनुदान–

पी.ए.सी.एस. को मूल्यांकन के आधार पर गोदाम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4– पी.ए.सी.एस./एल.ए.एम.पी.एस. (व्यापक क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियाँ) के ग्राम गोदामों के लिए चारदीवारी बनाने के लिए अनुदान

जनपद योजना में, ग्रामीण गोदामों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.14.6 ग्राहक सहकारी योजना

यह योजना राज्य में आर्थिक जटिलताओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कृत्रिम कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निरंतर आपूर्ति बनाए रखना और उच्च गुणवत्ता वाले दैनिक उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराना भी है। उत्तराखंड की विशेष आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सहकारी उपभोक्ता भंडारों के उपक्रमों ने उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों को रोकने में आर उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपभोक्ता भंडार और उनकी शाखाओं के माध्यम से, स्थानीय जनता को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है।

2.14.7 सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रसार

उत्तराखंड, राजपुर में सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों को सहकारी प्रशिक्षण के लिए देहरादून में कार्यरत है। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र सहकारी सेमिनारों का आयोजन करता है और सहकारी समितियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्थानीय जनता में जागरूकता फैलाता है।

2.14.8 उर्वरक परिवहन सब्सिडी

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, खुदरा केंद्र रेलवे के अंतिम स्टेशनों से इतने दूर हैं कि यदि नियमित व्यवस्था के तहत उर्वरक की आपूर्ति जारी रखी जाती है, तो दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कीमतों में वृद्धि होगी और सभी स्थानो पर उर्वरक की बिक्री एक ही कीमत पर नहीं की जा सकती है, जैसा कि नीति के अनुसार है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रेलवे के अंतिम स्टेशन से लेकर समिति के बिक्री केंद्रों तक उर्वरक की आपूर्ति में होने वाले व्यय पर 10 रुपये प्रति टन परिवहन व्यय संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। शेष राशि सरकार से मांगी जाती है और अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उर्वरक दरों में वृद्धि के कारण, मैदानी क्षेत्रों में उर्वरकों के वितरण पर परिवहन सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक वितरित किए जा सकें। इस योजना के तहत, पहाड़ी क्षेत्रों की तरह मैदानी क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। उक्त योजना किसानों / मज़दूरी करने वालों से सीधे जुड़ी हुई है, जिससे स्वरोजगार के उनके अवसर बढ़ रहे हैं।

संदर्भः

- **सहकारिता विभाग, उत्तराखंड**
- **पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड**
- **http://ddugky.gov.in/**
- **http://jicauttarakhand.org/**
- **http://nsap.nic.in/**
- **http://rurban.gov.in/**
- **http://saanjhi.gov.in/**
- **http://uk.gov.in/**
- **http://uk.gov.in/files/Uttarakhand_at_a_glance-final_2013-14.pdf**
- **http://ukrd.uk.gov.in/pages/display/91-pradhan-mantri-awaas-yojana-gramin**

- **https://aajeevika.gov.in/**
- **https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx**
- **https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/20735/9/09_chapter%203.pdf**
- **https://www.nrega.nic.in/netnrega/mgnrega_new/Nrega_home.aspx**
- **https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574008087800147**
- **https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P530_RD_K3736-Demo/module/pdfs/p530_unit_01.pdf**
- आई.एल.एस.पी..इन (**ILSP-in**)
- कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट, ग्राम्य **1**
- भारतीय सहकारी आंदोलनः एक सांख्यिकीय प्रोफाइल – **2016**, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ
- **pmgsy.nic.in**
- परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. **2**
- उत्तराखंड में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत अभिसरण गतिविधियों के आकलन पर अध्ययन रिपोर्ट, आईआईटी रुड़की, एन.आई.आर.डी.पी.आर. (**2018**)

अध्याय 3

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की वर्तमान स्थिति

इस अध्याय में, उत्तराखंड के ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत किया गया हैं।

3.1 एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

मार्च 2019 तक कुल जारी किए 10.82 लाख जॉब कार्ड में से मात्र 7.09 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय हैं। राज्य में कुल 17.48 लाख श्रमिकों में से 9.77 लाख सक्रिय श्रमिक हैं। कुल सक्रिय श्रमिकों में से 17.34% अनुसूचित जाति और 3.91% अनुसूचित जनजाति के हैं।

वर्ष 2018–2019 के दौरान, 4.89 लाख परिवारों को कुल 221.83 लाख कार्य–दिवस का काम दिया गया है। वर्ष 2018–19 में शुरू किए गए कुल कार्यों की संख्या 1.42 लाख हैं, जिनमें से 80,081 कार्य पूरे किए गए हैं और 0.62 लाख कार्य अभी भी प्रगति पर हैं।

उत्तराखंड में 4–5–2019 तक कुल 4,62.575 संपत्तियों का निर्माण किया गया।

जनपदवार एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के विवरण का उल्लेख नीचे दिया गया है

तालिका 3.1 राज्य : उत्तराखंड जनपद : अल्मोड़ा	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	11			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	1,168			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	2.1			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.53			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.76			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	21.29			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	0.09			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	13.08	14	10	9.74
अब तक सृजित कार्य–दिवस/मानव दिवस (लाख में)	13.52	14.14	11.77	12.99

कुल एल.बी. का % आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %	103.36	100.98	117.76	133.41
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाति के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	21.22	21.07	21.64	19.73
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.13	0.08	0.09	0.09
कुल में से महिला कार्य दिवस (%)	57.88	57.61	56.28	54.57
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	39.74	38.03	32.73	31.71
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	175	174.98	173.98	160.99
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए परिवारों की कुल संख्या	1,291	1,124	1,427	851
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.34	0.37	0.36	0.41
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.46	0.5	0.46	0.5
काम करने वाले विकलांग व्यक्तिया की संख्या	50	42	13	20
III कार्य				
शून्य व्यय के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	72	38	16	75
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.08	0.11	0.1	0.07
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.03	0.04	0.06	0.05
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	4,356	6,789	4,449	2,156
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	67.5	58.61	46.62	39.58
श्रेणी बी के कार्य का %	36.65	24.73	14.2	9.4
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	75.78	72.3	53.44	41.71

तालिका 3.2 राज्य : उत्तराखंड मंडल : बागेश्वर	**15–04–2019 तक**
ब्लॉकों की कुल संख्या	3
ग्राम पंचायत की कुल संख्य	416
I जॉब कार्ड	
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.47
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.78
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.31
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.45
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	27.29
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	0.57

II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	7.27	7.65	9.46	9.21
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	8.1	8.69	11.11	9.97
कुल एल.बी. का %	111.47	113.55	117.49	108.24
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	23.71	26.79	27.93	27.54
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.73	0.49	0.55	0.53
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	53.87	52.27	49.97	47.93
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	43.91	42.22	45.45	42.32
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	174.99	173.94	160.97
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	904	531	2,163	1,208
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.18	0.21	0.24	0.24
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.25	0.28	0.33	0.29
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	83	20	21	19
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	1	0	0	1
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.06	0.08	0.1	0.04
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.02	0.04	0.05	0.03
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	3,365	4,969	4,485	1,340
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	55.5	43.89	40.68	56.52
श्रेणी बी के कार्य का %	46.36	45.8	31.58	33.88
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	70.16	71.88	59.35	66.47

तालिका 3.3 राज्य : उत्तराखंड मंडल : चमोली	**15–04–2019 तक**
ब्लॉकों की कुल संख्या	9
ग्राम पंचायत को कुल संख्या	614
I जॉब कार्ड	
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.71
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.05
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)]	0.66

सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.9			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	16.95			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	1.8			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	19.38	20.36	26.23	26.8
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	25.29	27.26	30.43	29.39
कुल एल.बी. का %	130.48	133.85	116.04	109.64
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	15.83	16.56	17.22	16.71
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	1.4	1.53	1.71	1.85
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	63.42	61.69	60.69	60.37
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	46.4	49.21	52.73	49.17
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	174.97	173.93	160.93
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	2,272	2,657	2,111	2,300
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.54	0.55	0.58	0.6
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.68	0.69	0.73	0.74
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	251	253	288	285
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	1	1	1	2
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.23	0.31	0.29	0.15
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.11	0.13	0.18	0.09
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	12,258	18,005	10,367	5,608
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक+ व्यक्तिगत)	64.55	50.09	48.05	65.85
श्रेणी बी के कार्य का %	34.62	38.65	22.83	2.93
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	61.5	67.33	61.87	66.24

तालिका 3.4 राज्य : उत्तराखंड मंडल : चम्पावत	**15–04–2019 तक**
ब्लॉकों की कुल संख्या	4
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	313

I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.32			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.44			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.26			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.33			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	15.76			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	0.19			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	6.08	6.26	8.18	8.18
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	9.17	9.1	9.34	8.96
कुल एल.बी. का %	150.79	145.46	114.13	109.49
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	16.29	15.62	16.14	16.6
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.18	0.23	0.13	0.08
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	45.64	43.54	42.71	37.79
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	50.53	46.74	45.99	46.13
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	175	173.99	160.99
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	2,150	1,666	1,667	781
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.18	0.19	0.2	0.19
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.23	0.25	0.25	0.23
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	29	31	34	25
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	0	0	1	20
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.05	0.08	0.06	0.04
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.02	0.03	0.04	0.02
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	3,501	4,327	1,895	1,857
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	71.11	59.67	56.8	57.54
श्रेणी बी के कार्य का %	35.72	36.33	28.38	18.77
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	79.82	72.39	65.27	61.01

तालिका 3.5 राज्य : उत्तराखंड मंडल :देहरादून			**15–04–2019 तक**	
ब्लॉकों की कुल संख्या	6			
ग्राम पंचायत की कुल संख्य	462			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.6			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.95			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.4			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.51			
(i) सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)[%]	21.42			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	32.64			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	15.11	14	8.86	8.63
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	14.54	15.47	15.67	13.71
कुल एल.बी. का %	96.23	110.48	176.83	158.8
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	22.9	23.86	25.51	26.66
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	36.81	41.68	41.51	42.13
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	31.79	31.68	27.88	23.46
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	54.54	54.34	53.08	52.82
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	174.98	173.99	160.97
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	2,975	2,777	1,818	1,925
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.27	0.28	0.3	0.26
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.33	0.36	0.36	0.31
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	18	26	19	20
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	46	28	48	112
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.08	0.11	0.09	0.04
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.03	0.05	0.05	0.02
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	4,583	6,202	3,533	2,086

एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	77.08	73.95	70.66	62.06
श्रेणी बी के कार्य का %	39.61	30.38	10.65	2.72
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	66.98	81.99	71.38	62.07

तालिका 3.6 राज्य : उत्तराखंड मंडल : हरिद्वार	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	6			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	306			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.68			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	2.09			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.52			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.65			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	19.74			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	0.25			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	9.79	10.34	8.27	8.05
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	13.11	10.53	9.69	11.01
कुल एल.बी. का %	133.89	101.83	117.22	136.77
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	18.27	20.81	23.87	23.44
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.13	0.13	0.7	0.35
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	32.92	31.9	31.23	20.12
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	42.89	37.36	39.16	49.68
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	175	175	173.95	160.91
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	746	464	101	1,582
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.31	0.28	0.25	0.22
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.37	0.34	0.3	0.25
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	24	14	15	10
III कार्य				

शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	1	1	3	43
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.1	0.12	0.09	0.05
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.04	0.05	0.05	0.02
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	5,934	6,942	3,688	2,613
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	68.47	41.37	48.28	53.74
श्रेणी बी के कार्य का %	25.43	25.19	17.36	34.38
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	73.84	51.92	51.81	56.83

तालिका 3.7 राज्य : उत्तराखंड मंडल : नैनीताल	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	8			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	517			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.58			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.96			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.36			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.56			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक [%]	20.18			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक [%]	0.54			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	8.64	12.06	8.61	8.38
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	10.8	10.18	11.32	9.79
कुल एल.बी. का %	125	84.41	131.55	116.74
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	18.89	20.08	21.25	22.25
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.47	0.89	0.88	0.99
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	41.45	39.52	36.62	33.53
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	46.82	45.81	48.93	46.48
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	175	173.98	161.02
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	1,105	956	2,549	1,515
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.23	0.22	0.23	0.21

काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.36	0.34	0.33	0.28
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	31	40	29	20
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	23	23	25	45
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.12	0.1	0.09	0.04
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.06	0.05	0.04	0.02
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	5,926	5,528	4,825	1,913
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	57.11	54.72	48.12	45.62
श्रेणी बी के कार्य का %	51.72	41.59	19.55	9.53
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	80.25	80.84	56.63	48.37

तालिका 3.8 राज्य : उत्तराखंड मंडल :पौड़ी गढ़वाल	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	15			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	1,215			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.99			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.56			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.8			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.09			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	12.67			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	0.12			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	20.28	18.01	17.39	16.94
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	21.23	22.3	27.31	25.54
कुल एल.बी. का %	104.67	123.84	157.02	150.77
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	12.61	12.92	13.17	13.08
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.08	0.09	0.14	0.21
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	68.6	67.87	67.01	66.27
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	38.99	38.02	40.16	36.54

प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.98	174.99	173.93	160.97
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	1,289	756	3,323	927
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.54	0.59	0.68	0.7
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.66	0.73	0.84	0.81
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	81	89	87	80
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	24	7	5	24
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.15	0.22	0.18	0.09
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.08	0.07	0.11	0.04
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	7,205	15,021	7,587	4,882
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	66.89	56.03	56.49	50.21
श्रेणी बी के कार्य का %	31.42	28.63	22.95	6.38
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	67.89	68.72	65.3	51.26

तालिका 3.9 राज्य : उत्तराखंड मंडल : पिथौरागढ़	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	8			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	691			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.63			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.11			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.52			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.87			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	21.87			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	3.24			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	17.38	13.01	18.05	18.15
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	19.34	17.13	18.66	17.49
कुल एल.बी. का %	111.3	131.69	103.36	96.34
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	21.21	21.63	22.95	22.1
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों	1.86	2.98	4.08	3.39

का कुल कार्य दिवस का %				
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	49.56	48.42	47.98	44.79
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	52.55	45.22	43.2	39.6
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.98	174.98	173.99	160.95
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	3,904	1,852	3,402	1,843
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.37	0.38	0.43	0.44
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.59	0.59	0.67	0.66
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	121	146	157	198
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	2	0	0	7
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.16	0.21	0.21	0.13
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.06	0.08	0.13	0.09
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	9,884	12,390	8,070	4,297
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	65.89	58.53	50.91	55.36
श्रेणी बी के कार्य का %	38.48	28.21	16.39	8.89
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	77.86	72.42	60.61	60.52

तालिका 3.10 राज्य : उत्तराखंड मंडल : रुद्रप्रयाग	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	3			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	339			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.48			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.78			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.34			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.5			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	16.65			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	0.02			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	11.09	7.46	9.53	9.28
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	11.79	11.59	10.49	11.04

कुल एल.बी. का %	106.33	155.32	110.16	119.01
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	17.83	18.59	19.12	18.39
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.02	0.03	0	0.02
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	59.74	58.45	57.28	56.51
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	51.27	47.98	43.35	42.21
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.98	174.99	173.99	160.99
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	2,447	2,170	1,744	1,594
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.23	0.24	0.24	0.26
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.31	0.33	0.33	0.34
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	50	45	36	34
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	1	0	0	0
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.1	0.13	0.12	0.08
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.04	0.05	0.08	0.06
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	5,465	7,992	4,448	2,299
एन.आर.एम. व्यय का % (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	52.88	52.64	46.01	38.12
श्रेणी बी के कार्य का %	46.25	36.49	32.58	40.82
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	67.18	69.52	59.24	45.66

तालिका 3.11 राज्य : उत्तराखंड मंडल :टिहरी गढ़वाल	**15–04–2019 तक**
ब्लॉकों की कुल संख्या	9
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	1,039
I जॉब कार्ड	
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.52
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	2.28
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.18
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.37
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	10.4
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित	0.11

जनजाति के श्रमिक (%)				
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	30.82	26.69	27.2	26.49
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	33.02	33.69	39.41	40.21
कुल एल.बी. का %	107.13	126.23	144.89	151.78
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	10.39	9.88	9.83	10.01
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.11	0.07	0.08	0.05
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	73.02	71.85	71.48	69.09
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	38.3	36.55	37.63	37.5
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.98	174.98	173.95	160.97
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	1,793	1,608	1,815	2,960
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.86	0.92	1.05	1.07
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या(लाख में)	0.97	1.04	1.19	1.21
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	114	128	140	132
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	18	8	4	35
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.08	0.11	0.1	0.06
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.04	0.04	0.05	0.03
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	4,880	6,466	4,503	2,475
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	73.79	58.04	45.97	52.98
श्रेणी बी के कार्य का %	34.67	34.24	23.31	4.25
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	71.87	67.35	50.72	52.97

तालिका 3.12 राज्य : उत्तराखंड मंडल :उधम सिंह नगर	**15–04–2019 तक**
ब्लॉकों की कुल संख्या	7
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	392
I जॉब कार्ड	
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	1.01

श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.7			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.48			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.71			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	15.39			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	21.35			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	11.7	12.97	10.22	7.91
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	12.17	12.73	13.22	12.06
कुल एल.बी. का %	104.01	98.1	129.39	152.55
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	14.36	16.59	16.54	18.58
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	16.74	15.19	15.87	16.67
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	44.17	43.15	41.07	37.24
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	45.18	44.78	42.28	42.17
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	175	175	173.99	161
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	1,506	1,941	1,637	1,756
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.27	0.28	0.31	0.29
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.37	0.39	0.46	0.42
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	41	47	47	42
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	9	6	5	6
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.09	0.09	0.11	0.08
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.03	0.02	0.03	0.03
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	5,259	7,004	8,102	4,961
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	52.25	48.03	39.41	39.03
श्रेणी बी के कार्य का %	45.4	49.74	31.91	35.93
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	50.53	61.52	51.31	49.14

तालिका 3.13 राज्य : उत्तराखंड मंडल :उत्तर काशी	**15–04–2019 तक**			
ब्लॉकों की कुल संख्या	6			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	501			
I जॉब कार्ड				
जारी की गई जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.83			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.65			
सक्रिय जॉब कार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.68			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	1.03			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	17.97			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	0.59			
II प्रगति	**वित्तीय वर्ष 2018–2019**	**वित्तीय वर्ष 2017–2018**	**वित्तीय वर्ष 2016–2017**	**वित्तीय वर्ष 2015–2016**
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	29.38	19.18	18.01	17.54
अब तक सृजित कार्य–दिवस (लाख में)	29.76	30.22	28.27	21.73
कुल एल.बी. का %	101.31	157.53	156.96	123.85
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	18.16	17.91	17.65	18.15
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाती के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.66	0.68	0.59	0.78
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	53.19	52.31	51.96	49.91
प्रति घर प्रदान की गई रोजगार के औसत दिन	52.78	53.18	49.55	39.22
प्रति दिन प्रति व्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	174.99	175	173.98	161
मजदूरी के 100 दिन पूरे किए हाउस होल्ड की कुल संख्या	3,634	3,264	1,796	660
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.56	0.57	0.57	0.55
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.8	0.8	0.79	0.73
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	177	106	78	32
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	2	1	1	0
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.13	0.16	0.14	0.07
चालू कार्यों की संख्या (लाख में)	0.06	0.07	0.08	0.06
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	6,876	8,790	5,129	1,185
एन.आर.एम. व्यय का %(सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	86.4	84.21	82.79	86.9
श्रेणी बी के कार्य का %	16.25	16.22	10.17	2.61
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	61.94	82.22	84.1	87.15
ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से कुल व्यय का %	99.99	99.99	99.99	99.89
15 दिनों के भीतर उत्पन्न भुगतान का %	99.96	95.38	65.85	24.63

3.1.2 सक्रीय जॉब कार्ड के अनुसार मंडल

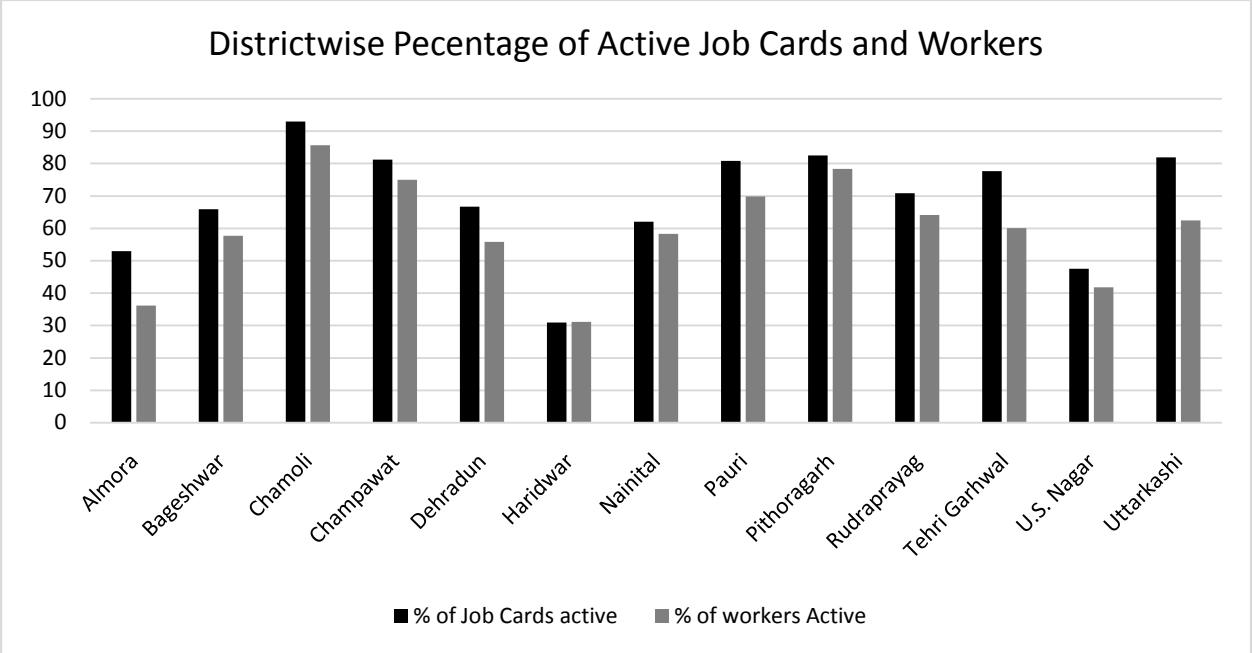

चित्र 3.1: स्रोत : एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा), 2019

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि हरिद्वार जिले में सक्रिय जॉब कार्ड और सक्रिय श्रमिकों का प्रतिशत 30.9% सक्रिय जॉब कार्ड और पंजीकृत कुल श्रमिकों के 31.1%सक्रिय श्रमिकों के साथ सबसे कम है और उसके बाद क्रमशः 47.5% और 41.7% के साथ उधम सिंह नगर का स्थान है। पहाड़ी जिलों में यह अल्मोड़ा में 53% सक्रिय जॉब कार्ड और 36.19% सक्रिय श्रमिकों के साथ सबसे कम है। चमोली में सक्रिय जॉब कार्ड तथा सक्रिय श्रमिकों का उच्चतम प्रतिशत जो क्रम"ाः, 92.95% और 85.71% है।

सभी जिलों में वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति/प्रति दिन औसत मजदूरी दर लगभग रूपये 161 था। वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्तिय मजदूरी दर बढ़कर रूपये 175 हो गयी। हरिद्वार में बाजार मजदूरी दर रूपये 291, यू.एस. नगर में रूपये 283, पौड़ी में रूपये 306 और चम्पावत में रूपये 310 था (उत्तराखंड में एम.जी. एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अंतर्गत संयोजन गतिविधियों का आकलन, 2018) एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अंतर्गत दैनिक वेतन बाजार की मजदूरी दर से कम है।

3.1.3 कार्य का प्रावधान और बेरोजगारी भत्ता :

उत्तराखंड (राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, कॉमन रिव्यू मिशन और एम.जी.एन.आर.ई.जो.ए. (मनरेगा), पर आंतरिक ऑडिट, 2017) में आए 50% गाँवों में काम की कोई माँग नहीं की गई। उत्तराखंड के जागेश्वर, चमोली, उधमसिंह नगर और उत्तर काशी के दौरा किए गए सभी गांवों में चार सप्ताह से अधिक की देरी (100%) बताई गई। उत्तराखंड में दौरा किए गए गावों में से किसी में भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। उत्तराखंड में अधिकांश सैंपल गांवों में बेरोजगारी भत्ते को पात्रता के बारे में किसी भी श्रमिक को पता नहीं था।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) की वेबसाइट पर प्रकाशित वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि समय पर भुगतान (15 दिनों के भीतर) जो वर्ष 2015–16 में राज्य के सभी जिलों के लिए 50% से कम था, वर्ष 2018–19 में सभी जिलों के लिए 99% से अधिक और 100% के करीब हो गया है।

यद्यपि राज्य सरकार ने मनरेगा के साथ संयोजन के लिए 19 विभागों, जैसे कृषि, वन, मत्स्य, बागवानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चाय बोर्ड, सिंचाई, बाल विकास, आपदा प्रबंधन, आदि का चयन किया है, संयोजन पर वार्षिक कार्य योजना इंगित करती है कि संयोजन योजना के अंतर्गत कार्यों और संबद्ध व्यय की संख्या केवल कुछ गतिविधियों जैसे कि आगनवाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.), ग्रामीण संपर्क और विशेष भूमि पर काम करने तक सीमित है और जिलों और विकास खंडों में काफी भिन्नता है। चूंकि पहाड़ी और मैदानी जिले विभिन्न सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिकीय, पर्यावरण, टाइपोलॉजिकल और आजीविका विशेषताओं के संदर्भ में अलग–अलग हैं, इसलिए उनकी अलग–अलग आवश्यकताएं और विकास की प्राथमिकताएं हैं और इसके परिणामस्वरूप, संयोजन परियोजनाओं की योजना और निष्पादन पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों मे काफी अलग होना चाहिए। उदाहरण के लिए, नाजुक पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन और स्थानीय लोगों की आजीविका को बनाए रखने को पहाड़ी क्षेत्रों की संयोजन योजना में प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि मैदानी क्षेत्र में कृषि, सिंचाई, पशुधन, मत्स्य पालन से संबंधित संयोजन गतिविधियाँ और हाशिए पर जीविन जी रहे समूहों के लिए संपत्ति सृजन की प्राथमिकता होनी चाहिए। संयोजन गतिविधियों पर भौतिक और वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वार्षिक कार्य योजना में ये पहलू काफी हद तक गायब हैं। (उत्तराखंड, 2018 में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अंतर्गत संयोजन गतिविधियों का आकलन)

3.1.4 महिला श्रमिकों का कुल प्रतिशत

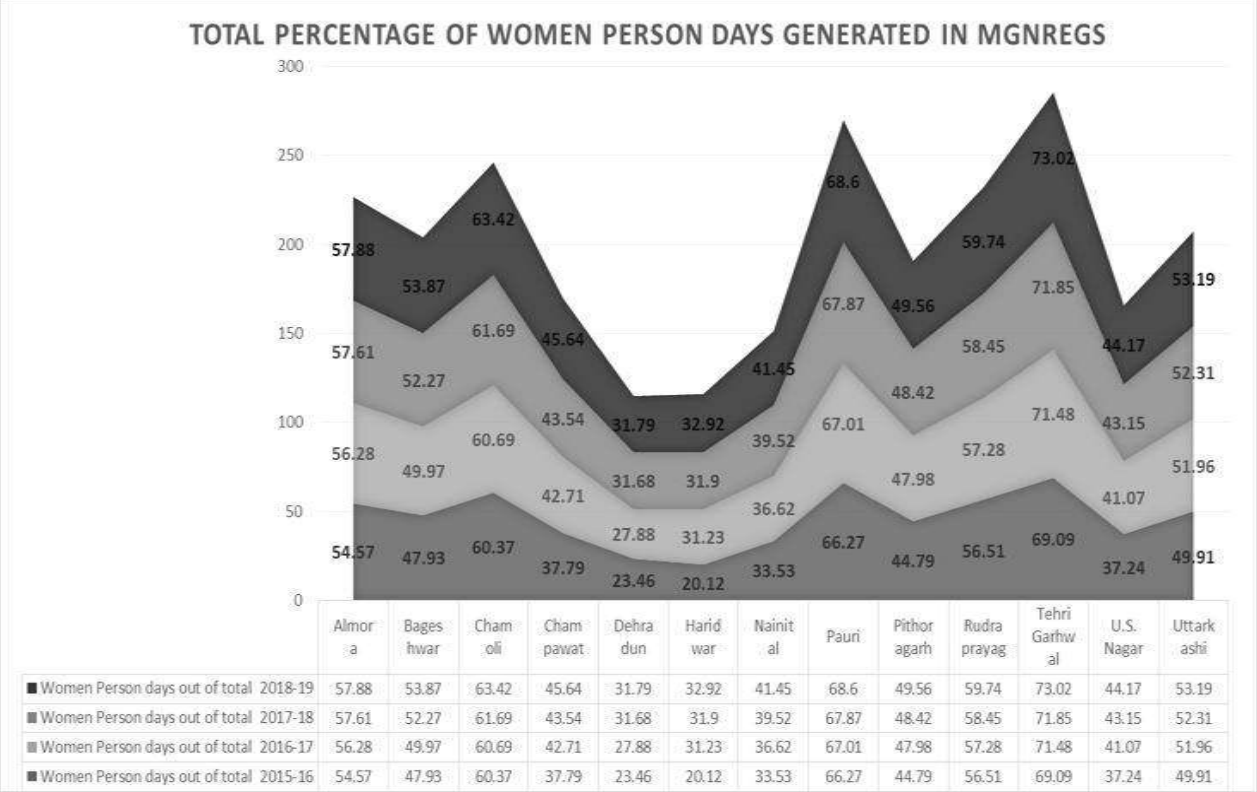

चित्र 3.2: स्रोतः एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा), 2019

वर्ष 2018–19 में रोजगार प्राप्त महिलाओं का औसत प्रतिशत 51.94 है। हालांकि राज्य के लिए यह औसत 50% से अधिक है, जिलों के बीच अंतर बहुत अधिक देखने को मिलता हैं। जहां टिहरी जिले में 73.02% के साथ महिला कार्य दिवसों का सबसे ज्यादा प्रतिशत दिखाई देता है वही देहरादून और हरिद्वार में क्रमशः 31.79% और 32.92% के साथ सबसे निम्नतम कार्य दिवस उत्पन्न हुए। ऊपर दिए गए एरिया चार्ट से यह देखा जा सकता है कि जिले में उत्पन्न कुल कार्य–दिवसों के संबंध में महिला दिवस का प्रतिशत, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी जिलों में तुलनात्मक रूप से कम है। चम्पावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल क पहाड़ी जिलों में यह पिछले 4 वर्षों से यह 50% से कम है।

3.1.5 ग्राम पंचायत का व्यय

बिना किसी व्यय के ग्राम पंचायत का कुल प्रतिशत देहरादून (462 में से 46) में सबसे अधिक है, इसके बाद अल्मोड़ा में 1168 में से 72 ग्राम पंचायत के साथ हैं।

3.1.6: पंजीकृत कुशल श्रमिक

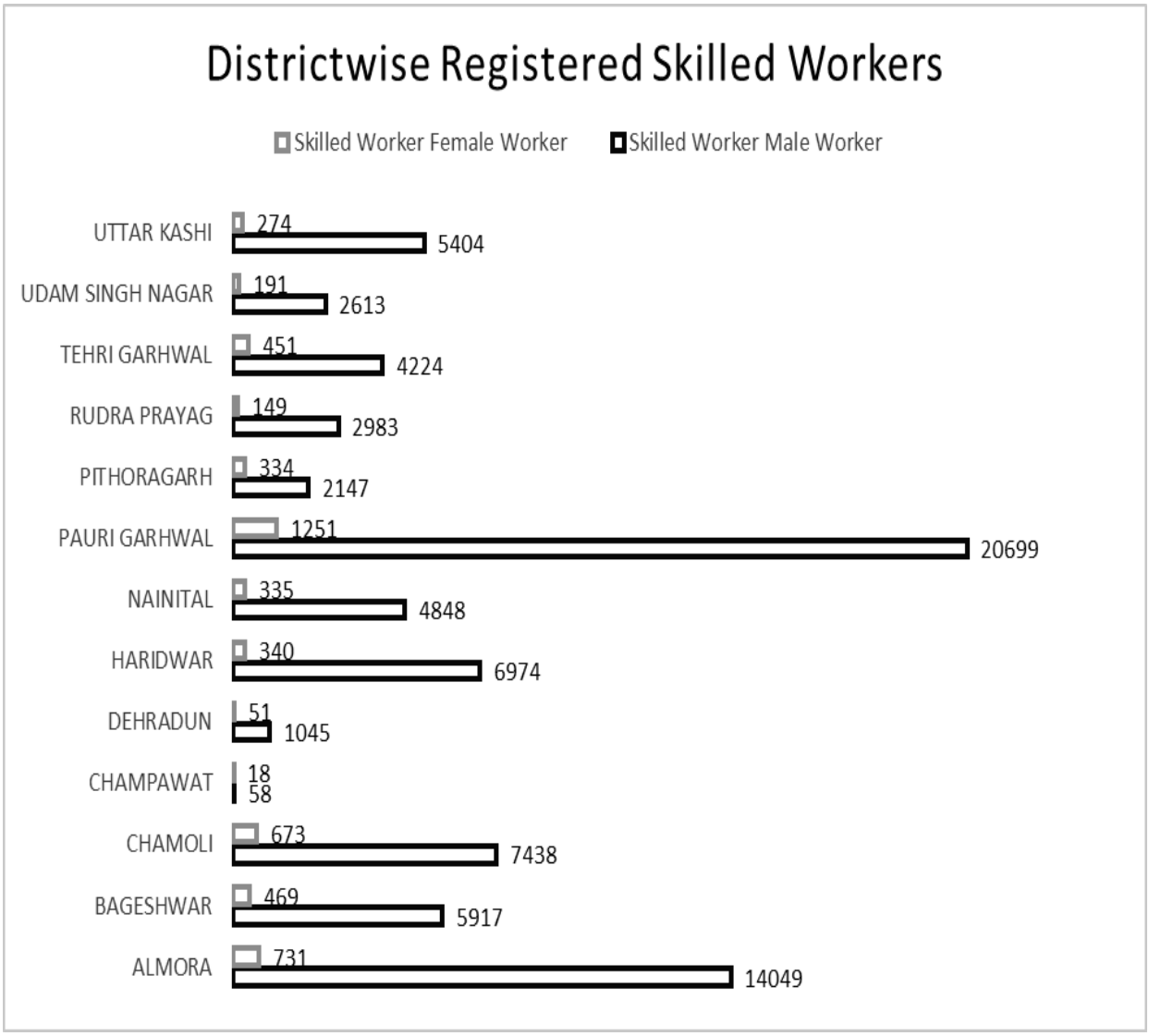

चित्र 3.3 : आंकड़ों का स्रोतः एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा).nic

सभी जिलों में पंजीकृत कुशल श्रमिकों की संख्या में एक स्पष्ट लिंग अंतर देखा जा सकता है। यह अंतर 20699 पुरुष श्रमिकों और 1251 महिला श्रमिकों के साथ पौड़ी में अधिकतम पाया गया। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अधीन पंजीकृत न्यूनतम कुशल श्रमिक कुल 76 श्रमिकों (58 पुरुष और 18 महिला) के साथ चम्पावत में हैं।

3.1.7 पूरा किया गया काम

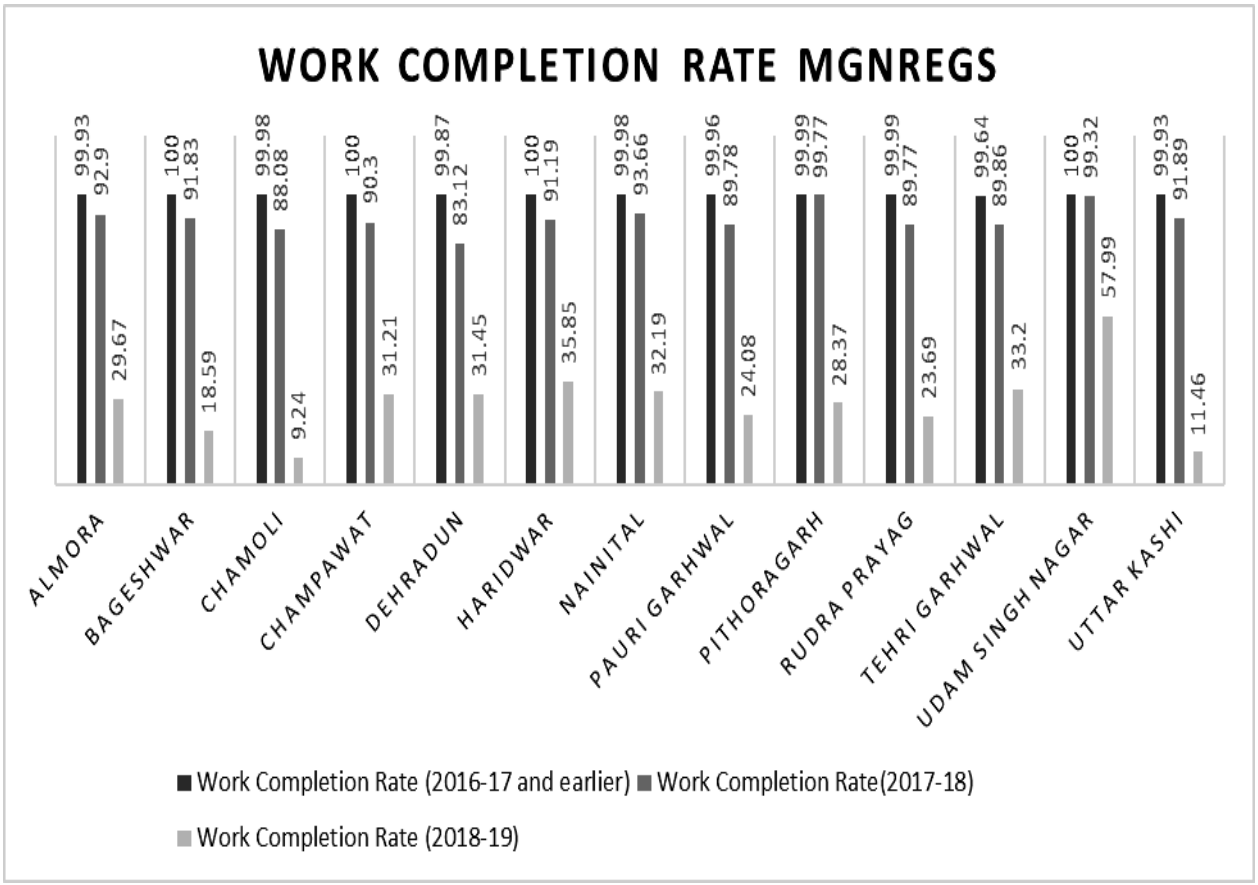

चित्र 3.4: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा).nic

ऊपर दिया गया कॉलम चार्ट एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अंतर्गत काम शुरू होने की संख्या के प्रतिशत के रूप में जिलेवार कार्य के पूरा होने को दिखाता है। वर्ष 2017–18 और उससे पहले की समापन दर औसतन 90% से अधिक है। वर्ष 2018–19 के लिए औसत 28.23% के रूप में औसत पूर्णता दर के साथ पर्याप्त गिरावट देखी जा सकती है।

3.1.8 कमजोर समुदाय

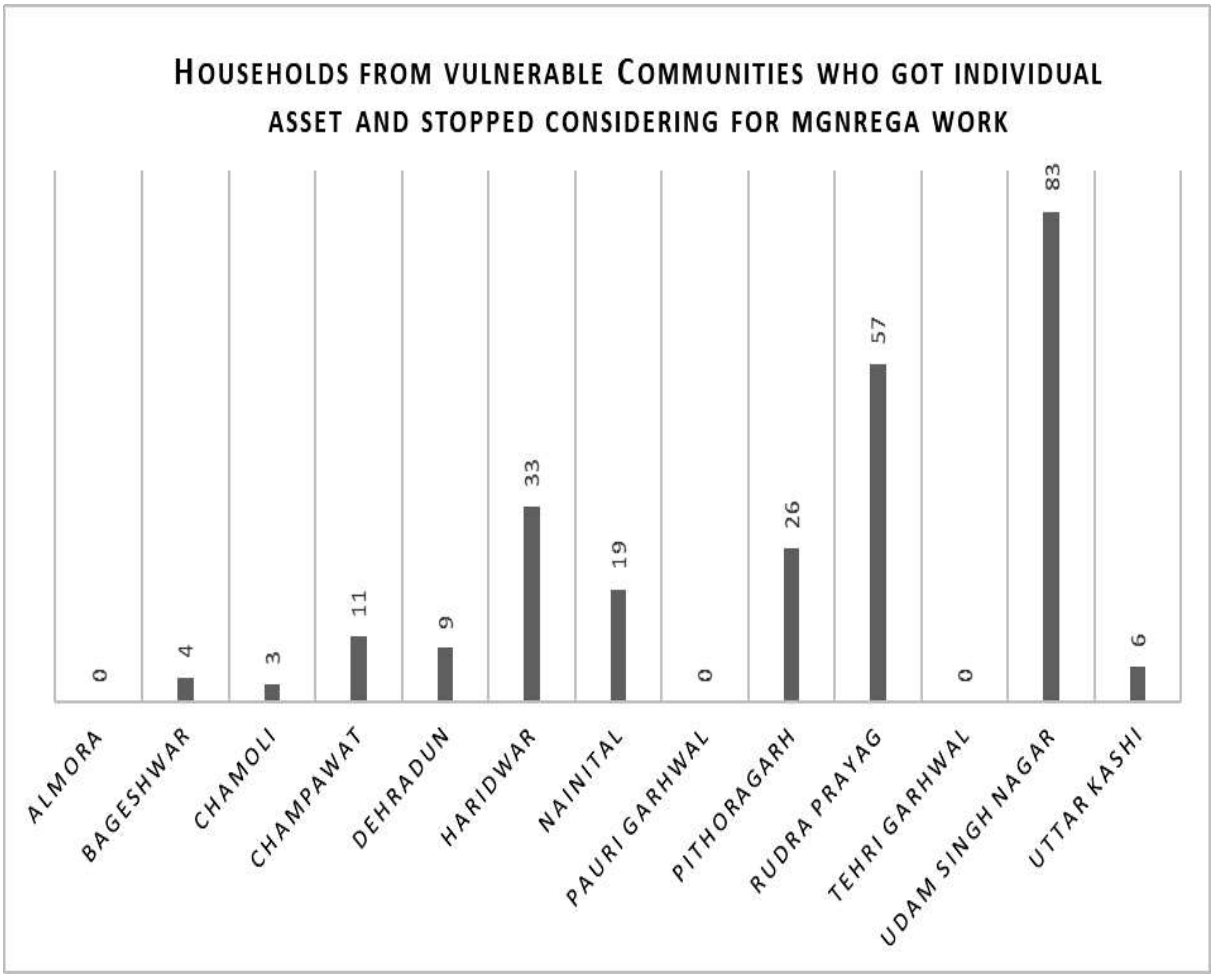

चित्र 3.5: स्रोतः एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा), 2019

बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए या उस क्षेत्र में उत्पादन/आजीविका मजबूत करने के लिए, मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को भी विकसित किया जा सकता ह। इससे उन्हें अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर नहीं रहने में भी मदद मिलेगी। ऊपर दिए गए चार्ट में कमजोर समुदायों (खंड 1 के अनुच्छेद 5) के परिवारों की संख्या दर्शाई गई है, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति मिली और एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) कार्यों की मांग करना बंद कर दिया गया। अल्मोड़ा, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में यह संख्या शून्य है। 83 ऐसे घरों के साथ ऊधम सिंह नगर में यह संख्या सबसे अधिक है। पर्वतीय जिलों में रुद्रप्रयाग जिले में ऐसे 57 घर हैं।

3.1.9 रोजगार के मांग का पैटर्न

विगत पांच वर्षों के दौरान मासिक रोजगार मांग पैटर्न का उल्लेख नीचे किया गया है (राज्य और जिलावार) (एम.जी.एन.आर. ई.जी.ए. (मनरेगा) विभाग):

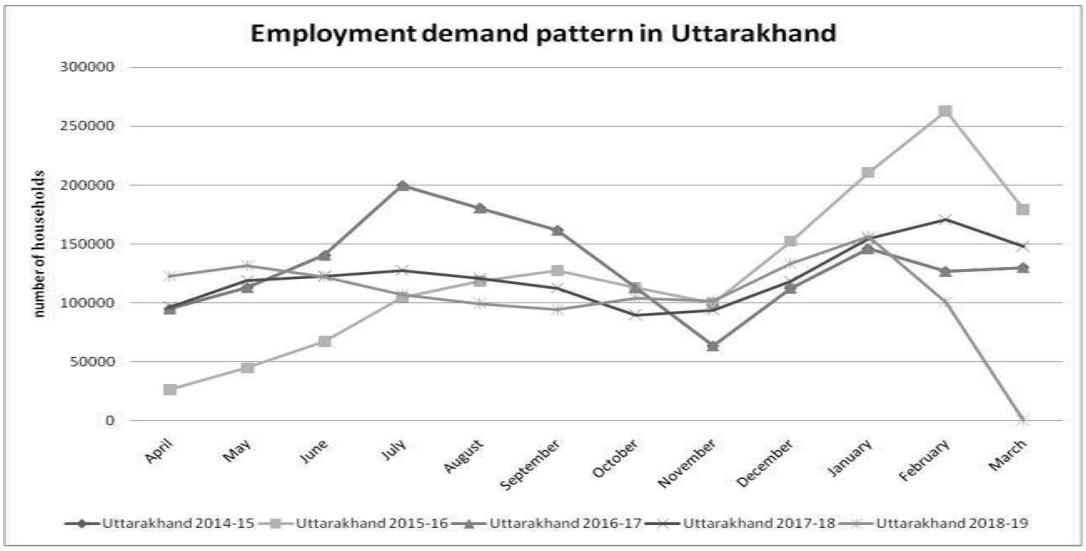

ग्राफ 3.1: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

उत्तराखंड राज्य के लिए, रोजगार के मांग पैटर्न को देखते हुए रोजगार की औसत मांग पिछले पांच वर्षों में जुलाई और जनवरी माह में सबसे अधिक है। नवंबर और अप्रैल के महीने में यह मांग अपेक्षाकृत कम है।

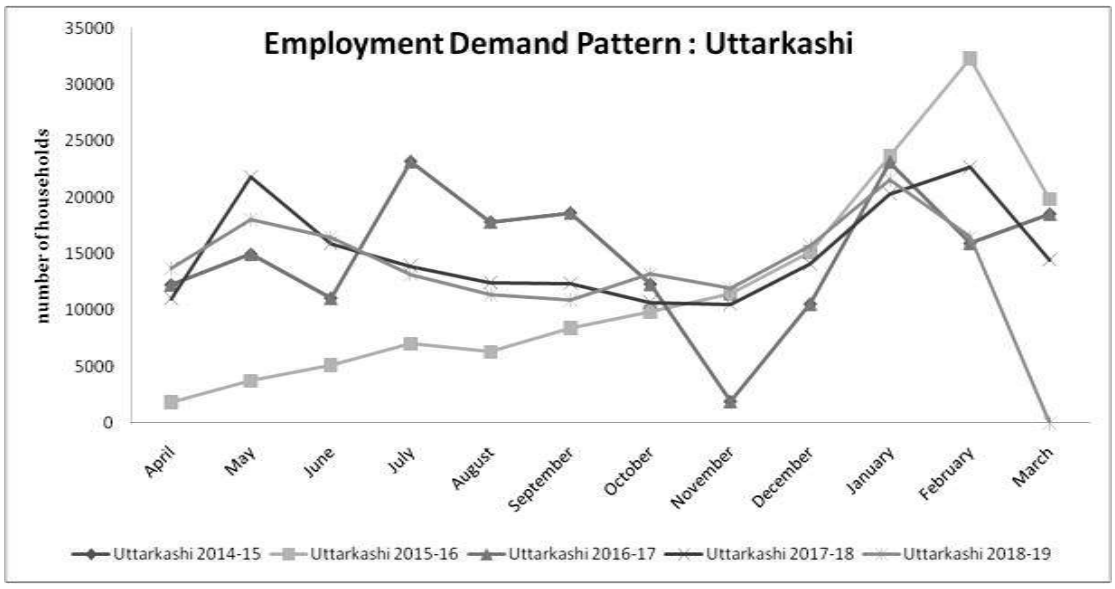

ग्राफ 3.2: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

उत्तरकाशी में, जनवरी के महीनों में रोजगार की मांग सर्वाधिक है और मई में मामूली वृद्धि देखी गई है। राज्य स्तर पर देखी गई प्रवृत्ति के समान, पिछले पांच वर्षों के दौरान नवंबर माह में रोजगार की मांग कम होती दिख रही है।

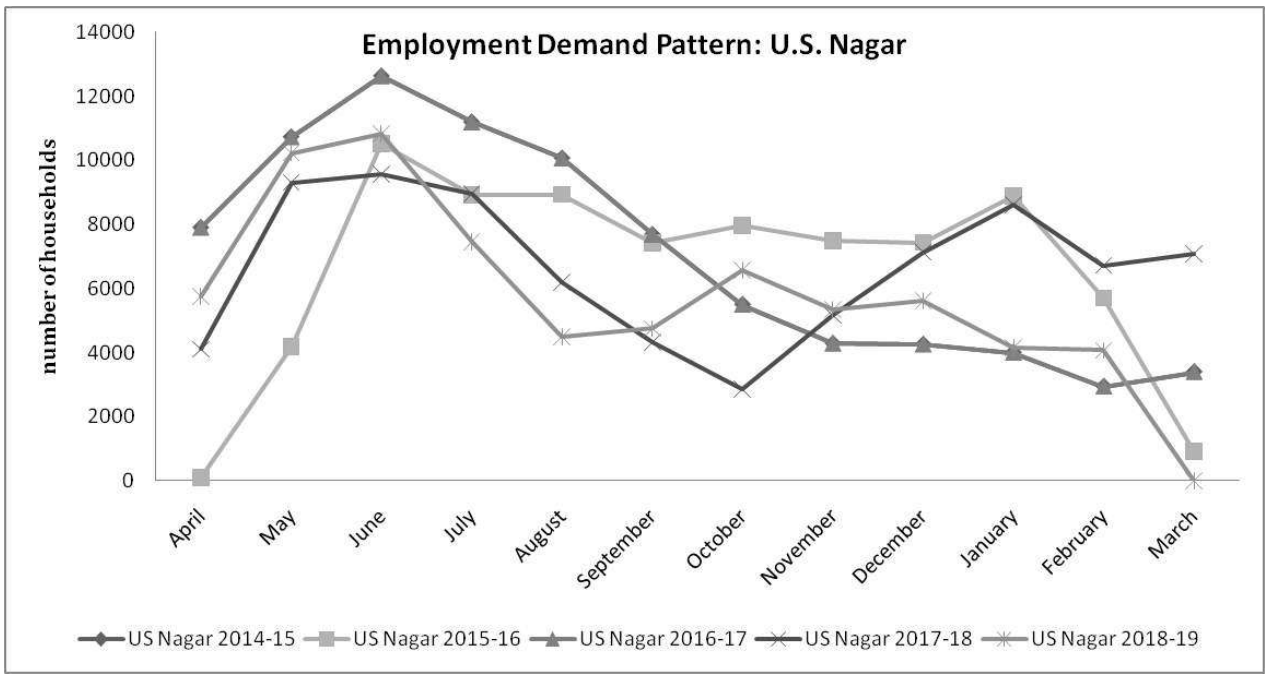

ग्राफ 3.3: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

ऊधम सिंह नगर जिले में रोजगार की मांग की प्रवृत्ति राज्य की प्रवृति से थोड़ा अलग है और जून के महीने में सबसे अधिक मांग देखी गई है जबकि फरवरी और मार्च में कमी देखी गई है।

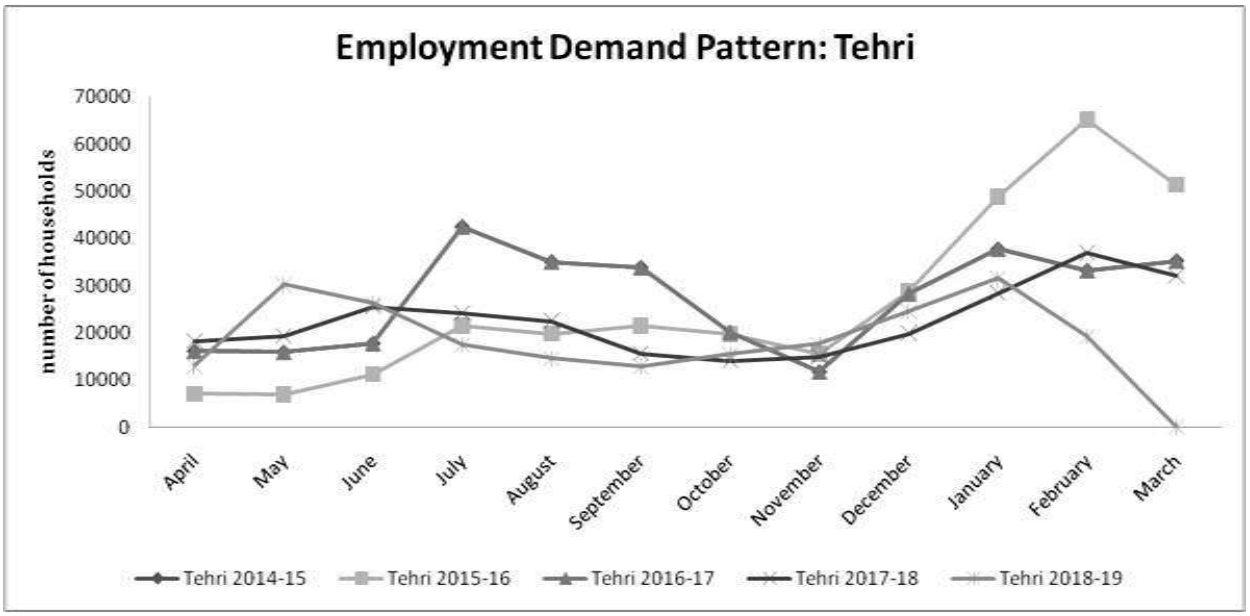

ग्राफ 3.4: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

टिहरी जिलों के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल और नवम्बर के महीने में मांग अपेक्षाकृत कम है। मांग में वृद्धि जुलाई, जनवरी और फरवरी के महीनों में देखी जा सकती है हालाँकि विगत पांच वर्षों में मामूली उतार–चढ़ाव देखा जा सकता है।

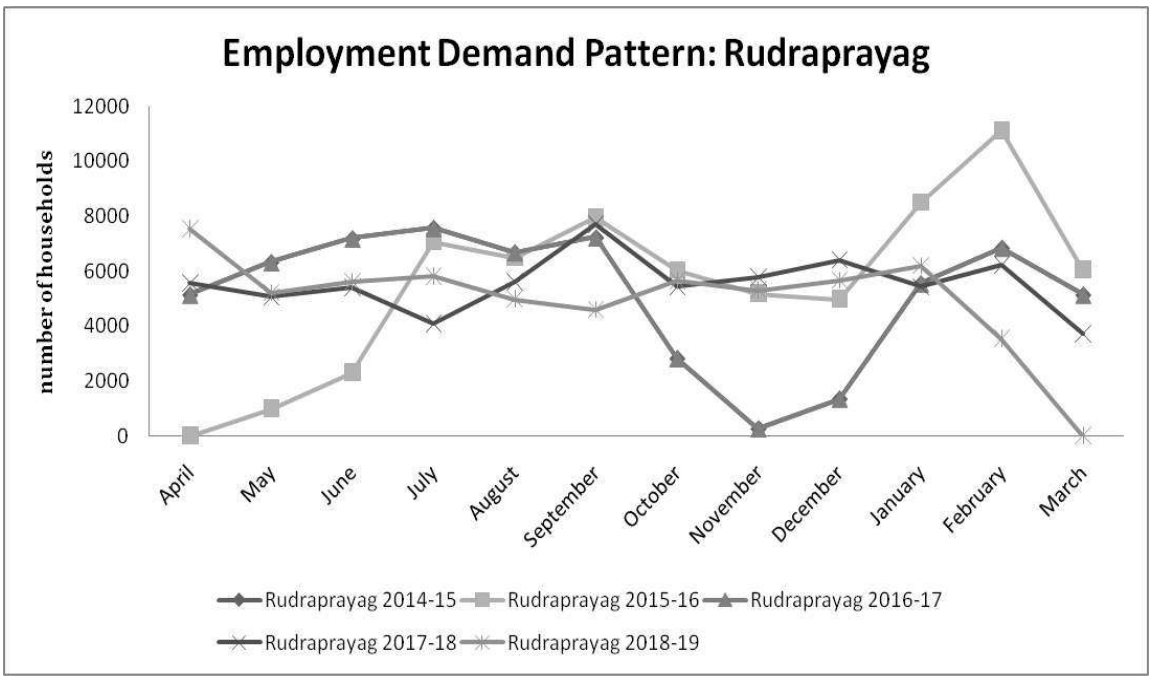

ग्राफ 3.5: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

रुद्रप्रयाग जिले के लिए, रोजगार की मांग पिछले पांच वर्षों में सितंबर के महीने में सबसे अधिक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ष 2018–19 में गिरावट आई है। यह दिसंबर के महीने में अपेक्षाकृत रूप से कम है।

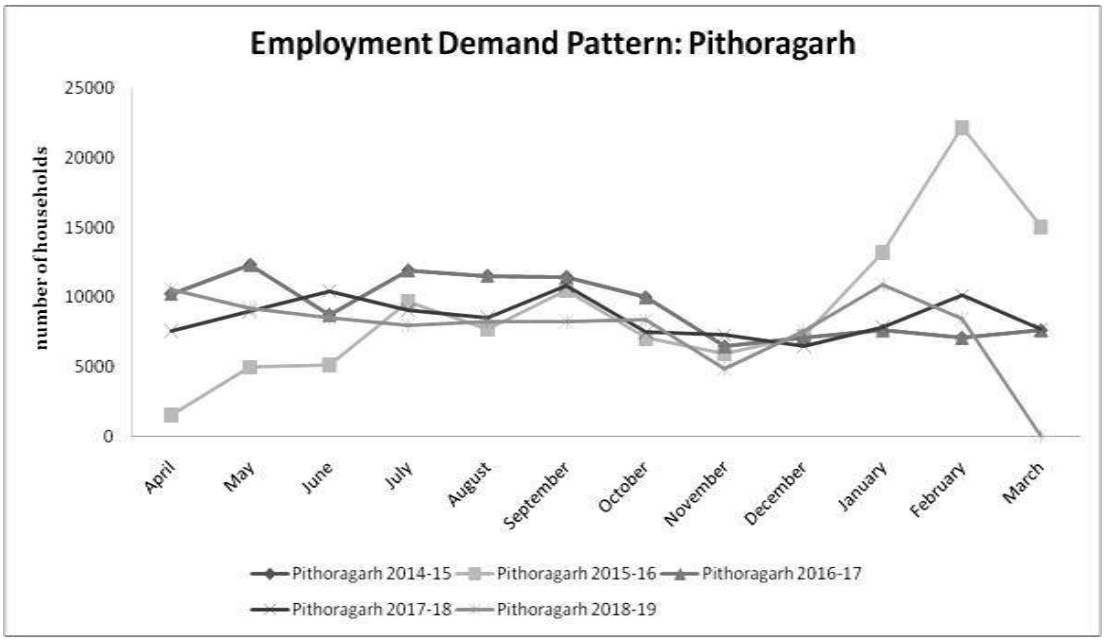

ग्राफ 3.6: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

पिथौरागढ़ जिले में, जुलाई और जनवरी के महीने में मांग अपेक्षाकृत अधिक है। जबकि नवंबर के महीने में यह कम है। वर्ष 2015–16 में यह फरवरी के महीने में काफी हद तक बढ़ गया है; जो अन्य वर्षों में (5000–10,000) लगभग समान रहा है।

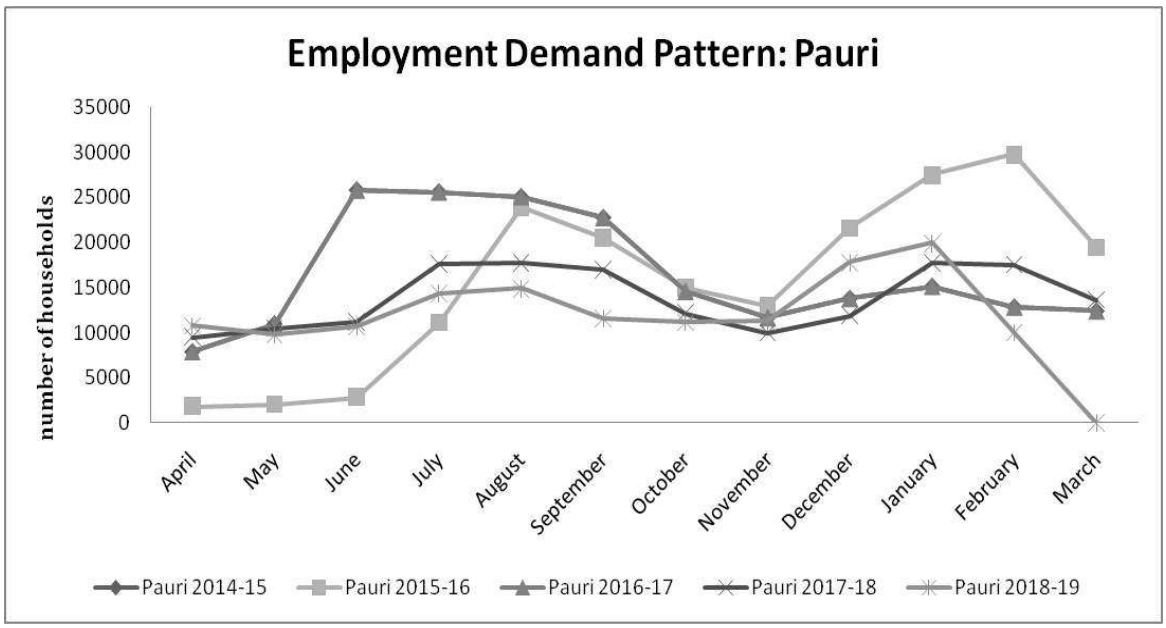

ग्राफ 3.7: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

पौड़ी जिला के लिए, रोजगार के मांग का पैटर्न जून और फरवरी के महीनों में अधिक उतार–चढ़ाव को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्ष के फरवरी माह में मांग सर्वाधिक है जो अन्य वर्षों में तुलनात्मक रूप से कम है। इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के लिए मांग जून के महोने में सबसे कम है जो कि निकटवर्ती वर्ष 2014–15 और 2016–17 के दौरान चरम मांग का माह रहा है। अगस्त और जनवरी के महीने में अधिक मांग तथा अप्रैल के महीने में कमी दिखाई देती है।

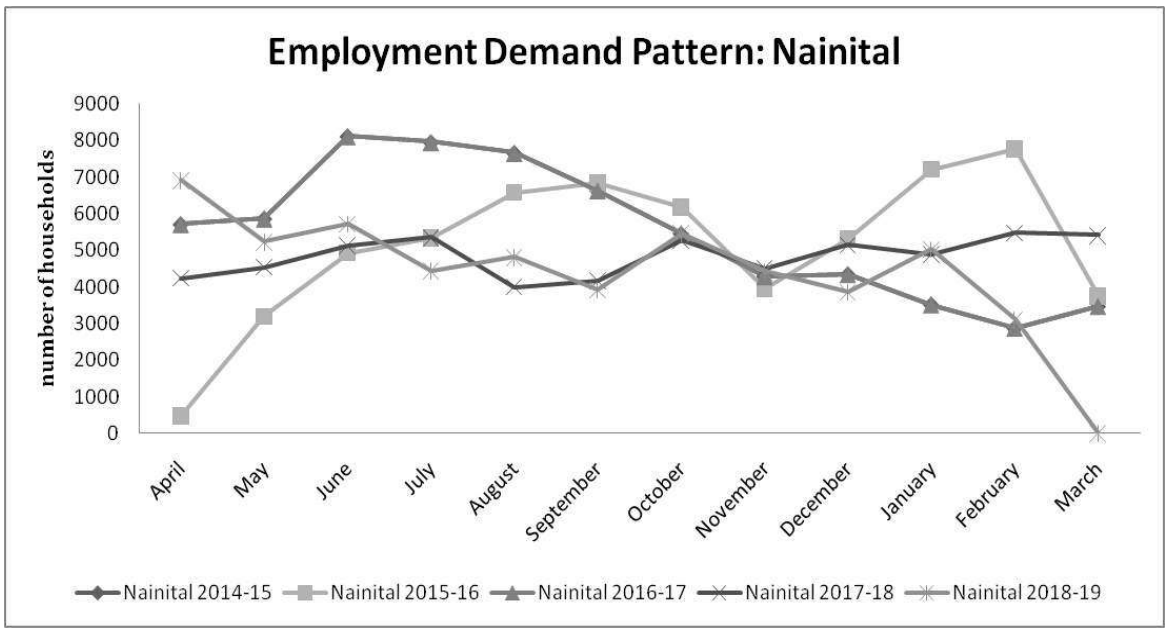

ग्राफ 3.8: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

नैनिताल में, जून क महीने में उतार–चढ़ाव के साथ औसत रोजगार की मांग अधिक होती है। पिछले 4 वर्षों से नवंबर के महीने के दौरान रोजगार की मांग मध्यम और स्थिर है।

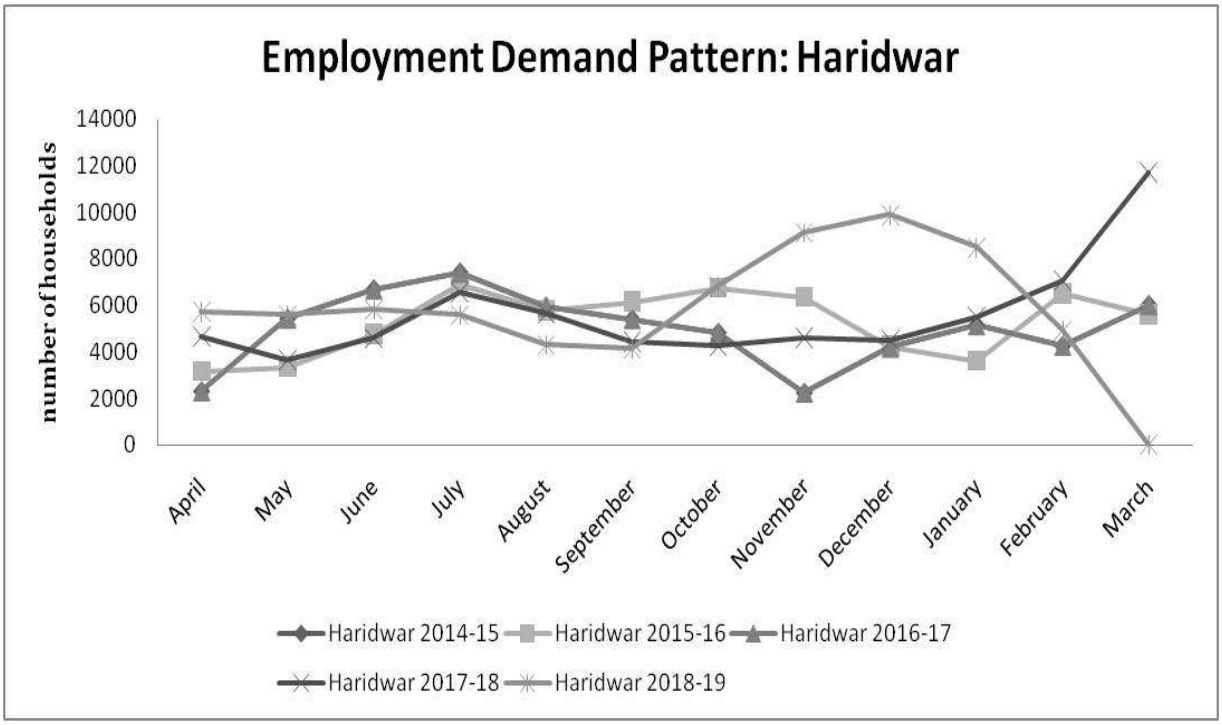

ग्राफ 3.9: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

हरिद्वार जिले में विगत 5 वर्षों में मामूली उतार–चढ़ाव के साथ औसत रोजगार की मांग लगभग स्थिर रही है। जुलाई के महीने में मांग सभी वर्षो में अधिक देखी गयी है।

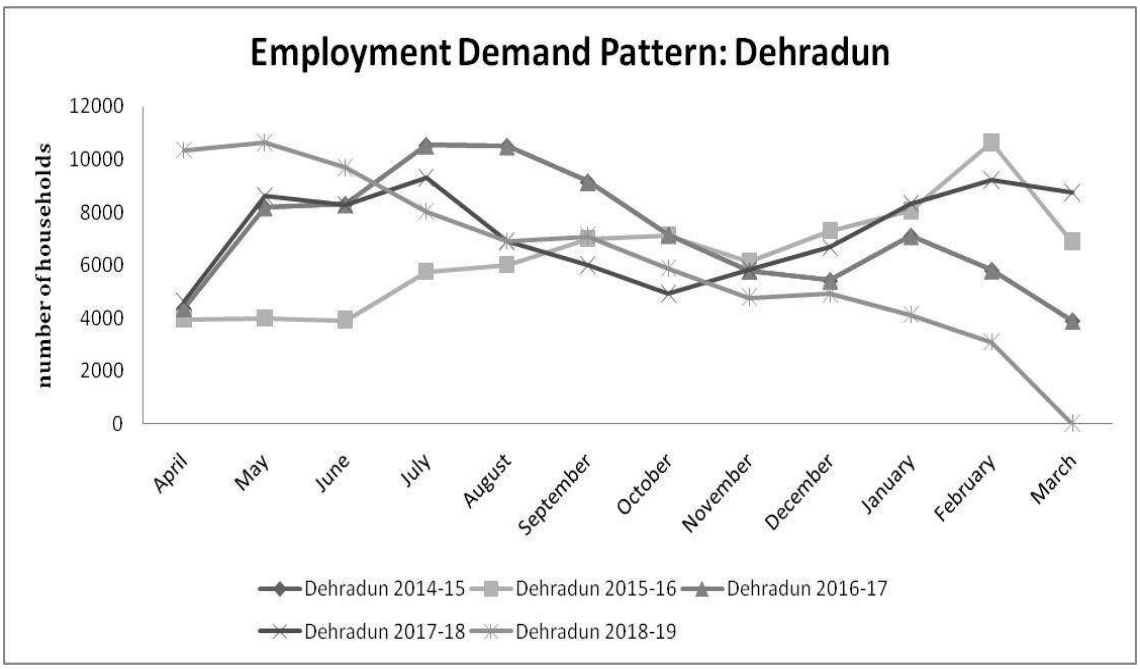

ग्राफ 3.10: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

देहरादून जिले के लिए जुलाई और मई के महीने में रोजगार की मांग अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों में नवंबर के महीने के लिए मध्यम और स्थिर है। फरवरी के महीने में उतार–चढ़ाव देखा जा सकता है।

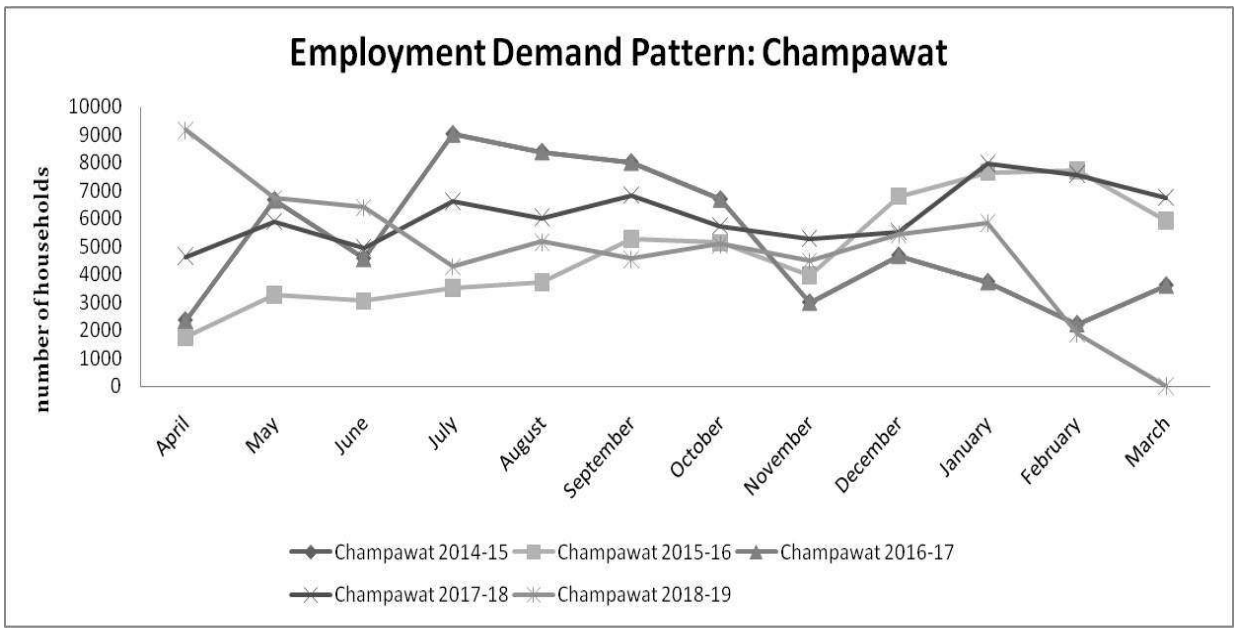

ग्राफ 3.11: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

चंपावत में जुलाई और मई के महीने में रोजगार की मांग अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों में नवंबर के महीने के लिए मध्यम और स्थिर है। फरवरी के महीने में उतार–चढ़ाव देखा जा सकता है, यह वर्ष 2015–16 और 2017–18 में अधिक मांग दर्शाता है। और वर्ष 2014–15, 2016–17 और 2018–19 के लिए कम मांग दर्शाता है।

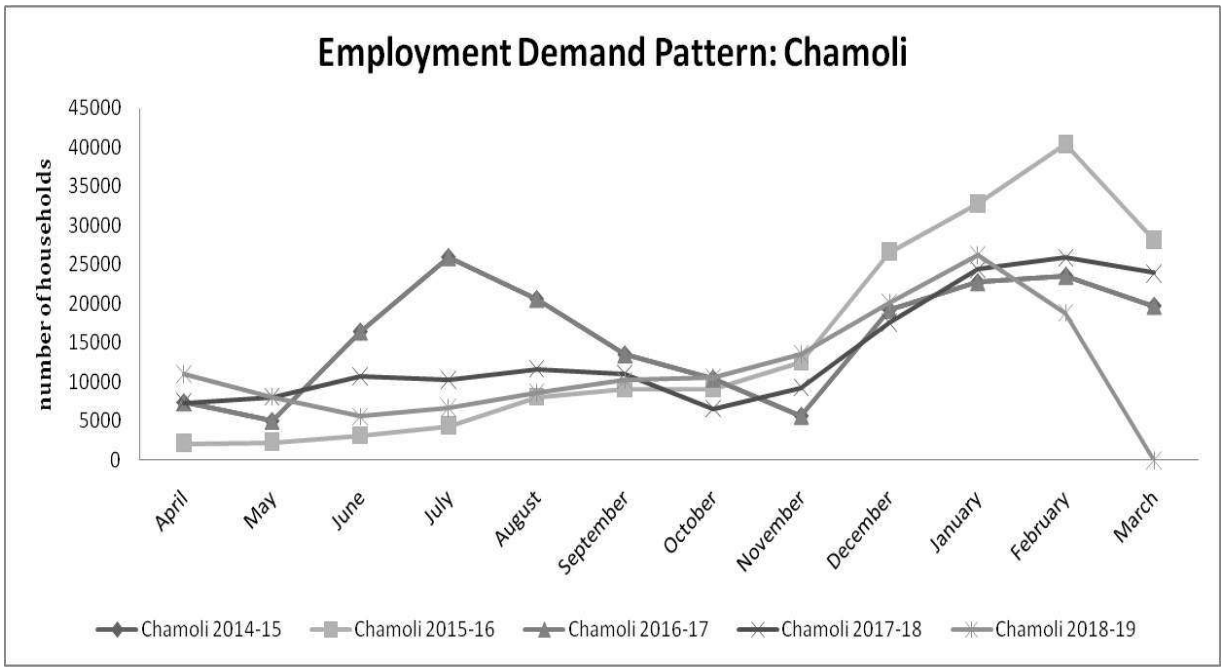

ग्राफ 3.12: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

चमोली के लिए अप्रैल से नवंबर तक रोजगार की मांग कम है, जुलाई माह में उतार–चढ़ाव के साथ इसमें बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होता है। दिसंबर से मार्च के महीनों में मांग बढ़ जाती है।

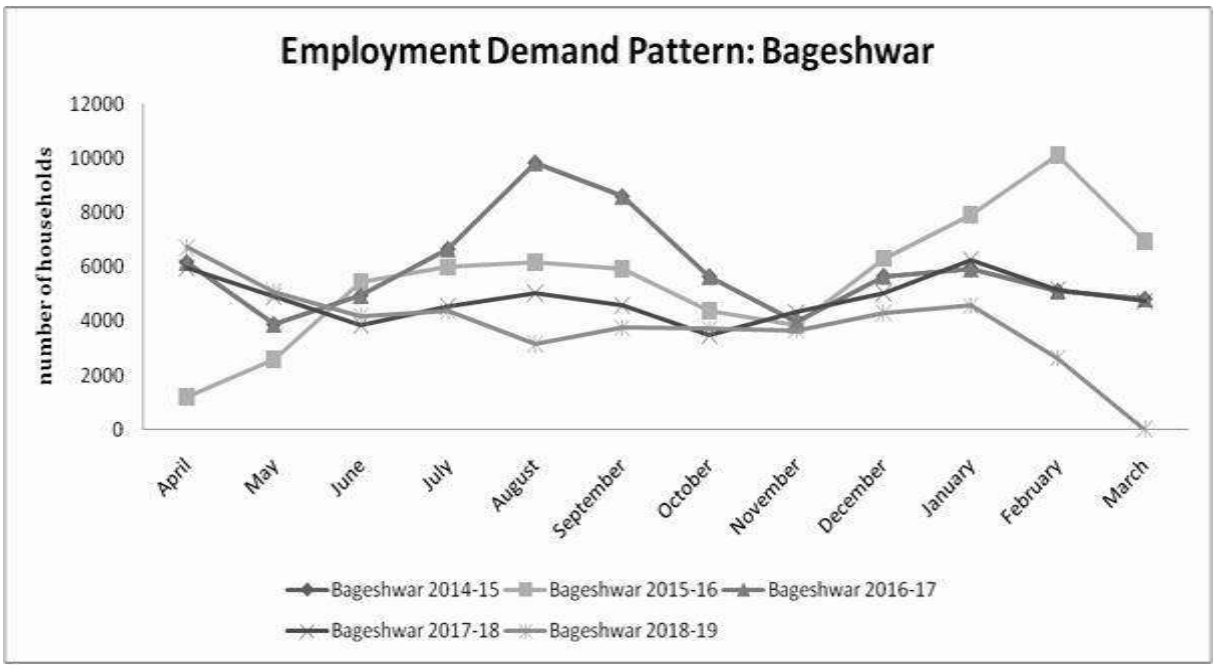

ग्राफ 3.13: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

बागेश्वर में नवंबर के महीने में रोजगार की मांग विगत पांच वर्षों के दौरान मध्यम और स्थिर रही है। यह वर्ष 2015–16 के अलावे अप्रैल में अधिक रहती है।

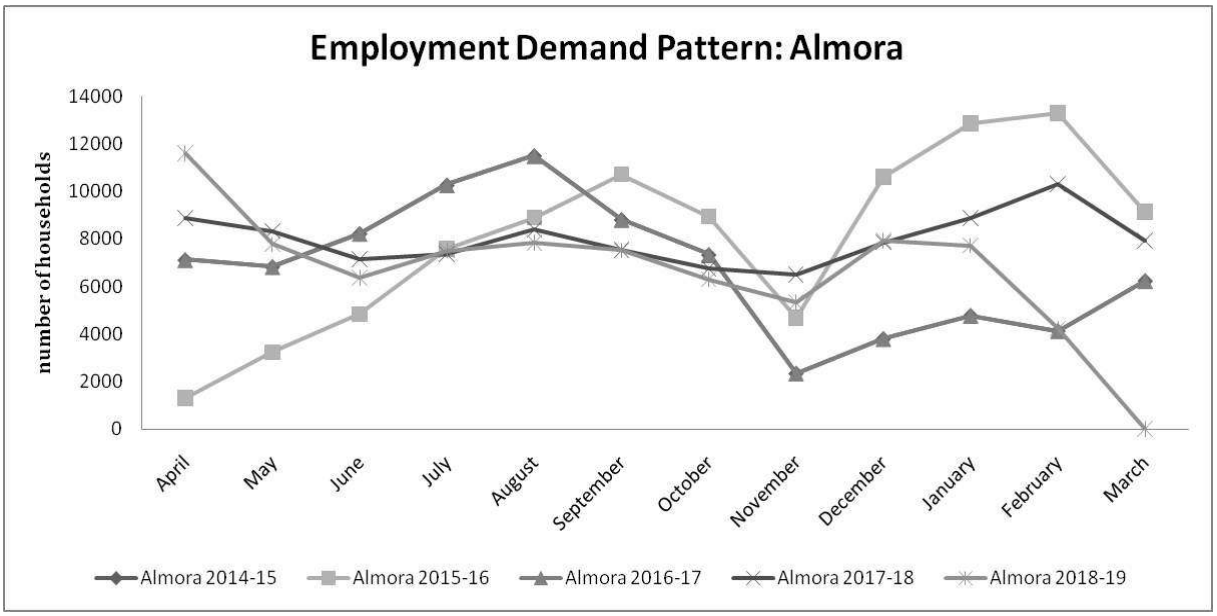

ग्राफ 3.14: आंकड़ों का स्रोत एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा)

(स्रोतः एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.(मनरेगा) विभाग) (नोटः मार्च 2018–19 के आंकड़ों पर इस्तेमाल नहीं किए गए है)

अल्मोडा जिले में जुलाई और अगस्त में रोजगार की मांग अधिक देखी गई है। नवंबर के महीने में इसमें कमी देखी जा सकती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अधिक उतार–चढ़ाव होते रहता हैं।

पहाड़ी जिलों में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.(मनरेगा) के अंतर्गत नवंबर के महीने में रोजगार की मांग में गिरावट देखी गई है जो रबी फसलों की बुवाई और मार्च–अप्रैल जो फिर से रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसलों की बुवाई का मौसम है।

3.1.10 राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (राष्ट्रीय स्तर की निगरानी का सारांश, एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा), 2015 पर सामान्य समीक्षा मिशन और आंतरिक लेखा परीक्षा का साराश, 2015)

भुगतान में देरी

एन.एल.एम. ने यह पाया है कि देश के लगभग एक चौथाई गांवों में मजदूरी का भुगतान 'ज्यादातर' या 'हमेशा' देरी से किया जाता है। यह उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर पाया गया ह।

उत्तराखंड राज्य के जागेश्वर, चमोली, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी से आई रिपोर्ट के अनुसार मजदूरी के भुगतान में देरी दर्ज की गई है।

मजदूरी मांग करने वालों में से किसी को भी 29% सैम्पल गांवों में पावती रसीद के प्रावधान के बारे में पता नहीं था, जबकि उनमें 12% सैम्पल गाँवों में बुहत कम लोगों को जानकारी थी। उत्तराखंड राज्य इस पहलू पर जागरूकता के सबसे खराब स्तर वाले राज्य में से एक है। उत्तराखण्ड राज्य में सैम्पल गाँवों के बहुमत में बेरोजगारी भत्ते के बारे में किसी भी मजदूरी वाले व्यक्तियों को जानकारी नहीं थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतगत भुगतान किए गए मजदूरी के संशोधन के लिए गठित समिति ने पाया है कि 15 राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. मजदूरी से अधिक है। एम.जी.एन.ई.आर.जी.ए की मजदूरी में ऊपर की ओर संशोधन के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बजट में 4,500 कराड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली कृषि मजदूरी काफी अधिक है।

3.1.11 राज्य प्रफॉरमेंस रिपोर्ट 2017–18

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. मनरेगा): एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत, वर्ष 2017–18 के दौरान रोजगार के 2.20 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए थे, जिसमें कुल खर्च 695.87 करोड़ रूपये खर्च किया गया, जिसमें कृषि पर कुल खर्च का 72.53% हिस्सा था। इस योजना के अंतर्गत 5.06 लाख परिवारों और 6.58 व्यक्तियों को काम करने में मदद मिली। इससे प्रति घर औसतन 43.44 दिनों के रोजगार का सृजन हुआ। यहां ध्यान देने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि 54.39% महिला कार्य दिवस सृजित हुआ। व्यय में बड़ा हिस्सा 414.70 करोड के साथ मजदूरी था। लगभग 94.64% भुगतान 15 दिनों के भीतर किया गया।

कुल 1.85 लाख काम शुरू किए गए, जिनमें से 55% (1.02 लाख) काम संपन्न हो चुका हैं। यह उचित है कि राज्य को एन.आर.एम. (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) संबंधित कार्यों (59.32%) पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, पशुधन को बढ़ावा देने से संबंधित पूर्ण कार्य, श्रेणी बी के कार्य (33.01%), बागवानी, ग्रामीण हाट आदिद्य खर्च किए गए धन के संदर्भ में, उत्तराखंड में एन.आर.एम. कार्यों पर एम0डब्लू0सी0 ब्लॉकों में 65% अनिवार्य व्यय की तुलना में एम.डब्ल्यू.सी. (मिशन जल संरक्षण) ब्लॉकों में केवल 50% खर्च किया गया। आश्चर्यजनक रूप से, 2 कम भूजल वाले ब्लॉकों में पूर्ण किए गए कार्यों म से केवल 4% कार्य

भूजल पुनर्भरण से संबंधित हैं। राज्य को निश्चित रूप से एन.आर.एम. कार्यों के और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2016–17 तक किए गए कार्यों में, 27000 से अधिक अभी भी अपूर्ण थे; राज्य ने 30 अप्रैल 2018 तक उक्त वित्तीय वर्ष के सभी अधूरे कामों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 563 कार्य ऐसे हैं जिनमें कोई कार्य नहीं किया गया है और 20 मार्च की समयसीमा के साथ प्राथमिकता में से हटा दिया जाना चाहिए। 178 कार्यों में केवल भौतिक व्यय है और 914 कार्यों के लिए व्यय स्वीकृत अनुमान के 100% से अधिक हो गया है। पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में सबसे अधिक काम अधूरे पड़े हुए हैं।

3.2 डी.ए.वाय–एन.आर.एल.एम. (दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण निर्धन लोगों के स्वरोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। अपनी स्थापना के बाद से कुल 21308 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जबकि 899 ग्राम संगठन और 34 क्लस्टर स्तर महासंघ का गठन किया गया है। कुल 4173 स्वयं सहायता समूह ने बैंकों से सी.सी.एल. / टी.एल. की मदद से आजीविका गतिविधियां शुरू कीं।

3.2.1 चरण के अनुसार इंटेंसिव ब्लॉकों – डी.ए.वाई. एन.आर.एल.एम.

इंटेंसिव ब्लॉक की परिभाषा :

हर स्तर (राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर) में प्रशिक्षित और समर्पित व्यावसायिक कर्मचारियों के साथ एन.आर.एल.एम. घटकों के पूर्ण पूरक के साथ एक ब्लॉक को इंटेंसिव ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इंटेंसिव ब्लॉक दृष्टिकोण के प्रमुख घटक :

- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से सभी एन.आर.एल.एम. लक्षित परिवारों की कवरेज के लिए सामाजिक जुटाव और संतृप्ति दृष्टिकोण
- विभिन्न स्तरों पर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण
- वित्तीय समावेशन – 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 1 लाख रुपये का ऋण प्रदान करना
- विभिन्न आजीविका पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और भेद्यता में कमी को सुनिश्चित करना
- समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना – 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 2 स्थिर आजीविका प्रदान करना
- बहीखाता पद्धति और सहभागिता निगरानी तंत्र
- लाइन विभागों और पी.आर.आई. के साथ संयोजन
- मजबूत, आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण गरीबों के स्थायी संगठनों क प्रबंधन द्वारा

चरण 1: वित्तीय वर्ष 15–16 (10) ब्लॉकों	चरण 2– वित्तीय वर्ष 16–17 (5 ब्लॉकों)
पौड़ीः दुग्दा, यमके"वर देहरादूनः डोईवाला, सहसपुर नैनीतालः कोटबाग, रामनगर यू.एस.नगरः काशीपुर, जसपुर चमोलीः जोशीमठ, करनप्रयाग	पौड़ीः थलीसैण यू.एस. नगरः सितारगंज, खटीमा पिथौरागढ़ः धारचूला हरिद्वारः भगवानपुर
चरण 3– वित्तीय वर्ष 17–18 (15 ब्लॉकों)	**चरण 4 – वित्तीय वर्ष 17–18 (30 ब्लॉकों)**
पौड़ीः कोट, पौड़ी, देहरादूनः रायपुर, विकास नगर नैनीतालः बेतालघाट यू.एस. नगरः गदरपुर पिथौरागढ़ः बेरीनाग, गंगोलीहाट अल्मोड़ाः ताकुला टिहरीः नरेंद्र नगर उत्तरकाशीः चिन्यालीसौड़ रुद्रप्रयागः ऊखीमठ चम्पावतः चम्पावत हरिद्वारः भद्रबाद, लस्कर	पौड़ीः एके"वर, खिर्सू, बीरोंखाल, द्वारीखाल, पाबो, रिखणीखाल, ज़यहरीखाल नैनीतालः भीमताल, धारी, हल्द्वानी, रामगढ़ ओखलकांडा यू.एस.नगरः बाजपुर, रुद्रपुर चमोलीः गैरसैंण पिथौरागढ़ः मुनस्यारी अल्मोड़ाः लमगड़ा, धौलादेवी बागेश्वरः बागे"वर, कपकोट टिहरीः भेलंगना, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जाखणीखाल, थौलधार उत्तरकाशीः डुंडा चम्पावतः लोहाघाट हरिद्वारः खानपुर, नारसन, रुड़की

आखिरी चरण में सभी ब्लॉकों को इंटेंसिव ब्लॉकों में सम्मिलित कर लिया गया है।

3.2.2 स्वयं सहायता समूह गठन के लिए कार्यनीति

स्वयं सहायता समूह फॉर्मेशन के लिए 300 सी.आर.पी. (समुदाय संसाधन व्यक्ति)का आंतरिक कैडर विकसित किया गया है। तेलंगाना में पुराने 30 इंटेंसिव ब्लॉकों के लिए सी.आर.पी. की 60 टीमें एस.ई.आर.पी. (सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी) से ली गई हैं नए 30 इंटेंसिव ब्लॉकों के लिए 60 टीमें जीविका बिहार से लिए गए हैं।

स्थापना के बाद से सक्रिय कुल स्वयं सहायता समूह : 21308

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कुल लक्ष्यः 8000

वित्त वर्ष 2018–19 में गठित कुल स्वयं सहायता समूह : 9251

3.2.3 एम.सी.पी. (माइक्रो क्रेडिट प्लान) तैयारी के लिए कार्यनीति

एम.सी.पी. की तैयारी और एम.सी.पी. के विकास के लिए 104 मास्टर्स ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं।

सी.आर.पी. कैडरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 50 पी.आर.पी.(प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन) एस.ई.आर.पी. तेलंगाना और जीविका बिहार से लिए गए है, वे विशेष रूप से एमसीपी की तैयारी कार्य में लगे

हुए हैं। 60 कार्यों के प्रकारों की पहचान कर ली गई है और बैकवार्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आई.एल.एस.पी. , यू.जी.वी.एस. एन.ए.बी.ए.आर.डी. और डी.आई.सी. की मदद से तैयार किया गया है।

3.2.4 सी.सी.एल. (कैश क्रेडिट लिमिट) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति

यू.एस.आर.एल.एम. ने एन.आर.एल.एम. की स्थिति और भविष्य की कार्यनीतिपर चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार में एस.एल.बी.सी, आर.एस.ई.टी.आई. , नाबार्ड, बैंकों के एल.डी. एम. और अन्य बैंकरों ने भाग लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्त और बैंकिंग सलाहकार को नियुक्त किया है। यू.एस.आर.एल.एम. ने बिहार से 30 और तेलंगाना से 20 परियोजना संसाधन व्यक्तियों(पी.आर.पी.) को नियुक्त किया है। 43 बैंक सखियों को प्रशिक्षण देकर, बैंक शाखाऐं दे दी गयी हैं। यू.एस.आर.एल.एम. स्वयं सहायता समूह को शिक्षित करने के लिए वित्तीय समावेशन सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों(एफ.एल. – सी.आर.पी.) तैयार करने की भी योजना बना रहा है। यह उन केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह से व्यावसायिक पत्राचार एजेंट का चयन करने की योजना बना रहा है जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

स्थापना के बाद से सी.एल.एफ. (क्लस्टर फेडरेशन) की कुल संख्याः 77

वित्त वर्ष 2018–19 में सी.एल.एफ. गठन का कुल लक्ष्यः 20

वित्त वर्ष 2018–19 में कुल सी.एल.एफ. का गठनः 22

क्र. सं	वित्तीय वर्ष	स्वयं सहायता समूह का गठन		आर.एफ.		एम.सी.पी.		सी.आई.एफ.		वी.ओ.		सी.सी.एल.		सी.एल.एफ.		सदस्य लिंक की संख्या आजीविका गतिविधियां
		सक्रीय	निष्क्रिय	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2014–15	527	153	200	156	0	0	50	0	20	5	0	0	2	0	0
2	2015–16	2036	820	340	808	200	272	200	245	30	76	355	61	0	1	2142
3	2016–17	2985	745	2104	1998	737	878	737	733	60	55	366	189	5	0	5864
4	2017–18	7417		5500	5512	1500	1588	1500	1537	150	229	3268	1721	10	11	17899
5	2018–19	9521		6476	5897	8655	8687	2258	1798	800	760	5641	3191	20	22	9947
		21308	**4052**	**15644**	**13929**	**11092**	**9357**	**5262**	**4024**	**1060**	**899**	**9630**	**4173**	**37**	**34**	**35852**

तालिका 3.14 (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	स्वयं सहायता समूह गठन	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2014–15	1050	527
2	2015–16	500	2036

3	2016–17	2785	2985
4	2017–18	7050	7417
5	2018–19	8000	9251
	कुल	**19385**	**21308**

तालिका 3.15 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

स्थापना के बाद से गठित स्वयं सहायता समूहकी संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। परिणामस्वरूप, स्थापना के बाद से 19385 के लक्ष्य के सापेक्ष 21308 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह (आर.एफ., एम.सी.पी. तैयारी, सी.आई.एफ., वी.ओ. और सी.सी. एल.)के पूंजीकरण कार्यनीति में उपलब्धियां अन्य सभी चरणों में पीछे हैं। कुल 35852 लोगों को आजीविका के कार्यों से जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूह को कार्यात्मक और लाभदायक बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह पूंजीकरण कार्यनीति पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आरएफ और सी.आई.एफ. का वित्त पोषण केंद्र द्वारा किया जाता हैं, इसलिए कम उपलब्धि को बजट की कमी भी कारण हो सकता है।

सी.सी.एल. की उपलब्धि में अंतर को विभिन्न कारणों से जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे उचित एम.सी.पी.की कमी, ऋण प्राप्त करने की समुदाय की अनिच्छा और बैंक की कमी। इस स्थिति से निपटने के लिए, माइक्रो क्रेडिट योजना जो जरूरत आधारित हो, की तैयारी पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जरूरत आधारित है। योजना तैयार करने और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मास्टर ट्रेनरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, सामुदायिक जागरूकता और बैंक लिंकेज को भी मजबूत किया जाना चाहिए।

3.3 आर.एस.ई.टी.आई.

आर.एस.ई.टी.आई.एस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर. डी.)की एक पहल है और जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में उद्यमिता विकास की दिशा में प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए समर्पित बुनियादी ढाँचा की व्यवस्था करना है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा आर.एस.ई.टी.आई. का प्रबंधन किया जाता है।

3.3.1 आर.एस.ई.टी.आई. में आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	जिले का नाम	आर.एस.ई.टी.आई. का नाम	ए.ए.पी. (वार्षिक कार्य योजना) लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018–19 कार्यक्रमों की संख्या		01–04–2018 से 31–12–2018 से उपलब्धि	
			कार्यक्रमों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या	संचालित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किया गया अभ्यर्थियों की संख्या
1	अल्मोड़ा	एस.बी.आई. अल्मोड़ा	21	540	14	349

2	बागेश्वर	एस.बी.आई. बागेश्वर	21	605	13	352
3	चामोली	एस.बी.आई. चामोली (गोपेश्वर)	17	459	12	355
4	चम्पावत	एस.बी.आई. चम्पावत	19	500	13	352
5	देहरादून	आ.बी.सी. देहरादून	25	750	19	447
6	नैनीताल	बी.आ.बी. हल्द्वानी (नैनीताल)	20	500	20	545
7	हरिद्वार	पी.एन.बी. हरिद्वार	25	625	19	488
8	पौड़ी गढ़वाल	एस.बी.आई. पौड़ी	18	450	13	355
9	रुद्रप्रयाग	एस.बी.आई. रुद्रप्रयाग	18	515	13	372
10	टिहरी गढ़वाल	एस.बी.आई. टिहरी गढ़वाल	18	450	12	310
11	उधम सिंह नगर	बी.ओ.बी. उधम सिंह नगर (पंतनगर)	25	625	9	248
12	उत्तरकाशी	एस.बी.आई. उत्तरकाशी	18	450	18	451
13	पिथौरागढ	एस.बी.आई. पिथौरागढ	17	430	15	358
कुल			**262**	**6899**	**191**	**5107**

तालिका 3.16 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

आर.एस.ई.टी.आई. के अंतर्गत लोगों में उद्यमिता विकसित करने और उद्यमों और छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

3.3.2 एन.एस.क्यू.एफ. (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के साथ संरेखित आर.एस.ई.टी.आई. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची

क्र.सं	योग्यता का नाम	श्रेणी (I/II/III)	अवधि (घंटे)	अवधि (दिन)
1	होममेड अगरबत्ती	II	80	10
2	रेशम कोष उत्पादक उद्यमी	II	80	10
3	डेरी फार्मिंग और वेर्मी कम्पोस्ट मेकिंग	I	80	10

4	पेपर कवर, एनवलप और फाइल मेकिंग	II	80	10
5	कमर्शियल हॉर्टिकल्चर	I	104	13
6	कृषि उद्यमी	II	104	13
7	सॉफ्ट टॉयज मेकर और सेलर I	I	104	13
8	शीप रेअरिंग	II	80	10
9	जूट प्रोडक्ट्स उद्यमी	I	104	13
10	पोल्ट्री	I	80	10
11	पापड़, पिकल और मसाला पाउडर	II	80	10
12	गोट रेअरिंग	II	80	10
13	मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का कल्टीवेशन	II	80	10
14	रबर टैपिंग और प्रोसेसिंग	II	80	10
15	फ़ास्ट फूड स्टाल उद्यमी	II	80	10
16	बिज़नस कोरेस्पोंडेंट और बिज़नस फैसिलिटेटर	III	80	10
17	ऋण वसूली एजेंट	II	104	13
18	पिग्गेरी	II	80	10
19	वाणिज्यिक फूलों की खेती	II	80	10
20	वनस्पति नर्सरी प्रबंधन और खेती	II	80	10
21	मधुमक्खी पालन	II	80	10
22	यात्रा और पर्यटक गाइड	III	80	10
23	मशरूम की खेती	II	80	10
24	बांस और कैन शिल्प बनाना	I	104	13
25	गार्डनिंग और लैंड्सकैपिंग	II	80	10
26	हाउस आया	II	104	13
27	पाली हाउसेस और शेड नेट फार्मिंग	II	80	10
28	फोटो फोटो फार्मिंग, लेमिनेशन और स्क्रीन प्रिंटिंग	I	80	10
29	मसोंरी और कंक्रीट वर्क	I	240	30
30	सीसीटीवी कैमरा का स्थापना और सर्विसिंग, सिक्यूरिटी अलार्म और स्मोक डिटेक्टर	I	104	13

31	पिस्सीकल्चर	II	80	10
32	सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.)	III	104	13
33	फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी	I	240	30
34	सेल फ़ोन की मरम्मती और सर्विस	I	240	30
35	ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट	I	240	30
36	वेल्डिंग और निर्माण	I	240	30
37	पुरुषों का दर्जी	I	240	30
38	वस्त्र चित्र कला उद्यमी (कढ़ाई और कपड़े की पेंटिंग)	I	240	30
39	इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग और मरम्मत सेवाएँ	I	240	30
40	कॉस्टयूम ज्वेलरी	I	104	13
41	मैकेनिक	I	240	30
42	एल.एम.वी. ओनर ड्राईवर	I	240	30
43	घरेलु विद्युत् उपकरण सेवा उद्यमी	I	240	30
44	हाउस वायरिंग	I	240	30
45	पुरुषों की पार्लर और सैलून	I	240	30
46	टीवी तकनीशियन	I	240	30
47	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन	I	240	30
48	महिलाओं का दर्जी	I	240	30
49	डेस्कटॉप प्रकाशन	I	360	45
50	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग	I	360	45
51	मोमबत्ती बनाना	II	80	10
52	प्लंबिंग और सेनेटरी वर्क्स	I	240	30
53	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	I	240	30
54	एल्यूमीनियम निर्माण	I	240	30
55	यू.पी.एस. और बैटरी मेकिंग और सर्विसिंग	I	240	30
56	कारपेंट्री	I	240	30
57	ग्रोसरी और किराना शॉप	III	48	6
58	विकलांग व्यक्तियों के लिए ई.डी.पी.	III	80	10

59	बैंक मित्रा	III	48	6
60	सामान्य ई.डी.पी.	III	48	6
61	एफ.एल.सी.आर.पी. के लिए वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	III	48	6

तालिका 3.17 स्रोतः आर.एस.ई.टी.आई.

3.3.3 आजीविका स्किलः ग्रामीण गरीब युवा को रोजगारपरक बनाना

आजीविका– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। आजीविका स्किल एन.आर.एल. एम. के अंतर्गत एक उप–मिशन है। यह निम्नलिखित जरूरतों के कारण विकसित हुआ हैः

- ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करना जो निर्धन परिवारों से आते हैं और
- ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाना।

मुख्य विशेषताएं

- अनुकूलित आवासीय और गैर–आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है
- व्यापार विशिष्ट कौशल, आई.टी. और सॉफ्ट कौशल पर मॉड्यूल के साथ न्यूनतम 624 घंटे का प्रशिक्षण।
- जम्मू और कश्मीर, अल्पसंख्यकों और सबसे महत्वपूर्ण वामपंथी चरमपंथी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम
- केंद्र और राज्य सरकारों की देखरेख में लागू किया गया
- न्यूनतम मजदूरी से ऊपर 75ः सुनिश्चित प्लेसमेंट
- पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन
- प्रशिक्षण के दौरान भोजन और परिवहन सहायता

3.4 आजीविका कौशल (10 अप्रैल, 2019 तक)के अंतर्गत जिलेवार प्रशिक्षित लोग

क्र. सं	जिला	पी.आई.ए.एस. की सं	परियोजना की सं	कुल लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित	कुल स्थापित	(प्रशिक्षित बनाम लक्ष्य) (%)	(स्थापित बनाम प्रशिक्षित) (%)
1	अल्मोड़ा	2	2	290	243	169	27,93	69,55
2	बागेश्वर	1	1	100	0	0	0	0
3	चामोली	1	1	136	91	37	66,91	40,66
4	चम्पावत	2	2	260	163	142	62,69	87ण12

5	देहरादून	8	16	5,071	4,925	3,958	5,71	80,37
6	हरिद्वार	9	16	5,261	4,790	3,706	6,07	77,37
7	नैनीताल	4	6	1,286	1,037	831	13,44	80,14
8	पौड़ी गढ़वाल	5	8	915	873	685	11,93	78,47
9	पिथौरागढ	2	2	205	105	85	51,22	80,95
10	टिहरी गढ़वाल	2	5	513	531	485	20,7	91,34
11	उधम सिंह नगर	3	3	1,205	1,753	1,212	48.49	69.14
12	उत्तरकाशी	2	2	150	121	110	40.33	90.91

तालिका 3.18 स्रोतः अजिविका कौशल वेबसाइट

अजिविका कौशल के अंतर्गत कुल 14,632 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 11,420 को (78.05%) नौकरी प्राप्त हुई। 100 के लक्ष्य के खिलाफ बागेश्वर में किसी को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया था। चमोली में प्लेसमेंट अन्य जिलों की तुलना में काफी कम था, कुल प्रशिक्षितों का केवल 40.66%।

3.3.5 डी.ए.वाई. – एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

गतिविधि	मौजूदा	शेष	टिप्पणियाँ
एफ.एम.बी. (फार्म मशीनरी बैंक)	–	200	उत्तराखंड की कृषि सरकार के यू.एस.बी.एस. सचिव की प्रबंधन समिति की बैठक में स्वयं सहायता समूहके लिए 200 एफ.एम.बी. की स्थापना का आश्वासन दिया। एफ. एम.वी.बी. की मांग 200 एन.आर.एल.एम. स्वयं सहायता समूह से प्राप्त की गई
प्रसाद बनाना	20	50	स्वयं सहायता समूह और मंदिरों को चयन किया गया है। 15 स्वयं सहायता समूह में प्रसाद बनाना शुरू कर दिया गया है।
नर्सरी	15	20	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की नर्सरी स्थापित की गई है: 1. समशीतोष्ण फलों की खेती के लिए नर्सरी। 2. फूलों की खेती की नर्सरी 3. बिना मौसम वाले सब्जी की नर्सरी। 4. औषधीय पौधे की नर्सरी
इंटरप्राइज	705	1695	स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यमों को संचालित किया जा रहा हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से डेयरी, ऊनी, मसाले की ईकाई संचालित की जा रही हैं।
डेयरी	893	107	21 स्वयं सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 30 स्वयं सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
कृषि	246	1254	मंडुवा, लाल चावल, झगोरा जैविक दालों और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा प्रमुख रूप से की जाती है

बागवानी	10	25	Low chilling सेव के और अन्य शीतोष्ण फलों की खेती की जा रही है। सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती भी स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा की जाती है।
ग्रामीण हाट	55	40	स्थान चयन की प्रक्रिया जारी है
आर.यू.टी.एफ. (Ready to use चिकित्सा संबंधी भोजन	2	3	पायलट परियोजना के एक बार सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद योजना को दोहराया जाएगा
जैविक समूह	4	0	2 जिले में 4 जैविक समूह को चुना गया हैं, जिसमें से 990 महिला किसान की पहचान की गई है और 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है
एल.ई.डी. बल्ब वितरण	26	69	ई.ई.एस.एल.एन. की मदद से 2 जिले के 3 वीओ में 26 स्वयं सहायता समूह 10,000 रूपये प्रति वी.आ. औसत आय सृजन के साथ एल.ई.डी. बल्ब के वितरण में संलग्न हैं।

तालिका 3.19 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

3.3.6 राज्य भर में स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रति सदस्य लाभ इस प्रकार दिया जाता है (मासिक):

चित्र 3.6 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

राज्य में मछली पालन सबसे लाभदायक कृषि सम्बन्धी कार्य है, जिससे प्रति सदस्य प्रति माह 6500 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर प्रति व्यक्तियों 4980 रुपये की लाभ वाला कार्य मशरूम का उत्पादन करना है।

गन्ना उत्पादन और एम.ए.पी. (औषधीय और सुगंधित पौधे) क्रम"ाः 986 रूपए/ माह और क्रमशः 333 रूपए/ माह के साथ सबसे निचले स्थान पर आते हैं। । उत्तराखंड में औषधीय और सुगंधित पौधों की व्यापक संभावना है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत अधिक काम किया जाना बाकी हैं। इसमें अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

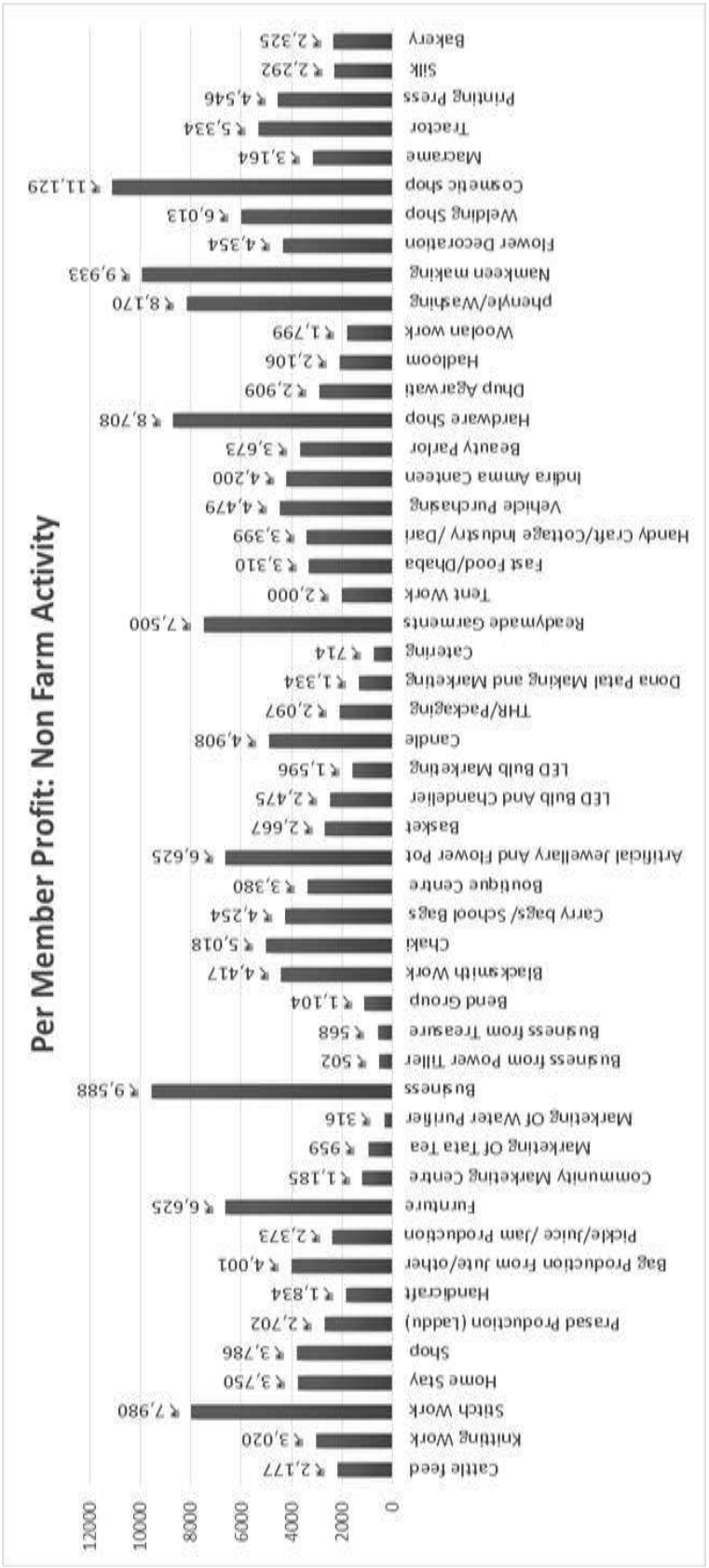

चित्र 3.7 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

गैर–कृषि कार्यों में कॉस्मेटिक की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, छोटे व्यवसाय और नमकीन निर्माण लाभ अर्जित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। पावर टिलर का कारोबार, टाटा टी की मार्केटिंग और वॉटर प्यूरीफायर की मार्केटिंग सबसे निचले स्तर पर है।

सबसे लाभदायक गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं

1. अल्मोड़ाः कृषि गतिविधि– बकरी पालनः .6833.333 रूपए
   गैर–कृषि कार्य – दुकानः 10,0000 रुपये

2. चमोलीः कृषि गतिविधि– सब्जी उत्पादनः 3663 रूपए
   गैर–कृषि कार्य – चौलाई लड्डूः 13,636 रु और होमस्टेः 4285रु

3. चम्पावतः कृषि गतिविधि– मवेशीः 2083 रूपए
   गैर–कृषि कार्य – ब्यूटी पार्लरः 11,000 रूपए (इकाइयों की संख्या 1) और दुकान– 4000 रूपए (इकाइयों की संख्या –19)

4. देहरादूनः कृषि गतिविधिः मशरूम उत्पादन– 10,323 रुपये
   गैर–कृषि कार्य : व्यवसायः 13422रु और उसके बाद कॉस्मेटिक शॉपः 11915 रूपए जिल में शीर्ष दस सबसे अधिक लाभ कमाने वाली गतिविधियाँ में से 9 गैर–कृषि थीं जिसमें केवल मशरूम उत्पादन एक कृषि गतिविधि थी।

5. हरिद्वारः कृषि गतिविधिः मशरूम उत्पादन : 4250 रूपए
   गैर–कृषि गतिविधिः नमकीन बनानाः 17,000 रूपए इसके बाद हार्डवेयर शॉपः 8500 रूपए देहरादून जिले की स्थिति के समान है, केवल एक कृषि गतिविधि (मशरूम उत्पादन) दस सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला कार्य में से एक है।

6. नैनीतालः फार्म गतिविधि– पोल्ट्रीः रूपए 9000
   गैर–कृषि कार्य : टैक्सीः 7500 रु

7. पौड़ीः कृषि गतिविधि– बुवाईः 17,093 रूपए उसके बाद कृषिः 5108 रूपए
   गैर–कृषि कार्य – दुकानः 2528 रूपए
   जिले में गैर–कृषि वाले गतिविधियों की तुलना में कृषि गतिविधियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

8. पिथौरागढः कृषि गतिविधिः नर्सरीः 8250 रूपए
   गैर–कृषि कार्य : होमस्टेः 8250 रूपए

9. रुद्रप्रयागः कृषि गतिविधिः बागवानी / पॉलीहाउसः 6625 रूपए
   गैर–कृषि कार्य : आटा चक्की / पानी फिल्टर की बिक्री / ढाबा / फर्नीचरः 6625 रूपए

10. टिहरीः कृषि गतिविधिः सब्जीः 1001 रूपए
गैर–कृषि कार्य : प्रसाद बनानाः 957 रूपए
केवल 6 गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

11. उधम सिंह नगरः कृषि गतिविधिः बकरी पालनः 4250 रूपए
गैर–कृषि कार्य : बेकरीः 5700 उसके बाद शॉपः 5537 रूपए

12. उत्तरकाशीः कृषि गतिविधिः मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादनः 5000 रूपए
गैर–कृषि कार्य : ब्यूटी पार्लर / बुनाई / फास्ट फूड / जूट बैगः 5000 रूपए

आजीविका गतिविधियों में अधिकतम विविधता देहरादून (40), हरिद्वार (36), रुद्रप्रयाग (33) जिलों में है। टिहरी (6), चम्पावत (8) और अल्मोड़ा (7) जिलों में न्यूनतम विविधता देखी जाती है।*

(*जिला बागेश्वर के लिए आंकड उपलब्ध नहीं है क्योंकि काम 2018–19 में शुरू किया गया था।)

मशरूम उत्पादन राज्य के लगभग सभी जिले में लाभदायक साबित हुआ है।

3.3.7 यू.एस.आर.एल.एम. के अंतर्गत विकसित किए गए संसाधन व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं	प्रतिभागियों को लक्ष्य	कुल प्रतिभागी		
		अपेक्षित	प्रशिक्षित	प्रस्तावित (वित्तीय वर्ष 19–20)
1	सक्रिय महिलाएं	7000	3100	2000
2	टेबलेट सखी	2200	130	200
3	बी.एम.एम. और स्टाफ सदस्य (बी.आर.पी.)	550	80	100
4	बैंक अधिकारी	1000	199	200
5	सी.आर.पी	1000	538	100
6	सीनियर सी.आर.पी	500	112	120
7	एम.सी.पी (एम.टी.)	500	104	150
8	स्वयं सहायता समूह बुक कीपर (एम.टी.)	650	116	190
9	वी.ओ. बुक कीपर (एम.टी.)	430	42	120
10	बैंक सखी	350	43	157
11	पशु सखी	3000	44	50
12	कृषि सखी (जैविक)	3000	25	50
13	सेतु सखी	800	0	120
14	वरिष्ठ सी.आर.पी. –सी.एल.एफ.	640	0	40
15	पोषन सखी	640	0	35
16	उद्यम सखी	4000	0	30
कुल		**26,260**	**4533**	**3662**

तालिका 3.20 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

विभिन्न कार्यों के लिए, कुल 4533 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। जिन लक्ष्यों के लिए किसी व्यक्तियोंको प्रशिक्षित नहीं किया गया है, वे हैं– सेतु सखी, वरिष्ठ सी.आर.पी. – सी.एल.एफ., पोशन सखी आर उधम सखी। कुल आवश्यक 26,260 लोगों के सापेक्ष कुल 4533 व्यक्तियों को प्र"ाक्षित किया गया है।

3.3.8 एन.पी.ए. का विवरण ब्लॉक के अनुसार नीचे दिया गया है:

60 ब्लॉकों की एन.आर.एल.एम. स्वयं सहायता समूह एन.पी.ए. की स्थिति

(राशि लाख में)

क्र.सं	जिला	ब्लॉक	बकाया		एन.पी.ए.		एन.पी.ए. का %	
			अकाउंट की संख्या	राशि	अकाउंट की संख्या	एन.पी.ए. राशि	अकाउंट की संख्या	एन.पी.ए. राशि
1	अल्मोड़ा	ताकुला	**60**	**70.91**	**0**	**0**	**0**	**0**
		लैमगारा	**132**	**28.76**	**17**	**4.25**	**12.88**	**14.78**
		धौलादेवी	**37**	**15.45**	**6**	**2.01**	**16.22**	**13.01**
2	बागेश्वर	बागेश्वर	**233**	**99.2**	**26**	**3.99**	**11.16**	**4.02**
		कपकोट	**54**	**11.77**	**1**	**1.09**	**1.85**	**9.26**
3	चामोली	जोशीमठ	**226**	**42.28**	**16**	**3.39**	**7.08**	**8.02**
		कर्णप्रयाग	**142**	**32.66**	**6**	**0.36**	**4.23**	**1.1**
		गैरसैण	**61**	**24.56**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	चम्पावत	चम्पावत	**9**	**4.49**	**2**	**2**	**22.22**	**44.5**
		लोहाघाट	**16**	**2.86**	**1**	**0.56**	**6.25**	**19.55**
5	देहरादून	डोईवाला	**433**	**230.76**	**31**	**23.07**	**7.16**	**10**
		रायपुर	**178**	**65.34**	**27**	**5.85**	**15.17**	**8.95**
		सहसपुर	**169**	**60.05**	**28**	**5.26**	**16.57**	**8.76**
		विकासनगर	**103**	**51.17**	**19**	**3.93**	**18.45**	**7.68**
6	हरिद्वार	बहादराबाद	**194**	**133.92**	**92**	**64.12**	**47.42**	**47.88**
		भगवानपुर	**239**	**74.34**	**22**	**9.83**	**9.21**	**13.22**
		खानपुर	**10**	**6.82**	**4**	**5.82**	**40**	**85.34**
		लक्सर	**30**	**21.18**	**8**	**10.26**	**26.67**	**48.45**
		नारसन	**81**	**70.76**	**30**	**18.23**	**37.04**	**25.76**
		रूरकी	**33**	**70.84**	**14**	**23.04**	**42.42**	**32.52**
7	नैनीताल	बेतालघाट	**68**	**27.75**	**3**	**0.08**	**4.41**	**0.29**
		भीमताल	**85**	**33.91**	**7**	**3.53**	**8.24**	**10.41**
		धारी	**13**	**3.41**	**0**	**0**	**0**	**0**
		हल्द्वानी	**303**	**150.87**	**192**	**81.85**	**63.37**	**54.25**
		कोटाबाग	**104**	**38.43**	**6**	**0.82**	**5.77**	**2.13**
		ओखलकांडा	**8**	**1.25**	**0**	**0**	**0**	**0**
		रामगढ	**6**	**2.84**	**0**	**0**	**0**	**0**
		रामनगर	**148**	**129.52**	**3**	**0.97**	**2.03**	**0.75**

8	पौड़ी	दुग्गडा	**292**	**119.72**	**7**	**3.3**	**2.4**	**2.76**
		द्वारीखाल	**3**	**0.01**	**0**	**0**	**0**	**0**
		एकेश्वर	**11**	**1.22**	**0**	**0**	**0**	**0**
		कल्जीखाल	**3**	**0.23**	**2**	**0.15**	**66.67**	**66.49**
		खिर्सू	**8**	**0.76**	**0**	**0**	**0**	**0**
		कोट	**6**	**1.44**	**0**	**0**	**0**	**0**
		पाबौ	**39**	**13.37**	**0**	**0**	**0**	**0**
		पौड़ी	**31**	**4.62**	**2**	**0.14**	**6.45**	**3.03**
		पोखरा	**14**	**1.97**	**0**	**0**	**0**	**0**
		थालीसैन	**52**	**9.72**	**2**	**1.3**	**3.85**	**13.37**
		यमकेश्वर	**213**	**21.26**	**0**	**0**	**0**	**0**
		जहरी खाल	**43**	**17.73**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	पिथौरागढ़	बेरीनाग	**18**	**5.15**	**2**	**2.05**	**11.11**	**39.81**
		धारचूला	**141**	**22.4**	**7**	**2.29**	**4.96**	**10.23**
		गंगोलीहाट	**17**	**8.07**	**2**	**3.84**	**11.76**	**47.57**
		मुनस्यारी	**253**	**81.66**	**2**	**0.02**	**0.79**	**0.02**
10	रुद्रप्रयाग	उखीमठ	**139**	**70.78**	**2**	**0.36**	**1.44**	**0.51**
11	टिहरी	देवप्रयाग	**11**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
		नरेन्द्रनगर	**10**	**2.61**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	यू.एस. नगर	बाजपुर	**19**	**15.89**	**5**	**3.73**	**26.32**	**23.48**
		गदरपुर	**63**	**39.56**	**11**	**8.58**	**17.46**	**21.69**
		जसपुर	**12**	**4.75**	**4**	**1.3**	**33.33**	**27.37**
		काशीपुर	**374**	**215.7**	**260**	**132.12**	**69.52**	**61.25**
		खटीमा	**89**	**70.27**	**10**	**33.01**	**11.24**	**46.97**
		रुद्रपुर	**66**	**38.21**	**6**	**3.55**	**9.09**	**9.29**
		सितारगंज	**129**	**75.5**	**9**	**11.08**	**6.98**	**14.68**
13	उत्तरकाशी	चिन्यलिसौर	**27**	**3.62**	**5**	**1.83**	**18.52**	**50.61**
		डुंडा	**58**	**7.33**	**5**	**1.22**	**8.62**	**16.65**
कुल			5316	2360.65	904	484.18	17.01	20.51

तालिका 3.21 स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.

एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत 60 गहन ब्लॉकों में कुल बकाया राशि 2360.65 (लाख)है, जिसमें कुल 17.01% खाते एन.पी.ए.है। एन.पी.ए.राशि का सर्वाधिक प्रतिशत खानपुर (हरिद्वार): 85.34%, कल्जीखाल (पौड़ी) – 66.49%, काशीपुर (उधमसिंह नगर): 61.25%, हल्द्वानी (नैनीताल): 54.25%, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी): 50.61%, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) 47.57%, खटीमा (उधमसिंह नगर): 46.97% और चम्पावत (चम्पावत)–44.5% में है। एन.पी.ए.वाले कुछ ब्लॉक ताकुला (अल्मोड़ा), गैरसैंण (चमोली), धारी (नैनीताल), रामगढ़ (नैनीताल), ओखलकांडा (नैनीताल), यमके"वर (पौड़ी), जयहरीखाल (पौड़ी) और नरेंद्र नगर (टिहरी) हैं।

मुनस्यारी (पिथौरागढ़) का ऋण के रूप में 8.66 (लाख) रूपए पर 0.02% का एन.पी.ए.है, जो ऋण लौटाने की अच्छी क्षमता का संकेत देता है।

3.3.9 निम्नलिखित तालिका में एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत गठित निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह को दिखाया गया है (मार्च 2019 तक)

जिले का नाम	ब्लॉक	स्वयं सहायता समूहकी संख्या
अल्मोड़ा	भैसियाछाना	24
	भिक्यासैंण	31
	चौखुटिया	22
	धौलादेवी	35
	द्वाराहाट	71
	हवालबाग	57
	लमगड़ा	60
	सल्ट	45
	स्याल्दे	14
	ताकुला	15
	ताड़ीखेत	9
बागेश्वर	बागेश्वर	134
	गरुड़	3
	कपकोट	73
चमोली	दशोली	8
	देवल	2
	गैरसैण	32
	घाट	1
	जोशीमठ	12
	कर्णप्रयाग	33
	नारायणबगड़	3
	थराली	14
चम्पावत	चम्पावत	118
	लोहाघाट	57
देहरादून	चकराता	73
	डोईवाला	135
	कालसी	70
	रायपुर	11
	सहसपुर	73
	विकासनगर	8

हरिद्वार	भगवानपुर	82
	लक्सर	40
	रुड़की	6
नैनीताल	बेतालघाट	12
	भीमताल	45
	धारी	44
	हल्द्वानी	235
	कोटाबाग	27
	ओखलकांडा	30
	रामगढ	31
	रामनगर	102
पौड़ी गढ़वाल	दुगड्डा	32
	कल्जीखाल	3
	खिर्सू	12
	कोट	22
	नैनीडांडा	4
	पौड़ी	145
	थलीसैण	2
	यमकेश्वर	28
पिथौरागढ़	बेरीनाग	45
	धारचूला	3
	डीडीहाट	21
	गंगोलीहाट	40
	कनालीछीना	49
	मुनाकोट	43
	मुनस्यारी	56
	पिथौरागढ़	28
रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	230
	जखोली	220
	ऊखीमठ	228
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	72
	चंबा	55
	देवप्रयाग	56
	जखणीधार	88
	जौनपुर	104

	कीर्ति नगर	51
	नरेंद्र नगर	146
	प्रताप नगर	42
	थौलधार	172
उधम सिंह नगर	बाजपुर	1
	गदरपुर	3
	जसपुर	16
	खटीमा	29
उत्तरकाशी	चिन्यालोसौड़	24
	डुंडा	85

तालिका 3.22 (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

जिला रुद्रप्रयाग में 714 सक्रिय स्वयं सहायता समूह के मुकाबले 678 निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह के साथ अधिकतम संख्या में स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हैं, लगभग 50% स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हो गए हैं। इसी तरह टिहरी के लिए 786 निष्क्रिय है जबकि 1347 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। केवल 49 निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह और 3734 सक्रिय स्वयं सहायता समूह के साथ यह संख्या ऊधम सिंह नगर के लिए सबसे कम है।

गठित किए गए स्वयं सहायता समूह की उचित निगरानी और समीक्षा आवश्यक है। समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जरूरत आधारित और क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण की समझ विकसित की जानी चाहिए।

3.3.10 गठन के वर्ष के संदर्भ में निष्क्रिय एस.एच.जी.:

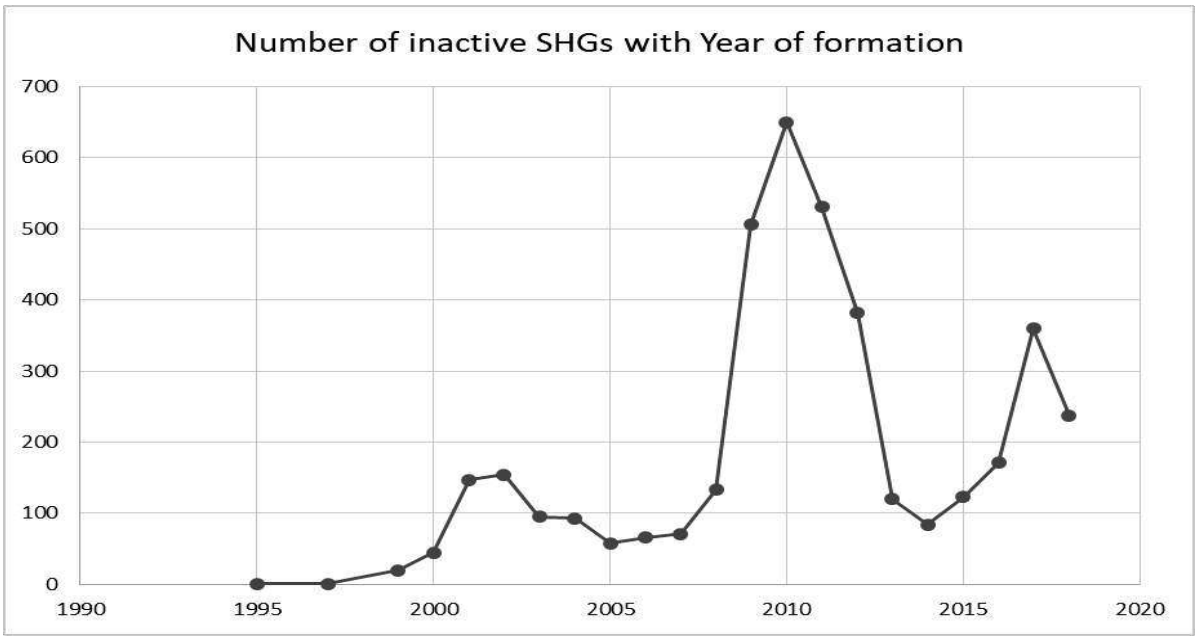

चित्र 3.8 (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

ऊपर दिया गया ग्राफ स्वयं सहायता समूह की संख्या (गठन वर्ष के साथ) दर्शाता है जो अपने गठन के वर्ष में ही निष्क्रिय हो गए। वर्ष 2010 में गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए यह संख्या सबसे अधिक है। वर्ष (2009) और उससे पहले (2011 और 2012) वर्ष के लिए भी यह संख्या अधिक है। यह वर्ष 2017 में फिर से अधिक दिखाई देता है। यह ग्राफ दर्शाता है कि अधिकतम स्वयं सहायता समूह जो निष्क्रिय हो गए हैं उनका गठन इन 5 वर्षों के दौरान किया गया था।

कठिन इलाके और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे इनके कार्यान्वयन से संबंधित कुछ कमियाँ हैं। इसलिए, अधिक संयोजन की आवश्यकता है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा), आई.सी.डी.एस., मिड डे मिल योजना, कृषि और संबद्ध विभागों की योजनाएँ, वन विभाग लक्षित समूह के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के डी. ए.वाई. एन.आर.एल.एम. के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3.3.11 यू.एस.आर.एल.एम. में कर्मचारी की स्थिती

स्तर	आवश्यक	स्थिति में	भरा गया %	रिक्त स्थान	टिप्पणियां
एस.एम.एम.यू.	21	18	85	04	यू.एन.डी.पी. से 01 चयनित और 01 कर्मचारी शामिल हुए
डी.एम.एम.यू.	39	34	87	07	यू.एन.डी.पी. से 06 चयनित और 06 कर्मचारी शामिल हुए
बी.एम.एम.य.	220	210	95	10	यू.एन.डी.पी. से 31 चयनित और 31 कर्मचारी शामिल हुए
कुल	280	262	93.5	21	यू.एन.डी.पी. द्वारा 21 व्यक्तियों को भर्ती किया जाएगा

तालिका 3.23 (स्रोतः यू.एस.आर.एल.एम.)

3.4 आई.एफ.ए.डी.–आई.एल.एस.पी.

3.4.1 आई.एल.एस.पी. के अंतर्गत आयोजित गतिविधियाँ :

किसान मेला : "संकल्प से सिद्धि" (स्रोतः ilsp.in)

वर्ष 2017–18 के दौरान जिला प्रशासन और कृषि विभाग के समन्वय से प्रत्येक जिले में किसान मेलों का आयोजन किया गया। मेलों का विषय "बेहतर आजीविका सुरक्षा और किसानों की आय सुनिश्चित करना" था।

इसका मुख्य उद्देश्य था –

1) किसानों, उद्यमियों, विकासात्मक विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के बीच माध्यमिक कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता, महत्व, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

2) विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों / तकनीकों / नवाचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान का अवसर प्रदान करना।

प्रत्येक मेले में 2500 से अधिक किसान भाग लेते हैं और विभिन्न अच्छी कृषि पद्धतियों, नवीन साधनों और तकनीकी जानकारियों, समाधानों से लाभान्वित होते हैं। मेला के दौरान ज्ञान प्रदान किया जाने

वाला विनिमय मंच उपलब्ध कराया जाता है, जहां किसान और विशेषज्ञ अपने अनुभव / विचार साझा करते हैं। कृषि – बागवानी विश्वविद्यालय, कृषि, बागवानी, सेरीकल्चर, मत्स्य पालन, पशु चिकित्सा और पशुपालन, उद्योग विभाग, केवीके, उरेडा, आपदा विभाग, स्वास्थ्य, जलागम, स्वजल, दिवस–डी.ए.वाई.– एन. आर.एल.एम., आंचल, जैविक बोर्ड और डी.आर.डी.आ. जैसे रेखीय विभाग प्रत्येक किसान मेले में प्रतिभाग करते हैं ।

बाजार तक पहुंचः "बाजार तक पहुंच में सुधार करने के लिए, कृषि उपज के अपव्यय को कम करना, अर्थात आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किसान की उपज का सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग, क्लस्टर स्तर पर विपणन ।"

निम्नलिखित के माध्यम से इसे बढ़ाया गया है

1. संग्रह केंद्र (सी.सी.)

2. छोटा संग्रह केंद्र (एस.सी.सी.)

कुल 43 संग्रह केंद्र और 359 लघु संग्रह केंद्र के साथ क्रमशः 4300 क्विंटल और 718 क्विंटल औसत सामग्री को संग्रहीत किया जा सकता है। प्रति आजीविका सामूहिक औसत आय 20 से 30% है।

43 एल.सी. को सी.सी. के माध्यम से और 100 को एस.सी.सी. के माध्यम से कवर किया गया है। लक्ष्य 130 सीसी और 600 एस.सी.सी. का है।

विपणन सुविधाओं के लिए 1 किसान आउटलेट राज्य स्तर पर, 10 जिला स्तर पर और 111 क्लस्टर स्तर पर कार्य कर रह ह। इसके अलावा 13 हाट बाज़ार (साप्ताहिक) भी कार्य कर रहे हैं।

संयोजन और समर्थन विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया हैः

विभाग	प्रमुख गतिविधियां
बागवानी	बीज, पॉली हाउस, फसल बीमा, क्षमता निर्माण, सीमेंट टैंक, वृक्षारोपण आदि।
कृषि	बीज, कम्पोस्ट पिट, मृदा प्रशिक्षण, ट्रेक्टर, बीज ड्रिल, संचालित वीडर और अन्य उपकरण
ग्राम्य विकास विभाग	कम्पोस्ट पिट, इंदिरा आवास, बकरी शेड, शौचालय और अन्य
पशुपालन	मवेशी बीमा, पशु बीमा, मवेशी टीकाकरण, चारा, दवाएं, क्षमता निर्माण और अन्य
राजस्व	आउटलेट, संग्रह केंद्र, छोटे संग्रह केंद्र, हाट बाजार आदि के लिए भूमि।
अन्य	औषधीय सुगंधित पौधा, पेंशन, सौर ऊर्जा कुकर, स्ट्रीट लाइट आदि।

तालिका 3.24 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

कैरियर परामर्श मेला

इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय बेरोजगारों और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को उनके कौशल के अनुसार साझा करना था। मेलों के अन्य पहलू इस प्रकार हैं

1) पर्वतीय क्षेत्रों से युवाओं के पलायन पर रोक लगाना,

2) स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल प्रदान करना,

3) वेतन–रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करना,

4) कृषि / बागवानी / पशुपालन / पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के आधार पर समूह विकसित करने के लिए कौशल प्रदान करना।

5) **महिला सशक्तिकरणः**– अपने माता–पिता के साथ 17500 से अधिक युवाओं ने मेले में भाग लिया। दूसरी तरफ, सभी सूचीबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण एजेंसियों ने व्यापार, प्रशिक्षण तंत्र, प्लेसमेंट के विकल्प, नौकरी के विवरण, वेतन सीमा और लाभों से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध कराएं। युवाओं और उनके माता–पिता ने सभी एजेंसियों के साथ बातचीत की और विशेष रोजगार की सभी संभावनाओं की समीक्षा के बाद स्वयं को पंजीकृत कराया।

सस्टेनेब्लिटी वर्कशॉप

उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (य़ू.वी.एस.) द्वारा निर्माता समूहों और आजीविका सामूहिकता/संघों की सस्टेनेब्लिटी सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष संस्था (प्रस्तावित) के अंतर्गत "हिलास" नाम से दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विभिन्न संघों/आजीविका समूहों के 222 से अधिक अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए। रेखीय विभाग, बोर्डों और प्रतिभागियों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बुद्धिशीलता सत्र आयोजित किए गए थे।

सेल्फ– सस्टेनेब्लिटी (स्व–स्थिरता) के लिए आगे का मार्गः– उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (यू. जी.वी.एस.) द्वारा 09 से 10 जनवरी, 2015 को फेडरशन और प्रोड्यूसर ग्रुप्स (पी.जी.) / एस.एच.डी. द्वारा किए जा रहे विचारों और सीखे गए बातों के परस्पर विनिमय के लिए आई.एफ.ए.डी. की एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना (आई.एल.एस.पी.) के अंतर्गत दो दिवसीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों के 220 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिन्हें आई.एल.एस.पी. के अंतर्गत कवर किया गया, जिसमें 65 संघ, पंचायती राज संस्थान, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक समूह के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य एजेंडा विभिन्न हितधारकों खासकर ग्रामीण समुदाय और संस्थानों को अपनी आजीविका से जुड़े यात्रा का अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक साझा मंच पर लाना था। इन सामुदायिक संस्थानों के लिए व्यवसायों के नए अवसरों के बारे में सूचित करने में बाहरी भागीदार का महत्वपूर्ण योगदान था। कार्यक्रम के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी ने हितधारकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और बेहतर दृश्यता हासिल करने में सक्षम बनाया।

3.4.2 परियोजना का कवरेज

परियोजना (आई.एल.एस.पी.) को तीन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यूजीवीएस, पी.एस.–डब्ल्यू. एम.डी. और यू.पी.ए.एस.ए.सी. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, परियोजना ने 3,507 गांवों (जिनमें 980 गांव, 3,607 स्वयं सहायता समूह और यू.एल.आई.पी.एच. परियोजना से 35,377 हाउस होल्ड शामिल हैं) में प्रत्यक्ष रूप से 13,017 समूहों के 121,049 हाउस होल्ड का समर्थन किया है। कुल 237

आजीविका संग्रह (एल.सी.)/ फेडरेशन की स्थापना और स्व–विश्वसनीय सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए ह। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित 10,000 में से 7,043 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 5,428 अतिरिक्त युवाआ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घटक 2 के अधीन, परियोजना 190 ग्राम पंचायतों के 70194 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 22 माइक्रो वाटरशेड के निर्माण पर काम कर रही है। परियोजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं (वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2017–18):

घटक 1 – खाद्य सुरक्षा और आजीविका में वृद्धि

- सिंचाई अवसंरचना विकास और भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के अंतर्गत 2344 संख्या में एल.डी.पी.ई. टैंक का निर्माण किया गया है
- 205 हेक्टेयर क्षेत्र को चारे की खेती के अंतर्गत, 250 हेक्टेयर परती भूमि के उपयोग के अंतर्गत और 376 हेक्टेयर क्षेत्र को श्रृंखलाबद्ध बाड़ के माध्यम से संरक्षित किया गया है।
- 32 (निर्मित) में से 30 संग्रह केंद्रों का संचालन किया जाता है और वे कृषि उपज का संग्रहण कर रहे हैं; इसके अतिरिक्त 50 और निर्माण चरणों में हैं।
- 331 छोटे संग्रह केंद्रों का निर्माण किया गया है और 200 अन्य निमाण चरणों में हैं।
- हिलास ब्रांड के अंतर्गत 12 किसान आउटलेट खोले जा रहे हैं जो 8 जिलों में कार्य कर रहे हैं और औसतन 1079 रुपये प्रति दिन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- कृषि विभाग के सहयोग से, कृषि म"ाीनीकरण योजना पर सभी मिशन के अंतर्गत आजीविका संग्रह (एल.सी.)के लिए 136 फार्म मशीनरी बैंकों को मंजूरी दी गई हैं।
- विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों / प्रौद्योगिकियों / नवाचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान का अवसर था, प्रत्येक जिले में आयोजित 9 किसान मेले में 18000 परिवारों ने भाग लिया।
- 17500 युवाओं मे से 4000 को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर आयोजित 20 करियर काउंसलिंग मेलों को आयोजित करके के लिए चुना गया।

घटक 2 – सहभागी वॉटरशेड प्रबंधन

- उत्पादक समूहों में 15147 किसान शामिल है।
- 44453 घन मीटर छतों की मरम्मत / वनस्पति क्षेत्र की सीमा;
- 478.692 हे होमस्टेड वृक्षारोपण, 60.5 हेक्टेयर बाग विकास
- 310 पॉली हाउस, 278 पॉली टनल और 1096 चारागाह विकसित किए गए हैं।
- 4530 रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 30 ग्राम तालाब, 43.548 किलोमीटर सिंचाई चैनल।
- 280 छोटे पुल (5 मिलियन टन क्षमता वाले स्पैन तक) का निर्माण किया गया।

घटक 3 – आजीविका वित्तपोषण

- रू.219.00 लाख का 128 टर्म लोन
- रू.272.18 लाख की 406 नकद क्रेडिट सीमा

- रू.2213 किशन क्रेडिट कार्ड 1016.24 लाख

3.4.3 खाद्य सुरक्षा और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना

क्र.सं	गतिविधि	इकाई	2016–17 तक उपलब्धि	2017–18 उपलब्धि	31 मार्च 2018 तक कुल उपलब्धि
1.	ग्राम पंचायत की संख्या जिसमें उत्पादक समूह बनाए गया है	सं.	190	190	190
2.	बनाएं गए उत्पादक समूहों की संख्या	सं.	1462	149	1611
3.	उत्पादक समूहों में किसानों की संख्या ए– पुरुष बी– महिला	सं.	13908 5644 8364	1239 268 971	15147 5912 9235

तालिका 3.25 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

3.4.4 बाजार तक पहुँच

क्र.सं	गतिविधि	इकाई	2016–17 तक उपलब्धि	2017–18 उपलब्धि	31 मार्च 2018 तक कुल उपलब्धि
1.	गठित आजीविका संग्रहों की संख्या	सं.	4	26	30
2.	दर्ज की गई एलसी की संख्या	सं.	4	22	26
3.	एल.सी. में ग्राम पंचायतों (जी.पी.) की संख्या	सं.	25	165	190
4.	एल.सी. में सदस्यों की संख्या पुरुष महिला	सं.	941 690 251	12030 5142 6888	12971 5832 7139
5.	अपने हिस्से की धनराशि जमा करने वाले सदस्यों की संख्या	सं.	857	3486	4343
6.	तैयार की गई कृषि व्यवसाय योजना की संख्या	सं.	0	10	10
7.	लागू की गई कृषि व्यवसाय योजना की संख्या	सं.	0	1	1

तालिका 3.26 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

31 मार्च 2018 तक तैयार किए गए 10 कृषि व्यवसाय योजनाओं में से केवल एक को लागू किया गया है।

3.4.5 परियोजना पहल से भूमि क्षेत्र की स्थिति (हेक्टर)

विवरण	कुल क्षेत्र (हेक्टर)
कुल भूमि का क्षेत्र	9289.0
कुल खेती करने योग्य भूमि का क्षेत्र	3573.05
परियोजना की पहल के माध्यम से भूमि क्षेत्र में वृद्धि	3032.09
कुल खेती करने योग्य भूमि का क्षेत्र	6605.14

तालिका 3.27 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

नीचे दी गई विभिन्न पहलों के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में खेती करने योग्य भूमि लगभग दोगुनी हो गई है:

3.4.6 परियोजना की पहल से भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर)में वृद्धि

गतिविधि का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टर) में बढ़ोतरी
एल.डी.पी.ई. टैंक द्वारा सिंचित क्षेत्र	234.56
फसल बोया हुआ क्षेत्र	2132.09
फसल के विविध क्षेत्र	696.54
कुल खेती करने योग्य भूमि का क्षेत्र	3032.09

3.4.7 परियोजना गतिविधियों के बाद रोजगार और आय

विवरण	गतिविधि	न्यूनतम वित्तीय सहायता	रोजगार	औसत आय
उत्पादक समूह (पी.जी.) / कमजोर उत्पादक समूह (वी.पी.जी.)	खाद्य सुरक्षा सुधार योजना (एफ.एस.आई.पी.)	प्रति सदस्य 33600 रुपये, प्रति वी.पी.जी.सदस्य अतिरिक्त 1600 रुपये	(एफ.एस.आई.पी.) (स्वरोजगार) के अधीन गतिविधियों में शामिल न्यूनतम 1 व्यक्ति	बेसलाइन पर 218 रुपये / हाउस होल्ड / दिन, 425 रुपये / हाउस होल्ड / दिन वर्तमान
आजीविका सामूहिक (एल.सी.)	एग्री–बिजनेस अप स्केलिंग प्लान (ए.य.पी.)	रुपये 3600 प्रति शेयरहोल्डर, ए.यू.पी. के लिए 3.6 लाख रुपये	3 कार्यालय के कर्मचारी, शेयरधारक व्यवसाय और अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं	12.97 करोड़ रुपये का कारोबार
व्यावसायिक प्रशिक्षण	कौशल विकास प्रशिक्षण प्रशिक्षण	प्रशिक्षण प्लेसमेंट	2597 युवा	रुपये 8000– रुपये 20000

तालिका 3.28 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

परियोजना में कार्य और कार्यों का प्रभाव (31.03.2019 तक) (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

A. सूक्ष्म सिंचाई

- 1966 एल.डी.पी.ई. टैंक का निर्माण – 1593 निर्माता समूहों के साथ 13987 हाउस होल्ड को लाभ हुआ
- सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किया गया – 234.56 हेक्टेयर

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	निर्मित टैंको की संख्या	वृद्धि की गई क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लाभान्वित पीजी की संख्या	लाभान्वित हाउस होल्ड की संख्या
1.	2014-15	2	0.22	1	13
2.	2015-16	412	39.30	328	2610
3.	2016-17	668	67.88	555	4275
4.	2017-18	884	127.16	787	7079
	कुल	1966	234.56	1593	13987

तालिका 3.29 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

- एल.डी.पी.ई. टैंक से फसल क्षेत्र का विस्तार

क्र.सं	वृद्धि की गई क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मूल्य श्रृंखला	फसल का नाम
1.	97.50	मसाले	मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज
2.	95.71	सब्जियां	आलू, मटर, गोभी, टमाटर और अरबी
3.	30.15	पत्तीदार सब्जियां	राई, मेथी, पालक, और कुकुरबिट्स
3.	11.20	बीज उत्पादन	धान, मंडुआ, मटर, लहसुन और प्याज
	234.56	**कुल**	

तालिका 3.30 (स्रोतः आई.एल.एस.पी.)

- गरूड, बागे"वर में 10 वॉटर लिफ्टिंग पंप – 84 हाउस होल्ड के साथ 10 उत्पादक समूहों ने नकदी फसल उत्पादन शुरू किया
- 27 एल.डी.पी.ई. टैंक मछली की खेती – बागेश्वर में टैंकों से अतिरिक्त आय के लिए सामान्य फसल।

B. मूल्य श्रृंखला आधारित गतिविधियाँ

- मूल्य श्रृंखला आधारित समूह विकास और उसके अनुसार मूल्य श्रृंखला गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- निर्माता समूहों और कमजोर उत्पादक समूहों द्वारा 5 मूल्य श्रृंखलाएं लागू की जा रही हैं
- प्राथमिक गतिविधियों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं की स्थिति

क्र.सं	मूल्य श्रृंखला का नाम	समूह	गाँव	हाउस होल्ड	हेक्टेयर में क्षेत्र	1000 किलोग्राम / सीजन में पहला उत्पादन	1000 किग्रा / सीजन में बाजार में बेचने योग्य मात्रा	पहला उत्पादन लाख / सीज़न में
1	मसाले	1782	941	15747	473.2	2403.8	2219.44	1033.31
2	दलहन	589	290	5607	479.97	566.64	335.63	279.88
3	आ.एस.वी.	1322	593	12422	674.52	6700	5466.83	867.2
4	पारंपरिक फसलें	630	356	5284	245.61	524.56	254.03	37.95
5	पशुधन	1415	618	11874		3772.33	2514.11	811.81
	कुल	5738	2798	50934	2130.7	13967.33	10790.04	3030.15

तालिका 3.31 स्रोत– प्रोजेक्ट एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण

C. फसल विविधीकरण– परंपरागत फसलों से लेकर नकदी फसलों तक – अनाज, मसालों से लेकर सब्जी, मसालों और तुलसी तक फसल विविधीकरण के कारण नकदी फसल के अंतर्गत कुल 696. 54 हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि की गई।

क्र.सं	फसल का नाम	किस्म	कवर किए गए समूहों की संख्या	कवर किए गए हाउस होल्ड की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
		नाम			
1	टमाटर, मटर, लहसुन, क्विनोआ, प्याज आदि के बीज का उत्पादन	टमाटर– वी.एल. टमाटर मटर– अर्कले लहसुन– वी.एल. लहसुन और पार्वती प्याज – वी.एल. पियाज़	10	100	10
2	अदरक की खेती	रियो डे जेनेरो, हिमगिरी और स्थानीय	607	3372	105.65
3	आलू की खेती	कुफरी ज्योति	294	2584	132.38
4	मिर्च की खेती –लखोरी	लखोरी	211	1650	59.96
5	प्याज की खेती	वी.एल. प्याज	53	438	12.14
6	लहसुन की खेती	वी.एल. लहसुन, पार्वती, जमुना सफ़ेद	142	1076	53.65
7	मटर की खेती	जीएस –10, आजाद मटर	358	3046	171.14

8	तुलसी की खेती	***ओसिमम वेसिलिकम (ओबी–15), ओसिमम कैनम ओसी –11–***	8	100	2
9	टमाटर की खेती	हिमसोना, नवीन,	88	1137	29.1
10	मिर्च की खेती	पंत मिर्च, स्थानीय	67	676	39.48
11	अरबी की खेती	पारंपरिक स्थानीय	66	699	25.58
12	मसूर की खेती	वी.एल.–दाल	32	330	14.92
13	शिमला मिर्च की खेती	महाभारत, तनवी	16	142	3.96
14	गोभी की खेती	वरुण, प्राइड ऑफ इंडिया	36	241	32.58
15	बडी इलायची	स्थानीय चयन / एच.आर.डी. आ.ई.	20	195	4
	कुल		**2008**	**15786**	**696.54**

तालिका 3.32 स्रोत– प्रोजेक्ट एम.आई.एस. आंकड़ों का आई.एल.एस.पी.

D. वैज्ञानिक खेती के तरीकों को प्रोत्साहन दिया गया बीज प्रतिस्थापन, बीज उपचार, लाइन बुवाई, कार्य करने के तरीके, जीवनोपयोगी सिंचाई, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन, पौधों की सुरक्षा किट का उपयोग, लाइट ट्रैप्स, कटाई के बाद के प्रबंधन अभ्यास (ग्रेडिंग, छंटाई, सफाई, पैकेजिंग और मूल्य संवधन आदि)।

- परियोजना कार्यों के माध्यम से स्पाइस मूल्य श्रृंखला में औसत रू.9287.00 की आय / हाउस होल्ड / सीजन / वर्ष की सूचना दी गई
- परियोजना कार्यों के माध्यम से ऑफ सीजन सब्जी मूल्य श्रृंखला में औसत रू.6999.00 की आय / हाउस होल्ड / सीजन / वर्ष की सूचना दी गई
- परियोजना कार्यों के माध्यम से दलहन मूल्य श्रृंखला में औसत रू.5646.00 की आय/ हाउस होल्ड / सीजन / वर्ष की सूचना दी गई
- परियोजना कार्यों के माध्यम से पारंपरिक फसलों के मूल्य श्रृंखला में औसत रू.1027.00 की आय / हाउस होल्ड / सीजन / वर्ष की सूचना दी गई
- मूल्य श्रृंखला–वार फसल से आय का विवरण :–

क्र.सं	नाम	गतिविधि	कवर की गई पी.जी.	कवर किए गए हाउस होल्ड की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर)	औसत नली / हाउस होल्ड	औसत आय
							रूपए/हाउस होल्ड / मौसम/ वर्ष
1	ओ.एस.वी.	औसत					6999
		आलू	594	5266	292.14	2.7	6567
		मटर	399	3952	260.03	3.28	6617
		टमाटर	102	1105	36.65	1.65	7984
		गोभी	121	1064	48.76	2.29	9970
2	मसालें	औसत					9287
		मिर्च	581	5313	228.95	2.15	8442
		लहसुन	161	1207	56.29	2.33	6211
		अदरक	515	4534	164.52	1.8	10913
		हल्दी	266	2236	109.44	2.44	10461
		प्याज	88	745	20.07	1.35	3410
		धनिया	13	119	3.03	1.25	3136
3	दाल	औसत					5646
		गहत	55	522	67.06	6.42	10376
		मसूर	49	454	20.82	2.29	1212
		राजमा	272	2803	312.46	5.57	6874
		सोयाबीन	176	1443	58.37	2.02	1791
		उड़द	10	103	11.26	5.46	10010
4	पारंपरिक फसलें	औसत					1027
		मडुआ	224	1845	73.36	1.98	979
		चोलाई	94	784	51.78	3.3	1165
		मक्का	30	297	17.52	2.94	1371

तालिका 3.33 स्रोत– परियोजना एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण

E. विभिन्न उप–परियोजनाओं के अंतर्गत बीज उत्पादन की पहल

- लहसुन – 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 15 समूह के सदस्यों के साथ अल्मोड़ा में लहसुन की किस्म पार्वती और जमुना सफ़ेद के बीज का उत्पादन
- प्याज किस्म वीएल प्याज –3, लगभग 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 समूह सदस्यों के साथ अल्मोड़ा में बीज का उत्पादन।
- प्याज – थराली क्षेत्र में 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 55 समूह सदस्यों के साथ चमोली में पारंपरिक पहाड़ी किस्म के बीज का उत्पादन।
- के.वी.के. पंतनगर, कृषि विभाग (ए.टी.एम.ए.) और यू.एस. – टी.डी.सी. के तकनीकी समर्थन के माध्यम से पिथौरागढ़ में 500 समूह सदस्यों के साथ 10.0 हेक्टेयर क्षेत्रों में रागी और पहाड़ी धान के बीज का उत्पादन।

क्र. सं	फसल का नाम और किस्म	हेक्टेयर में क्षेत्र	कवर किए गए पी.जी.	कवर किया गया हाउस होल्ड	कवर किया गया गाँव
1.	रागी – वी.एल.एम. –324	5.0	16	117	7
2.	धान	5.0	28	143	7

तालिका 3.34 स्रोत– प्रोजेक्ट एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण

F. किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करने के लिए नवीन गतिविधियाँ

- चकराता, देहरादून में हल्दी की लोंग्डर्मा किस्म के 80.0किलोग्राम बीज का उत्पादन
- चार जिलों में 1.5 हेक्टयर में हल्दी की प्रगति किस्म का 15 क्विंटल का उत्पादन (6% से अधिक करक्यूमिन सामग्री) का उत्पादन – चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी।
- दाल– अरहर किस्म – गरूड़ के लमचुना गाँव में 52 समूह सदस्यों के साथ 1.0 हेक्टेयर में वीएल अरहर –1 का उत्पादन।
- नकद फसल– 40 समूह सदस्यों के साथ 2.0 हेक्टयर क्षेत्रों में सब्जी का उत्पादन
- उत्तरका"ाी के भटवारी के रायथल गाँव में 165 समूह सदस्यों के साथ 10.0 हेक्टयर क्षेत्र में मटर का उत्पादन, प्रत्येक सदस्य ने मटर से औसत रू.35,000.00 से रू.50,000.00 की आय सृजित की।
- पिथौरागढ़ में के.वी.के. के तकनीकी समर्थन के माध्यम से 11.5 हेक्टेयर क्षेत्रों में 1350 समूह सदस्यों के साथ सब्जियों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत की गई
- चमोली में 100 महिला किसानों ने 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र में तुलसी का उत्पादन किया
- गरूड़ बागेश्वर में 2 चावल विक्रेता संयंत्र की स्थापना – अन्नपूर्णा और बैजनाथ एस.आर.सी. / फेडरेशन – 300 क्विंटल धान की खरीद की गई और उसे चावल में थ्रेश किया गया।
- जनपद अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में जंगली जानवरों को भगाने के लिए एक्सगार्ड का प्रदर्शन संतोषजनक था
- थराली, चमोली और गरूड़, बागे"वर और भिकियासैंण, अल्मोड़ा में – सामुदायिक स्वामित्व वाले गतिविधियों क माध्यम से एकीकृत बीमारो और कीट प्रबंधन के लिए पौधों की सुरक्षा के लिए 152 नग प्लांट प्रोटेक्शन किट और लाइट ट्रैप उपलब्ध कराया गया

G. नवाचार उप परियोजना की स्थिति

37 पशु सखी और 4 समूह पशु प्रबंधक के माध्यम से 1200 हाउस होल्ड के कवरेज वाले 40 गांवों में बकरी आधारित आजीविका को प्रोत्साहन प्रदान किया गया

2000 चरवाहा, 1.0 लाख भेड़ और 6 पर्वत केंद्रों की स्थापना के साथ मशीन कतरनी का प्रचार, उपचार शिविरों, टीकाकरण शिविरों, और तम्बू, मशाल और सौर लालटेन प्रदान करना।

- अल्मोड़ा में 500 हाउस होल्ड क साथ वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन
- डेयरी मूल्य श्रृंखला के समर्थन से 64 एकीकृत पशुओं के विकास केंद्र की स्थापना
- एकीकृत दुग्ध परियोजना के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी में 26 दुग्ध संग्रह केंद्र खोले गए
- एकीकृत दुग्ध परियोजना के अंतर्गत 54 पवत केंद्र स्थापित किया गया

H. रेखीय विभागों के साथ संयोजन

- पशु बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित फसल बीमा की योजनाएँ।
- जनशक्ति एसआरसी–अटाला, देहरादून में कस्टम हायरिंग सेंटर
- बायोफर्टिलाइजर्स – पेस्टिसाइड, संघ के बीज एजेंसी, देहरादून
- उत्तराखंड विपणन बोर्ड के माध्यम से बागे"वर से 5.00 रु / किलोग्राम पर 50 क्विंटल गोल ना"ापाती
- वी.पी.के.ए.एस. – के.वी.के., बागे"वर के माध्यम से 1.0 हेक्टेयर अरहर की खेती
- बागे"वर में 1.0 हेक्टेयर तेजपात की खेती
- सेरीकल्चर के माध्यम से बागेशवर में 5.0 हेक्टेयर शहतूत की खेती
- 1.0 हेक्टेयर अखरोट का बागान
- 27 एलडीपीई टैंक – बागे"वर में मछली पालन
- बागे"वर में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) से 2 सीमेंट टैंक
- रुद्रप्रयाग में अजोला की खेती को बढ़ावा देने वाली 13 इकाइयाँ
- पौड़ी – 5.0 हेक्टेयर भूमि पर बिलखेत में फलों का बागान (बंजर / असिंचित)

3.4.9 आई.एल.एस.पी. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण से सीखा गया महत्वपूर्ण लाभ (वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2014–15)

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रा"िक्षण की परियोजना ने सामुदायिक आवश्यकताओं और बाजार की मांग के आधार पर 11 विभिन्न ट्रेडों में लगभग 760 छात्रों को प्रशिस्खित करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। निर्धारित लक्ष्य (760) में से 91% छात्रों का नामांकन पांच परियोजना जिलों यानी अल्मोड़ा (167), बागेश्वर (96), चमोली (68), टिहरी (128) और उत्तरकाशी (150) में किया गया था। महिला आवेदकों की भागीदारी 65% दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2014–15 के समापन तक, 445 छात्रों को प्रशिक्षण और प्रमाणन के पूरा होने के बाद नौकरी देने की सुविधा दी गई थी और इनमें से 234 ने इस अवसर का लाभ उठाया जिसमें 68% महिलाएं शामिल थीं।

- प्रशिक्षण और प्रमाणन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार अपने रूटीन कार्यों में लौटने और अपने मूल स्थान के करीब नौकरी प्राप्त करने वाले हैं।
- मोबिलाइजेशन और चयन प्रक्रिया को अधिक परामर्श आधारित और व्यवस्थित सहयोगात्मक दृष्टिकोण (परियोजना टीम और एजेंसी) क साथ होना निष्पादित किया जाना चाहिए।
- आवासीय मोड में निष्पादित कार्यक्रम गैर–आवासीय कार्यक्रम की तुलना में अधिक सफल रहे।
- यह देखा गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा/संसाधन सुविधाएं राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं। व्यावहारिक रूप से, छात्र (विशेष रूप से लड़कियां) स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण पसंद करती हैं जिसका आयोजन संबंधित एजेंसी द्वारा स्थानीय संसाधनों को भर्ती करते हुए किया जाता है।
- उम्मीदवारों के साथ–साथ उनके माता–पिता की भी काउंसलिंग की जानी चाहिए और चयन के समय दोनों के साथ विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।
- उम्मीदवारों से 25% योगदान प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है क्योंकि कई अन्य कार्यक्रम कुछ अतिरिक्त सहयोग वाले उम्मीदवारों को समान प्रशिक्षण 100% मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण परिवारों के लिए स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता उनके युवाओं खासकर लड़कियों की सुरक्षा और सेफ्टी से संबंधित है;
- लोगों को जुटाने की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए आई.एल.एस.पी. टीम (डी.एम.यू,. टी.ए. और अन्य)को भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, और अनेक चरणों के दौरान प्रशिक्षण छोड़ने की घटनाओं को रोकना भी जरूरी हैंद्य बीच में प्रशिक्षण छोड़ने की घटना में अनेक कारकों जैसे सांस्कृतिक भिन्नता, युवाओं में आत्मविश्वास की कमी और उनके परिवारों में स्थानीय स्तर के तालमेल का अभाव, एजेंसियों को स्थानीय गांवों आदि का ज्ञान नहीं होना, आदि शामिल है।
- व्यापार के लिए संभावित रोजगार की मांग पर अपर्याप्त डेटा आधार जैसे प्रमुख कारणों की वजह से जॉब प्लेसमेंट एक बड़ी चुनौती रही है, और इसके लिए विभिन्न कंपनियों / एजेंसियों के साथ वीटी संस्थानों के संपर्क को बेहतर बनाने और संभावित अवसरों को प्राप्त करने के लिए संरचित बातचीत की आवश्यकता होती है। मौजूदा नौकरी प्लेसमेंट 50प्रति"ात से अधिक था।
- सेक्टर स्किल काउंसिल / एन.एस.डी.सी. / अन्य के साथ संबंध प्रशिक्षण अनुबंधों को प्राप्त करने पर अधिक और आई.एल.एस.पी. के बाद नौकरी प्राप्त करने पर कम ध्यान देता है क्योंकि यह एकमात्र परियोजना है जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए संरचनात्मक रूप से जॉब प्लेसमेंट के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करना एक अनिवार्य पूर्व–शर्त है;
- कुछ प्रमाणन एक समस्या रही है, लेकिन एन.सी.वी.टी. / एन.एस.डी.सो. / अन्य स्वतंत्र निकायों के साथ लिंक करने के लिए अवसर हैं। यह निश्चित नहीं है कि स्वतंत्र निकाय से प्राप्त प्रमाण–पत्र रोजगार और आगे की पढ़ाई / प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए भी मान्यता प्राप्त है
- विशेष रूप से प्रशिक्षण अवधि के दौरान और बाद में ड्रॉप आउट के बड़ी समस्या है। ऐसे कई कारण हैं जैसे कि अरूचि वाले विषय में आगे की पढ़ाई करना, शादी, परिवार को गाँव छोड़ने की

अनुमति न देना (परिवार परामर्श और युवाओं और परिवारों को जुटाने के दौरान अधिक जानकारी की आवश्यकता), वेतन आकर्षक नहीं, अन्य; जिसके कारण यवा प्रशिक्षण को छोड़ देते हैं।

- प्रशिक्षण संस्थानों के पास अनेक क्षेत्रों में कौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने की क्षमता है;
- अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों ने प्रशिक्षण लागत से संबंधित पारिश्रमिक में वृद्धि के बारे में सूचित किया है। यह मुख्य रूप से डी.जी.टी.ई. द्वारा पेश की जा रही उच्च पारिश्रमिक से प्रभावित है, लेकिन साथ ही पोस्ट पायलट चरण में आई.एल.एस.पी. के साथ जाने की इच्छा भी व्यक्त किया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण घटक एक विशाल क्षेत्र है और उम्मीदवारों के साथ–साथ परियोजना के लिए लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्रित प्रयासों की जरूरत है।

3.10 आई.एल.एस.पी. के स्टाफ की स्थिति

क्र. सं	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	भरा गया पद	खाली गया पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	उप परियोजना निदेशक	4	4	0	
2	सहायक निदेशक (परियोजना) / सहायक वन संरक्षक	2	1	1	चम्पावत डिविजन में अनुबंध पर 1
3	कृषि /बागवानी अधिकारी	4	2	2	अनुबंध पर हल्द्वानी में 1, पौड़ी में 1 और चम्पावत में के 1
4	पशुचिकित्सा	2	2	0	
5	अतिरिक्त सांख्यिकीय अधिकारी	3	2	1	अनुबंध पर हल्द्वानी में 1 और पौड़ी में एक है
6	वन क्षेत्र अधिकारी / विषय विशेषज्ञ / यूनिट अधिकारी	12	8	4	
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	0	1	–1	
8	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0	
9	सहायक लेखक	4	0	4	
10	प्रमुख सहायक	2	1	1	
11	उप फोरेंसिक	3	2	1	अनुबंध पर हल्द्वानी में 1 और, पौड़ी में 1 और चम्पावत में 1
12	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	4	3	1	अनुबंध पर हल्द्वानी में 1, चम्पावत में 1 और पौड़ी में एक
13	जूनियर इंजीनियर (कृषि)	2	2	0	अनुबंध पर हल्द्वानी में 1 और चम्पावत में 1

14	सर्वेक्षक	3	2	1	हल्द्वानी में 1 अनुबंध पर 1
15	वरिष्ठ सहायक	4	4	0	
16	कार्टोग्राफ़र	2	2	0	चम्पावत डिविजन में अनुबंध पर 1
17	जूनियर सहायक	4	6	–2	
18	एसवी अधिकारी	9	9	0	अनुबंध पर हल्द्वानी में 3, पौड़ी में 3 और चम्पावत में 3
19	वानिकी / वन दरोगा	9	8	1	अनुबंध पर हल्द्वानी में 2, और चम्पावत में 2
20	पशु प्रसार अधिकारी	12	5	7	अनुबंध पर पौड़ी में 2 और चम्पावत में 1
21	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग –3	10	5	5	
22	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी वर्ग –3	12	8	4	अनुबंध पर पौड़ी में 1 और हल्द्वानी में 3
23	वन रक्षक	11	7	4	अनुबंध पर पौड़ी में 3, हल्द्वानी में 1 और चम्पावत में 1

तालिका 3.35 स्रोत– आइ.एल.एस.पी

12 में से 7 पशु प्रसार अधिकारी के पद रिक्त हैं। 10 में से 5 सहायक कृषि अधिकारी के पद खाली हैं।

आई.एल.एस.पी. (आई.एफ.ए.डी. द्वारा प्रदान किया गये आंकड)

"व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत आजीविका के अवसरों को लेने के लिए ग्रामीण परिवारों को सक्षम करें"

परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य समस्याएं और अंतराल नीचे दिए गए हैं:

- पी.जी. / वी.पी.जी. गठनः विविध कृषि–जलवायु परिस्थितियों और दूर–दूर स्थित भूमि जोत।
- आजीविका संग्रहः परियोजना के अंतर्गत उत्पादन और विपणन के सामूहिक दृष्टिकोण के प्रति उत्पादक संवेदनशील हो रहे हैं। हालांकि, यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में भूमि जोत दूर–दूर स्थित है। संयोजन के माध्यम से फार्म आधारित भंडारण सुविधा की उपलब्धता को बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, ताकि सामूहिक उत्पादन और इसके विपणन से उत्पादकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हो सके।
- व्यवसायिक प्रशिक्षणः वीटीए द्वारा उत्तराखंड में सुदूर स्थानों पर कम वेतन पर प्लेसमेंट की पेशकश की जा रही है। यू.पी.एन.ए.एल., पी.आर.डी. और अन्य सरकार एजेंसी के साथ संयोजन की आवश्यकता है ताकि युवाओं को राज्य में रोजगार मिल सके।

- एल.डी.पी.ई. टैंकः उत्पादकों को उत्पादन के सामूहिक दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा हैं। हालांकि, यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन दिन–प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। संयोजन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन सुविधा का संरक्षण बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सामूहिक उत्पादन में सुधार किया जा सके।

3.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

3.5.1 2018–19 में पूरा किए गए सड़कों की लंबाई और उससे जुड़ी हुई बस्तियों/गाँव/कस्बों का जनपदवार विवरण नीचे दिया गया हैः

जिला	किलोमीटर में पूरी की गई लंबाई	सड़क मार्ग से जुड़ी हुई बस्तियां
अल्मोड़ा	302.137	39
बागेश्वर	148.845	11
चमोली	237.333	23
चम्पावत	79.525	4
देहरादून	95.945	8
हरिद्वार	4.000	0
नैनीताल	75.515	6
पौड़ी	205.144	31
पिथौरागढ़	229.501	24
रुद्रप्रयाग	64.955	7
टिहरी	211.704	24
उधम सिंह नगर	0	0
उत्तरकाशी	101.665	25
कुल	1726.269	202

तालिका 3.36 स्रोतः ओ.एम.एम.ए.एस.

वर्ष 2018–19 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन कुल 202 बस्तियों को 1,756.269 किलोमीटर सड़क निर्माण कर जोड़ा गया था। वर्ष 2017–18 में कुल 2017 आवासों को 1,839.106 की पूर्ण लंबाई के साथ जोड़ा गया था।

उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के बस्तियाँ पूरी तरह से पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन मानदंडों / पात्रता के अनुसार संतृप्त है।

3.5.2 उत्तराखंड में सामुदायिक अनुबंध के अंतर्गत सड़कों का विवरणः

पी.आई.यू.	सड़क का नाम / पुल का नाम	अब तक की पूर्ण की गई सड़क की लंबाई
लोहाघाट	पाटी मेहरोली मोटर रोड	7.06
पोखरी	कोठियाल सैंण सावेरी सैण से नंदप्रयाग देवखल मोटर रोड	4.00
लोहाघाट	रैंगल बेंड मूलाकोट मोटर रोड	8.00
बागे"वर	कन्धार रोल्याणा मोटर रोड	7.00
लोहाघाट	चोमेल वाल्सो मोटर रोड	2.55
कपकोट	चीरबागर पोथिंग मोटर रोड	7.00
चम्पावत	रूसल डूंगरा बोरा चैक सिलकोट	5.00
लोहाघाट	चामेल – वाल्सो मोटर रोड, स्टेज I – II (स्टेज – IIकी मिसिंग लिंक)	1.00
श्रीनगर	मिलाई – कुई. मोटर रोड़ स्टेज– II	2.10
बागे"वर	कफलीगैर – खोलसिर मोटर रोड, स्टेज I – II	7.82
रुद्रप्रयाग	गुलाबराय – तूना मोटर रोड स्टेज II	10.50
सतपुली	किर्खु– पैंग मोटर रोड़ स्टेज– II	7.00
सतपुली	कुंजखाल – कोटा मोटर रोड. स्टेज– II	13.52
कालसी	चकराता–लाखामंडल रोड – लावारी–धतरोटा मोटर रोड, स्टेज– II चकराता–लखामंडल रोड – लावारी–धतरोटा मोटर रोड, स्टेज– II	6.46
कालसी	साहिया–क्वानू मोटर रोड किलोमीटर 19 – मलेथा मोटर रोड, स्टेज– II	7.69
कर्णप्रयाग–1	थराली–डूंगरी – रुईसैंण मोटर रोड–स्टेज II	7.43
नरेंद्र नगर	सौरपानी – चमराड़ा देवी मोटर रोड स्टेज– II	7.80
बैजरो	बेदीखाल – चोरकिन्डा	4.50
कर्णप्रयाग–1	डूंगरी – रतगांव मोटर रोड	6.01
रुद्रप्रयाग	कौल बैंड से स्वर्गीवंश	8.50
बैजरो	साउंडर बेंड – ईठी मोटर रोड	6.61
जखोली	एल 040–तिलवाड़ा टिहरी 6 किमी से कोट लंगा	4.86
कर्णप्रयाग–1	एल 032–सिमली से संकोट	8.38
जखोली	एल 045–रेयरी से अरकुंड	5.75

ज्योलिकोट	अमेल – खोला मोटर रोड	6.00
कीर्ति नगर	नैनीसैण – पथवारा मोटर रोड	12.86
द्वाराहाट	ओ.डी.आर. 36 से झालाहाट तक का एल 032–किलोमीटर 2	4.70
टिहरी –2	एल 022–नागनी से भाटूसैन	4.85
ज्योलिकोट	एल 043–बजरोन से अखोसू	5.80

तालिका 3.37 स्रोत– पी.एम.जी.एस.वाई.

राज्य में कुल 29 सड़कें सामुदायिक अनुबंध के अधीन हैं।

3.5.3 राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) जिलेवार ग्रेडिंग सार रिपोर्ट (2018–19)

एसः संतोषजनक

एस.आर.आई. : संतोषजनक लेकिन सुधार की आवश्यकता है

यूः असंतोषजनक

		पूरा किया गया कार्य					गतिमान कार्य					रख–रखाव का कार्य				
जिला	निरीक्षणों की कुल संख्या	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल
अल्मोड़ा	100	22	2	0	0.00%	24	51	11	5	7.46%	67	4	0	3	42.86%	7
बागेश्वर	32	7	0	0	0.00%	7	13	4	2	10.53%	19	4	0	1	20.00%	5
चमोली	59	10	0	1	9.09%	11	27	8	6	14.63%	41	4	1	2	28.57%	7
चम्पावत	21	4	1	0	0.00%	5	8	1	1	10.00%	10	3	2	1	16.67%	6
देहरादून	13	6	0	0	0.00%	6	5	1	0	0.00%	6	1	0	0	0.00%	1
हरिद्वार	2	2	0	0	0.00%	2	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0
नैनीताल	15	5	0	0	0.00%	5	2	3	1	16.67%	6	0	2	0	0.00%	2
पौड़ी	64	13	0	1	7.14%	14	32	3	5	12.50%	40	5	2	3	30.00%	10
पिथौरागढ़	50	9	1	0	0.00%	10	13	15	2	6.67%	30	9	1	0	0.00%	10
रुद्रप्रयाग	23	8	1	0	0.00%	9	6	0	1	14.29%	7	3	0	2	40.00%	5

टिहरी	50	16	1	0	0.00%	17	26	2	0	0.00%	28	4	0	1	20.00%	5
उत्तरकाशी	23	5	0	0	0.00%	5	7	7	0	0.00%	14	3	0	0	0.00%	3
कुल	**452**	**107**	**6**	**2**	**1.74%**	**115**	**190**	**55**	**23**	**8.58%**	**268**	**40**	**8**	**13**	**21.31%**	**61**

तालिका 3.38 स्रोतः आ.एम.एम.ए.एस.

वर्ष 2018–19 में असंतोषजनक पाए गए कार्यों का प्रति"तें रखरखाव कार्यों के प्रतिशत में सबसे अधिक है। यह राज्य के लिए 21.31% अल्मोड़ा के लिए 42.86% , पिथौरागढ़ के लिए 40% और पौड़ो के लिए 30% है। जारी कार्यों का प्रतिशत संतोषजनक था, लेकिन श्रेणी में 268 कार्यों में से 190 (70.89%) कार्यों में सुधार की आवश्यकता अधिक है

3.5.4 अंतिम पांच वर्ष : 2015–2019

		पूरा किय गय कार्य					गतिमान कार्य					रख–रखाव कार्य				
जिला	निरीक्षणों की कुल संख्या	एस (संतोषजनक)	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल	एस	एस.आर.आई.	यू	यू%	कुल
अल्मोड़ा	336	52	2	0	0.00 %	54	188	15	6	2.87 %	209	39	4	8	15.6 9%	51
बागेश्वर	213	37	0	0	0.00 %	37	91	23	3	2.56 %	117	22	3	10	28.5 7%	35
चमोली	281	43	0	1	2.27 %	44	144	13	7	4.27 %	164	18	1	5	20.8 3%	24
चम्पावत	136	25	1	0	0.00 %	26	66	1	1	1.47 %	68	23	2	1	3.85 %	26
देहरादून	139	26	0	0	0.00 %	26	89	4	0	0.00 %	93	14	3	3	15.0 0%	20
हरिद्वार	37	20	0	0	0.00 %	20	14	0	0	0.00 %	14	0	3	0	0.00 %	3
नैनीताल	108	12	0	0	0.00 %	12	46	5	2	3.77 %	53	26	5	0	0.00 %	31
पौड़ी	280	60	0	1	1.64 %	61	154	8	7	4.14 %	169	36	4	6	13.0 4%	46
पिथौरागढ़	274	46	3	1	2.00 %	50	149	33	4	2.15 %	186	30	2	1	3.03 %	33
रुद्रप्रयाग	175	32	1	0	0.00 %	33	78	3	2	2.41 %	83	20	5	10	28.5 7%	35
टिहरी	275	66	1	0	0.00 %	67	162	2	1	0.61 %	165	41	1	1	2.33 %	43
उधम सिंह नगर	1	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	1	0	0	0.00 %	1
उत्तरकाशी	135	23	0	0	0.00 %	23	72	17	7	7.29 %	96	12	0	1	7.69 %	13
कुल	**2,39 0**	**44 2**	**8**	**3**	**0.66 %**	**453**	**1,25 3**	**124**	**40**	**2.82 %**	**1,41 7**	**282**	**33**	**46**	**12.7 4%**	**361**

तालिका 3.39 स्रोतः आ.एम.एम.ए.एस.

पिछले 5 वर्षों में 12.74% रखरखाव का कार्य असंतोषजनक पाया गया। यदि हम पिछले वर्ष के आंकड़ों (21.13%)को देखें तो यह प्रतिशत अधिक है। रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। प्रयोग न आने वाली गाड़ियों का रखरखाव स्थानीय लोगों द्वारा किया जा सकता हैं जिससे उनमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न होने के साथ–साथ आजीविका का स्रोत भी विकसित हो सकता है। राज्य में नियमित रख–रखाव की गतिविधियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों पर तीव्र बारिश के दौरान भूस्खलन और बह जाने की संभावना होती है और इस अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण की आवश्यकता होती है। रखरखाव करने से सड़क नेटवर्क की बेहतर कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सकेगी और परिसंपत्ति के नुकसान को रोका जा सकेगा।

		नई कनेक्टिविटी (स्वीकृत)		उन्नयन (स्वीकृत)		कुल (स्वीकृत)		नई कनेक्टिविटी (स्वीकृत)		उन्नयन (स्वीकृत)		कुल (स्वीकृत)	
क्र.सं	पहाड़ी राज्य	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई	सड़क की सं.	सड़क की लम्बाई
1	उत्तराखंड												
	कुल	2,264	17,391.147	126	857.626	2,390	18,248.773	1,082	8,207.550	119	735.961	1,201	8,943.511

तालिका 3.40 स्रोतः आ.एम.एम.ए.एस.

3.6 दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू. – जी.क.वाई.) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है और इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य के संदर्भ में, वर्ष 2019 तक 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और ग्रामीण युवाओं को नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

शुरू की गई मुख्य पहलें:

1– सभी 13 जिले के ग्रामीण युवाओं को जुटाना और सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान देते हुए प्रमुख रूप से एसएजीवाई गाँव, रुर्बन क्लस्टर, मिशन अंत्योदय, और पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित किया।

2– कौशल पणजी ऐप में योग्य युवाओं का नामांकन। कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए 22,500 युवाओं ने कौशल पणजी में पंजीकरण कराया है।

3– योजना में युवाओं की जागरूकता और नामांकन के लिए 80+ कौशल मेले का आयोजन किया गया।

4– उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उद्योग के साथ संयोजन,

अब तक यू.एस.आर.एल.एम. को विभिन्न क्षेत्रों में 8000+ प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता थी। संपूर्ण उत्तराखंड में 10 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

3.6.1 उत्तराखंड राज्य में आयोजित प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है (2018–19 तक):

क्र. सं	केंद्र स्थान	पीआईए	टी. सी. क्षमता	व्यापार	कुल वस्तु	प्रशिक्षण के अंतर्गत	प्रशिक्षित उम्मीदवार	की नियुक्ति की गई उम्मीदवार	प्रमुख नियोक्ता	औसत वेतन रू / महीना
1	हरिद्वार	आनंद बुक्स इंटर्नेशनल पी लिमिटेड	194	रसोइया (सामान्य)	306	96	210	72	लाइफ सर्विसेज बद्दी का सोडेक्सो क्वालिटी (एचपी)	9074
									बरबेक–नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, दिल्ली	10000
				जिग–जैग मशीन की कढ़ाई	78	78	0	0	डोमिनोज पिज्जा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उदयपुर) राजस्थान	7614
									सफायर फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यू. एस.नगर (ब्रिटेन)	9727
2	देहरादून	अपोलो मेड स्किल्स लिमिटेड	275	चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन	137	137	0	0	एनए	
				ब्लड बैंक तकनीशियन	102	67	35	0		
				डायलिसिस तकनीशियन	102	67	35	0		
				आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन	35	35	0	0		
3	देहरादून	देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी	35	टैली का उपयोग करते हुए लेखा	70	35	35	17	रेंजर रिजर्व रामनगर (नैनीताल)	9045

				सहायक						
4	पौड़ी गढ़वाल	डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन	35	विक्रेता (खुदरा)	55	20	35	20	आईएसओएन बीपीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देहरादून	8100
5	नैनीताल	खलशा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	60	रसोइया (सामान्य)	93	33	60	20	बर्गर किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यू. एस.नगर)	10130
									सनरेज होटल्स एन रिसॉर्ट्स (i)	8800
6	अल्मोड़ा	मार्ग एर्प लिमिटेड	150	टैली का उपयोग करते हुए लेखा सहायक	118	89	29	19	एन/ए	
				लेखांकन	30	30	0	0		
7	नैनीताल	प्रो माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	105	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन – उन्नत	105	105	0	0	एन/ए	
8	नैनीताल	टीमलीज सर्विसेज लिमिटेड	180	रसोइया (सामान्य)	150	90	60	50	फ़र्न रेजिडेंसी वडोदरा (गुजरात)	11612
									रेडिसन ब्लू प्लाजा (मैसूर)	9045
				औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर	30	30	0	0	निरपेक्ष बरबेकुए प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर)	8100
									7 एलेवेन फूड कोर्ट अंबाला (हरियाणा)	8100

9	पौड़ी गढ़वाल	टेरियर सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	155	बिना हथियार के सुरक्षा गार्ड	205	155	50	12	टेरियर सिक्योरिटी सर्विस, बैंगलोर	18185
									गार्डवेल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून	6750
10	हैदराबाद	विश्व भारती शैक्षिक विकास ट्रस्ट	210	स्टोर संचालन सहायक	210	35	175	105	पीआईए द्वारा सूचित किया जाना बाकी है	
11	पौड़ी गढ़वाल	क्वेस कॉर्प लिमिटेड	217	खाद्य और पेय सेवा प्रबंधक	105	105	0	0	एन/ए	
				सहायक इलेक्ट्रीशियन	105	105	0	0		
			1616		2036	1312	724	315	कुल औसत वेतन	9592

तालिका 3.41 स्रोतः डी.डी.यू. – जी.क.वाय, उत्तराखंड

प्रशिक्षण के बाद नियुक्तियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला औसत वेतन लगभग 9592 रूपए है। डी. डी.यू. – जी.क.वाई. का उद्देश्य सभी प्रशिक्षितों के लिए कम से कम 70% प्लेसमेंट प्राप्त करना है। राज्य में प्रशिक्षित 724 में से कुल 315 को नौकरी प्राप्त हुई जो कि 43.5 प्रतिशत है। यह भी देखा गया है कि अधिकतम प्रशिक्षण हालांकि जिले के भीतर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इससे प्रवासन की गति तेज हुई ह। यह क्षेत्र के भीतर रोजगार की कमी के कारण है। ऊपर दी गई तालिका में दिखाए गए प्लेसमेंट या तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में या राज्य के बाहर हैं। हालांकि युवाओं के स्किलिंग और प्लेसमेंट की अवहेलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसे कौशल की पहचान करने की आवश्यकता है जो प्रवासन की रफ़्तार पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र विशेष / आवश्यकता पर आधारित हैं।

यह योजना संगठित क्षेत्र को लक्षित कर रही है। यह इस क्षेत्र में ही नियुक्ति करता है क्योंकि क्षेत्र में चल रहे अधिकांश व्यवसाय असंगठित हैं। इससे पे–स्लिप्स की अनुपलब्धता और पंजीकृत छात्र पर नज़र रखना कठिन हो जाता है, जो डी.डी.यू. – जी.क.वाई. के अधीन अनिवार्य है।

योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य राज्य सरकार के विभागों के साथ स्थानीय जॉब मार्केट के बाजार की पहचान और उम्मीदवारों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत एलएमआईएस की स्थापना के लिए श्रम और रोजगार विभाग के साथ युवाओं की आकांक्षाओं को समझने के लिए कौशल अंतर का अध्ययन करने के लिए राज्य कौशल मिशन के साथ संयोजन प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जुटाने की जरूरत है।

यह योजना 2016 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका राज्य में उचित कार्यान्वयन फरवरी 2018 में शुरू हुआ था। प्रारंभिक लक्ष्य 2019 तक 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का था। परियोजना देर से कार्यान्वयन के लिए दिए गए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है।

मुख्य अंतराल को विभाग द्वारा इंगित किया गया हैंः

- जिला स्तर पर उद्याग की गैर–उपलब्धता।
- उम्मीदवारों की उच्च महत्वाकांक्षा।
- शहरी क्षेत्रों में कार्यबल की मांग।

योजना के अंतर्गतसहयोग पूरा किया जा रहा है :

- युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए कौशल अंतराल अध्ययन करने के लिए राज्य कौशल मिशन के साथ सहयोग।
- स्थानीय नौकरी बाजार की पहचान के लिए श्रम और रोजगार विभाग के साथ संयोजन और उम्मीदवारों के ट्रैकिंग के लिए केंद्रीकृत एलएमआईएस का निर्माण।
- योजना के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जुटाने के लिए अन्य राज्य स्तरीय सरकारी विभागों के साथ सम्मेलन।

3.6.2 डी.डी.यू. –जी.के.वाय (राज्य प्रदर्शन रिपोर्ट 2017–18 और कार्य योजना 2018–19)

वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के बीच डी.डी.यू. – जी.क.वाय. के अंतर्गत 5000 उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण को पूरा करने के लक्ष्य के सापेक्ष कोई भी उम्मीदवार 28 फरवरी 2018 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सका। डी.डी.यू. – जी.के.वाई. परियोजना के अनुश्रवण और कार्यान्वयन के लिए राज्य द्वारा नामित नोडल एजेंसी उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू.के.एस.आर.एल.एम.) है। परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण हेतु एम.ओ.आर.डी. द्वारा नामित केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. है।

दोनों वर्षों के दौरान प्रदर्शन वास्तव में निराशाजनक रहा है क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को दोनों वित्तीय वर्षो में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। लेकिन एन.आर.एल.एम. के लिए कुल 54.6 करोड़ रुपये का परिव्यय समर्थन मूल्य सहित) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके लिए केंद्र पहले ही राज्य को 17.01 करोड़ जारी कर चुका है।

भौतिक प्रगति की गति अपने आप में बहुत धीमी है क्योंकि 5000 उम्मीदवारों के स्वीकृत लक्ष्य को पूरा करने के लिए 975 उम्मीदवारों को स्वीकृति देने का कार्य शेष है। मानव संसाधन के संदर्भ में, राज्य ने भी योजना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है और 1 सीओओ + 8 विषयगत पदों के सापेक्ष 1 सीओओ और 5 विषयगत स्थान हैं। केंद्र क्षमता उपयोग के संदर्भ में, राज्य ने 10 परियोजना को मंजूरी दी है, हालांकि राज्य द्वारा केवल 105 के साथ 1 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है, जहां केवल 35 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसके कारण केवल 33ः क्षमता का उपयोग हो सका।

आर.एस.ई.टी.आई.ः उत्तराखंड में 13 ग्रामीण राज्य रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) हैं और उनके द्वारा 6610 के लक्ष्य के सापेक्ष 28 फरवरी 2018 तक कुल 6479 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया

है। इन ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वयं कुशल बनने के माध्यम से आत्मनिर्भर उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 28 फरवरी 2018 तक स्वरोजगार में कुल 3599 उम्मीदवार संलग्न हैं, जहां 104 उम्मीदवार वेतन रोजगार से जुड़े हैं।

रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल (नई टिहरी) के दो जिलों में आर.एस.ई.टी.आई. के लिए भूमि आवंटन रूका हुआ है। साथ ही 3 जिलों चमोली (गोपेश्वर), चम्पावत और उत्तरकाशी के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

3.6.3 उत्तराखंड कौशल विकास मिशन

क्र.सं	**पी.एम.क.वी.वाई. 2.0 केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक**			
1	प्रशिक्षण भागीदार (स्थापना के बाद से)	44		
2	प्रशिक्षित (प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा)	12444		
2	प्रशिक्षित (प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा)	12444		
4	प्रशिक्षण केंद्र (क्षेत्रीय वितरण के साथ)	86	47 गढ़वाल	39 कुमाऊं
5	स्थापित	2385		
7	कार्यनीति / कौशल चुनने के आधार पर	एन.एस.डी.सी. कौशल गैप अध्ययन।		
		पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 सी.एस.एम.एम. के अंतर्गत 275 संयुक्त रोल्स कवर किया गया है		

पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 के अधीन कुल 12444 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से केवल 2385 को रखा गया है। कुल प्रशिक्षितों की तुलना में नियुक्ति काफी कम है। इससे पता चलता है कि प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है या यह उम्मीदवार की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

3.6.4 उत्तराखंड में यू.के.एस.डी.एम. के अंतर्गत चल रही ट्रेनिंग नीचे दिया गया है:

वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण 1436						
क्र. सं	**क्षेत्र**	**जिला**	**सेक्टर का नाम**	**भागीदार का नाम**	**केंद्र का नाम**	**कार्य की भूमिका**
1	गढ़वाल देहरादून	गढ़वाल देहरादून	आई.टी. –आई. टी.ई.एस.	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	वेब डेवलपर
2	गढ़वाल देहरादून	गढ़वाल देहरादून	ऑटोमोटिव	महादेव एजुकेशनल सोसायटी	सोसाइटी ऑफ कैनेडियन कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट कॉलेज	डीलरशिप टेलीकॉलर सेल्स एग्जीक्यूटिव

3	गढ़वाल देहरादून	गढ़वाल देहरादून	स्वास्थ्य देखभाल	पावर टू एम्पॉवर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	महादेवी प्रौद्योगिकी संस्थान	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन–बेसिक
4	गढ़वाल	देहरादून	पर्यटन और आतिथ्य	स्किल प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	यू.जी.टी.ई. (यूनिवर्सल गैरोला पर्यटन और तकनीकी उत्कृष्टता)	मल्टी कुजीन कुक
5	गढ़वाल	हरिद्वार	संचालन	डे यूनिक एजुकेशनल सोसायटी	डे यूनिक स्किल ट्रेनिंग सेंटर	कंसाइनमेंट बुकिंग सहायक
6	गढ़वाल	हरिद्वार	संचालन	डे यूनिक एजुकेशनल सोसायटी	डे यूनिक स्किल ट्रेनिंग सेंटर	प्रलेखन सहायक
7	गढ़वाल	हरिद्वार	मीडिया और मनोरंजन	डे यूनिक एजुकेशनल सोसायटी	डे यूनिक स्किल ट्रेनिंग सेंटर	मेकअप आर्टिस्ट
8	गढ़वाल	हरिद्वार	खुदरा	डे यूनिक एजुकेशनल सोसायटी	डे यूनिक स्किल ट्रेनिंग सेंटर	प्रशिक्षु सहयोगी
9	गढ़वाल	हरिद्वार	ऑटोमोटिव	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	ऑटोमोटिव सेवा तकनीशियन स्तर 3
10	गढ़वाल	हरिद्वार	संचालन	के.जी.एम. इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	के.जी.एम. इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रलेखन सहायक
11	गढ़वाल	हरिद्वार	ग्रीन जॉब्स	के.जी.एम. इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	के.जी.एम. इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	सोलर पीवी इंस्टालर (सूर्यमित्र)

12	गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल	पर्यटन और आतिथ्य	पॉवर टू एमपॉवर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	पॉवर टू एमपॉवर स्किल्स ट्रेनिंग सेण्टर	प्रशिक्षु बावर्ची
13	गढवाल	टिहरी गढ़वाल	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	धन्या इन्फोमेडिया प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड इंजीनियर – आर.ए.सी.डब्ल्यू.
14	कुमाऊं	अल्मोड़ा	टेलीकॉम	सशक्तिकरण फेस सोसाइटी के समुदाय की सुविधा और जागरूकता	एफ.एसी.ई. कौशल केंद्र	ब्रॉडबैंड तकनीशियन
15	कुमाऊं	नैनीताल	संचालन	डे यूनिक एजुकेशनल सोसायटी	डे यूनिक स्किन ट्रेनिंग सेंटर	वेयरहाउस पर्यवेक्षक
16	कुमाऊं	नैनीताल	स्वास्थ्य	कुमाऊं पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट	कुमाऊं पैरामेडिकल और स्वास्थ्य संस्थान	सामान्य ड्यूटी असिस्टेंट
17	कुमाऊं	नैनीताल	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	विद्या	वी.ए.पी. तकनीकी	फील्ड तकनीशियन – कम्प्यूटिंग और परिधीय
18	कुमाऊं	नैनीताल	पर्यटन और आतिथ्य	विद्या	वी.ए.पी. तकनीकी	फ & बी सर्विसः स्टीवर्ड
19	कुमाऊं	नैनीताल	सौंदर्य और वेलनेस	विद्या	वी.ए.पी. तकनीकी	सौंदर्य चिकित्सक
20	कुमाऊं	नैनीताल	जीवन विज्ञान	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र – कोटाबाग	चिकित्सा बिक्री प्रतिनिधि
21	कुमाऊं	नैनीताल	परिधान	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	स्व–रोजगार दर्जी
22	कुमाऊं	नैनीताल	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	फील्ड तकनीशियन – नेटवर्किंग और स्टोरेज
23	कुमाऊं	नैनीताल	खुदरा	विद्या वाहिनी शिक्षा और	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	रिटेल टीम लीडर

				चैरिटेबल ट्रस्ट		
24	कुमाऊं	नैनीताल	ग्रीन जॉब्स	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	सौलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र)
25	कुमाऊं	नैनीताल	पर्यटन और आतिथ्य	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	फ्रंट ऑफिस एसोसिएट
26	कुमाऊं	नैनीताल	पर्यटन और आतिथ्य	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	मल्टी कुजीन कुक
27	कुमाऊं	नैनीताल	ऑटोमोटिव	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र	डीलरशिप सेल्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज
28	कुमाऊं	यूएस नगर	निर्माण	मित्र एक सांझा प्रयास	गैलेक्सी ट्रेड और ट्रेनिंग सेंटर	सहायक इलेक्ट्रीशियन
29	कुमाऊं	यूएस नगर	सौंदर्य और वेलनेस	एन.आई.ए.सी.ई. फाउंडेशन	सर्व जन कल्याण केंद्र	सौंदर्य चिकित्सक
30	कुमाऊं	यू.एस. नगर	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	एन.आई.ए.सी.ई. फाउंडेशन	सर्व जन कल्याण केंद्र	फील्ड तकनीशियन – कम्प्यूटिंग और परिधीय
31	कुमाऊं	यू.एस. नगर	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति	पीईजेकेएस कौशल	फील्ड तकनीशियन – कम्प्यूटिंग और परिधीय
32	कुमाऊं	यू.एस. नगर	घरेलू नौकर	विद्या वाहिनी शिक्षा और चैरिटेबल ट्रस्ट	सर्वोदय कौशल विकास केंद्र – कोटाबाग	हाउसकीपर सह कुक

स्रोतः यू.के.एस.डी.एम.

राज्य में चल रहे मौजूदा प्रशिक्षण में से 16 देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हैं; 13 नैनीताल में और 1 अल्मोड़ा में, 1 पौड़ी में और 1 टिहरी में है। यह विषम क्षेत्रीय वितरण की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अधिकतम संख्या में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण केंद्र – क्षेत्र	
	86 प्रशिक्षण केंद्र
	47: गढ़वाल क्षेत्र

	39:कुमाऊं क्षेत्र
	53 काम की भूमिका

3.7 प्रधानमंत्री आवास योजना

3.7.1 पिछले पांच वर्षों का विवरण

पी.एम.ए.वाय. वर्ष 2018–19

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
देहरादून	502	0	793	793		635	0	0
हरिद्वार	376	0	418	418		276	0	0
चमोली	239	0	567	567		567	0	0
उत्तरकाशी	108	0	132	132		120	0	0
टिहरी	89	0	348	348		293	0	0
पौड़ी	3	0	181	181		138	0	0
रुद्रप्रयाग	0	0	2	2		2	0	0
गढ़वाल मंडल	1317	0	2441	2441		2031	0	0
पिथौरागढ़	52	0	383	383		359	0	0
चम्पावत	542	0	194	194		91	0	1
अल्मोड़ा	10	0	133	133		120	0	0
उधम सिंह नगर	984	0	1636	1636		1082	0	0
बागेश्वर	15	0	65	65		39	0	0
नैनीताल	98	0	87	87		50	0	0
कुमाऊँ मंडल	1701	0	2498	2498		1741	0	1
कुल योग	3018	0	4939	4939		3772	0	1
2017–18 में इंदिरा आवास 4910 / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्माणाधीन था जो इस वर्ष पूरा किया जाएगा।								
वित्तीय वर्ष 2018–19 का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।								

तालिका 3.42 स्रोतः पी.एम.ए.वाय, उत्तराखण्ड

पी.एम.ए.वाय. वर्ष 2017–18

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया	भूमिहीन	विकलांग
देहरादून	1091	225	1499	1499	0	1203	0	0
हरिद्वार	652	378	1766	1766	0	1654	0	0
चमोली	651	710	311	311	0	311	0	0
उत्तरकाशी	137	275	314	314	0	310	0	0
टिहरी	40	470	686	686	0	589	0	0
पौड़ी	43	325	41	41	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	2	0	109	109	0	108	0	0
गढ़वाल मंडल	2616	2383	4726	4726	0	4175	0	0
पिथौरागढ़	415	425	293	293	0	213	0	0
चम्पावत	46	710	46	46	0	37	0	0
अल्मोड़ा	121	180	85	85	0	80	0	0
उधम सिंह नगर	1592	750	1694	1694	0	1410	0	1
बागेश्वर	6	77	159	141	0	123	0	0
नैनीताल	114	390	314	314	0	234	0	0
कुमाऊँ मंडल	2294	2532	2591	2573	0	2097	0	1
कुल योग	4910	4915	7317	7299	0	6272	0	1
वर्ष 2016–17 में इंदिरा आवास / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 4306 और आपदा के 298, कुल 4604 निर्माणाधीन थे जो इस वर्ष पूरा किया जायगा।								

तालिका 3.43 स्रोतः पी.एम.ए.वाय, उत्तराखण्ड

पी.एम.ए.वाय वर्ष 2016–17

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
देहरादून	359	2203	335	335	335	302	0	0
हरिद्वार	1015	2355	568	394	0	568	0	0
चमोली	89	393	273	273	273	270	0	0

उत्तरकाशी	10	335	304	304	0	290	0	0
टिहरी	580	186	847	847	847	782	0	0
पौड़ी	84	283	265	132	0	225	0	0
रुद्रप्रयाग	126	29	1414	1414	0	1052	0	0
गढ़वाल मंडल	2263	5784	4006	3699	1455	3489	0	0
पिथौरागढ़	97	288	30	30	0	16	0	0
चम्पावत	46	625	31	31	0	31	0	0
अल्मोड़ा	63	58	249	249	0	249	0	0
उधम सिंह नगर	1153	3588	1942	1942	0	799	0	0
बागेश्वर	210	115	147	147	0	146	0	0
नैनीताल	156	403	139	139	139	0	0	0
कुमाऊँ मंडल	1725	5077	2358	2538	139	1241	0	0
कुल योग	3988	10861	6544	6237	1594	4730	0	0

तालिका 3.44 स्रोतः पी.एम.ए.वाय, उत्तराखण्ड

पी.एम.ए.वाय. वर्ष 2015–16

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
देहरादून	694	436	462	462	462	406	0	0
हरिद्वार	1373	1271	1702	1702	0	1361	0	0
चमोली	99	264	350	350	350	324	0	0
उत्तरकाशी	234	314	31	31	0	0	0	0
टिहरी	1427	397	696	696	696	573	0	0
पौड़ी	171	136	136	136	0	58	0	0
रुद्रप्रयाग	1540	794	794	794	0	681	0	0
गढ़वाल मंडल	5538	3612	4171	4171	1508	3403	0	0
पिथौरागढ़	80	125	1958	1958	0	1802	0	0
चम्पावत	160	46	210	210	210	190	0	0
अल्मोड़ा	266	285	285	285	0	269	0	0
उधम सिंह नगर	1981	2009	2019	2019	0	1569	0	0
बागेश्वर	190	242	55	55	0	33	0	0

नैनीताल	22	113	113	113	113	106	0	0
कुमाऊं मंडल	2699	2820	4640	4640	323	3969	0	0
कुल	8237	6432	8811	8811	1831	7372	0	0

तालिका 3.45 स्रोतः पी.एम.ए.वाय, उत्तराखण्ड

पी.एम.ए.वाय. वर्ष 2014–15:

जिला	निर्माणाधीन घर	वार्षिक लक्ष्य	संचयी पूर्ति	शौचालय	गैस चूल्हा	श्रेणी के अनुसार पूरा किया गया मकानः महिला	भूमिहीन	विकलांग
देहरादून	1089	796	437			399	0	0
हरिद्वार	1817	1013	843			771	0	0
चमोली	448	165	292			252	0	0
उत्तरकाशी	3	185	154			115	0	0
टिहरी	1746	955	285			9	0	0
पौड़ी	148	298	102			56	0	0
रुद्रप्रयाग	1540	2025	655			472	0	0
गढ़वाल मंडल	6819	5437	2768			2074	0	0
पिथौरागढ़	1891	107	881			852	0	0
चम्पावत	84	130	190			133	0	0
अल्मोड़ा	291	101	206			188	0	0
उधम सिंह नगर	1900	1395	1405			1234	0	0
बागेश्वर	58	130	147			139	0	0
नैनीताल	22	167	192			127	0	0
कुमाऊँ मंडल	4246	2030	3021			2673	0	0
कुल योग	11065	7467	5789			4747	0	0

तालिका 3.46 स्रोतः पी.एम.ए.वाय, उत्तराखण्ड

आदेश के अनुसार निर्मित अधिकतम घरों में शौचालय का निर्माण किया गया हैं। गैस चूल्हा उपलब्ध कराने का प्रावधान पिछड़ता नजर आ रहा है। 2016–17 में कुल 6544 घरों में से मात्र 1594 घरों

में गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। योजना के अधीन बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं को शामिल करने के लिए पी.एम.ए.वाई. –जी में संयोजन को मजबूत किया जाना चाहिए।

पी.एम.ए.वाई. –जी के अंतर्गत घर प्राप्त करन वाले विकलांगों की संख्या पिछले 5 वर्षों में पंजीकृत कुल 2 लोग।

गत 5 वर्षों में योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों के 50% से अधिक रही है।

3.7.2 पी.एम.ए.वाय. जी (राज्य प्रदर्शन रिपोर्ट वर्ष 2017–18 और कार्य योजना वर्ष 2018–19)

पिछले वित्तीय वर्ष में पी.एम.ए.वाई. –जी ग्राम पंचायतों के लिए सभी गांवों को दोबारा मैप करने का लक्ष्य रखा गया था, उपयुक्त लाभार्थियों वाले 4146 गांवों में से 4127 गांवों को पी.एम.ए.वाई. –जी ग्राम पंचायतों के साथ मैप किया गया है।

लाभार्थियों के लिए उचित डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के प्रयास में, पंजीकृत पी.एम.ए.वाई. –जी लाभार्थियों के लिए 100% आधार सीडिंग दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2016–17 में पंजीकृत कुल 10,692 लाभार्थियों में से 9794 लाभार्थियों के आधार दर्ज किए गए ह, और वर्ष 2017–18 मे पंजीकृत कुल 2,218 लाभार्थियों में से 1581 के आधार दर्ज किए गए हैं। 30 जून 2018 तक सभी सीडिंग को बंद करने के लिए संशोधित लक्ष्य लिया गया था।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2016 और वर्ष 2018 के बीच 14,082 इकाइयों का संचयी लक्ष्य लिया गया था। 4 अप्रैल, 2018 का पात्र लाभार्थियों को 10,421 इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 5.552 घरों के लिए निर्माण पूरा हो चुका है। 30 अप्रैल 2018 तक सभी 14,082 घरों को मंजूरी देने, और 10 अप्रैल 2018 तक 7,000 घरों का पूर्ण निर्माण और 31 दिसंबर 2018 तक शेष संख्या को पूरा करने के लिए लक्ष्य लिया गया था।

राज्य ने 981 लाभार्थियों की पहचान की है, जिनके पास आवास इकाई के निर्माण के लिए स्वयं की भूमि नहीं है। 504 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई थी और शेष 477 लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2018 तक प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके अलावा 2 महत्वाकांक्षी जिलों को एक निर्धारित समयसीमा में सम्पूर्ण विकास के लिए एन. आई.टी.आई. आयोग द्वारा चिन्हित किया गया है

3.8 ग्रामीण विकास विभाग और उनकी क्षमता का निर्माण

उत्तराखंड के ग्रामीण विकास विभाग को इन कार्यक्रमों को लागू करने को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है और इसके अधिकारी और कर्मचारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान स्टाफ की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

3.8.1 क्षमता का निर्माण

ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों की क्षमता का निर्माण मुख्य रूप से ई.टी.सी. और उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज (य्.आई.आर.डी.पी.आर.), रुद्रपुर के माध्यम से होता है, इसके अलावा ग्राम्य विकास कर्मियों के लिए राज्य के बाहर कुछ क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैं।

3.8.1.1 प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार (ई.टी.सी.)

पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के अधीन प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (ई.टी.सी.) विस्तार करने का कार्य किया जाता हैं। अब तक, 89 ई.टी.सी. केंद्रीय सहायता से पूरे देश में स्थापित और उन्नत किए गए हैं। विकासात्मक पदाधिकारियों की संख्या म वृद्धि और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, ई.टी.सी. ने एक अतिरिक्त महत्व हासिल कर लिया है। गैर–आवर्ती व्यय के लिए और अधिकतम ग्राम्य विकास कार्यकर्ताओं और पी.आर.आई. सदस्यों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाने के साथ उन्हें डटकर मुकाबले करने में सक्षम बनाने के लिए आवर्ती व्यय के लिए प्रति वर्ष रू.10.00 रु लाख प्रति वर्ष केंद्रीय सहायता 100% प्रदान की जाती है।

ई.टी.सी. पी.आर.आई. सदस्यों के लिए पाठ्यक्रमों के अलावा, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम निगरानी समितियों के सदस्य के आलावा ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), ग्राम सेवक / सेविका, पंचायतों के सचिवों और सहकारी समितियों, सभी विकास विभागों के जमीनी स्तर के पदाधिकारियों, जलागम जैसी योजनाओं के लिए उन्मुखीकरण, आदि के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है।

वर्तमान में उत्तराखंड में 8 ई.टी.सी. हैं। 2015 से प्रत्येक केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण का विवरण नीचे दी गई तालिका में दी गई हैः

प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार : देवरखडोरा, गोपेश्वर, चमोली

क्र.सं	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पद का स्थान	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, देवरखडोरा गोपे"वर चमोली	लेखा लिपिक	2015–16	–	–	–	–
2		जी.पी.वी.ए. / ए.डी.ओ.		03	50	50	–
3		लेखा लिपिक	2016–17	03	23	23	–
4		जी.पी.वी.ए. / ए.डी.ओ.		03	59	59	-
5		लेखा लिपिक	2017–18	03	25	11	14
6		जी.पी.वी.ए. / ए.डी.ओ.		03	50	29	21
		लेखा लिपिक और जी.पी.वी.ए. /ए.डी.ओ.	2018–19	01	72	72	

तालिका 3.47 स्रोतः ई.टी.सी. गोपेश्वर

प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार, थरकोटः पिथौरागढ़

क्र.सं	प्रशिक्षण का नाम	पद का स्थान	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, थरकोट, पिथौरागढ़	सहायक विकास अधिकारी	**2015–16**	**3 दिन**	**20**	**17**	**3**
2		स्थापना और लेखा लिपिक	2015–16	3	30	**25**	**5**
3		ग्राम विकास अधिकारी	2016–17	3	40	**32**	**8**
4		ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	2016–17	3	40	**56**	–
5		सहायक विकास अधिकारी	2016–17	3	20	**20**	–
6		ग्राम विकास अधिकारी	2017–18	3	64	**45**	**19**
7		स्थापना एवं लेखा सहायक	2017–18	3	26	**20**	**06**
8		ग्राम विकास अधिकारी	2018–19	3	64	**42**	**22**
9		सहायक विकास अधिकारी	2018–19	3	24	**10**	**14**
10		स्थापना और लेखा सहायक	2018–19	3	32	**17**	**15**

तालिका 3.48 स्रोतः ई.टी.सी. पिथोरागढ़

प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार : रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)

क्र.सं	स्थान	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर	वी.डी.ओ. /जी.पी.डी.ओ.	2015–16	3 दिन	40	38	2
2		नवनियुक्त वी.डी.ओ.	2015–16	6 महीना	36	36	–
3		समूह बी और समूह सी का प्रशिक्षण ग्राम्य विकास और अन्य रेखीय विभागों के कर्मचारी	2015–16	12 दिन	70	67	3
4		सी.आर.पी. के सदस्य और पोस्ट होल्डर और एस.एच.जी.	2015–16	6 दिन	60	62	–
5		जन प्रतिनिधि / स्वयं सहायता समूह/ एनजीओ / बी.एन.बी. अधिकारी	2015–16	1 दिन	350	752	–
6		ग्राम पंचायत सदस्य और बी.एन.बी. अध्यक्ष, युवा / युवती मंगल दल /सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी	2015–16	1 दिन	700	942	–

7		प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत	2015–16	1 दिन	210	233	–
8		सदस्य ग्राम पंचायत / भारत निर्माण सेवक	2015–16	1 दिन	1300	1135	–
9		सी.आर.पी., स्वयं सहायता समूह पोस्ट धारक, एन. जी.ओ. पोस्ट धारक	2015–16	6 दिन	60	59	1
10		सहायक विकास अधिकारी / कक्षा 2 अधिकारी	2016–17	3 दिन	20	18	2
11		ग्राम विकास अधिकारी / जीडीपीओ	2016–17	3 दिन	40	23	17
12		सभी विकास विभागों के संस्थापन और लेखा अधिकारी	2016–17	3 दिन	40	39	1
13		ब्लॉक और ग्राम्य स्तर के लोक सूचना अधिकारी	2016–17	1 दिन	120	131	–
14		सी.आर.पी / एन.जी.ओ / स्वयं सहायता समूह अधिकार	2016–17	5 दिन	80	79	1

15		स्वयं सहायता समूह पोस्ट धारक	2016–17	2 दिन	80	76	4
16		सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्य, भारत निर्माण सेवक / रेखीय विभागों के कर्मचारी	2016–17	3 दिन	200	217	–
17		सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्य, भारत निर्माण सेवक / रेखीय विभागों के कर्मचारी	2016–17	2 दिन	200	201	–
18		बी.एफ.टी. सदस्य	2016–17	90 दिन	60	45	15
19		ग्राम्य विकास अधिकारी / जी.पी.वी.ए.	2017–18	3 दिन	40	37	3
20		सभी विकास विभागों की स्थापना और लेखा अधिकारी	2017–18	3 दिन	30	30	–
21		ब्लॉक और ग्राम्य स्तर के लोक	2017–18	1 दिन	90	99	–

		सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी					
22		ग्राम विकास अधिकारी / जी.पी.वी.ए. / ग्राम और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह सदस्य	2017–18	3 दिन	450	389	61
23		ओ.टी.सी. प्रशिक्षण	2017–18	3 दिन	3920	3150	770
24		नवनियुक्त पटवारी और लेखपाल में	2017–18	9 महीना	57	57	–
25		सहायक विकास अधिकारी / श्रेणी 2 अधिकारी	2018–19	3 दिन	15	12	3
26		वी.डी.आ. / जी.पी.वी.ए.	2018–19	3 दिन	40	35	5
27		सभी विकास विभागों की स्थापना और लेखा अधिकारी	2018–19	3 दिन	30	29	1
28		ओ.टी.सी. प्रशिक्षण	2018–19	3 दिन	750	750	–

तालिका 3.49 स्रोतः ई.टी.सी. उधमसिंह नगर

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हरिद्वार

क्र.सं	स्थान	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र., हरिद्वार	नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी	15–16	6 महीना	49	37	12
2.		वी.डी.आ. और ग्राम पंचायत अधिकारी	16–17 17–18 18–19	3 दिन 3 दिन 3 दिन	60 60 30	17 85 13	43 0 17
3.		सहायक विकास अधिकारी और श्रेणी–2 कमर्चारी	16–17 17–18	3 दिन 3 दिन	25 30	10 13	15 17
4.		स्थापना और लेखा अधिकारी	16–17 17–18 18–19	3 दिन 3 दिन 3 दिन	25 30 30	26 27 26	0 3 4
5.		पटवारी / लेखपाल	17–18	9 महीना	59	57	02
6.		जूनियर इंजीनियर (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)	17–18	6 दिन	30	29	01

तालिका 3.50 स्रोतः ई.टी.सी. हरिद्वार

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया हैं।

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, पौड़ी

क्र.सं	स्थान	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, पौड़ी	ग्राम विकास अधिकारी	2015–16	6 महीना	17	17	0
2.		कनिष्ठ सहायक	2015–16	6 दिन	20	20	0
3.		श्रेणी–ख एवं श्रेणी–ग	2015–16	12 दिन	40	33	7
4.		श्रेणी–ख एवं श्रेणी–ग	2016–17	12 दिन	40	40	0
5.		प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक	2016–17	5 दिन	30	21	9
6.		ग्राम विकास अधिकारी	2016–17	4 दिन	150	83	67
7.		राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल)	2017–18	8 महीना	75	75	0
8.		बी.डी.ओ, वी.डी.ओ / वी.पी.डी.ओ	2017–18	2 दिन	300	205	95
9.		वी.डी.ओ. और वी.पी.डी.ओ.	2018–19	3 दिन	150	110	40

तालिका 3.51 स्रोतः ई.टी.सी. पौड़ी

2018–19 में आमंत्रित 150 में से 110 वी.डी.ओ./वी.पी.डी.ओ. ने प्रशिक्षण में भाग लिया.

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हवालबाग (अल्मोड़ा)

क्र.सं	स्थान	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हवालबाग	पूर्व–सेवा प्रशिक्षण चयनित ग्राम विकास अधिकारी	2015–16	6 महीना	29	29	0
2.		–	2016–17	–	–	–	–
3.		ए.बी.डी.ओ. / श्रेणी–ख अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी / लेखपाल	2017–18	3 दिन 3 दिन 3 दिन 9 महीना	25 35 70 93	15 12 58 93	10 23 12 0
4.		ए.बी.डी.ओ. / श्रेणी–ख अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	2018–19	3 दिन 3 दिन	30 60	29 22	1 38

तालिका 3.52 स्रोतः ई.टी.सी. अलमोड़ा

ई.टी.सी. में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कुल वी.डी.ओ. कम हैं, 60 में से 22।

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, शंकपुर, देहरादून

क्र.सं	स्थान	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, शंकपुर, देहरादून	लेखा और सामान्य क्लर्क, प्रशासनिक अधिकारी	2015–16	3 दिन	50	32	18
2.		नवनियुक्त वीडीओ	2015–16	6 महीना	44	44	0
3.		मुख्य सेवक	2015–16	32 दिन	200	184	16
4.		वर्ष 2016–17 में, वेयरफुट तकनीशियनों के 3 महीने के प्रशिक्षण के 4 सत्र विकास खंड स्तरीय लोक सूचना अधिकारी (प्रधान) के लिए प्रशिक्षण के 6 सत्र आयोजित किए गए					
5.		सरकारी कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था					
6.		जिला स्तरीय अधिकारी	2017–18	1 दिन	39	30	9
7.		नवनियुक्त राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी / लेखपाल	2017–18	9 महीना	75	72	3
8.		लेखा और कंप्यूटर ऑपरेटर	2018–19	1 दिन	90	90	0
9.		सहायक विकास अधिकारी / श्रेणी–ख अधिकारी	2018–19	3 दिन	24	18	6
10.		वी.डी.ओ. / वी.पी.डी.ओ.	2018–19	3 दिन	36	28	8
11.		ए .बी.डी.आ. / वी.डी.ओ.	2018–19	2 दिन	36	28	8
12.		लेखा और कंप्यूटर ऑपरेटर	2018–19	2 दिन	30	16	14

तालिका 3.53 स्रोतः ई.टी.सी. देहरादून

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हल्द्वानी (नैनीताल)

क्र.सं.	स्थान	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हल्द्वानी	सहायक विकास अधिकारी / श्रेणी–ख अधिकारी	2015–16	3 दिन	30	10	20
2.		वी.डी.ओ. / वी.पी.डी.ओ.	2015–16	3 दिन	40	38	2
3.		सभी विकास विभागों के लेखा और स्थापना अधिकारी	2015–16	3 दिन	30	27	3
4.		सहायक विकास अधिकारी	2016–17	3 दिन	30	15	15
5.		वी.डी.ओ. / वी.पी.डी.ओ.	2016–17	3 दिन	40	52	–
6.		सभी विकास विभागों के लेखा और स्थापना अधिकारी	2016–17	3 दिन	30	53	–
7.		सभी विकास विभागों के लेखा और स्थापना अधिकारी	2017–18	3 दिन	30	29	1
8.		बी.डी.ओ., ए.बी.डी.आ., वी.डी.ओ., बी.एम.एम. / डी.पी.आ. और एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. / एन.आर.एल.एम. श्रमिक	2018–19	2 दिन	80	105	–
9.		ए.बी.डी.आ., वी.डी.आ., वी.डी.ओ., वी.पी.डी.आ., बी.एफ.	2018–19	1 दिन	50	191	–

		टी. रोजगार श्रमिक					
10.		बी.डी.आ.,ए.बी.डी.ओ., बी.एम.एम., एकाउंटेंट, एम. आई.एस. ऑपरेटर और वी.डी.ओ.	2018–19	2 दिन	60	95	–

तालिका 3.54 स्रोतः ई.टी.सी. नैनिताल

3.8.1.2 उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायतीराज संस्थान (यू.आई.आर.डी.पी.आर.), रुद्रपुर, उधम सिंह नगर

क्र.सं	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या	पाठ्यक्रम
वर्ष 2015–16							
1.	जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	2015	27–29 अप्रैल (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	26	11	15	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
2.	ब्लॉक प्रमुख	2015	5–7 मई (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	95	18	77	आर.जी.पी.एस.ए.
3.	सरकारी अधिकारियों और एनजीओ कार्यकर्ता	2015–16	20 नवम्बर–11 फरवरी (3 दिन, 10 प्रशिक्षण)	500	407	170	आर.जी.पी.एस.ए. पर टीओटी
4.	ग्राम्य स्तर के शिल्पकार	2015	27 अप्रैल–30 मई (6 दिन, 4 प्रशिक्षण)	150	124	26	मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना पर कौशल विकास
5.	आर.डी. / पी.आर., लाइन विभाग	2015	20 अप्रैल–14 अक्टूबर (5 दिन,4 प्रशिक्षण)	150	112	38	स्थायी ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना,

	सरकार। अधिकारियों और एनजीओ कार्यकर्ताओं, केपी / जीपी सदस्य						गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण ऋण
6.	नव नियुक्त जीपीवीए	2015	17 अगस्त–20 सितम्बर (6 दिन, 2 प्रशिक्षण)	63	63	0	आर.जी.पी.एस.ए. के अंतर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण
7.	ब्लॉक / ग्राम्य स्तर के अधिकारियों के कार्यकर्त्ता और इंजीनियर, राजमिस्त्री	2015–16	3 नवम्बर से 11 मार्च (3 दिन,2 प्रशिक्षण)	100	81	19	आई.ए.वाई. के अंतर्गत बुक–कीपिंग और लेखा–विधि पर टीओटी –2 पाठ्यक्रम
8.	सी.एस.एस. के सहायक (डायरेक्ट भर्ती)	2015–16	1 जून –4 मार्च (5 दिन, 9 प्रशिक्षण)	350	319	31	गाँव से जुड़ने का कार्यक्रम
9.	पी.आर.आई. सदस्य और आई.सी.डी.एस. आधिकारिक और एनजीओ	2015	8 सितम्बर–9 अक्टूबर (3 दिन, 2 प्रशिक्षण)	125	99	26	जेंडर बजटिंग प्रोग्राम
10.	परियोजना के सदस्य और ग्राम पंचायत सचिव	2015	7 और 8 मई (1 दिन, 2 प्रशिक्षण)	100	84	16	आई.डब्ल्यू.एम.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम
11.	स्वयं सहायता समूह और जी.वी.ए. / जी.पी.वी.ए.	2015–16	14 दिसम्बर–19 मार्च (6 दिन, 13 प्रशिक्षण)	433	433 (ऑफ कैंपस)	67	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आई.आर.डी. नेटवर्किंग)

12.	जेडपी / केपी सदस्य और जीपी सदस्य	2015–16	28 अक्टूबर–30 मार्च (3 दिन, 37 प्रशिक्षण)	2500	2343 (2283 ऑफ कैंपस)	157	बी.आर.जी.एफ. प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 परिसर में, 60 प्रतिभागी और 34 ऑफ़ कैम्पस कार्यक्रम, 2283 प्रतिभागी)
13.	आई.ए.एस. ,पी.सी.एस. अधिकारी और जी.बी. पी.ए.यू., पंतनगर के छात्र	2015	24 अप्रैल– 28 अक्टूबर (1–3 दिन, 5 प्रशिक्षण)	150	139	11	आर.डी. / पी. आर. पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम
14.	ई.आर. और स्वयं सहायता समूह के सदस्य	2016	17–18 मार्च (1 दिन, 5 प्रशिक्षण)	200	180	20	आर.डी. / पी. आर. पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम
15.	पंचायत आधिकारिक कार्यकर्ता	2015	22–23 दिसम्बर(2 दिन, 1 प्रशिक्षण)	65	61	4	प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में ई–पंचायत प्रशिक्षण
16.	शिक्षा, यू. आर.ई.डी.ए. विभाग और लिंग परिप्रेक्ष्य और कानून विभाग। आधिकारिक पदाधिकारी	2015–16	20 जुलाई – 11 मार्च (1 और 2 दिन, 4 प्रशिक्षण)	300	260	40	स्थान / समन्वयक कार्यक्रम (शिक्षा, यू.आर. ई.डी.ए. विभाग और लिंग परिप्रेक्ष्य और कानून)

क्र.सं	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या	पाठ्यक्रम
वर्ष 2016–17							
1.	जेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य और आधिकारिक कार्यकर्ताओं	2016	5 मई–15 जून (3 दिन, 13 प्रशिक्षण)	413	394	19	आर.जी.एस.पी.ए. के अंतर्गत अभिविन्यास प्रशिक्षण
2.	एनजीओ के कार्यकर्ता	2016	31 मई–2 जून (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	30	30	0	टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम
3.	पीआर अधिकारिक कार्यकर्ता	2016	10 जून–4 जून (2 दिन, 2 प्रशिक्षण)	60	57	3	पी.जी.पी.एस.ए. के अंतर्गत जी.पी.डी.पी. प्लान प्लस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कार्यक्रम
4.	जिला संसाधन टीम के सदस्य	2016	28 अप्रैल–11 मई (3 दिन, 3 प्रशिक्षण)	90	76	14	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
.5.	पी.डी./ए.पी.डी., डी.डी.आ. और ए.ई., सहायक का प्रशिक्षण, सांख्यिकी अधिकारी, डी.आर.डी.ए. और कंप्यूटर ऑपरेटर	2016	6 जून–14 अक्टूबर (1 दिन, 5 प्रशिक्षण)	150	128	22	डेटा फीडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पी.एम.ए.वाई.– जी.एस.ई.सी.सी. 2011
6.	सहायक अनुभाग अधिकारी	2016–17	17 अक्टूबर–20 जनवरी	115	115	0	केंद्रीय सचिवालय के सीधी भर्ती के

			(5 दिन, 3 प्रशिक्षण)				सहायकों के लिए गाँव से जोड़ने का कार्यक्रम
7.	अर्धकुशल राजमिस्त्री	2016	22 अगस्त–5 अक्टूबर (45 दिन, 6 प्रशिक्षण)	30	30	0	आईएवाई के अंतर्गत फील्ड लेवल में अर्ध–कुशल राजमिस्त्री के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.	ए.बी.डी.आ., ए .डी.आ., जी.वी. ए., जी.पी.वी.ए. और एस.एच. जी के सदस्य	2017	6 मार्च–28 मार्च (2 दिन, 10 प्रशिक्षण)	400	333	67	राज्य बजट के अंतर्गत ग्राम्य विकास योजनाओं पर अभिविन्यास प्रशिक्षण
9.	आई.सी.डी.एस. और महिला ग्राम प्रधानों की आधिकारिक कार्यप्रणाली	2017	12–14 जनवरी (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	60	50	10	जैंडर बजटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम
10.	ए.बी.डी.आ, ए .डी.ओ., जी.वी. ए., जी.पी.वी.ए, जेई (एम.जी. एन.आर.ई.जी. ए.) केपी सदस्य, प्रधान, ग्राम रोज़गार सेवक और एस.एच.जी.	2017	16 फरवरी–3 मार्च (1 और 2 दिन, 14 प्रशिक्षण)	465	465 (433 बंद कैंपस)	0	आवर्ती बजट के अंतर्गत ग्राम्य विकास योजनाओं पर अभिविन्यास प्रशिक्षण
11.	वेयरफुट तकनीशियन	2016–17	1 अक्टूबर–25 मार्च (90 और 2 दिन, 24 प्रशिक्षण)	750	641 (596 ऑफ कैंपस)	109	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	ए.डी.आ.,जी.वी.	2016	6	90	83	7	एम.जी.एन.आर.

	ए.,ग्राम प्रधान और ग्राम रोज़गार सेवक		दिसम्बर–16 दिसम्बर (2 दिन, 3 प्रशिक्षण)				ई.जी.ए. के अंतर्गत अभिविन्यास प्रशिक्षण
13.	ग्राम्य विकास और रेखीय विभाग के आधिकारिक एनजीओ	2016	8–10 अप्रैल (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	50	46	4	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और डिजास्टर मैनेजमेंट यूएस नगर द्वारा संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
14.	आई.डब्ल्यू.एम. पी. के आधिकारिक कार्यकर्ताओं और गाँव के सदस्य	2016	26 सितम्बर–10 नवम्बर (3 दिन, 3 प्रशिक्षण)	90	89	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम आई. डब्ल्यू.एम.पी.
15.	एस.आर.पी., डी. आर.पी., बी.आर. पी., जी.आर.पी. (मास्टर ट्रेनर्स) और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों(सी.आर. पी.) / सक्रिय महिलाएं	2016–17	29 अगस्त–3 मार्च (6 और 12 दिन, 4 प्रशिक्षण)	300	273	27	एनआरएलएम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
16.	आईएएस अधिकारी, पशुपालन अधिकारी और आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक, लैब तकनीशियन और ब्लड बैंक प्रभारी	2016–17	10 जून–25 मार्च (1,2 और 3 दिन, 6 प्रशिक्षण)	150	143	7	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएए, एनएलएसएम, एसीडीएस)
17.	शिक्षा विभाग, स्वजल, चुनाव	2016–17	13 जुलाई–28	950	940	10	स्थान / समन्वय

	कार्यालय के कार्मिक		जनवरी (1,2,3,4 और 6 दिन, 19 प्रशिक्षण)				कार्यक्रम (शिक्षा विभाग, स्वजल, चुनाव कार्यालय)

क्र.सं	पद का नाम	प्रशिक्षण का वर्ष	प्रशिक्षण के दिनों की अवधि	प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया कुल कर्मचारी	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल कर्मचारी	अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या	पाठ्यक्रम
वर्ष 2017–2018							
1.	सी.आर.पी., बी. आर.पी. और सक्रिय महिलाएं	2017–18	17 अप्रैल–10 मार्च (6 दिन, 3 प्रशिक्षण)	250	233	17	एन.आर.एल. एम. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	टेबलेट सखियाँ, ब्लॉक मिशन मैनेजर, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर और एम.आई.एस.	2017	24 अप्रैल–25 मई (2 और 6 दिन, 3 प्रशिक्षण)	150	140	10	एन.आर.एल. एम. के अंतर्गत एमआईएस प्रशिक्षण
3.	स्वयं सहायता समूह और महासंघ के सदस्य	2017	27–29 जुलाई और 17–20 सितम्बर (3 दिन, 2 प्रशिक्षण)	30	28	2	एन.आर.एल. एम. के अंतर्गत मॉड्यूल विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
4.	डी.डी.ओ.,ए.पी. डी.,एस.आर.पी. ,बी.आर.पी.,ए.बी. डी.आ., जी.वी. ए., सी.आर.पी. ,	2017	4 सितम्बर–31 दिसम्बर	360	314	46	एन.आर.एल. एम. के अंतर्गत बैंक प्रशिक्षण

	स्वयं सहायता समूह और बैंकर						
5.	निदेशालय लेखा परीक्षा, जिला लेखा परीक्षा सेल,ए . डी.आ.,जी.पी.वी. ए.,जी.वी.ए., लेखाकार और जूनियर इंजिनियर	2017	13 जून– 12 जुलाई (2 दिन, 3 प्रशिक्षण)	105	93	12	पंचायती राज के अंतर्गत सीएजी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग
6.	डी.ओ. पंचायत और जी.पी.वी.ए.	2017	2 –22 नवम्बर (2 दिन, 2 प्रशिक्षण)	75	63	12	पंचायती राज के अंतर्गत जी.पी.डी.पी. पर टीओटी
7.	जी.पी.वी.ए.और सभी जिला पंचायती राज कार्यालयों के अधिकारी	2018	16–18 जनवरी (3 दिन,1 प्रशिक्षण)	50	48	2	पंचायती राज के अंतर्गत पीईएस सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण
8.	खण्ड विकास अधिकारी और जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी	2018	29 जनवरी– 14 मार्च (45 दिन, 1 प्रशिक्षण)	23	23	0	बी.डी.ओ. के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रम
9.	एन.जी.ओ. और स्वयं सहायता समूह ,जेई, मनरेगा और रोज़गार सेवक, सरकारी अधिकारी, ए . बी.डी.आ./ ए .डी.ओ., जी.वी. ए., जी.पी.वी.ए., ग्राम प्रधान	2017–18	6 नवम्बर– 29 मार्च (3–5 दिन, 49 प्रशिक्षण)	1250	1266 (652 बंद कैंपस)	0	ग्राम्य विकास योजनाओं पर अभिविन्यास प्रशिक्षण

10.	यू.आई.आर.डी. पी.आर., ई.टी. सी. और आर. डी. अधिकारी, बी.डी.आ., ए . बी.डी.ओ. , जी. वी.ए., पशुपालन अधिकारी	2017	3 जुलाई–30 नवम्बर (2 और 4 दिन, 7 प्रशिक्षण)	280	266	14	ग्राम्य विकास योजनाओं पर पुनश्चर्या / अभिविन्यास प्रशिक्षण
11.	जी.पी.वी.ए. , ग्राम प्रधान और एस.एच.जी.	2017	6 नवम्बर – 11 नवम्बर (3 दिन, 2 प्रशिक्षण)	120	103	17	जैंडर बजट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	राज्य तकनीकी संसाधन टीम, जिला तकनीकी संसाधन टीम, फोरेस्टर,ए.बी. डी.ओ.,डी.पी.ओ.	2017	17 जुलाई– 8 सितम्बर (5 दिन, 4 प्रशिक्षण)	120	105	15	सक्षम (एम.जी. एन.आर.ई.जी. ए.) के अंतर्प्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम
13.	ग्राम प्रधान, डी. पी.आर.आ., ए. डी.पी.आर.आ.,ए. बी.डी.ओ.,ए.डी. ओ.,वी.पी.डी.आ. और एन.जी.आ. प्रतिनिधि	2017	2–5 अगस्त (4 दिन, 1 प्रशिक्षण)	50	51	0	पी.आर.आई. का सुदृ ढ़ीकरण – अभिविन्यास आकलन (एन. आई.आर.डी. पी.आर.)
14.	डी.डी.आ., बी. डी.आ.,ए.डी.आ. ,डी.पी.आ. और कंप्यूटर प्रोग्रामर,स्वयं सहायता समूह मेम्बर, सी.आर. पी. और सक्रिय महिलाएं और बी.आर.पी.	2017–18	24 जुलाई से 23 अप्रैल (1,3,30 दिन, 3 प्रशिक्षण)	150	126	24	एम.जी.एन. आर.ई.जी.ए. के सामाजिक लेखा पर प्रशिक्षण
15.	ग्राम्य विकास और रेखीय विभागों के अधिकारी	2017	5–6 जून (2 दिन, 1 प्रशिक्षण)	30	31	0	एन.आई.आर. डी.पी.आर. पाठ्यक्रम में सहयोग किया

16.	बेयरफुट तकनीशियन	2017	10 जुलाई – 6 अक्टूबर (90 दिन, 1 प्रशिक्षण)	15	15	0	हरिद्वार और चमोली जिलों में बीएफटी पर प्रशिक्षण
17.	आईएएस अधिकारी, विकास योजनाओं पर जिला स्तर के अधिकारी, उप निरीक्षक, पुलिस और एनजीओ मास्टर ट्रेनर, ए. डी.आ., जी.पी. वी.ए. और ग्राम प्रधान और जी. बी.पंत कृषि विश्वविद्यालय के छात्र	2017–18	6 सितम्बर– 15 मार्च (1,2 और 3 दिन, 8 प्रशिक्षण)	200	202	0	अन्य विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएएस, सामाजिक रक्षा मुद्दा, मॉड्यूल विकास)
18.	कंपनियों के एचआर प्रमुख, शिक्षा विभाग के शिक्षक। चिकित्सा अधिकारी (खसरा और रूबेला अभियान)	2017	27 अप्रैल–9 नवम्बर (1,2,3,4 और 5 दिन, 16 प्रशिक्षण)	800	692	108	स्थान / समन्वय कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य और एस.आई.डी. सी.यू.एल. विभाग))

क्र.सं	**पद का नाम**	**प्रशिक्षण का वर्ष**	**प्रशिक्षण के दिनों की अवधि**	**प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया कुल कर्मचारी**	**प्रशिक्षण के लिए उपस्थित कुल कर्मचारी**	**अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या**	**पाठ्यक्रम**
वर्ष 2018–19							
1.	सी.डी.आ., पी. डी.,ए.पी.डी. / बी.डी.आ., ए .	2018–19	19 अप्रैल –23 फरवरी	500	490	10	एन.आर.एल. एम. प्रशिक्षण कार्यक्रम

	बी.डी.आ., ए. एस.आ., पी.ई, डी.एम.एम., सी. आर.पी. , ब्लॉक / ग्राम्य स्तरीय ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, जीवीए, बीएमएम, लेखाकार और शाखा प्रबंधक		(2,3,6 और 12 दिन, 10 प्रशिक्षण)				
2.	जिला स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज और रेखीय विभाग के अधिकारी	2018	17 मई– 5 जून (2 दिन, 2 प्रशिक्षण)	80	65	15	आर.जी.पी. एस.ए. के अंतर्गत पंचायती राज पर अभिविन्यास प्रशिक्षण
3.	जी.वी.ए.,जी.पी. वी.ए.,जेई एम. जी.एन.आर.ई. जी.ए. और रोजगार सेवक, युवा / माहिलामंगल दल और एस. एच.जी.,पी.आर. डी.,सी.आर.पी., सक्रिय महिलाएं और बीएफटी	2018–19	12 जून– 31 मार्च (3 दिन, 48 प्रशिक्षण)	1200	1233	–	ग्राम्य विकास योजनाओं पर अभिविन्यास प्रशिक्षण
4.	जी.पी.वी.ए., एकाउंटेंट और क्लर्क	2019	5 जनवरी–28 फरवरी (3 और 4 दिन, 8 प्रशिक्षण)	300	251	49	ग्राम्य विकास योजनाओं पर रिफ्रेशर / ओरिएंटेशन प्रशिक्षण
5.	जी.पी.वी.ए.और ग्राम प्रधान	2018	10–12 जुलाई (3 दिन, 1 प्रशिक्षण)	25	21	4	सामाजिक सुरक्षा मुद्दे पर प्रशिक्षण

6.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	2018	26 अप्रैल– 25 मई (30 दिन, 1 प्रशिक्षण)	30	30	0	एम.जी.एन. आर.ई.जी.ए. के सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
7.	यू.आई.आर.डी. पी.आर. और ई. टी.सी. के कार्मिक और ब्लॉक / ग्राम्य विकास स्तर के अधिकारी, ग्राम्य विकास के इंजीनियर, और रेखीय विभाग	2018	28 मई– 7 सितंबर (2,3,4 और 5 दिन, 4 प्रशिक्षण)	100	78	22	एन.आई.आर. डी.पी.आर. पाठ्यक्रम सहयोग
8.	सिल्क एस. एच.जी.	2018–19	8 मई– 27 फरवरी (1 दिन, 12 प्रशिक्षण)	1200	1200	0	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज योजनाओं पर अभिविन्यास प्रशिक्षण
9.	सहायक अनुभाग अधिकारी	2018	21 मई– 1 जून (5 दिन, 2 प्रशिक्षण)	60	60	0	गाँव से जुड़ें कार्यक्रम
10.	आईएएस, पीसीएस अधिकारी, डेयरी लाभार्थी, चुनाव अधिकारी, एसडीएम, शिक्षा और अन्य विभाग के अधिकारी, स्वयं सहायता समूहऔर गैर–अधिकारी	2018–19	29 जून– 19 जनवरी (1,2 और 3 दिन, 17 बंद परिसर से और 12 खुला हुआ परिसर प्रशिक्षण)	2500	2146 (1616 बंद कैंपस)	354	अन्य विभागीय प्रशिक्षण (चुनाव, आईएएस / पीसीएस व्यावसायिक, एस.ई.आई. बी.)

11.	स्कूल के छात्र / माता–पिता और शिक्षक और गाँव के सदस्य	2018–19	28 दिसंबर–28 फरवरी (1 दिन, 21 ऑफ कैंपस प्रशिक्षण)	2200	2127	73	नशाखोरी के सेवन की रोकथाम पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, एन. आई.एस.डी. द्वारा सहयोग
12.	एनजीओ प्रशिक्षक, महिला मंगल दल / युवामंगल दल, एस.एच.जी.	2018	5 मई –29 दिसंबर (1 और 2 दिन, 5 प्रशिक्षण)	300	285	15	वेन्यू कार्यक्रम (डी.एम.एम. सी., यू.एस.ए. ए.टी.ए., बीज प्रमाणन एजेंसियां)

राज्य में वी.डी.ओ. के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

जिला	स्वीकृत पोस्ट	भरा हुआ पद	खाली पाद
देहरादून	60	51	9
उत्तरकाशी	60	36	24
बागे"वर	34	21	13
हरिद्वार	60	56	4
अल्मोड़ा	106	52	54
पिथौरागढ़	80	60	20
चम्पावत	40	20	20
टिहरी	91	65	26
चमोली	90	52	38
नैनीताल	82	63	19
रुद्रप्रयाग	30	14	16
उधम सिंह नगर	70	61	9
पौड़ी	150	78	72

पहाड़ी जिलों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। अल्मोड़ा में 50% से अधिक पद, चम्पावत में 50%, उत्तरकाशी में 40% और बागेश्वर में 38% पद खाली हैं। यह फील्ड स्टाफ (जमीनी स्तर पर कर्मचारियों) में कमी की ओर इशारा करता है जो जमीन स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। वी.डी.ओ. की क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारी के साथ उनकी दक्षता भी घट जाती है। जमीन पर बेहतर और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

संदर्भ :

http://ddugky.gov.in/

http://jicauttarakhand.org/van-panchayat/

http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx

http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?page=S&lflag=eng&state_name=UTTARAKHAND&state_code=35&fin_year=2018-2019&source=national&Digest=5STZ13v3kbB+HYVZR+3h5A

http://omms.nic.in/#

http://pmgsy.nic.in/circulars/RCPLWEA22feb17.pdf

https://aajeevika.gov.in/content/welcome-deendayal-antyodaya-yojana-nrlm

https://daynrlmbl.aajeevika.gov.in/UI/Shared/Reports.aspx

https://nrega.nic.in/netnrega/mgnrega_new/Nrega_home.aspx

https://nrega.nic.in/netnrega/mgnrega_new/Nrega_StateReport.aspx?typeN=2

https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx

https://www.msde.gov.in/nationalskilldevelopmentcorporation.html

rural.nic.in

www.nrlmskills.in

अध्याय 4

उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना

यह परियोजना उत्तराखंड सरकार के जलागम विकास निदेशालय के माध्यम से लागू की जा रही है और विश्व बैंक के बाह्य वित्तपोषण पर आधारित है। इससे पहले, समान प्रकार की श्रेणीबद्ध परियोजनाएँ राज्य के विभिन्न हिस्सों में लागू की गई हैं, इस तरह विभिन्न दृष्टिकोणों को परिष्कृत करने के लिए मूल्यवान अनुभव और इनपुट प्रदान करती हैं।

क्रम	परियोजना का नाम	अवधि	क्षेत्र	व्यय	क्रियान्वयन
1	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) द्वारा वित्तपोषित दक्षिण भागीरथी चरण–I परियोजना	वर्ष 1982 से वर्ष 1988	जनपद टिहरी गढ़वाल (6 एम. डब्ल्यू.एस.),172 वर्ग किमी	6.46 करोड रु.	रेखीय विभाग के माध्यम से
2	विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित हिमालयन एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना	वर्ष 1983 से वर्ष 1992	जनपद पौड़ी और अल्मोड़ा (75 एम. डब्ल्यू.एस.), 2867 वर्ग किमी	80.49 करोड रु.	1987-88 वर्ष तक रेखीय विभाग के माध्यम से
3	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) द्वारा वित्तपोषित दक्षिण भागीरथी चरण–II परियोजना	वर्ष 1988 से वर्ष 1996	जनपद टिहरी गढ़वाल (18 एम. डब्ल्यू.एस.), 356 वर्ग किमी	19.56 करोड रु.	एकीकृत आदेश के तहत परियोजना प्रशासन द्वारा।
4	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) द्वारा वित्तपोषित भीमताल परियोजना	वर्ष 1991 से वर्ष 1998	जनपद नैनीताल (8 एम.डब्ल्यू.एस.), 216 वर्ग किमी	12.68 करोड रु.	एकीकृत आदेश के तहत परियोजना प्रशासन द्वारा।
5	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) द्वारा वित्तपोषित दून वैली जलागम प्रबंधन परियोजना	वर्ष 1993 से दिसंबर वर्ष 2001	जनपद देहरादून, टिहरी और नैनीताल (62 एम. डब्ल्यू.एस.), 2408 वर्ग किमी	102.12 करोड रु.	एकीकृत आदेश के तहत परियोजना प्रशासन द्वारा।
6	विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित आईडब्ल्यूडीपी (हिल्स–II) शिवालिक परियोजना	वर्ष 1999 से वर्ष 2005	जनपद पौड़ी, उधमसिंहनगर और नैनीताल (24 एम. डब्ल्यू.एस.), 573 वर्ग किमी	189 करोड रु.	वी.डी.सी. द्वारा।
7	जलागम प्रबंधन विभाग को स्थायी रूप देकर जलागम प्रबंधन निदेशालय का पुनर्गठन। सभी विभागों द्वारा निष्पादित जलागम आधारित परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जलागम प्रबंधन निदेशालय को नामित करना। वर्ष 2004-2012 पंचायती	सितंबर 2004 – मार्च 2012	जनपद पौड़ी, उधमसिंहनगर और नैनीताल (24 एम. डब्ल्यू.एस.), 573 वर्ग किमी	488 करोड रु.	जीपी (ग्राम पंचायत) द्वारा

	राज संस्थान के तहत उत्तराखंड विकद्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) की शुरूआत।				

तालिका 4.1 स्रोतः ग्राम्या

4.1 विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना" (यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. – ग्राम्या)

- **क्षेत्र** – जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ, अल्मोड़ा और नैनीताल (76 एम.डब्ल्यू.एस.), 2348 वर्ग किमी
- **अवधि** – वर्ष 2004 से वर्ष 2012 तक
- **व्ययः** 488 करोड़ रु.

परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन सामुदायिक भागीदारी के आधार पर होता है।

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (जी.ई.एफ.) ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. उप परियोजना – एस.एल.ई.एम.

- **क्षेत्र** – जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और ननीताल (यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. 20 एम.डब्ल्यू.एस. के तहत), 608 वर्ग किमी
- **अवधि** – वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक
- **व्ययः** 37.60 करोड़ रु.
- परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन सामुदायिक भागीदारी के आधार पर होता है

4.1.1 प्रशासनिक संरचनाः

- जलागम प्रबंधन निदेशालय की स्थापनाः जलागम प्रबंधन निदेशालय (डब्ल्यू.एम.डी.) राज्य में सभी राज्य प्रायोजित, केन्द्र प्रायोजित, बाह्य रूप से सहायता प्राप्त और अन्य एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय और अनुश्रवण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

- राज्य स्तरीय जलागम विकास और अनुश्रवण परिषद की स्थापना और रखरखावः सरकार ने राज्य भर में विविध विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी जलागम विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी और अनुश्रवण करने के लिए एक राज्य स्तरीय जलागम विकास और अनुश्रवण परिषद बनाई है।

- राज्य स्तरीय जलागम परिषदः राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में सभी जलागम और समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता के तहत एक राज्य स्तरीय जलागम परिषद की स्थापना की है।

4.1.2 ग्राम्या 1

यह परियोजना मध्य हिमालय में 76 चयनित एमडब्ल्यूएस में लगभग 2348 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई थी। इस परियोजना में 11 जनपदों के 18 विकास खण्डों में कुल 468 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। परियोजना क्षेत्र की अनुमानित 2,58,000 आबादी को परियोजना के परिणामों से लाभान्वित करवाने का लक्ष्य था।

जनपदों के नाम	विकास खण्ड का नाम/क्रमांक	एम. डब्ल्यू. एस.की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल (हेक्ट.)	ग्राम पंचायतों की आबादी	एम.डब्ल्यू.एस. का क्षेत्रफल (हेक्ट.)
देहरादून	कालसी (1)	7	52	21925.43	27666	19192
टिहरी गढवाल	जौनपुर, थौलधार (2)	8	31	6882.54	14278	12127
उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़ (1)	5	33	5131.27	16800	16835
पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल, जयहरीखाल (2)	6	30	10014.73	11107	12995
रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि (1)	5	52	9968.67	38111	20349
चमोली	गैरसैंण (1)	7	27	4979.47	179731	32075
अल्मोड़ा	चौखुटिया, द्वाराहाट (2)	3	46	8190.32	24034	12669
बागेश्वर	बागेश्वर, गरुड़, कपकोट (3)	13	47	8925.23	27788	35743
चम्पावत	लोहाघाट, बाराकोट (2)	8	66	22763.95	37358	28510
पिथौरागढ	गंगोलीहाट (1)	9	44	11946.66	24004	17242
नैनीताल	ओखालकांडा, धारी (2)	5	40	8163.93	17935	27050
कुल	**18**	**76**	**468**	**118892.26**	**258054**	**234787**

तालिका 4.2 स्रोतः ग्राम्या 1

परियोजना की अवधि वर्ष 2004 से वर्ष 2012 थी। म्ल परियोजना विकास उद्देश्य (पी.डी.ओ.) और प्रमुख संकेतक (जैसे मंजूर किए गए हैं) (स्रोतः आई.सी.आर., ग्राम्या 1)

ग्राम्या I का पी.डी.ओ. प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना और सामाजिक रूप से समावेशी, संस्थागत और पर्यावरणीय दृष्टि से स्थायी दृष्टिकोणों के माध्यम से चयनित जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना था। इसमें तीन व्यापक विषयों को शामिल किया गया थाः

(a) साथ–साथ आय और आजीविका के विकल्पों को बढ़ाते हुए वर्धित भूमि की नमी अवधारण और संशोधित बायोमास उत्पादन के उद्देश्यों के साथ भूमि–जल प्रबंधन को एकीकृत करने के उद्देश्य से जलागम विकास और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी;।

(b) परियोजना वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना, उप–परियोजनाओं को लागू करना, कानूनी रूप से अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करना (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में), और परियोजना की अवधि से परे उन सेवाओं को बनाए रखना; और

(c) सभी समूहों, विशेष रूप से भूमिहीन और महिलाओं द्वारा समान भागीदारी सुनिश्चित करना जो चारा, ईंधन और अन्य वन उत्पादों के लिए सामान्य–पूल संसाधनों पर असमान रूप से भरोसा करते हैं। मूल पी.डी.ओ. संकेतक थेः

i. लक्षित गाँवों में घरेलू आय (आधाररेखा के ऊपर) में 10 प्रतिशत की वृद्धि;

ii. उपचारित जलागम क्षेत्रों के वनस्पति और बायोमास सूचकांक में 10 प्रतिशत की वृद्धि;

iii. घरेलू और / या कृषि उपयोग के लिए आधाररेखा के ऊपर पानी की उपलब्धता में 15 प्रतिशत की वृद्धि; और

iv. प्रदर्शन संकेतकों द्वारा मापे गए अनुसार ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता में 20 प्रतिशत सुधार।

4.1.3 अंतिम प्रभाव आकलन (टी.ई.आर.आई. अध्ययन की रिपोर्ट):

1. **प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता में सुधार लानाः** लगभग सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत उत्पादकता और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि दिखाई देती है। क्षेत्र (21%) और मूल्य (27%) में वृद्धि लक्ष्य मूल्यों की तुलना में काफी अधिक है। ऐसी वृद्धि के प्रमुख कारणों में मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियों के कारण पानी की बढ़ती उपलब्धता को श्रेय दिया गया है। निर्मित पॉली हाउसेस और पॉलीटनल गैर–मौसमी सब्जियों के विकास में एक प्रमुख योगदान कारक रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ भी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं, सब्जियों, मसालों, दालों आदि की ग्रेडिंग और पैकिंग में कटाई के कार्यों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्थानीय बाजारों, मेलों और यहाँ तक कि बाहर के बाजार में इन उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न व्यापार नामों के साथ वाणिज्यिक पैकिंग आकर्षक साबित हुई है। *एग्रीबिजनेस उद्यम कई स्थानों पर सफल रहे हैं और कई नवीन मामले मौजूद हैं। रिपोर्ट में रिवर्स लाभ की अपनी अभिनव व्यवस्था के कारण गैरसैंण में कृषि व्यवसाय गतिविधि पर प्रकाश डाला गया है।*

2. **उन्नत नस्लों से संबंधित पशुधन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।** कमजोर समूह के सदस्य प्रमुख लाभार्थी रहे हैं। समग्र रूप से, उदाहरण स्वरूप ग्राम पंचायतों में सुधारित ब्रीड गायों और भैंसों के धारण में क्रमशः 19% और 191% वृद्धि हुई है। आधाररेखा के ऊपर चारा उपलब्धता में कुल 9.6% की वृद्धि हुई है। विभिन्न भूमि उपयोगों में औसत चारा उत्पादन 0.5 - 5.67 क्विंटल/हेक्ट/वर्ष के बीच होता है। चारे की उपलब्धता में उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन (24.18%)

सिंचित कृषि भूमि के लिए दर्ज किया गया था, जो सूचित करता था कि परियोजना क्षेत्र के किसानों को चारे की फसल / वृक्षों को उनके कृषि के मेंड / रिसरों पर उगाने के लिए प्रेरित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप चारा की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। निजी कृषि / बंजर भूमि / अन्य भूमि से चारे और घास के लिए घरेलू निर्भरता में प्रतिशत परिवर्तन उच्चतम (13%) है, जबकि जंगलों से चारा पर निर्भरता और बाजार से खरीदे गए चारा पर क्रमशः 8% और 5% की गिरावट आई है। एक परिवार द्वारा चारे के संग्रहण में औसतन 11% की कमी आई है।

3. मूल्यांकन में यह देखा गया कि उपचारित क्षेत्रों का बायोमास वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 (उपचारित माइक्रो जलागम क्षेत्र) में 9.37% बढ़ा है। ये परिवर्तन परियोजना के तहत नए वृक्षारोपण और चराई और उपयोग के सापेक्ष संरक्षण के कारण घास, झाड़ियों और पेड़ के रोपण के प्राकृतिक पुनर्जनन के कारण वनस्पति आवरण में वृद्धि के कारण आए थे। सर्वेक्षण स्थलों के भीतर औसत उत्तरजीविता प्रतिशत 23% से 85% की सीमा में लगभग 45% था। मृदा और जल संरक्षण उपायों का प्रभाव सिंचित भूमि की बढ़ी हुई मात्रा (24.7% की वृद्धि), फसल की पैदावार में वृद्धि और घरेलू जल की पहुँच में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाता है। पानी एकत्रित करने के लिए 1 घंटे से कम समय लेने वाले घरों की संख्या में हुई काफी वृद्धि (48%) और 1-2 घंटे के बीच का समय लेने वाले परिवारों की संख्या में समान कमी (39%) के साथ पानी एकत्रित करने में लगने वाले समय में काफी कमी हुई है। प्रभावों की प्रभावकारिता के संदर्भ में, यह देखा गया है कि सफल जलग्रहण उपचार के मामले में मानसून के महीनों के दौरान मैलापन का स्तर काफी कम हो गए हैं।

4. सभी श्रेणियों में आय में कुल वृद्धि 57% है, लेकिन कृषि आय में वृद्धि गैर–कृषि आय (56.6%) की तुलना में कुल मिलाकर उच्च (61.1%) है। 57% की आय में कुल वृद्धि 17% की वास्तविक आय में वृद्धि में बदलती है जब ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) का उपयोग करके, कृषि वर्ष औसत मूल्यों का उपयोग करके मुद्रास्फीति और गैर–परियोजना कार्यों के प्रभाव के लिए लेखांकन करके समायोजित किया जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का स्वामित्व लगभग दोगुना है, जो जीवन स्तर में सामान्य वृद्धि का संकेत देता है। परियोजना के आर्थिक विश्लेषण में कृषि, पशधन, बागवानी, वानिकी, मृदा संरक्षण, घरेलू जल और रोजगार से लाभ शामिल हैं। पी.ए. डी. में उपयोग किए गए दृष्टिकोण के बाद, कुल स्तर का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। लाभ लागत अनुपात (r=8%, t=10 वर्ष) रोजगार लाभ सहित 2.63 तक काम करता है। रिटर्न की आर्थिक दर 18.5% अनुमानित है।

आर्थिक विश्लेषण चयनित कार्यों के साथ–साथ चयनित आई.जी.ए. (आय सृजन गतिविधियाँ) के लिए भी किया गया है– सिंचाई चैनल और सिंचाई टैंक 10 साल की सीमा पर क्रमशः 1.36 और 1.54 के बी.सी.आर. मूल्यों को लाटाते हैं, जो मध्यम अवधि में भी उनकी आर्थिक व्यवहार्यता का संकेत देते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में भागीदारी में तेज वृद्धि दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, ग्राम सभा बैठकों में उपस्थिति प्रतिशत दोगुना हो गया है और ग्राम सभा बैठकों में महिलाओं का उपस्थिति प्रतिशत पाँच गुना बढ़ गया है। ग्राम पंचायत बैठकों की औसत संख्या एक वर्ष में 5.28 से बढ़कर एक वर्ष में 11.14 हो गई है। मूल्यांकन विभिन्न परियोजना प्रक्रियाओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता की ओर भी इशारा करता है। एक ग्राम पंचायत में कुल घरों का औसत 78.96% जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी में शामिल रहा है। औसतन 48.7% समुदाय के सदस्यों को ग्राम पंचायत के बजट और व्यय के बारे में पता था और 91% परिवार परियोजना के उद्देश्यों, गतिविधियों और कार्यप्रणाली के बारे में जानते

थे। हालाँकि एफ.आई.जी. गठन की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया कम थी, क्योंकि गैर–मौसमी सब्जियों और नकदी फसलों की उपज में वृद्धि हुई और किसानों ने अधिशेष बेचना शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया बढ़ी और आवश्यक बाजार लिंकेज स्थापित करने में मदद मिली। ऑडिटिंग (सी.ए., आंतरिक और सी.ए.जी.) और नियमित भागीदारी अनुश्रवण और मूल्यांकन (पी.एम.ई.) के विभिन्न स्तरों के कारण परियोजना में पारदर्शिता का स्तर काफी हद तक ऊंचा रहा है। कृषि और बागवानी घटक के तहत किए गए अधिकांश कार्यों में स्थिरता की प्रबल संभावना है। उदाहरण के लिए, लगभग सभी किसानों द्वारा मिनीकिट्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और जहाँ भी उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है, किसानों ने अगले कृषि मौसम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीजों को बरकरार रखा है। वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में भारी वर्षा पर खरी उतरी मृदा संरक्षण संरचनाओं ने अपने उद्देश्य को काफी हद तक पूरा किया है, और इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए यू.जी. (User Group) का गठन परियोजना बाद की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। वृक्षारोपण के मामले में, वन पंचायतों में अधिकांश गतिविधियाँ संचालित की गई हैं, जिनका संचालन वन पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें आचार संहिता और भोगाधिकार सहभाजन के कठोर नियम हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये संस्थाएँ वृक्षारोपण का पर्याप्त रखरखाव सुनिश्चित करेंगी

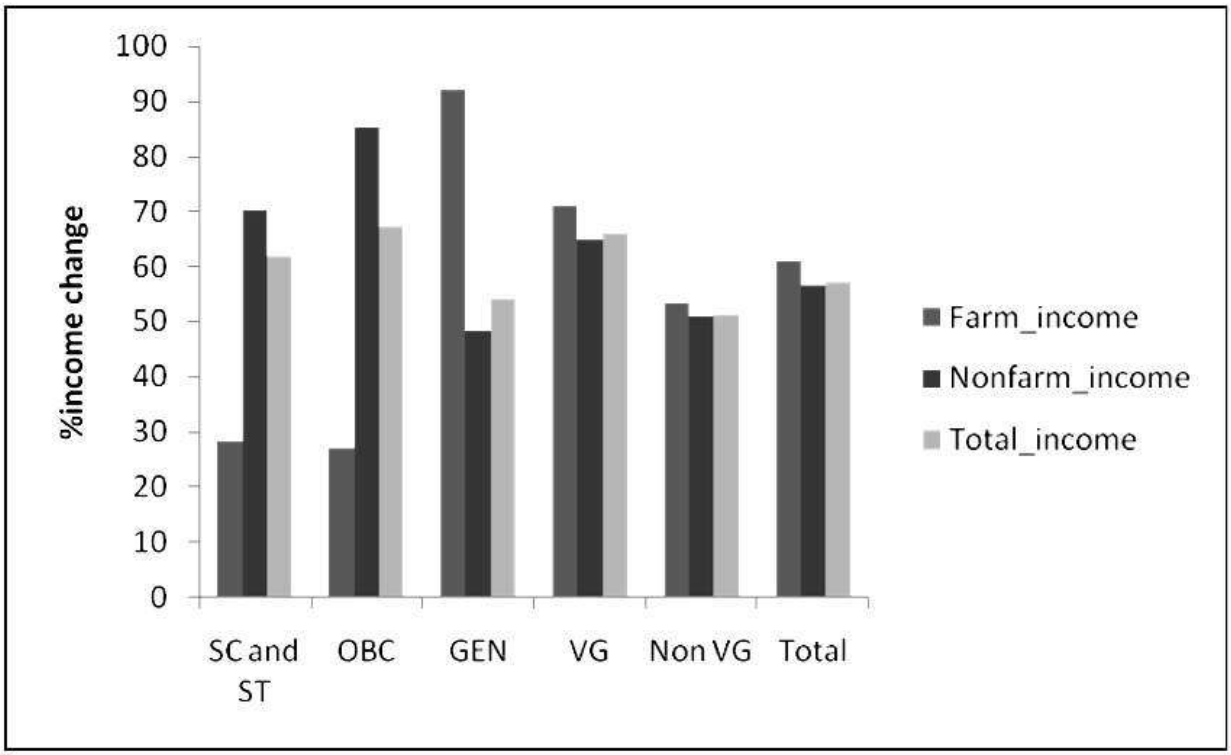

चित्र 4.1: प्रतिशत आय में बदलाव (स्रोतः अंतिम प्रभाव मूल्यांकन, टी.ई.आर.आई.)

4.1.4 परियोजना से सीखः रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से सीख इस प्रकार थीः

सामाजिक गतिशीलता, परियोजना कार्यान्वयन और एग्रीबिजनेस के लिए समर्थन के लिए गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी इस परियोजना में एक सफल पहल थी। परियोजना द्वारा मानव संसाधन विकास, केंद्र प्रायोजित एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के साथ–साथ परियोजनाओं के अनुसरण के लिए उपयोगी होगा। इस तरह के अनुभव को अन्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भी दोहराया जाएगा।

महिला सामाजिक गतिशीलता कार्यकर्ताओं की भागीदारी: इस परियोजना में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रेरकों के एक समूह के लिए कई सुविधा प्रदाता शामिल किए गए थे। इन ग्राम प्रेरकों और सुविधा प्रदाताओं ने गाँवों का दौरा किया, पी.आर.ए. में सहायता की और अन्य हितधारकों के साथ साथ महिलाओं को समूहों में संगठित किया। ये ग्राम प्रेरक अन्य कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्ति साबित होंगे।

महिला आम सभा: इन सभाओं ने महिलाओं के लिए चिंता के मुद्दों को सामने लाने, जरूरतों को पहचाने और शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। महिला आम सभाएँ स्थानीय रूप से महिलाओं को प्रभावित करते मुद्दों को पहचानने और प्राथमिकता देने के लिए ग्राम पंचायत योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले आयोजित की गई थी। इससे लिंग संबंधी मुद्दों को एक पारदर्शी तरीके से संबोधित करने में मदद मिली थी।

अभिशासन में महिलाओं की भागीदारी: महिला वार्ड सदस्य को परियोजना के समर्पित जलागम खाते के संचालन के लिए ग्राम प्रधान के साथ सह–हस्ताक्षरकर्ता बनाया गया था।

आजीविका संबंधी काय: परियोजना को परियोजना क्षेत्र के सभी ग्राम निवासियों को लक्ष्य बनाने के लिए तैयार किया गया था इस तरह परियोजना के लाभ साझा किए गए। कमजोर समूह निधि के समर्थन के माध्यम से समुदाय के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को संबोधित किया गया था।

परियोजना में एक सामाजिक लेखा प्रक्रिया के रूप में सहभागी अनुश्रवण और मूल्यांकन (पी.एम.ई.) किया गया था। परियोजना क्षेत्र में समुदाय के लिए पी.एम.ई. एक महत्वपूर्ण फीडबैक और सीखने का तंत्र साबित हुआ।

पाइन ब्रिकेटिंग: इस परियोजना ने पाइन ब्रिकेटिंग को एक अग्रणी उद्यम के रूप में पेश किया, जो महिलाओं के कठिन परिश्रम और जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य को पूरा करता है। पाइन ब्रिकेट भी एक आय पैदा करने वाली गतिविधि थी, जहाँ उपयोगकर्ता समूह अपने गाँव और आस–पास के बाज़ार में ब्रिकेट बेच सकते थे।

लागत सहभाजन: ग्रामीण आबादी की उत्पादकता और आय बढ़ाने वाली गतिविधियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना ने व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा लागत को साझा करने पर जोर दिया, इसके लिए लागत सहभाजन मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे।

ग्राम पंचायतों की क्षमता बढ़ाना: परियोजना निधियों का उचित, प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में खाता सहायक की नियुक्ति के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई। यह खाता सहायक आम तौर पर लेखा प्रक्रियाओं में ज्ञान रखने वाला गाँव का निवासी था। इस अनुभव से एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., आई.डब्ल्यू.एम.पी. आदि जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों को लाभ होगा।

उपयोगकर्ता समूहों के माध्यम से स्थिरता: भविष्य की जीविका और सामान्य संपत्ति के संचालन एवं प्रबन्धन (operation and management) के लिए परियोजना में उपयोगकर्ता समूह बनाए गए थे। परियोजना में उपयोगकर्ता समूह विशेष रूप से पानी आधारित संरचनाओं जैसे कि सिंचाई टैंक, छत वषा जल संचयन टैंक, सिंचाई चैनल / गूल, नाला और तालाब के लिए थे। उपयोगकर्ता समूहों के सदस्यों ने नियमित बैठकों का आयोजन किया और निर्मित आम संपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए निधि

उत्पन्न की। इन निधि को उस विशेष उपयोगकर्ता समूह क नियमों और विनियमों के आधार पर मासिक आधार पर या फसल के आधार पर एकत्र किया गया था।

4.1.5 (आई.सी.आर., ग्राम्या 1)

- **प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सशक्तिकरण आवश्यक हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं।** भारत सरकार से पी.आर.आई. के लिए स्थानांतरण में भारी वृद्धि संभावित समुदायों को, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को, आवश्यक जलागम उपचार के लिए धन का एक स्रोत प्रदान करती है। जी.पी.डब्ल्यू.डी. पी. के सफल कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण के साथ–साथ इन निवेशों को बनाए रखने और थामे रखने के लिए ग्राम पंचायत को तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण की भी आवश्यकता होती है। ग्राम्या I ने जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. को तैयार करने और कार्यान्वित करने में एक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसने सामाजिक जवाबदेही सहित ग्राम पंचायत प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किया। खाता सहायकों के रूप में युवा भागीदारी विशेष रूप से प्रभावी थी। भागीदारी के दृष्टिकोण ने लक्षित ग्राम पंचायतों में पानी के उपयोगकर्ताओं, एफ.आई.जी., स्वयं सहायता समूहों, और कमजोर समूह के बीच स्वामित्व को बढ़ावा दिया, जो परियोजना निवेशों की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

- **जल विज्ञान में विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।** जलागम विकास को इसके डिजाइन और कार्यान्वयन में भागीदारी और विज्ञान को संतुलित करना चाहिए। ग्राम्या I को विकेंद्रीकरण और भागीदारी पर जोर देने के साथ डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था, जो कि डिजाइन चरण में उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए उचित था। हालांकि, जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. या एम.डब्ल्यू.डी.पी. विकास/कार्यान्वयन और परिणाम रूपरेखा में परिणामी अनुश्रवण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भागीदारी के दृष्टिकोण से समझौता किए बिना, प्रस्तावित ग्राम्या II में परिणाम रूपरेखा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में बढ़ाया गया और उजागर किया गया।

- **जलागम विकास परियोजनाएँ भारत में वर्षा आधारित कृषि उत्पादकता में आवश्यक वृद्धि के लिए एक अनुरूप प्रतिक्रिया हैं।** जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. के निवेश ने जल धारण क्षमता में वृद्धि की, और प्राकृतिक जल स्रोत को बनाए रखने के लिए, आरक्षित वनों सहित सूक्ष्म जलागम स्तर पर व्यापक जलागम प्रबंधन, एस.एल.ई.एम. द्वारा प्रभावी साबित हुआ है। इन निवेशों के परिणामस्वरूप, ग्राम्या I ने वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण और प्रबंधन की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जब बेहतर बीजों और प्रबंधन प्रयोगों को संयोजित किया गया। वकल्पिक कार्यों के सापेक्ष लागत और लाभों की मात्रा निर्धारित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। ग्राम्या I के प्रभाव मूल्यांकन और आर्थिक विश्लेषणों ने वाटरशेड विकास में जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. और डब्ल्यू.एम.डी. द्वारा अर्जित अनुरूप लागतों और लाभों को निर्धारित किया और इन्हें इन विकल्पों के सापेक्ष ध्यान में रखा।

- **पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का पुनरुद्धार जलवायु परिवर्तन के शमन को हल कर सकता है, रेसिलिएन्स बढ़ा सकता है और आजीविका में योगदान कर सकता है।** ग्राम्या I ने पाइन

नीडल ब्रिकेटिंग की शुरुआत की, जिसे एस.एल.ई.एम. द्वारा बढ़ाया गया। एस.एल.ई.एम. ने अन्य पारंपरिक गतिविधियों जैसे घराट बिजली उत्पादन, ओक का प्राकृतिक उत्थान और बांस की टोकरी बनाने और स्थानीय पौधों को बढ़ावा दिया। इन सभी गतिविधियों ने न केवल आय में वृद्धि के लिए क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि आय के स्रोतों में भी विविधता लाई, जिससे आजीविका और बाजार के विकल्पों में रेसिलिएन्स बढ़ गया, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में विकसित हुए।

स्टाफिंग: डब्ल्यू.एम.डी. ग्राम्या I में कार्मिकों की कमी थी, इसे मध्यावधि समीक्षा द्वारा पूरा किया गया। इस परियोजना में 509 पद थे, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत पर कृषि, वानिकी, बागवानी, पशुपालन, सिंचाई और ग्रामीण विकास विभागों के दूसरे विभागों के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड राज्य एक अपेक्षाकृत नया राज्य होने के कारण विशेष रूप से कृषि और बागवानी विभागों के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भारी कमी है। इन तकनीकी पदों के लिए स्टाफिंग लगभग 70 प्रतिशत थी। परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, डब्ल्यू.एम.डी. ने समग्र परियोजना कार्यान्वयन, सामाजिक गतिशीलता, और पी.एम.ई. में गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न परियोजना प्रदाताओं को अनुबंधित किया, जिसमें जूनियर इंजीनियरों और लेखा सहायक के लिए नए स्नातक शामिल हैं।

लक्ष्यीकरण: लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या मूल रूप से नियोजित संख्या की तुलना में चार प्रतिशत अधिक थी, जबकि प्रबंधन के तहत क्षेत्र मूल रूप से नियोजित क्षेत्र की तुलना में लगभग 21.7 प्रतिशत कम था। पी.ए.डी. के अनुसार, ग्राम्या I, निम्नलिखित 19 विकास खण्डों में 76 लक्ष्य सूक्ष्म जल क्षेत्रों में 300,000 हेक्टेयर का इलाज करने के लिए 19 विकास खण्डों में 450 ग्राम पंचायतों का समर्थन करने के लिए था: अगस्तमुनि, बागेश्वर, भिकियांसैण, चिन्यालोसौड़, चौखुटिया, द्वाराहाट, द्वारोखाल, गंगोलीहाट, गरुड़, जयहरीखाल, जौनपुर, कालसी, कपकोट, कर्णप्रयाग, लोहाघाट, मूनाकोट, थौलधार, और विण। गाम्या I को भिकियासैंण, कर्णप्रयाग, मूनाकोट और विण में लागू नहीं किया गया, बल्कि बाराकोट, धारी और ओखलकांडा में (कुल 18 ब्लॉक में) किया गया। लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 450 बनाए रखने में, जून 2007 (जून 2007 के मिशन एड मेमोइरे में स्वीकार किया गया) में लक्ष्य क्षेत्र को 18 ब्लॉक में 234,000 हेक्टेयर (मूल रूप से नियोजित संख्या की तुलना में 22 प्रतिशत कम) क्षेत्र के लिए समायोजित किया गया था। संशोधित लक्ष्य क्षेत्रों में, 118,000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी (आरक्षित वन को छोड़कर), जिसमें 67,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, 25,000 हेक्टेयर गैर कृषि योग्य भूमि, 5,000 हेक्टेयर जैव कार्बन वानिकी, 5,000 हेक्टेयर अविकसित गैर–सीमांकित वन, और 16,000 हेक्टेयर अंतर–ग्राम पंचायत क्षेत्र शामिल थे। नवंबर 2008 में मध्यावधि समीक्षा में, लक्षित 76 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों का प्री तरह से उपचार करने के लिए लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 468 (मूल रूप से नियोजित संख्या की तुलना में चार प्रतिशत अधिक) की गई

वनीकरण: जलागम प्रबंधन और स्रोत स्थिरता के एक हिस्से स्वरूप, परियोजना एम.डब्ल्यू.एस. में लगभग 17,475 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया। प्रबंधन इस प्रकार था: (i) 5,676 हेक्टेयर में वनीकरण मॉडल, (ii) 5,340 हेक्टेयर में सिल्विपाश्चर मॉडल, और (iii) 6,459 हेक्टेयर में फ्यूलवुड मॉडल जहाँ प्रति हेक्टेयर पौधे का घनत्व 800 से 1,600 पौधे तक था। परियोजना द्वारा पौधे की स्थापना, विकास और उपज मूल्यांकन का कोई व्यवस्थित प्रलेखन नहीं किया गया था। 45 प्रतिशत की रोपण अस्तित्व दर को देखते हुए, उपज अनुमानों की गणना वनीकरण कार्यों से प्राप्त उपलब्ध डब्ल्यू.एम.डी. डेटाबेस के आधार पर की जाती है जो ग्राम्या I कार्यों के समान हैं।

4.2 ग्राम्य 2

ग्राम्य 2 ग्राम्य 1 का सिक्वल है जो 15th जुलाई, 2014 को शुरू की गई थी और वर्तमान में संचालित परियोजना है। यह परियोजना 30 सितंबर 2021 को पूर्ण होगी। यह परियोजना कार्यान्वयन के अपने 5वें वर्ष में है। परियोजना क्षेत्र स्तर पर पी.आई.ए. के तौर पर ग्राम पंचायत के साथ उत्तराखंड जलागम प्रबंधन निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

यह परियोजना 2638.37 वर्ग किमी के एक क्षेत्र को आवृत करते मध्य हिमालय के 82 चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में कार्यरत है और उससे 524 ग्राम पंचायतों के लगभग 66,600 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना II (इसके बाद ग्राम्य II के रूप में जानी जाएगी), उत्तराखंड राज्य में चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में सहभागो समुदायों द्वारा प्राकृतिक संसाधन उपयोग की क्षमता और वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए है। यह परियोजना वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक सात वर्षों में क्रियान्वित होगी। यह परियोजना 2638.37 वर्ग किमी के एक क्षेत्र को आवृत करते मध्य हिमालय के 82 चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में कार्यरत है और उससे 509 (523) ग्राम पंचायतों के लगभग 55,600 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

4.2.1 अपेक्षित परिणाम संकेतक (पी.ए.डी., ग्राम्य 2)

1. जल निर्वहन में वृद्धि – परियोजना के अंत में 25% (7वाँ साल)
2. बायोमास में वृद्धि – परियोजना के अंत में 20% (7वाँ साल)
3. सिंचाई के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि – परियोजना के अंत में 20% (7वाँ साल)
4. सिंचित और बरसाती फसलों में उत्पादकता में वृद्धि – परियोजना के अंत में सिंचित के 50% और बरसाती फसलों के 20% (7वाँ साल)
5. परियोजना कार्यों से 80% परिवार सीधे लाभान्वित होने चाहिए।

परियोजना में अनुश्रवण

1. आंतरिक अनुश्रवणः डब्ल्यू.एम.डी. स्टाफ द्वारा, एम.आई.एस./जी.आई.एस. और क्षेत्र के दौरों के माध्यम से।
2. बाह्य अनुश्रवणः आधाररेखा सर्वेक्षण, समवर्ती अनुश्रवण, मध्य–अवधि समीक्षा आर अंतिम प्रभाव मूल्यांकन।
3. सामाजिक लेखा परीक्षाः हितधारकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी अनुश्रवण और मूल्यांकन (पी.एम.एन्ड ई.)।
4. पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा अनुश्रवणः ग्राम पंचायत / एम.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के साथ एकीकृत।
5. साक्ष्य आधारित अनुश्रवणः लघ अध्ययनों और परामर्शदात्रियों द्वारा।
6. हाइड्रोलॉजिकल अनुश्रवणः जमीनी स्तर पर सतत निगरानी, गाद भार में कमी और चयनित एम. डब्ल्यू.एस. पर जल उपलब्धता में वृद्धि।

समवर्ती अनुश्रवण विभिन्न परियोजना घटकों के सापेक्ष उपलब्धियों की प्रगति को मापने के लिए सक्षम बनाता है, यह इनपुट–आउटपुट संबंधों, और नियोजन प्रक्रिया में पहचाने गए अपेक्षित परिणामों के संबंध में उपलब्धि और कार्यों की गुणवत्ता की मात्रा के अनुश्रवण के लिए एक अंतःस्थापित प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य हैं, भौतिक और वित्तीय प्रगति को समझना और अपेक्षित परिणामों के साथ इनपुट और आउटपुट को सत्यापित करना।

बाह्य एम. एन्ड ई. परामर्शदाता के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है एम.आई.एस. आधारित आंकड़ों का विश्लेषण करके परियोजना की 6 मासिक प्रगति का अनुश्रवण करना और परियोजना लक्षित परिणामों पर अंतरिम अनुमानों का कार्य करना। अनुश्रवण रिपोर्ट परियोजना द्वारा प्रदान किए गए परियोजना आउटपुट पर भौतिक प्रगति के आंकड़ों के आधार पर और कृषि और बागवानी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रगति कार्यान्वयन के स्वतंत्र गुणात्मक क्षेत्र मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जाती है। गुणात्मक मूल्यांकन में परियोजना कार्यान्वयन में मुद्दों की पहचान करने और परियोजना हितधारकों और लाभार्थियों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने; और परियोजना के सुचारू वितरण में अवसरों और बाधाओं की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

परियोजना विकास उद्देश्यों के नियमित अनुश्रवण के लिए यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. द्वारा बाह्य एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। सूत्र द्वारा छह मासिक स्थिति रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, जिसे परियोजना के लिए नियुक्त किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से नियमित आंतरिक अनुश्रवण भी किया जाता है।

4.2.2 उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजनाः मार्च 2018 – सितंबर 2018 (स्रोतः तीसरा छह मासिक समवर्ती अनुश्रवण रिपोर्ट – यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. II, सूत्र कंसल्टिंग)

अनुश्रवण कोर क्षेत्रों से संबंधित सांकेतिक चेकलिस्ट का अनुसरण करके एक इंटरैक्टिव मोड में किया जाता है। इस प्रक्रिया में भौतिक, वित्तीय स्थिति की डेस्क समीक्षा और परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित सभी अनुरूप रिकॉर्ड की समीक्षा, परियोजना में स्वीकृत किए अनुसार कार्यान्वित और जारी कार्य का भौतिक सत्यापन, परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सी.बी.ओ., स्टाफ और लाभार्थी किसानों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ ऑन–फील्ड चर्चा शामिल है।

आज तक के परिणामों का सारांशः

संकेतक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य							परियोजना के अंत में प्राप्त किया जाने वाला संचयी लक्ष्य	सितंबर 2018 तक प्राप्त संचयी मूल्य	मार्च 2018 तक प्राप्त लक्ष्यों का %	लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 4 वार्षिक अनुमान (%)	नयोजित हाँ/ना
		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	वर्ष 6	वर्ष 7					
जल निर्वहन में वृद्धि (25%)	घन मीटर	-	-										
#बायोमास में वृद्धि	हेक्टेयर	-	-			10%	15%	20%	21878	9845	-	-	-
संकेतक दोः बायोमास	%				10	10	15	20	20%	बायोमास के तहत			

में वृद्धि										वर्तमान प्रगति क्षेत्र 9845 हेक्टेयर है **			
### सिंचित और वर्षा–सिंचित फसलों में उत्पादकता में वृद्धि	%	-	-	20 %	30% 5%	45% 10%	45% 15%	50% 20%	- -	मध्य अवधि में रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़े	-	-	-
संकेतक पाँच: प्रत्यक्ष परियोजना लाभार्थी, जिसमें से महिलाओं के %	नहीं				20,000	30,000	35,000	40,000	45,000	41,712	119.1	-	-

तालिका 4.3 स्रोतः छह मासिक रिपोर्ट, सूत्र कंसल्टिंग

****मध्य अवधि में रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़े*

**वर्ष 7 वह 7 वाँ साल है जिसमें प्राप्त किए जाने वाले कुल लक्ष्य शामिल थे*

4.2.2.1 प्रमुख उपलब्धियाँ

घटक 1 सामाजिक गतिशीलता और सहभागी जलागम आयोजन,

- 524 ग्राम पंचायतों में परिवारों (66,352) की कुल संख्या में से, जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी में परिवार की भागीदारी का दर 46% था। परियोजना की स्थापना के बाद से जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी में कमजोर परिवारों की भागीदारी 66% थी।

- 523 ग्राम पंचायतों में कुल 2638 महिला आम सभाएँ आयोजित की गई थी और कठोर परिश्रम में कमी, जल संचयन, चारे का उत्पादन, ईंधन, फलों के पेड़ और पशु आश्रयों के निर्माण, छत की मरम्मत, पॉली हाउस और अतिरिक्त आय के अवसरों से संबंधित डब्ल्यू.ए.एस. में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर भी विचार किया गया। इन महिला आम सभाओं में कुल 15798 प्रस्ताव' प्राप्त हुए और जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी में 73-3% को शामिल किया गया था।

- जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी के संदर्भ में, चौथे साल के लिए लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2017–18 (524) के सापेक्ष, सभी ग्राम पंचायतों के लिए जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी पूर्ण की गई है।

घटक 2 "जलागम उपचार और वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास"

उप–घटक 2(a) के तहत, जलागम प्रबंधन और स्रोत की उपलब्धता,

- कुल मिलाकर, कृषि–बागवानी उपकरणों ने परियोजना लक्ष्य 46% तक प्राप्त किया है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, प्रगति 16% है।

- वनीकरण घटक (वनीकरण और ए.एन.आर.) ने क्रमशः 78% और 37% की समग्र परियोजना उपलब्धि के साथ अच्छी प्रगति दर्ज की है। इस तिमाही के लिए वनीकरण घटक ने 20% की प्रगति दर्शाई है।

- ऊर्जा संरक्षण के उप घटक सौर लालटेन के बाद बायो गैस प्लांट के दो कार्यों में प्रभावशाली प्रगति हासिल की। हालाँकि परियोजना सौर लालटेन में समग्र परियोजना लक्ष्य से अधिक हो गई है, लेकिन समुदाय द्वारा आवश्यकता आधारित मांग के कारण इस पहल में निरंतरता बनी हुई है।

- ड्रेनेज लाइन प्रबंधन कार्यों के घटक के तहत, सूखे पत्थर और क्रेट वायर चेक डैम के निर्माण में कुल मिलाकर अधिकतम उपलब्धि क्रमशः 70% और 65% के साथ दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर, प्रतिधारण दीवार की प्रगति 41% पूर्णता दर तक पहुँच गई है। हालाँकि, इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीने की प्रगति को देखते हुए, प्रगति में तेजी लाना आवश्यक है।

- परियोजना की समग प्रगति में जल संचयन के विभिन्न घटकों में से, सौर पैनलों के साथ सौर वॉटर लिफ्टिंग पंप, प्री–फैब्रिकेटेड जियोमेम्ब्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस घटक में अन्य गतिविधियों के लिए समग्र उपलब्धि को देखते हुए, पुनर्भरण गड्ढों (79%), ग्राम सिंचाई तालाब (60%) वर्षा जल संचयन घटक (58%) और गाँव के तालाबों / डोंगा तालाबों (55%) में प्रगति थी। यह सभी आवश्यकता आधारित और समुदाय संचालित कार्य हैं।

- कुल मिलाकर, ग्रामीण सड़क सुधार और छोटे पुलों के निर्माण में क्रमशः 65% और 56% प्रगति हासिल हुई है। हालाँकि, इस अनुश्रवण अवधि के लिए राज्य में मौसम के लगातार खराब होने के कारण धीमी प्रगति हुई है।

उप–घटक 2(b) के तहत, वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास,

- परियोजना के संदर्भ में, उच्च उपज वाली कृषि फसलों का प्रदर्शन (वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए 0.2 हक्ट.) (95%), उच्च उपज वाली सब्जी फसलों के लिए प्रदर्शन (सिंचित क्षेत्र के लिए 0.08 हेक्ट.) (106%), होम्सटैड वृक्षारोपण (250 पौधे) (71%), उच्च उपज वाली कृषि फसलों के लिए समर्थन अभिग्रहण (वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए 0.06 हेक्ट.) (65%) और फलोद्यान विकास (250 पौधे/हक्ट.) (65%) के घटकों में अधिकतम उपलब्धि रही है। इस साल प्रगति के लिए, उच्च उपज वाली कृषि फसलों के प्रदर्शन (वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए 0.2 हेक्ट.), होम्सटैड वृक्षारोपण (250 पौधे) और फलोद्यान विकास (250 पौधे/हेक्ट.) में अच्छी प्रगति प्राप्त हुई है।

- पशु पालन कार्यक्रम के उप घटक में, लगभग सभी कार्य योजना के अनुसार प्राप्त हुए हैं। पर्वत (Paravet) (ए.आई. सेवाएँ) जो पहले पिछड़ रही थी, 62% की समग्र परियोजना उपलब्धि के साथ बहुत आगे बढ़ गई है। सबसे उल्लेखनीय प्रगति क्रमशः चरनी (156%) और एन.बी.सी. (86.7%) की गतिविधि में है। रिपोर्टिंग अवधि के लिए, इस घटक के तहत गतिविधि धीरे–धीरे तेज हो रही है।

- कुल मिलाकर, चारा उत्पादन कार्यक्रम ने चारा मिनिकिट के लिए एक प्रभावशाली 99% और नेपियर फसल सीमा रोपण के तहत 72% हासिल किया। चारा वृक्षारोपण, 63 हेक्टेयर प्रगति हासिल की। यदि इस अनश्रवण प्रगति को ध्यान में रखा जाए तो नेपियर फसल ने 69% प्रगति प्राप्त की है।

1.2 घटक 3 के तहत

उप घटक 3(a) कृषि व्यवसाय समर्थन के तहत आजीविका के अवसरों को बढ़ाना,

- सभी छह एग्री–बिजनेस समर्थन संगठन (ए.बी.एस.ओ.) एग्रीबिजनेस विकास और बाजार लिंकेजिस के लिए प्रभाग कार्यालयों और परियोजना लाभार्थियों (ग्रामीणों) के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष में, 1334 एफ.आई.जी. के माध्यम से एग्रीबिजनेस पहल के माध्यम से 14ए792 किसान लाभान्वित हुए हैं।

उप–घटक 3(b) के तहत कमजोर समूहों के लिए सहायता

- अगस्त 2018 तक कमजोर समूह निधि (वी.जी.एफ.) के तहत, 2646 लाभार्थी और 428 कमजोर समूह (वी.जी.) लाभान्वित हुए हैं। समूह गतिविधि में लाभार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ है टेंट हाउस, पारंपरिक नृत्य और वाद्ययंत्र के लिए पोशाक, आटा चक्की, बैंड पार्टी, खानपान, रेशे– कालीन, दरी, रस्सी, टोकरी बनाना, नाई की दुकान, बढ़ईगीरी, सिलाई, लोहार।

उप घटक 3 के तहत ग्राम्या I गतिविधियों का समेकन

- ग्राम्या–I में, 18 किसान संघ जो प्रसंस्करण केंद्रों से जुड़े थे और 9 किसान संघ संग्रह केंद्रों से जुड़े थे। वर्तमान में प्रसंस्करण इकाइयों के साथ और संग्रह केंद्र के साथ जुड़े सात सक्रिय किसान संघ हैं।

घटक 4 के तहत

ज्ञान प्रबंधन के उप घटक 4(a) के तहत ज्ञान प्रबंधन और परियोजना समन्वय

- इस छह मासिक प्रगति के लिए ज्ञान प्रबंधन घटक के तहत परियोजना की क्षमता–निर्माण की पहलों से संबंधित प्रगति में 1315 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें 61112 प्रतिभागी शामिल हैं (पुरुष–45.2% और महिला–54.7%)

सामाजिक और वित्तीय लेखापरीक्षा के संदर्भ में,

- 523 ग्राम पंचायतों में से, सामाजिक लेखा परीक्षा को सभी ग्राम पंचायतों में लक्षित किया गया था। सामाजिक लेखा परीक्षाओं के नियोजित 523 लक्ष्य के सापेक्ष, परियोजना 74.7% पूर्णता दर प्राप्त करने में सक्षम रही है यानी 391 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और समान प्रतिशत में "संतोषजनक" सामाजिक लेखा परीक्षा हुई है। "उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के दो जिलों के साथ कुछ परिचालन संबंधी मुद्दों" के कारण," सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं हो सकी थी। इन दो जनपदों के अलावा, अन्य सभी जनपदों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है ।

- वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए कुल लक्षित ग्राम पंचायत में से, परियोजना मार्च 2018 तक 74.7% की पूर्णता दर प्राप्त करने में सक्षम रही है। "संतोषजनक" वित्तीय लेखा परीक्षा दर्शाती ग्राम पंचायतों की संख्या भी 74.7% रहो है।

परियोजना समन्वय के उप घटक 4(b) के तहत,

- यह उप–घटक परियोजना क्रियान्वयन के प्रबंधन और निगरानी को वित्तपोषित करता है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित बजट के सापेक्ष व्यय 91.01% था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय रु.4504.99 लाख है, जबकि परियोजना की स्थापना के बाद से संचित व्यय रु.43435.59 लाख है

- वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर (एफ.एम.आई.एस.) आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। एफ.एम.आई.एस. का उपयोग करके नियमित रूप से वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। अलग–अलग घटक गतिविधियों के तहत गतिविधि वार लाभार्थियों के अनुश्रवण के लिए इन–हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

524 ग्राम पंचायतों में परिवारों की कुल संख्या (63,691) में से, परिवारों की भागीदारी का दर 76% था। जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. में कमजोर परिवारों की भागीदारी 66% पर थी (31049 कमजोर परिवारों में से 21722 परिवार)। जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. तैयारी में, राजस्व ग्राम / ग्राम पंचायत स्तर पर (सुविधा के अनुसार) जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी से पहले महिला आम सभा के आयोजन के माध्यम से महिला हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 524 जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी (48%) जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की तैयारी के समय पर्याप्त रूप से संबोधित की गई थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि परियोजना में परिकल्पित उद्देश्य के अनुसार गाँवों में सामाजिक गतिशीलता प्रभावी है।

524 ग्राम पंचायतों में कुल 64097 महिला आम सभाओं का आयोजन किया गया और डब्ल्यू.ए.एस. में प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे वह कठोर परिश्रम में कमी, जल संचयन, चारा, ईंधन, फलदार वृक्षों के उत्पादन और पशु आश्रयों का निर्माण, छत की मरम्मत, पॉली हाउस और अतिरिक्त आय के अवसर से संबंधित थे, पर भी विचार किया गया। महिला आम सभा में, इस चालू वर्ष में कुल 11580 प्रस्ताव* उठाए गए थे और 73.3% को जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. भुगतान में शामिल किया गया था।

जल और जलागम प्रबंधन समिति

ग्राम समुदायों की गतिशोलता में जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. की योजना, तैयारी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का नेतृत्व, कमजोर समूह कोष का प्रबंधन, ग्राम जलागम विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आर.वी.सी. और ग्राम पंचायत वार्षिक खातों आदि का लेखा–जोखा सुनिश्चित करने के लिए एफ.एन.जो.ओ. की सहायता के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी. का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है।

परियोजना द्वारा यह अनिवार्य है कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व, एस.सी./एस.टी. का समावेश सुनिश्चित किया जाए। 524 ग्राम पंचायतों में, कुल 3079 सदस्य हैं, जिनमें से महिला सदस्य 1817 (59%) हैं। सामाजिक श्रेणी वार एस.सी. 568 (31%), एस.टी. 154 (8.5%), ओ.बी.सी. 345 (19%) और सामान्य 751 (42%) हैं।

राजस्व ग्राम समितियाँ (आर.वी.सी.)

आधार के रूप में बजट का उपयोग करके ग्रामीण स्तर पर वित्तपोषित भागीदारी वाले जलागम की योजना बनाने के लिए सामाजिक गतिशीलता और सामुदायिक संचालित निर्णय को बढ़ावा देना और संसाधन उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के रूप में राजस्व ग्राम समितियों (आर.वी.सी.) की स्थापना करना; कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमियों का प्रबंधन; और ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनाओं (जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी.) में एकीकृत आर.वी.सी. प्रस्ताव।

524 ग्राम पंचायतों में, कुल आर.वी.सी. 1041 हैं जिसमें कुल सदस्य 7896 हैं जिनमें से महिला सदस्य 4337 (56%) हैं। + कुल महिला सदस्यों में से, सामाजिक श्रेणी वार एस.सी. 1012 (26%), एस.टी. 242 (8%), ओ.बी.सी. 706 (18%) और सामान्य 2178 (49%) हैं।

महिलाओं की भागीदारी: 524 ग्राम पंचायतों में कुल 64097 महिला आम सभाओं का आयोजन किया गया था और डब्ल्यू.ए.एस. में उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे – कठोर परिश्रम में कटौती, जल संचयन, चारा, ईंधन, फलों के पेड़ों का उत्पादन और पशु आश्रयों के निर्माण, छत की मरम्मत, पॉली हाउस और आय के अवसरों पर भी विचार किया गया। महिला आम सभाओं में, इस वर्तमान वर्ष में कुल 11580 प्रस्तावों को उठाया गया था और 73.3% को जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. तैयारी में शामिल किया गया था।

क्षेत्र दौरे के दौरान जी.पी.डब्ल्यू.डी.पी. के माध्यम से शामिल / कार्यान्वित किए जाने की मांग / प्रस्ताव में गतिविधियों / गतिविधियों की प्रकृति को समझने के लिए महिला आम सभाओं में प्रस्तावों का नमूना लिया गया था। नीचे दी गई तालिका (थत्यूड़ डिवीजन से) में ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या और साथ ही शामिल किए गए प्रस्तावों की संख्या को दर्शाया गया है। यह यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. में प्रस्तावों की कुल संख्या के सापेक्ष गतिविधि वार प्रस्तावों के प्रतिशत को भी स्पष्ट करता है। यह बहुत स्पष्ट है कि डिवीजन के प्रस्ताव में बीज, वर्षा जल संचयन टैंक, वृक्षारोपण और पशु आश्रय की सहायता का प्रभुत्व है।

इसी तरह की तर्ज पर, पी.एम.यू. (पौड़ी) में आम सभा में गतिविधियों के समावेश के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रस्ताव में शामिल अधिकांश गतिविधिया सड़कें, सोलर लाइट और वनीकरण संबंधित हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि गतिविधियों का समावेश आवश्यकता आधारित है और एक प्रभाग से दूसरे में भिन्न होता है।

4.2.3 दूध उत्पादन में बदलाव:

क्रम सं.	पशुओं के प्रकार	परियोजना की स्थापना से पहले (2014 & 15 से पहले)		परियोजना के कार्यान्वयन के बाद (2014 & 15 से आज तक)		मूल्य (रु.)	
		उत्पादन (लिटर / किलोग्राम)		उत्पादन (लिटर / किलोग्राम)		दूध (रु. / लीटर)	संख्या (रु. / इकाई)
		स्थानीय	उन्नत नस्ल	स्थानीय	उन्नत नस्ल		
1	गाय	1.59	0	2.11	6.45	28.00	0
2	भैंस	2.31	0	2.50	5.04	31.00	0
3	बकरी पालन	4.3	0	7.8	0	0	4500.00
4	मुर्गी पालन	0	0	25	0		350.00

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि परियोजना की शुरुआत के बाद दूध का उत्पादन थोड़ा बढ़ा है लेकिन उल्लेखनीय बात उन्नत नस्ल का परिचय है जहाँ दूध का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में है।

4.4.4 नीचे दी गई तालिका वर्तमान वर्ष 2018-19 (वर्ष 5) तक प्राप्त होने वाले लक्ष्य और सितंबर 2018 तक प्राप्त संचयी मूल्य को दर्शाती है (स्रोतः समवर्ती अनुश्रवण रिपोर्ट यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी., सूत्र कंसल्टिंग)

पी.डी.ओ. स्तर संकेतक	**इकाई**	**आधाररेखा**	**वर्ष 4(2017-18)**	**वर्ष 5 (2018-19)**	**सितंबर 18 तक प्राप्त संचयी मूल्य**
जल निर्वहन में वृद्धि	%	0	10		65.8% (10% से अधिक वाटर डिस्चार्ज एल.पी.एम. वाले जल स्रोतों का इलाज) (स्रोतः सूत्र, अक्टूबर 2018)
बायोमास में वृद्धि	%	0	10	10	बायोमास के अंतर्गत वर्तमान प्रगति क्षेत्र 9845 हेक्टेयर है
सिंचाई के तहत वर्षा आधारित क्षेत्र हेक्टेयर की वृद्धि	No.	5,262	4,500	5,000	3537 (वर्ष 4 के लिए आंकडे) (स्रोतः सूत्र, 2018)
सिंचित और वर्षा सिंचित फसलों में उत्पादकता में वृद्धि	%	0	30 5	45 10	50 20
प्रत्यक्ष परियोजना लाभार्थियों, जिनमें से महिला का%	No.	0	30,000	35,000	41,712

संकेतक 1: जल निर्वहन में वृद्धि

क्रम सं.	**प्रभाग का नाम**	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**पुनर्जी विकरण**	**जल निर्वहन में वृद्धि (%) एल.पी.एम. – मई – जून 2016 से मई – जून 2018)**			
				5-10(%)	**11-30 (%)**	**31-50 (%)**	**51> (%)**
1	अल्मोड़ा	87	148	70	40	30	8
2	बागेश्वर	43	32	15	10	4	3
3	पिथौरागढ	61	42	35	4	3	-
4	देहरादून	48	56	15	25	10	6
5	टिहरी	78	151	17	99	14	21
6	पौड़ी	62	137	39	53	24	21

7	रुद्रप्रयाग	61	58	30	15	6	7
8	उत्तरकाशी	60	20	8	5	5	2
9	एम.डब्ल्यू.एस. (पी.एम.यू.)	7	34	3	13	5	13
कुल		**504**	**678**	**232**	**264**	**101**	**81**

संकेतक 2: बायोमास में वृद्धि

बायोमास						
क्रम सं.	**प्रभाग का नाम**	**वानिकी (हेक्टेयर)**	**ओक ए. एन.आर. (हेक्टे.)**	**बागवानी (हेक्टे.) (फलोद्यान विकास + होम्सटेड वृक्षारोपण + बीज और अंकुर, बाग समूह)**	**चारा विकास (नेपियर फसल सीमा+ चारागाह पंक्ति) (हेक्टे.)**	**कुल वृक्षारोपण गतिविधियाँ (बायोमास में वृद्धि के संदर्भ में)'**
1	अल्मोड़ा	416	0	880.73	769.5	2066
2	बागेश्वर	508	0	401.14	630.28	1539
3	पिथौरागढ	493	55	661.59	265	1474
4	देहरादून	546	0	494.06	370.1	1410
5	पौड़ी	320	85	191.7	313	909
6	टिहरी	451	40	340.5	275	1107
7	रुद्रप्रयाग	266	0	101	155	522
8	उत्तरकाशी	271	0	184	150	605
9	एम.एम.डब्ल्यू. एस. (पी.एम.यू.)	37	0	70.6	105.33	213
	कुल	3307	180	3325.32	3033.21	9845

संकेतक 3: सिंचाई के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि

कार्य	**इकाई**	**समग्र परियोजना लक्ष्य**	**समग्र परियोजना उपलब्धि**	**% समग्र परियोजना उपलब्धि**
सिंचाई चैनल	किमी	283	123	44
सिंचाई टैंक	संख्या	1586	734	46
छत जल संचयन टैंक	संख्या	9445	5472	58
एल.डी.पी.ई. टैंक	संख्या	778	145	19
सौर पैनल के साथ सौर वोटर लिफ्टिंग पंप	संख्या	3	3	100
एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाइपलाइन	किमी	408	84	20
प्री फैब्रिकेटेड जियो मेम्ब्रेन जल संचयन टैंक	संख्या	3	3	100
ग्राम सिंचाई तालाब	संख्या	168	100	60

सिंचित क्षेत्र में सकल वृद्धि	3537 हेक्टेयर
जल धारण क्षमता में वृद्धि *	• 34,620 सिंचाई–भंडारण संरचनाओं के लिए • 140,719 तालाबों और अन्य परकोलेशन संरचनाओं के लिए • वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मिट्टी की नमी शोषण को प्रभावित करना

संकेतक 4: सिंचित और वर्षा सिंचित फसलों में उत्पादकता में वृद्धि

वर्षा सिंचित परिस्थितियों में प्रमुख फसलों की उत्पादकता में परिवर्तनः

फसल	परियोजना आधार रेखा (क्विंट/हेक्टे)	फसल उत्पादकता (2017-18)	% उत्पादकता में वृद्धि
चावल	11.23	14.49	29.03
गेहूँ	12.62	15.94	26.31
मक्का	12.97	17.7	36.47
मदिरा	11.65	12.96	11.24
सोयाबीन	8.90	10.14	13.96
रागी	12.05	13.91	15.41
काला चना	7.25	8.15	12.40
कुलथी	6.84	7.86	14.94
मसूर	7.31	8.39	14.77
सरसों/तोरिया	5.61	7.08	26.20

कार्य	इकाई	समग्र परियोजना लक्ष्य	समग्र परियोजना उपलब्धि	% समग्र परियोजना उपलब्धि
सिंचित				
उच्च उपज वाली सब्जी फसलों के लिए प्रदर्शन (सिंचित क्षेत्र के लिए 0.08 हेक्टे)	संख्या	**18950**	**20062**	**106**
पॉली टनल	संख्या	**13000**	**4563**	**35**
पॉली हाउस	संख्या	**2500**	**1575**	**63**
छत की मरम्मत / वनस्पति क्षेत्र की सीमा	घन मीटर	**88514**	**13968**	**16**
वर्षा सिंचित				
उच्च उपज वाली कृषि फसलों के लिए अभिग्रहण समर्थन फसलें (वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए 0.06 हेक्टे)	किसान	**50500**	**32697**	**65**
उच्च उपज वाली कृषि फसलों का प्रदर्शन (वर्षा सिंचित कृषि के लिए 0.2 हेक्टे)	संख्या	**14300**	**13635**	**95**

संकेतक 5:: प्रत्यक्ष परियोजना लाभार्थियों में से महिला का %

63%	किसानों ने प्रदर्शन और अभिग्रहण प्रथाओं के माध्यम से कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाया
14,792	कृषि व्यवसाय के माध्यम से किसानों को लाभ हुआ। 1,334 एफ.आई.जी. का गठन हुआ
22,134	पशुपालन सुधार के माध्यम से परिवारों को लाभ हुआ
4,786	2646 व्यक्तिगत और 428 समूह कुल 4786 कमजोर गृहस्थी को आई.जी.ए. के माध्यम से लाभान्वित किया गया, जिसमें 40% महिला लाभार्थी हैं।
41,712	**कुल प्रत्यक्ष लाभार्थी**

4.2.5 तीसरी छह मासिक समवर्ती अनुश्रवण रिपोर्ट – यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. 2 (सूत्र कंसल्टिंग, मार्च– सितंबर, 2018):

जल निकासी लाइन उपचार और मृदा संरक्षण

- जल निकासी प्रबंधन कार्यों के घटक के तहत, कुल मिलाकर सूखे पत्थर और क्रेट वायर चेक डैम के निर्माण में अधिकतम उपलब्धि क्रमशः 70% और 65% के साथ दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर प्रतिधारण दीवार की प्रगति 41% पूर्णता दर तक पहुँच गई है। हालाँकि, इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीने की प्रगति को देखते हुए, प्रगति में तेजी लाना अनिवार्य है।

प्रत्येक प्रभाग में एफ.आई.जी. की स्थिति और सदस्यों के बीच आयोजित बैठकों की संख्या नीचे दी गई तालिका में परिलक्षित होती है। उत्तरकाशी में एफ.आई.जी. की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इस प्रभाग में आयोजित की गई बठकों की संख्या सबसे कम है।

प्रभाग	**एफ.आई.जी.**	**आयोजित की गई बैठकों की संख्या**
पिथौरागढ	135	503
अल्मोड़ा	121	242
रुद्रप्रयाग	188	3998

प्रभाग	**एफ.आई.जी. संख्या**	**आयोजित की गई बैठकें**
उत्तरकाशी	210 139	
बागेश्वर	181	3177
विकासनगर	117	1333
पी.एम.यू.	28	124
थत्यूड़	161	1035
पौड़ी	193	6035
कुल	1334	16586

मुख्य समस्याऐं और सुझाव (तीसरी छह मासिक समवर्ती अनुश्रवण रिपोर्ट)

विवरण	समस्याऐं तथा प्रबंधन
जल निर्वहन	• जल स्रोत उपचार में प्रबंधन अच्छी है और प्रगति की वर्तमान दर के साथ यह निर्धारित समय सीमा से काफी पहले हो जाएगा। यदि लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लिए जाते हैं तो अतिरिक्त जल स्रोत प्रबंधन किया जा सकता है। • ए0डब्लू0एस0 से प्राप्त आंकड़ों को डब्लू0एम0डी0 एवं एम0एंड ई0 एजेंसी द्वारा एक्सेस किए जाने वाल आंकड़ों के प्रकार और एम0डब्लू0एस0 में उनकी जांच करने की आव"यकता है। तत्प"चात् डी0एल0टी0 संरचना के लाभों का पता लगाने के लिए वि"लेषण किया जा सकता है। • लक्षित 1521 स्थलों के सापेक्ष पारंपरिक जल संसाधनों के कायाकल्प के मामले में 44.6% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। प्रगति से पता चलता है कि शेष लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा इसी तरह की लाइनों पर आधारित पहल को और आगे ले जाया जा सकता है।
उत्पादकता में परिवर्तन	• उत्पादकता का पता लगाने के लिए फसल कटाई का आंकड़ा आवश्यक है
सामाजिक	• पी.एम.ई. को समय पर पूरा करने के लिए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि पी.एन.जी.ओ. के तहत ये दो प्रभाग गैर अनुक्रियाशील हैं, इसलिए पूर्ण सो"ाल ऑडिट नहीं हो सका। इसके अलावा, अन्य सभी प्रभागों ने शत–प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए गए हैं • परियोजना में महिलाओं की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना है। • आम सभा में प्रस्तावित प्रस्तावों के सापेक्ष लागू किए गए प्रस्तावों के प्रतिशत की प्राप्ति को महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति एक पूरी तस्वीर के रूप में फैक्टराइज़्ड किया जाना जाता है।
प्रत्यक्ष परियोजना लाभार्थी	• हालाँकि एम.आई.एस. स्तर पर प्रत्यक्ष लाभार्थी आंकड़ें संकलित करने के लिए प्रणालियाँ अब मौजूद हैं, लेकिन एम.आई.एस. स्तर पर इसकी कार्यक्षमता को तब तक पूरी तरह से महसूस किया जाना चाहिए जब तक कि विशेष लाभार्थी के सापेक्ष सभी लाभ एम.आई.एस. में स्पष्ट नहीं हो जाते।
मॉडल बनाना	• क्षेत्र में कृषि, बागवानी और दूध उत्पादन मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। लाभार्थियों को योजना से जोड़ना जहाँ ऐसे मॉडल बनाने में सफलता मिलने की संभावना है। (उदाहरण के लिए यदि कृ षि और डेयरी एक खेत में मौजूद हैं, तो बागवानी में सहायता करें) • नेपियर घास बारिश के मौसम में चारा देती है। सर्दियों के मौसम में चारे की कमी देखी जाती है। घास के संदर्भ में, थाईसैनोलीना (Thysolena) घास जो सर्दियों के मौसम में चारा पैदा करती है उसे लगाया जाना चाहिए।

	• फलोद्यान वृक्षारोपण को जैविक प्रमाणीकरण के तहत लाना (इसके लिए उत्तराखंड ऑर्गेनिक एंड कमोडिटी बोर्ड (यू.ओ.सी.बी.) और ए.पी.ई.डी.ए. से संपर्क किया जा सकता है)।
बागवानी	• पॉली हाउस का आकार मौजूदा वाले से बढ़ाया जाना चाहिए (लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले पॉली हाउस बहुत छोटे आकार के हैं जो केवल बीज के अंकुरण या नर्सरी रोपण के विकास के लिए उपयोग किए जाते हैं। नियंत्रित स्थितियों में गैर–मौसमी सब्जियां उगाने के लिए पॉली हाउस के आकार को बढ़ाने की जरूरत है) • आई.पी.एम. पर लाभार्थियों को शिक्षित करना, बागवानी में आई.एन.एम. प्रशिक्षणों का अत्यधिक महत्व है और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। • उत्पादन प्रणाली का विकास – जो अपशिष्ट को कम करता है और अपशिष्ट के पुनः उपयोग को अधिकतम करता है; प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के माध्यम से पलवार करना, आर.डब्ल्यू.एच., टपकन सिंचाई की जानकारी दी जानी चाहिए • मृदा नमी सुरक्षा के संरक्षण की आवश्यकता है ताकि "प्रति बूंद अधिक फसल" प्राप्त की जा सके। इस प्रकार भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। • लाभार्थियों को वर्षा जल संचयन और मिट्टी की नमी बनाए रखने के बारे में शिक्षित करना। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, आई.पी.एम. और आई. एन.पी. प्रशिक्षणों ने उद्यान प्रशिक्षण और सेब और अन्य फलों की फसलों के लिए प्रशिक्षण का पैकेज लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। • पानी की बचत करने वाले उपकरणों जैसे टपकन और फव्वारा प्रणालियों के लिए क्रेडिट प्रवाह, वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बैंकिंग प्रणाली के समर्थन से प्रोत्साहित किया जा सकता है। • बेकार और बंजर भूमि पर कई वृक्षों के साथ मिश्रित वृक्षों को उगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
बीज उत्पादन	• बीज के सुरक्षित भंडारण और वितरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी / अन्य व्यवस्था के तहत बीज भंडारण श्रृंखला विकसित की जानी चाहिए • परियोजना के अंत तक बीज प्रतिस्थापन अनुपात को 20-25% तक बढाना परियोजनाओं अनिवार्य (केवल खेत की फसलों के लिए) होना चाहिए। बीजों को सब्सिडी देने की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है ताकि एस.आर. आर. को बढ़ाया जा सके।
मधुमक्खी पालन	• सर्दियों के मौसम में पहाड़ियों में वनस्पतियों की उपलब्धता कम होने के कारण मदानों में शहद की मक्खियों को बेहतर चारागाहों में ले जाना आवश्यक होता है। • कुछ ही किसानों के पास यह शहद मधुमक्खियाँ हैं, इसलिए इस कार्य से प्राप्त वास्तविक शहद की तुलना में परिवहन की लागत बहुत अधिक होगी।

	• ऐसे जलवायु क्षेत्रों में स्वदेशी मधुमक्खियाँ (एपिस सेराना इंडिका (एपीडा)) बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले मधुमक्खी बक्से को उन्नत करना अधिक बेहतर होगा।
मुर्गी पालन	• मुर्गी पालन के मामले में, लाभार्थियों को चारा रूपांतरण अनुपात और खेत स्तर पर चारा तैयार करने के लिए तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। • प्रारम्भिक, उत्पादक और अंतिम आहार के बीच विशिष्ट लागत अंतर को देखते हुए, (प्रारंभिक चरणों में आहार बदलने से काफी आर्थिक प्रभाव हो सकता है। विभिन्न पोषक तत्व सामग्री के आहार का उपयोग इन सिफारिशों का बदल सकता है)
विपणन	• मदर डेयरी, किसान और रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया जाना चाहिए। टमाटर उत्पादन की वृद्धि के साथ क्षेत्र में कुछ उपर्युक्त कंपनियों के साथ गठजोड़ किया जा सकता है। • वर्तमान में इकाई से बहुत कम उत्पादन होता है जिसे एक स्वतंत्र उद्यम के रूप में नहीं लिया जा सकता है। राज्य में अन्य संगठनों के साथ गठजोड़ किया जाना चाहिए जो पहले से ही इन तेलों को बेच रहे हैं। इन तेलों की आपूर्ति ब्रांडेड और पैक्ड होने के बजाय कच्चे माल के रूप में बड़े संगठनों को कुमाऊं में चिराग, के.वी.आई.सी., बायोटिक आयुर्वेद (पोंटा साहिब, एच.पी) आदि जैसे ब्रांडों के साथ की जानी चाहिए। • वृक्षारोपण और बागवानी उत्पादन के लिए आवश्यक पिछड़े और अग्रणी लिंकेज के लिए प्रावधान के माध्यम से प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। • कम–लागत संग्रह केंद्र और सुविधाएँ बनाई जानी चाहिए और फिर बाजार के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए।
एफ.आई.जी.	• मूल्य श्रृंखलाएं स्थानीयकृत हैं और उत्पादन कम मात्रा में है। उपज का एकत्रीकरण और विपणन अधिक नहीं है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए एफ.आई.जी. के एक क्षैतिज लिंकेज की आवश्यकता है।
जल निकासी लाइन उपचार	• गांव सुन्ना (सिमर खाल) में एक "मौसम स्टेशन" का दौरा किया गया था और केवल एक डिजिटल वर्षा गेज वहां स्थापित किया गया था। मौसम केंद्र में अन्य महत्वपूर्ण मौसम संबंधी आंकड़ों जैसे वाष्पीकरण, तापमान (न्यूनतम और अधिकतम), आर्द्रता आदि के लिए प्रावधान होना चाहिए जो फसल योजना, जल बजट, फसल के लिए पानी की मांग आदि के लिए उपयोगी है। वर्षा की मात्रा, वर्षा दिवसों की संख्या, अधिकतम दैनिक वर्षा, आदि संबंधित आंकड़ें (मासिक औसत आधार) को साइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सभी मौसम संबंधी आंकड़े उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए एक वेबसाइट में सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने चाहिए। • मौसम स्टेशन पर दर्ज वर्षा संबधित आंकड़े संबंधित एजेंसी (डब्ल्यू.ए.पी.सी. ओ.एस.) द्वारा सीधे लिए जा रहे हैं। वर्तमान में, वर्षा के आंकड़ों के मापदंडों

	का विश्लेषण किया जा रहा है जैसे कि वर्षा की मात्रा, अवधि, तीव्रता और आवृत्ति जो मिट्टी और जल संरक्षण (एस.एंड डब्ल्यू.सी.) संरचनाओं, फसल योजना और जल बजट के डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, किसी अवधि में वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण समय और पैटर्न (मौसम के आगमन / वापसी सामान्य, विलंबित या जल्दी है), सूखा, अतिरिक्त अपवाह आदि को जानने में सहायक हो सकता है। संक्षेप में जलागम विकास गतिविधियों के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करने की आवश्यकता है। • क्षेत्र में पानी की भारी कमी है, छत के ऊपर जल संचयन टैंक की स्थापना बहुत उपयोगी पाई गई। हालाँकि, अनियंत्रित तरीके से टैंक के आउटलेट से अतिरिक्त पानी निकल रहा था। मिट्टी में अधिक पानी भरने के लिए इसे या तो दूसरे आर.डब्ल्यू.एच. टैंक से जोड़ा जाना चाहिए या पुनर्भरण प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। पानी की मांग को देखते हुए इस तरह के आर.डब्ल्यू. एच. टैंक का निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। • जल संरक्षण / पुनर्भरण उपायों की क्षमता 0.4 मिलियन लीटर / हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है और इसलिए इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एम.डब्ल्यू.एस. को संतृप्त करने और विभिन्न संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आगे वाटर रिचार्ज और डी.एल.टी. उपायों (समोच्च खाइयों, रिचार्ज गड्ढों, चेक डेम) का निर्माण करने का प्रावधान है। समोच्च खाई कम लागत, निर्माण में आसान, रोजगार सृजन करने वाली होती हैं और उनकी जल संरक्षण और पनर्भरण की क्षमता अधिक होती है। किसानों को शुरू में उनके बारे में संदेह था लेकिन अब उनकी उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हैं। जहाँ भी संभव हो, जल संग्रहण सुविधाओं को और बढ़ाया जा सकता है। बेहतर जल उपयोग दक्षता के लिए टपकन सिंचाई का अधिकतम संभव हद तक प्रयोग किया जा सकता है। • उन जगहों पर जहां डी.एल.टी. संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, संरचनाओं की प्रभावशीलता में सुधार के लिए स्थानीय रूप से अनुकूलित और मिट्टी संरक्षण वनस्पति प्रजातियों का रोपण डी.एल.टी. संरचनाओं (जैसे नेपियर, वीटेक्स, इपोमिया आदि) के साथ लगाया जाना चाहिए। • एक विशेष स्थान पर आर.डब्ल्यू.एच. टैंक के इष्टतम डिजाइन के लिए, छत और वर्षा पैटर्न के सतह क्षेत्र में योगदान करने वाले कुल अपवाह को ध्यान में रखा जाना चाहिए। • स्रोत जल के अनुश्रवण से पता चलता है कि प्रवाह पर जल पुनर्भरण उपायो का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। • ग्रीष्म ऋतु में स्रोत बहाव का मापन 5-6 एल.पी.एम., शीत ऋतु में 7-8 एल. पी.एम. एवं वर्षा ऋतु में 14-15 एल.पी.एम. प्राप्त हुआ है। स्रोत के पानी के अनुश्रवण ने बहाव में सुधार पर जल पुनर्भरण संरचनाओं का सकारात्मक प्रभाव भी संज्ञानित हुआ है। • कृषि / बागवानी गतिविधियों में आगे की योजना प्रक्रिया के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों का अच्छा उपयोग करने के लिए डब्ल्यू.एम.डी. पर डाटा

	प्रबंधन सेल की स्थापना की जानी चाहिए।
आर्थिक विश्लेषण	• प्रमाणित बीज उत्पादन को अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सकता है। हालाँकि, कृषि व्यवसाय के कर्मियों को बीज की सहायता के लिए राष्ट्रीय बीज निगम / राज्य बीज निगम या कृषि विभाग के साथ संयोजन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संघ द्वारा उत्पादित सभी प्रमाणित बीज समय पर विक्रय किए जाते हैं। • पॉली हाउस से पांच गुना अधिक रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, पॉली हाउस के तहत सीमित सिंचाई के साथ उत्पादन का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। • दोनों ब्रायलर के साथ–साथ कुरॉयलर चिकन से जुड़ी विपणन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, छोटी इकाइयों के विस्तार की सिफारिश नहीं की गई है। यह बेहतर होगा यदि पोल्ट्री किसानों की बड़ी इकाइयों / या महासंघ का गठन थोक खरीदार के साथ जुड़ाव से हो।
पशुपालन	• मौजूदा बायोमास पर दबाव को कम करने के लिए स्टाल फीडिंग पर अधिक ध्यान दें।

4.2.6 यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. 2 में कर्मचारियों की स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	मुख्य परियोजना निदेशक	1	1	0
2	मुख्य परियोजना निदेशक	1	0	1
3	परियोजना निदेशक	2	2	0
4	अपर निदेशक	2	2	0
5	संयुक्त निदेशक (कृषि / उद्यान / पशुपालन)	3	1	2
6	उप निदेशक	1	1	0
7	उप निदेशक (योजना / दस्तावेज / प्रसार)	1	1	0
8	उप निदेशक (प्रशासन / प्रशिक्षण)	1	1	0
9	उप निदेशक (पर्यावरण विशेषज्ञ) / ई.एस.ए. इकाई	1	0	1
10	उप निदेशक पी.एम.यू.	1	1	0
11	वरिष्ठ वित्त और खाता अधिकारी	1	1	0
12	उप परियोजना निदेशक	6	6	0
13	सहायक निदेशक (जी.आई.एस. / एम.आई.एस.)	1	0	1

	/ परियोजना अर्थशास्त्री			
14	सहायक निदेशक (क्षमता विकास / प्रलेखन)	1	0	1
15	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) / ई.एस.ए. इकाई	1	0	1
16	सहायक निदेशक	1	0	1
17	सहायक अभियंता / सहायक निदेशक	3	2	1
18	सहायक निदेशक (परियोजना) / सहायक वन संरक्षक	6	1	5
19	कृषि / उद्यान अधिकारी	6	3	3
20	पशुचिकित्सक	6	4	2
21	वित्त अधिकारी	3	0	3
22	सहायक वित्त और लेखा अधिकारी	1	0	1
23	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1
24	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	5	5	0
25	अतिरिक्त सांख्यिकीय अधिकारी	11	5	6
26	वन कलेक्टर / विषय विशेषज्ञ / यूनिट अधिकारी	22	16	6
27	प्रशासन अधिकारी	2	5	-3
28	व्यक्तिगत अधिकारी	1	0	1
29	वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक	2	2	0
30	मुनीम	4	0	4

उप निदेशक (पर्यावरण विशेषज्ञ), सहायक निदेशक (जी.आई.एस. / एम.आई.एस.), सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), वित्त अधिकारी के पद रिक्त हैं। सहायक वन संरक्षक के 6 में से 5 पद खाली हैं।

संदर्भः

- अंतिम प्रभाव आकलन रिपोर्ट, ग्राम्य 1, टी.ई.आर.आई.
- कार्यान्वयन पूर्णता रिपोर्ट, ग्राम्य 1
- परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. (ग्राम्य 2)
- तीसरा छह मासिक समवर्ती अनुश्रवण रिपोर्ट – यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. II, सूत्र कंसल्टिंग
- जलागम प्रबंधन निदेशालय, उत्तराखंड

अध्याय 5

पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति

पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। स्वतंत्रता के उपरांत, भारतीय संविधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी की व्यवस्था की गई। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था को बुनियादी ढांचे के साथ–साथ व्यवस्था के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सुशासन को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा के वितरण की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए विकेंद्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में भी वृद्धि होती है। सहभागी स्थानीय बजट, जिसमें लोक प्रशासकों से लेकर स्थानीय सरकारों और नागरिकों के लिए स्थानीय बजट आवंटन से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियों का हस्तांतरण शामिल है, और विकेंद्रीकरण की गति को तेज करता है सहभागितापूर्ण बजट, नागरिकों को अपने समुदायों में संसाधन आवंटन पर विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) का गठन 27 मई 2004 को एक अलग मंत्रालय के रूप में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग **IX** के कार्यान्वयन, पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में पी.ई.एस.ए. अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन और जिला योजना समिति की निगरानी करना है। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की आधारशिला बनाया गया ओर भारत के संविधान के भाग **IX** में शासन में लोगों की भागीदारी को आधार बनाया गया। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के माध्यम से प्रावधानों को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत हस्तक्षेप, पक्षसमर्थन, क्षमता निर्माण, योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से अनुनय, केंद्रीय वित्त अनुदान के तहत वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। (स्रोतः **Panchayat.gov.in**)

पंचायती राज मंत्रालय का दृष्टिकोण पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और भागीदारी आधारित स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है।

ग्राम सभाओं / पंचायतों में निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं (स्रोतः पी.ई.एस.ए.):

ग्राम सभा

- सुरक्षा और संरक्षण
    - परंपराएं, रीति–रिवाज, सांस्कृतिक पहचान
    - सामूहिक संसाधन
    - विवाद समाधान का प्राचीन विधी

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापितों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
- पंचायत द्वारा उपयोग किए गए धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना
- लाभार्थियों की पहचान करना
- योजनाओं, कार्यक्रमों को स्वीकृति देना

पंचायत

- लघु जल निकायों के लिए योजना निर्माण और उनका प्रबंधन।

ग्राम सभा या पंचायत

- लाइसेंस / पट्टे के लिए अनिवार्य सिफारिशें, खानों और खनिजों के लिए रियायतें।

ग्राम सभा और पंचायत

- नशीले पदार्थों की बिक्री / खपत को नियंत्रित करना
- जंगलों से प्राप्त होने वाले गैर काष्ट उत्पादों का स्वामित्व
- भूमि के अन्य कार्यों के लिए हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित हुए भूमि को बहाल करना
- गांव में बाजारों का प्रबंधन करना
- अनुसूचित जनजाति को धन उधार देने पर नियंत्रण
- सामाजिक क्षेत्र, स्थानीय योजनाओं – आदिवासी उप–योजनाएं और संसाधन सहित में संस्थाओं और अधिकारियों पर नियंत्रण रखना।

5.1 राज्य में पंचायतों के बारे में सामान्य जानकारीः

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत क्षेत्र	जिला पंचायत
तीन स्तरीय पंचायतों की संख्या	**7594**	**95**	**13**
निर्वाचित सदस्यों की संख्या	**53103**	**3266**	**438**
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	**34400**	**1654**	**220**
महिलाओं के लिए निश्चित आरक्षण का प्रतिशत	**50**	**50**	**50**
प्रत्येक पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या	**12998**	**713**	**92**
प्रत्येक पंचायत स्तर पर अनुसूची जनजाति प्रतिनिधियों की संख्या	**2099**	**101**	**12**

5.2 पंचायती राज विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएँः

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (जी.पी.डी.पी.)

विकेंद्रीकृत योजना–निर्माण

14वें वित्त आयोग पुरस्कार ने ग्राम पंचायत के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक अवसर तैयार किया है। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी और उपयोग करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि एफ.एफ.सी. अवार्ड के अधीन व्यय करने से पहले राज्य कानूनों के अनुसार ग्राम पंचायतों को उनके लिए वर्णित कार्यों के भीतर बुनियादी सेवाओं के लिए उचित योजना तैयार की जानी है।

संवैधानिक अधिदेश के संदर्भ में, इन योजनाओं को प्राथमिकताओं और परियोजनाओं के निर्माण में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा, को शामिल करने वाली सहभागी योजनाएं हानी चाहिए और ऐसा करते हुए अनुच्छेद 243 जी में वर्णित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के अधिदेश को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में एक एकीकृत निर्धनता न्यूनीकरण योजना के माध्यम से गरीब और वंचित तबके के लोगों की कमजोरियों को दूर करने और उनके लिए आजीविका के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट घटक होना चाहिए जो कि एम.जी.एन.आर.ई.जी. एस. के अधीन श्रम बजट और परियोजना कार्यान्वयन के साथ संयोजित हो।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में (मंत्रालय की वेबसाइट के अवलोकन के उपरांत), ग्राम पंचायतों के लिए सभी स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने का निर्णय लिया गया। योजना के सुचारू निष्पादन के सुनिश्चित करने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों और राज्य, जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायतों के रेखीय विभागों को वर्ष 2016 तक प्रशिक्षित किया गया हैः

- उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर के माध्यम से 315 सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के 1955 प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया गया है, प्रत्येक जिले में 04 राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ और जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तथा जिला स्तर पर 1240 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। क्लस्टर स्तर पर, 10 ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके माध्यम से, 800 समूहों से कुल मिलाकर 26958 प्रतिनिधियों / कार्यकर्ताओं को 7950 ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित किया गया है।

- डॉक्यूमेंट्री, पैम्फलेट, टेम्पलेट, स्ट्रीट व्यूअर, बल्क मैसेजिंग आदि के माध्यम से योजना का प्रचार किया गया।

- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए, जनवरी 2018 तक 94 मास्टर ट्रेनर्स और 21919 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। विभागीय / रखीय विभागों के क्षमता निर्माण के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2017–18 में, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए, सभी 7594 ग्राम पंचायतों ने खुली बैठकों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई है और 7949

योजनाओं को योजना प्लस पर अपलोड किया गया है, जबकि वर्ष 2018–19 में, 7954 ग्राम पंचायतों के संबंध में, ग्राम सभा की कुल 7136 बैठकें आयोजित की गई हैं, 7602 स्वीकृत योजनाओं और 4719 ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस पर अपलोड किया गया है।

- "सबकी योजना, सबका विकास" के अधीन भागीदारी ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के बीच, महात्मा गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण बैठकें पूरी हो चुकी हैं और जी.पी.डी.पी. के लिए ग्राम सभा की बैठक की प्रक्रिया प्रगति पर हैं।

5.3 राज्य वित्त आयोग

बजट का आवंटन राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग के अधीन किया जाता है। वर्तमान में, जनपदवार राशि का आवंटन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21) द्वारा निम्न लिखित तालिका के अनुसार किया गया है

वर्ष	ग्राम पंचायत (लाखों में)	क्षेत्र पंचायत (लाखों में)	जिला पंचायत (लाखों में)
2016–17	9442.60	3777.00	5714.91
2017–18	9748.21	7311.16	17059.00
2018–19	11327.74	8495.80	17059.37

जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का अं"ा क्रमशः 35%, 30% और 35% हैं। विभिन्न पंचायतों में क्षैतिज अंतरण विभिन्न कारकों के निम्नलिखित भारां"ा के आधार पर होगाः–

पंचायत	आबादी	कुल क्षेत्रफल	कर प्रयास	दूरस्थता
जिला पंचायत	50	20	15	15
क्षेत्र पंचायत	50	30	–	20
ग्राम पंचायत	60	20	–	20

5.4 केन्द्रीय वित्त आयोग

14 वें वित्त आयोग के अधीन, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित किया जाता है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक उत्तराखंड राज्य के लिए कुल रू0 1694.42 करोड़ का प्रावधान किया

गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 तक कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में रू0 188.27 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वर्ष	प्रावधान (करोड़ों में)	आवंटन (करोड़ों में)	प्रदर्शन अनुदान (करोड़ों में)	आवंटन (करोड़ों में)
2015–16	203.26	203.26	–	–
2016–17	281.45	281.45	36.92	36.92
2017–18	325.19	325.19	41.78	–
2018–19	376.19	376.19	47.45	–
2019–20	508.31	–	62.13	–
कुल	**1694.42**	**1186**	**188.27**	**36.92**

14 वें वित्त आयोग और चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत जिला वार बजट आवंटनः

	वित्त वर्ष–2018–19 (हजार में राशि)		
जिले का नाम	**योजना**	**वर्ष**	**कुल**
अल्मोड़ा	14वीं एफ.सी.	2018–19	412778
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	203997
कुल			**616775**
बागेश्वर	14वीं एफ.सी.	2018–19	179520
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	89496
कुल			**269016**
चमोली	14वीं एफ.सी.	2018–19	258309
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	155197
कुल			**413506**
चम्पावत	14वीं एफ.सी.	2018–19	128235
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	69645
कुल			**197880**
देहरादून	14वीं एफ.सी.	2018–19	330417

	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	176230
कुल			**506647**
हरिद्वार	14वीं एफ.सी.	2018–19	400306
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	220436
कुल			**620742**
नैनीताल	14वीं एफ.सी.	2018–19	246119
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	132915
कुल			**379034**
पौड़ी	14वीं एफ.सी.	2018–19	440239
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	223965
कुल			**664204**
पिथौरागढ	14वीं एफ.सी.	2018–19	304320
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	160360
कुल			**464680**
रुद्रप्रयाग	14वीं एफ.सी.	2018–19	143586
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	71691
कुल			**215277**
टिहरी	14वीं एफ.सी.	2018–19	353518
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	171982
कुल			**525500**
यू.एस.एन.	14वीं एफ.सी.	2018–19	373330
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	209374
कुल			**582704**
उत्तरकाशी	14वीं एफ.सी.	2018–19	191223
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	97066

कुल			**288289**
कुल	14वीं एफ.सी.	2018–19	**3761900**
	4वीं एस.एफ.सी.	2018–19	**1982354**
कुल योग			**5744254**

स्रोतः पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखंड

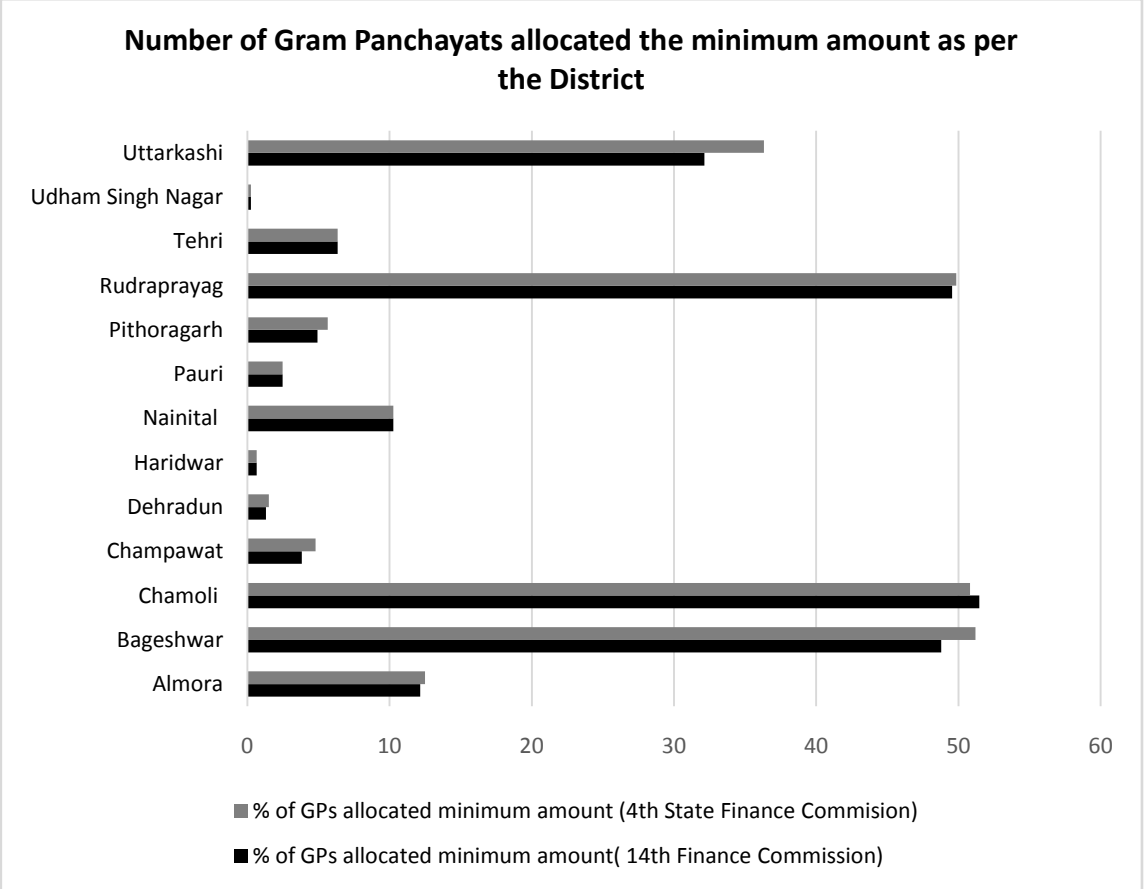

चित्र 5.1 स्रोतः पंचायति राज, उत्तराखण्ड

ऊपर दिया गया ग्राफ प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायतों का प्रतिशत दिखाता है जिन्हें जिले के भीतर न्यूनतम बजट आवंटित किया गया था। यह देखा जा सकता है कि पर्वतीय जिलों के लिए यह प्रतिशत मैदानी जिलों की तुलना में बहुत अधिक है। यह प्रतिशत चमोली और बागेश्वर में सबसे अधिक है और इसके बाद रुद्रप्रयाग का स्थान है। इससे पता चलता है कि हालांकि प्रत्येक जिले में न्यूनतम राशि में बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जिस अनुपात में ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया है, वह अनुपात अधिक है।

मैदानी जिलों के लिए न्यूनतम बजट पाने वाले ग्राम पंचायतों की प्रतिशत संख्या 2% से कम है।

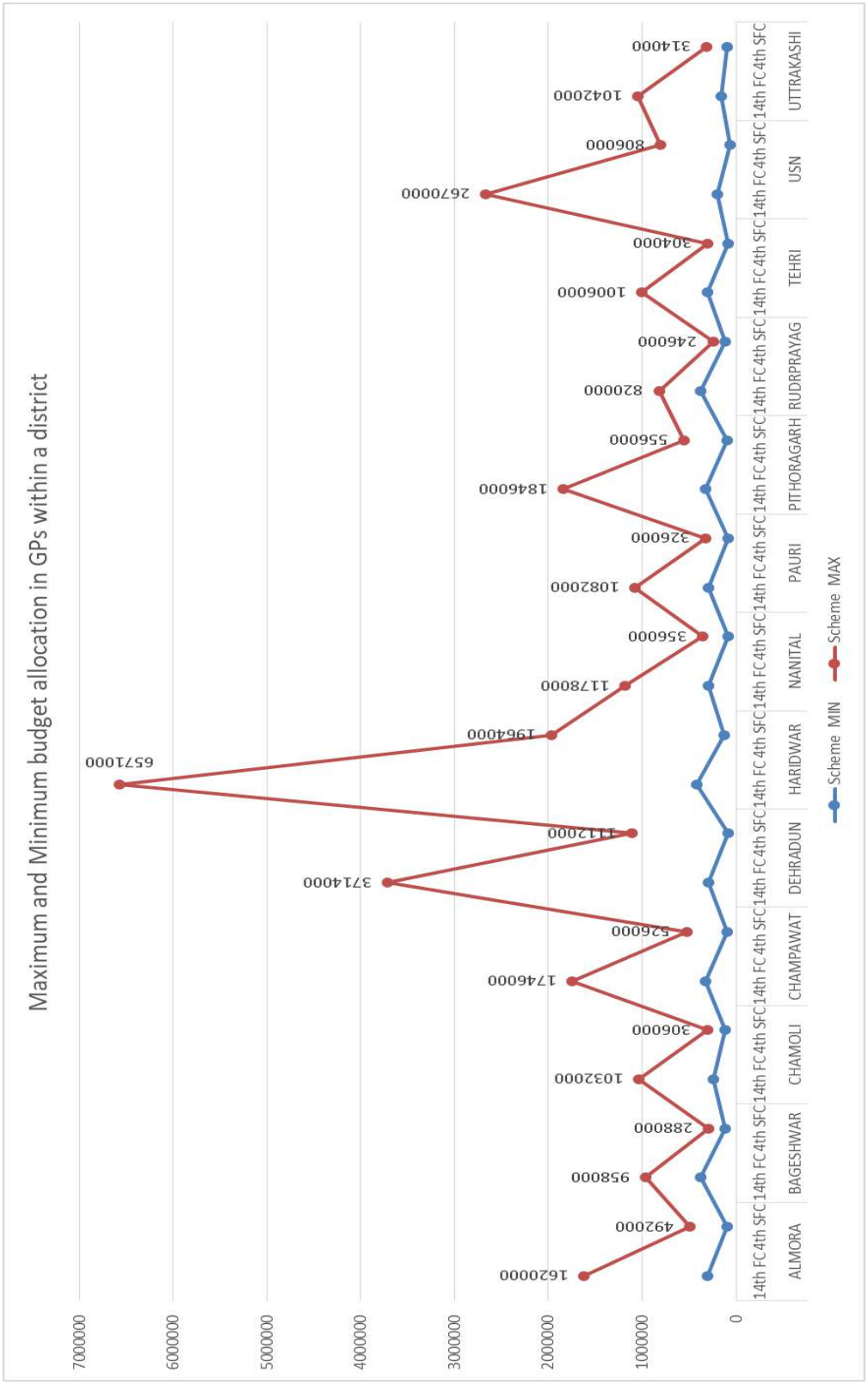

चित्र 5.2 स्रोतः पंचायति राज, उत्तराखण्ड

		न्यूनतम राशि	पंचायतों की संख्या जिन्हें न्यूनतम राशि आवंटित की गई थी	अधिकतम राशि	पंचायतों की संख्या जिन्हें अधिकतम राशि आवंटित की गई थी
अल्मोड़ा	14वीं एफ.सी.	304000	142	1620000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	90000	146	492000	1
बागेश्वर	14वीं एफ.सी.	378000	203	958000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	114000	213	288000	1
चमोली	14वीं एफ.सी.	378000	316	1032000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	114000	312	306000	1
चम्पावत	14वीं एफ.सी.	324000	12	1746000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	92000	15	526000	1
देहरादून	14वीं एफ.सी.	288000	6	3714000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	88000	7	1112000	1
हरिद्वार	14वीं एफ.सी.	418000	2	6571000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	126000	2	1964000	1
नैनीताल	14वीं एफ.सी.	288000	53	1178000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	86000	53	356000	1
पौड़ी	14वीं एफ.सी.	288000	30	1082000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	86000	30	326000	1
पिथौरागढ	14वीं एफ.सी.	314000	34	1846000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	324000	39	556000	1
रुद्रप्रयाग	14वीं एफ.सी.	378000	168	820000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	114000	169	246000	1
टिहरी	14वीं एफ.सी.	304000	66	1006000	1

	4वीं एस.एफ.सी.	86000	66	304000	1
यूएसएन	14वीं एफ.सी.	203500	1	2670000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	61416	1	806000	1
उत्तरकाशी	14वीं एफ.सी.	162000	161	1042000	1
	4वीं एस.एफ.सी.	98000	182	314000	1

14 वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम बजट एक ग्राम पंचायत हरिद्वार को (रु. 65,71,000.00) उसके बाद देहरादून (रु.3,7,14,000.00) को आवंटित किया गया है। इसके विपरीत, रुद्रप्रयाग में विशेष ग्राम पंचायतों को आवंटित अधिकतम बजट रु.8,20,000.00 और बागे"वर में रु 9,58,000.00 है।

उत्तरकाशी को आवंटित न्यूनतम राशि रु.1,62,000.00 है, जो जिले में 161 ग्राम पंचायतों के कुल को आवंटित की गई है, उसके बाद उधम सिंह नगर को रु.2,03,500.00 आवंटित किया गया, हालांकि जिले में इस बजट को केवल एक ग्राम पंचायत को आवंटित किया गया था। दोनों जिले अपने अधिकतम बजट के साथ अपने ग्राम पंचायतो में बहुत अधिक अंतर प्रदर्शित करते हैं जो क्रमशः रु.10,42,000.00 और रु. 26,70,000.00 है। हरिद्वार और देहरादून के जिले जिनके पास आवंटन के लिए सबसे अधिक बजट था; देहरादून में 2 ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम बजट आवंटन रु. 4,18,000.00 और हरिद्वार में 6 ग्राम पचायतों के लिए रु. 2,88,000.00 किया गया था।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अधीन राज्य द्वारा आवंटित बजट हरिद्वार के ग्राम पंचायतों को अधिकतम आवंटन रु.19,64,000.00 के बाद देहरादून रु.11,12,000.00 रुपये के साथ समान पैटर्न को प्रदर्शित करता है। 14 वें वित्त आयोग के लिए इसी तरह की भिन्नता को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में देखा जाता है क्योंकि रुद्रप्रयाग में एक ग्राम पंचायतों को आवंटित अधिकतम बजट रु 2,46,000.00 और बागे"वर का रु.2,88,000.00 था, जो हरिद्वार के अधिकतम आबंटन का लगभग एक बटा सात और देहरादून के अधिकतम आबंटन का लगभग एक–चौथाई है।

ग्राम पंचायतों को आवंटित न्यूनतम राशि राज्य वित्त आयोग के अधीन आबंटित न्यूनतम रा"ि। उधम सिंह नगर में एक मात्र ग्राम पंचायत को (रु.61,416.00) आवंटित किया गया है, जिसके बाद रु.86,000.00 के साथ नैनीताल (53 ग्राम पंचायतों), देहरादून (7 ग्राम पंचायतों), टिहरी (66 ग्राम पंचायतों) और पौड़ी (30 ग्राम पंचायतों) में आबंटित किया गया।

यह आंकड़ा जिलों के बीच उच्च अंतर के साथ–साथ जिले के भीतर एक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम और अधिकतम बजट आवंटन में भी उच्च अंतर को दर्शाता है।

5.5 पंचायत भवन निर्माणः

वर्तमान में उत्तराखंड की 7,554 ग्राम पंचायतों में से 6355 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन उपलब्ध हैं, जबकि 1599 पंचायतों के पास पंचायत भवन नहीं हैं। नई सरकार के "विजन –2017" के अनुक्रम में ग्राम पचायत कार्यालयों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए, राज्य सरकार ने बिना पंचायत भवन वाले

पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण की वार्षिक योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बजट आवंटित नहीं किया गया था।

पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, वर्ष 2018–19 के अधीन, 200 पंचायत भवन के निर्माण, 150 पंचायत भवनों की मरम्मत और 80 पंचायत भवनों में सामान्य सेवा केंद्र के लिए विस्तार हॉल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

5.6 क्षेत्र पंचायत विकास निधिः

वर्ष 2005–06 से, प्रति वर्ष पंचायतों को विकास कार्यों के लिए रू. 25.00 लाख प्रति विकास खंड की दर से धन आवंटित किया जाता रहा है। वर्ष 2012–13 में, प्रति विकास खंड राशि को बढ़ाकर रू.35. 00 लाख रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2012–13 में इस मद में रू. 35.00 लाख प्रति विकास खण्ड की दर से कुल रू0 33.25 करोड़ क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है, किन्तु आय–व्ययक वर्ष 2015–16 में मात्र रू.720.00 लाख का आवंटन किया गया।

वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 में, इस मद के अधीन कोई पैसा जारी नहीं किया गया।

5.7 निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षणः

राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए दो योजनाएँ क्रमशः पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संचालित की जा रही हैं और त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के दौरान उनके अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रू.25.00 लाख और त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधिया के प्रशिक्षण के लिए रू.25.00 लाख रुपये, कुल रू. 50.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इसके माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपशिष्ट प्रबंधन, महिला अधिकारों, कैशलेस लेनदेन आदि पर प्रशिक्षण और एक्सपोज़र विज़िट भी आयोजित की गईं।

- वर्ष 2018–19 के लिए आवंटित राशि को वापस ले लिया गया। प्रशिक्षण दिसंबर 2018 में शुरू हुआ, जिसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता निर्माण के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें विभाग में फील्ड में तैनात किए जा रहे इंजीनियरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों का उन्मुखीकरण भी शामिल था।

जिला / विकास खंड स्तर पर वर्ष 2018–19 में किए गए प्रशिक्षण का विवरण।

क्रम सं.	जिला	लक्ष्य	प्राप्त किया गया
1	अल्मोड़ा	2771	1810
2	बागेश्वर	2102	1449
3	चमोली	3113	1473

4	चम्पावत	1551	1218
5	देहरादून	2406	1351
6	हरिद्वार	3249	2495
7	नैनीताल	1147	987
8	पौड़ी	470	405
9	पिथौरागढ	4942	4522
10	रूद्रप्रयाग	2011	1789
11	टिहरी	8047	5598
12	उधम सिंह नगर	2845	1962
13	उत्तरकाशी	692	533
	कुल	**35346**	**25592**

जिला / विकास खंड स्तर पर किए गए प्रशिक्षणों का विवरण						
क्रम सं.	**जिला**	**शीर्षक**	**स्तर**	**प्रशिक्षण की अवधि**	**लक्ष्य**	**मौजूदा**
1	अल्मोड़ा	जी.पी.डी.पी.	जिला स्तर	26–09–2018	95	95
			विकास खण्ड	28–09–2018	642	642
2	बागेश्वर		जिला स्तर	20–08–2018 से 21–08–2018	105	103
			विकास खण्ड	27–08–2018 से 28–08–2018	141	123
3	चमोली		जिला स्तर	25–09–2018	36	36
			विकास खण्ड	28–09–2018	308	287
4	चम्पावत		जिला स्तर	24–09–2018	45	35
			विकास खण्ड	02–10–2018 से 31–12–2018	313	266
5	देहरादून		जिला स्तर	27–09–2018	54	54
			विकास खण्ड		0	0
6	हरिद्वार		जिला स्तर	13–09–2018	54	40
			विकास खण्ड	25] 26 और 27–09–2018	230	170
7	नैनीताल		जिला स्तर	24] 25 और 26–09–2018	351	289
			विकास खण्ड		0	0
8	पौड़ी		जिला स्तर	24–09–2018 से 25–09–2018	180	157

			विकास खण्ड	27–09–2018 से 02–10–2018	15	15
9	पिथौरागढ		जिला स्तर	28–09–2018	102	90
			विकास खण्ड	02–10–2018 से 31–12–2018	400	350
10	रूद्रप्रयाग		जिला स्तर	26–09–2018	40	40
			विकास खण्ड	27–09–2018 से 28–09–2018	86	75
11	टिहरी		जिला स्तर	26–09–2018	60	60
			विकास खण्ड	11–05–2018	1032	940
12	उधम सिंह नगर		जिला स्तर	28–09–2018 से 29–09–2018	822	378
			विकास खण्ड	02–10–2018 से 31–10–2018	412	341
13	उत्तरकाशी		जिला स्तर		0	0
			विकास खण्ड		0	0
कुल					5523	4586

उत्तरकाशी में 2018–19 में जी.पी.डी.पी. के लिए जिला स्तर और विकास खण्ड स्तर पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विकास खण्ड स्तर पर जी.पी.डी.पी. के लिए कोई प्रशिक्षण देहरादून में नहीं दिया गया था।

जिला / खण्ड विकास स्तर पर वर्ष 2018–19 में किए गए प्रशिक्षणों का विवरण

क्रम सं.	जिला	शीर्षक	स्तर	प्रशिक्षण की अवधि	लक्ष्य	मौजूदा
1	अल्मोड़ा	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	जिला स्तर		0	0
			विकास खण्ड		0	0
2	बागेश्वर		जिला स्तर	16 और 17 मई 2018	106	97
			विकास खण्ड		0	0
3	चमोली		जिला स्तर	14–03–2018 से 15–03–2018	40	35
			विकास खण्ड	19–03–2018 से 21–04–2018	1551	908
4	चम्पावत		जिला स्तर	01–11–2018 से 02–11–2018	86	86
			विकास खण्ड	23–02–2018 से 14–03–2018	447	362
5	देहरादून		जिला स्तर	8 और 9–01–2018	41	12
			विकास खण्ड	10 और 11–01–2018	897	400
6	हरिद्वार		जिला स्तर	16–01–2018 से	106	93

				20–01–2018		
			विकास खण्ड	22–01–2018 से 22–02–2018	954	769
7	नैनीताल		जिला स्तर	–	0	0
			विकास खण्ड	22–06–2018 से 23–06–2018 26–06–2018 से 27–06–2018	75	57
8	पौड़ी		जिला स्तर	09–12–2018 से 20–12–2018	15	15
			विकास खण्ड		0	0
9	पिथौरागढ		जिला स्तर	28–03–2018	150	135
			विकास खण्ड	01–02–2018 से 04–02–2018	1400	1298
10	रूद्रप्रयाग		जिला स्तर	26–12–2018 से 27–12–2018	65	60
			विकास खण्ड	03–01–2018 से 23–01–2018	878	746
11	टिहरी		जिला स्तर	12–12–2018 से 21–12–2018	116	97
			विकास खण्ड	06–04–2018 से 12–04–2018	2826	1693
12	उधम सिंह नगर		जिला स्तर	13–03–2018	38	27
			विकास खण्ड	02–10–2018 से 31–10–2018	747	634
13	उत्तरकाशी		जिला स्तर	–	0	0
			विकास खण्ड	–	0	0
कुल					10538	7524

अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई प्रशिक्षण जिला या ब्लॉक स्तर पर आयोजित नहीं किया गया था। विकास खण्ड स्तर पर पौड़ी और बागे"वर जिले में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। नैनीताल में जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

जिला उत्तरकाशी के लिए, न तो जिला स्तर और न ब्लॉक स्तर पर जी.पी.डी.पी. और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।

5.8 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानः

ग्राम स्वराज अभियान पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पहले राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के नाम से वर्ष 2013–14 से संचालित थी, जिसमें 75 प्रतिशत केंद्र और 25 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा निर्धारित था। वर्ष 2017–18 में, इस योजना को पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित कर दिया गया था।

वर्ष 2017–18 में, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अधीन, 90:10 के अनुपात में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे से संबंधित मदों को केंद्र और राज्यों के अधीन कवर किया जाएगा, जबकि अनुदान / पुरस्कार योजनाओं और ई–पंचायतीराज योजनाओं को पूर्ण रूप से केंद्र के माध्यम से कवर किया जाएगा।

अन्य राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिकों के शैक्षिक भ्रमण के लिए निम्नलिखित भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- मई–जून 2017 के महीने में, 21 जनप्रतिनिधियों के समूह ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और 21 प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु के शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया,
- उत्तराखंड में जून, 2017 के महीने में मॉडल पंचायतों का अध्ययन करने के लिए, 150 जन प्रतिनिधियों / अधिकारियों की 6 अध्ययन टीमों का गठन किया गया था।
- वर्ष 2018 में, 217 जनप्रतिनिधियों / अधिकारियों वाले चार यात्रा दलों का गठन किया गया और राज्य के भीतर शैक्षिक भ्रमण किया गया।

अब तक 1120 मास्टर ट्रेनरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 6500 प्रतिभागियों को खण्डस्तर पर और 1168 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया था।

नवंबर 2017 तक कैशलेस लेनदेन के अधीन 229 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 1100 प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है और 5000 प्रतिभागियों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

राज्य के 5 जिलों में जिला संसाधन केंद्र स्वीकृत हैं, इनमें से, उत्तरकाशी और चम्पावत में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि टिहरी, रूद्रप्रयाग और बागे"वर में निर्माणाधीन है। राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र भी देहरादून में निर्माणाधीन है। ब्लॉक स्तर के संसाधन केंद्रों को 29 विकासखंडों में विभाजित किया गया है। राज्य में 43 पंचायत भवन का निर्माण किया गया है।

5.9 आई. ई. सी. (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियाँ

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्कीम जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत भोगपुर क्लस्टर (भोगपुर, बगही, सारंगधरवाला, रानीपोखरी मौजा और रानीपोखरी ग्रांट) की 8 ग्राम पंचायतों के 3746 परिवारों के साथ ग्राम स्तरीय बैठक, नुक्कड़ नाटक, दीवार पेंटिंग का आयोजन किया गया।
- जिला अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक, जिला देहरादून के कालसी ब्लॉक और जिला नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, दीवार पेंटिंग आदि का आयोजन किया गया।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता के सृजन के लिए 2 हैंडबुक तैयार किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान, पंचायत के सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायती राज के कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया।
- जन जागरूकता के अंतर्गत, क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया जा रहा है।

5.10 कर्मचारो पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण।

जिला	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी			भरे गए पदों की संख्या के सापेक्ष अन्य जिले में संलग्नक का विवरण
	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	
उत्तरकाशी	71	42	29	-
टिहरी	137	120	17	हरिद्वार में 04, देहरादून में 2 और उत्तरकाशी में 1 संलग्न
पौड़ी	219	172	47	हरिद्वार में 05, टिहरी में 01, पिथोरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 1 सम्बद्ध
चमोली	77	66	11	देहरादून में 01 और उत्तरकाशी में 2 संलग्न
रूद्रप्रयाग	53	44	09	देहरादून में 01 सम्बद्ध
देहरादून	62	55	07	-
हरिद्वार	46	38	08	-
अल्मोड़ा	178	139	39	यू.एस. नगर में 10, देहरादून में 06, उत्तरकाशी में 02 और चंपावत में 01 सम्बद्ध
नैनीताल	73	62	11	-
पिथौरागढ	119	107	12	-
बागेश्वर	69	49	20	उत्तरकाशी में 1 सम्बद्ध
यू.एस. नगर	27	22	05	-
चम्पावत	44	39	05	यू.एस. नगर में 2 सम्बद्ध और पिथोरागढ़ में 1
कुल	1175	955	220	कुल – 42

उपरोक्त तालिका से हम देख सकते हैं कि पर्वतीय जिलों में कुल ग्राम विकास अधिकारी के कुल स्वीकृत 1040 पदों में से कुल 200 स्वीकृत पद खाली हैं। पहाड़ी जिलों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 19.2% पद खाली पड़े हैं। यह संख्या उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक है जहाँ कुल 71 पदों के सापेक्ष 29 (40.8%) पद रिक्त है।

यह भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी जिलों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को मैदानी जिलों का कार्यभार ही सौंप दिया गया हैं। अल्मोड़ा से 10 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को ऊधमसिंह नगर जिले में और 6 को देहरादून में, टिहरी से 4 को हरिद्वार में और 2 को देहरादून में सम्बद्ध किया गया हैं।

पहाड़ी जिलों से भी सम्बद्धता है, लेकिन मैदानी जिलों की तुलना में कम हैं। कुल 42 सम्बद्ध ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों में से केवल 10 पहाड़ी जिलों में सम्बद्ध हैं।

जिला	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)			अटैचमेंट का विवरण
	कुल पद	भरा गया	रिक्त	
उत्तरकाशी	06	06	00	–
टिहरी	09	08	01	–
पौड़ी	15	14	01	–
चमोली	09	07	02	–
रूद्रप्रयाग	03	02	01	–
हरिद्वार	06	06	00	–
देहरादून	06	06	00	–
उधम सिंह नगर	07	06	01	–
नैनीताल	08	08	00	–
अल्मोड़ा	11	11	00	–
बागेश्वर	03	03	00	–
पिथौरागढ	08	07	01	–
चम्पावत	04	04	00	–
कुल	95	87	07	00

सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पद तुलनात्मक रूप से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में कम हैं। केवल 7 पद खाली हैं जिनमें से 6 पहाड़ी जिलों में हैं।

चतुर्थ वित्त आयोग में हस्तांतरण योजना, यद्यपि विभिन्न पहलुओं जैसे दूरस्थता, आबादी, कर प्रयास आदि को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है, ग्राम पंचायत स्तर पर बजट का वितरण उच्च असमानताओं को दर्शाता है। चूंकि पहाड़ी इलाकों में आबादी काफी कम है, इसलिए बजट का हिस्सा भी कम है। यह स्थिति दूरस्थ पहाड़ी इलाकों के विकास को और धीमा कर देती है, जबकि उच्च आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत हर साल उच्च बजट हिस्सेदारी प्राप्त कर विकास के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। क्षेत्र की दूरस्थता का भार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को सुविधाजनक तथा तेज किया जा सके।

तीसरे वित्त आयोग के लिए समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार "एस.एस.एफ.सी. द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण हस्तांतरण फार्मूला जटिल है और सरलता परीक्षण में विफल रहा है। काफी स्पष्ट रूप से यह अधिकांश अर्बन लोकल बॉडीज तथा पी.आर.आई. की समझ से परे है। "(हस्तांतरण योजना, तृतीय राज्य वित्त आयोग) "उत्तराखंड में पी.आर.आई. और य..एल.बी. के लिए मौजूदा कानून की तुलना में यू0एल0बी0 के लिए अधिक जिम्मेदारियां रखते ह इसलिए नगरपालिकाओं की फंड्स की आवश्यकता भी बहुत अधिक है "(तीसरा राज्य वित्त आयोग)। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ रिक्तियाँ अधिक हैं उन्हें भरा जाना चाहिए ताकि शासन के बेहतर संचालन और लाभों को जमीनी स्तर पर पहुँचाया जा सके।

संदर्भ

https://www.indiabudget.gov.in/es2014-15/echapvol1-10.pdf: चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) – भारत में राजकोषीय संघवाद के लिए निहितार्थ?

https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/oldcommission_html/fincom14/others/25.pdf पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड

अध्याय 6

सहकारी समितियाँ

राज्य क्षेत्र

6.1 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाः–

किसानों की आय दो गुना करने के उद्देष्य से राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से दिनाँक 01 अक्टूबर, 2017 से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषको को कृषि तथा कृषियेत्तर कार्यो हेतु रु0 1.00 लाख तक का ऋण **02 प्रतिशत ब्याज दर** पर उपलब्ध कराया गया। उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ से जनवरी 2019 तक प्रदेष के कुल 1,62,750 कृशक सदस्यों को 807.00 करोड़ रु0 धनराशि का ऋण कृषि तथा कृषियेत्तर कार्यो के लिए वितरित किया गया।

कृ"ि लागत में कमी तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 14 फरवरी 2019 से उक्त लोकप्रिय योजना में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सहकारी समितियों के कृषक व अकृ"ाक सदस्यों को रु0 1.00 लाख तक व स्वंय सहायता समूहों को रु0 5.00 लाख तक की धनराशि का ऋण कृषि एवं कृषि–सम्बन्धित समस्त सेक्टरों हेतु **ब्याजरहित** उपलब्ध कराया जा रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ऋण वितरण जनपद्वार

क्रम सं.	जनपद	लाभार्थी की संख्या	अल्पावधि ऋण वितरण	लाभार्थी की संख्या	मध्यम अवधि के ऋण वितरण	कुल लाभार्थी	कुल ऋण वितरण
1	नैनीताल	27126	12606	508	271	**27634**	**12877**
2	उधम सिंह नगर	49409	16160	361	302	**49770**	**16462**
3	अल्मोड़ा	13463	5397	1631	1263	**15095**	**6660**
4	बागेश्वर	5622	2369	875	635	**6497**	**3004**
5	पिथौरागढ	12334	6748	1683	1365	**14017**	**8113**
6	चम्पावत	5031	3088	641	554	**5672**	**3642**
7	पौड़ी	896	489	2632	2394	**3528**	**2883**
8	देहरादून	4441	2988	610	571	**5051**	**3559**
9	हरिद्वार	21322	12310	138	137	**21460**	**12447**

10	टिहरी	7940	3574	1381	1050	**9321**	**4624**
11	चमोली	2746	1656	451	379	**3197**	**2035**
12	रुद्रप्रयाग	1979	848	205	143	**2184**	**991**
13	उत्तरकाशी	7355	4915	112	78	**7467**	**4993**
	कुल	**159664**	**73148**	**11228**	**9142**	**170892**	**82290.42**

6.2 निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) :–

कारॅपस फण्ड योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रवृत्ति को बढावा देने तथा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के ग्रामीण बचत केन्द्रों में निक्षेप–कर्ताओं में विश्वास जागृत करने एवं निक्षेप की धनराशि को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण बचत केन्द्रों में निक्षेप गारन्टी योजना राज्य सरकार की स्वीकृत से लागू की गयो है। योजनान्तर्गत जिला सहकारी बैंक मुख्यालय के स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) का निक्षेप गारण्टी (कॉरपस फण्ड) रखा जाता है।

कॉरपस फण्ड में पैक्स द्वारा निक्षेप वृद्धि का 0.15 प्रतिषत, जिला सहकारी बैंक द्वारा निक्षेप वृद्धि का 0.10 प्रतिषत, शीर्ष बैंक द्वारा निक्षेप वृद्धि का 0.05 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा निक्षेप वृद्धि का 0. 30 प्रतिशत अंशदान किया जाता है।

निक्षेप गारन्टी योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदान धनराशि (धनराशि लाख में)				
2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
40.00	30.00	40.00	40.00	10.00

6.3 प्रस्तावित नए कार्यक्रम

- राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पी.ए.सी. और अन्य सहकारी संगठनों में व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को रू. 3,340.00 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।

- सहकारी समितियों के माध्यम से बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियाँ को सशक्त बनाने के लिए, 33 समितियों में पेट्रोल पंप और 15 समितियों में गैस एजेंसियाँ खोलने के प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, 105 पी.ए.सी. में पतंजलि दुकानें खोलने का कार्य गतिमान है।

- कृषि, बागवानी और सहकारी समितियों के बीच समन्वय और संयोजन स्थापति करके कृषि पर्वतीय क्षेत्रों को आत्म निर्भर बनाना।

- राज्य के सभी जनपदों में जिला सहाकरी बैंक के कार्य के लिए रुद्रप्रयाग, चम्पावत और बागेश्वर जनपदों में जिला सहकारी बैंक खोलने के लिए पंजीकरण पहले ही हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस के लिए अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।

6.4 नई योजनाएँ (स्रोतः परिणाम बजट 2019.20)

(1) 800–03–दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना–(अनुदान संख्या–30)

शासनादे"ा संख्या–1295/XIV–1/17–5(19)2010 दिनांक–27 सितम्बर, 2017 के द्वारा वर्ष 2018–19 में रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से **दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना** प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ऋण वितरण किया जाता है।

(2) राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–

मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के **''संकल्प से सिद्धि''** एवं **''2022 तक किसानो की आय को दोगुना करने''** के आह्वान पर राज्य के सर्वांगीण विकास, पलायन रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए **''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''** तैयार की गयी है।

6.5 पी.ए.सी.एस. लाभ /हानि विवरण (स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखंड)

जनपद	जनपद में कुल पी.ए.सी.एस.	लाभ में समितियों की संख्या	राशि	हानि में समितियों की संख्या	राशि	लाभ / हानि बिना पी.ए.सी.एस. की कुल संख्या
नैनीताल	53	49	14280	4	897	0
उधम सिंह नगर	35	33	1811	2	145	0
अल्मोड़ा	80	70	13874	5	629	5
बागेश्वर	18	18	4115	0	0	0
पिथौरागढ	112	112	1826	0	0	0
चम्पावत	23	23	594	0	0	0
पौड़ी	132	74	560	58	323	0
देहरादून	39	34	23583	5	4170	0
हरिद्वार	43	31	41251	12	34528	0
टिहरी	89	73	1260	15	136	1

चमोली	54	23	1874	31	1984	0
रुद्रप्रयाग	37	30	1310	7	238	0
उत्तरकाशी	44	21	195	23	224	0
राज्य स्तर	759	591	106533	162	43274	6

निम्न ग्राफ द्वारा जनपदवार लाभ तथा हानि में पी.ए.सी.एस. को दर्शाया गया है।

चित्र 6.1 स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

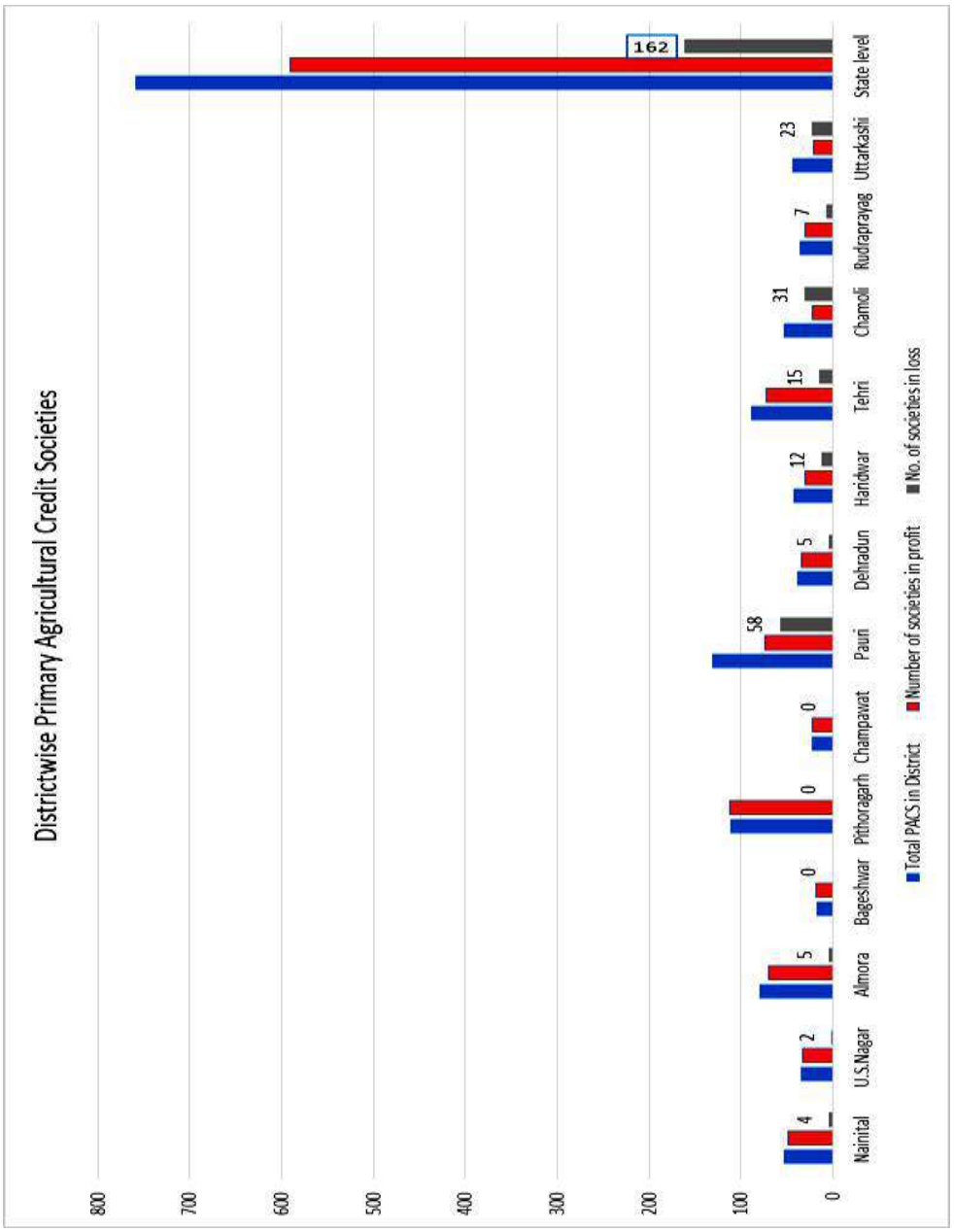

हानि की दृष्टि से समितियों की अधिकतम संख्या चमोली जनपद में है, 54 में से 31 (57.4%), उत्तरकाशी में 54 पी.ए.सी. में से 23 (52.27%) एवं तत्प"चात् 132 में से 58 (43.9 %) हानि में समितियों के साथ पौड़ी है। पिथौरागढ जनपद में कुल 112 पी.ए.सी. हैं जो पौड़ी के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो बिना किसी हानि के समितियों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

6.6 उत्तराखण्ड में स्थित सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचनायें

क्रस.	नाम प्रा0 सह0 संस्थायें	नैनीताल	उ.सिं.नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	पौड़ी	देहरादून	हरिद्वार	टिहरी	चमोली	रूद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	योग
1.	बहु0 प्रा0 कृषि ऋण समि0	53	35	80	18	112	23	132	39	43	89	54	37	44	**759**
2..	उपभोक्ता सह0 समि0	29	19	13	2	2	1	8	54	17	6	5	0	5	**161**
3.	श्रम सह0 समि0	52	26	59	22	42	10	23	162	50	30	13	5	11	**525**
4.	तिलहन सह0 समि0	28	0	0	0	0	0	6	7	0	0	7	0	4	**52**
5.	वेतन भोगी सह0 समि0	28	16	9	5	14	4	20	151	38	9	5	0	32	**331**
6.	बहुधंधी सह0 समि0	3	4	0	0	2	1	11	24	2	2	3	2	5	**59**
7.	गृह निर्माण सह0 समि0	22	3	0	0	1	1	0	72	10	1	0	0	1	**111**
8.	परिवहन सह0 समि0	5	0	2	0	1	0	3	20	0	2	0	0	1	**34**
9.	मुर्गीपालन सह0 समि0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	**11**
10.	सुअरपालन सह0 समि0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**4**
11.	कृषि सह0 समि0	8	51	0	0	0	1	9	18	41	0	0	0	0	**128**
12.	औद्योगिक सह0 समि0	3	24	47	4	9	0	104	154	5	0	0	0	69	**419**
13.	मत्स्यजीवी सह0 समि0	1	6	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	**17**
14.	पशु शव विच्छेदन सह0 समि0	0	4	0	0	0	0	0	10	18	0	0	0	0	**32**
15.	रेशम सह0 समि0	13	8	0	5	11	0	0	56	0	0	0	0	0	**93**

16.	औद्यानिक सह0 समि0	8	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	19	**31**
17.	अन्य सह0 समि0	17	30	21	16	31	3	20	46	13	19	6	1	25	**248**
18.	नगरीय सह0 बैंक	1	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	**5**

6.7 जनपद वार कृषि साख समितियाँ

जनपद	संख्या
नैनीताल	**53**
उधम सिंह नगर	**35**
अल्मोड़ा	**80**
बागेश्वर	**18**
पिथौरागढ	**112**
चम्पावत	**23**
देहरादून	**39**
पौड़ी	**134**
टिहरी	**87**
चमोली	**56**
रुद्रप्रयाग	**33**
उत्तरकाशी	**44**
हरिद्वार	**45**
कुल	**759**

6.8 जिला सहकारी बैंक शाखाओं की संख्या

नैनीताल	**33**
अल्मोड़ा	**26**
पिथौरागढ	**27**
देहरादून	**23**

पौटी (कोटद्वार)	**24**
टिहरी	**34**
चमोली (गोपेश्वर)	**28**
उत्तरकाशी	**17**
हरिद्वार (रुड़की)	**23**
उधम सिंह नगर	**32**
उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक	**15**
कुल	**282**

6.9 मानव संसाधन विकास योजना

- समितियों के व्यवसाय /कार्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों और समितियों के सचिवों को आई.सी.एम., देहरादून में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विभाग में नई योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए विभागीय राज्य पर्यवेक्षक और सहकारी वर्ग–प्प अधिकारियों का प्रशिक्षण आई.सी.एम., देहरादून में आयोजित किया जाता है।
- विभाग में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कर्मियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण
- राज्य के बाहर विभागीय अधिकारियों के दौरे और प्रशिक्षण
- राज्य के बाहर जिला सहकारी बैंकों के सचिव/महा प्रबंधकों का दौरा
- एन.सी.डी.सी. के गुड़गांव प्रशिक्षण केंद्र म आई.सी.डी.पी. प्रबंधकों तथा समिति सचिवों का प्रशिक्षण
- दूसरे राज्यों में, एन.सी.डी.सी. योजना के जनपदों के सचिवों का प्रशिक्षण और यात्रा
- नव नियुक्त सहकारी पर्यवेक्षकों को विभागीय प्रारंभिक प्रशिक्षण
- नव नियुक्त सहकारी पर्यवेक्षकों के लिए दीर्घावधि अर्ध–वार्षिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण

- छात्रों के लिए 22 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण
- 18 नव नियुक्त सहकारी राजकीय पर्यवेक्षकों को प्रवेश पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था
- 33 अपर सहकारी अधिकारी निरीक्षक–I और सहायक विकास अधिकारी / सह–निरीक्षक वर्ग–II के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

- 30 प्रशिक्षु आई.सी.डी.पी. योजना के तहत प्रशिक्षण के तहत हैं

6.10 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) के माध्यम से राज्य के विकास के लिए कार्यक्रम

यह कार्यक्रम तीन चरणों में विभाजित किया गया है:

चरण I: एन.सी.डी.सी. निधि के लिए कार्य योजना

a. मूल्य श्रृंखला में अंतराल की पहचान करने और कार्यों की सिफारिश के लिए नैदानिक अध्ययन। व्यापक लागत और राजस्व मान्यताओं के आधार पर आने वाले कार्यों की वित्तीय व्यवहार्यता। यह वैकल्पिक हेड्स के तहत फंड प्रावधान को सक्षम करेगा।

चरण II: 3-5 वर्षीय कार्यान्वयन कार्यक्रम

a. व्यक्तिगत कार्यों के विशिष्ट लागत अनुमान

b. व्यक्तिगत कार्यों का कार्यान्वयन

c. संस्थानों को मजबूत बनाना

d. कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों का समर्थन

e. केस स्टडीज का निर्माण

चरण III: अनुश्रवण और कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन

वर्तमान अध्ययन (चरण I का हिस्सा) ने पहचाने गए क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला में चुनौतियों के आकलन के दृष्टिकोण को अपनाया है और चुनौतियों को कम करने के लिए अनुरूप और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कार्यों के लिए निधि के अस्थायी प्रावधान के साथ–साथ सिफारिशें की हैं।

राज्य स्तरीय आई.सी.डी.पी. निम्नलिखित डिजाइन सिद्धांतों और दृष्टिकोण पर विचार करता है :–

1. उत्पादों के लिए खेत स्तर से बाजार स्तर तक पहुंच एवं मूल्य श्रृंखला में कार्य

2. समूह आधारित खेती / आर्थिक गतिविधियाँ

3. सहकारी–सामूहिक खेती

इसके कारण खेती की गतिविधियों का प्रभावी और कुशल मशीनीकरण हो जाएगा, जिससे बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण प्रति किसान लागत कम होगी और इस प्रकार प्रति किसान अधिक बाजार योग्य अधिशेष होगा। इस प्रकार प्राप्त उच्च विपणन अधिशेष प्रभावी रूप से किसानों की आय को बढ़ाएगा।

आई.सी.डी.पी. का उल्लिखित दृष्टिकोण उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में एच.ए.आर.सी और हिम ऑर्गेनिक जैसे व्यक्तिगत उद्यमों द्वारा पहले से मौजूद सर्वोत्तम प्रथाओं से संदर्भों और सीख को आकर्षित करेगा।

अध्ययन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में होनहार और सफल सामाजिक उद्यमियो को शामिल करते हुए एक सलाहकार समिति का गठन करने की सिफारिश करता है। सलाहकार समिति पी.ए. सी.एस., निदेशालय के पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों की सहायता के लिए व्यावसायिक संघ, सामूहिक खेती पर सर्वोत्तम प्रयोगों और समग्र परियोजना कार्यान्वयन के लिए सलाह देने की भूमिका निभा सकती है।

प्रमुख चुनौतियाँः

जैसा कि उल्लेख किया गया है, राज्य स्तरीय आई.सी.डी.पी. अंतर्निहित दृष्टिकोण पहचान किए गए क्षेत्रों की मूल्य श्रृंखला में चुनौतियों की पहचान करना है। आई.सी.डी.पी. मूल्य श्रृंखला में चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यों की परिकल्पना करता है। अध्ययन ने मूल्य श्रृंखला में चुनौतियों की पहचान करने और कार्यों की व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक योजनाओं की सिफारिश करने के लिए नीचे दिए गए कदम–वार दृष्टिकोण का अनुसरण किया थाः

इसी प्रकार, पी.ए.सी.एस. की व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सूक्ष्म योजनाओं को निम्नलिखित तरीके से विकसित करने के लिए एक चरण–वार तरीका अपनाया गया हैः

उपरोक्त पद्धति के आधार पर, मूल्य श्रृंखलाओं में संबंधित क्षेत्रों में पहचानी गई चुनौतियों और कार्यों को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

क्षेत्र	प्रमुख चुनौतियाँ	कार्य
कृषि और बागवानी	• बिखरे और छोटे भूमि–धारण • स्थानान्तरण के कारण कार्यबल की कमी • खेत मशीनीकरण का अभाव • जागरूकता अंतराल • विशेष रूप से जैविक खेती के सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण और प्रमाणन का अभाव • प्राथमिक और सहायक प्रसंस्करण का अभाव	• सहकारी खेती • कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना • एग्री–इनपट स्टोर • भण्डारण • विपणन • पी.ए.सी.एस. के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
बकरी और भेड़	• झुंड का छोटा आकार • निम्न गुणवत्ता वाली नस्लें • बकरी प्रजनन केंद्रों का अभाव • मौसमीपन • पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में उपलब्धता और जागरूकता की कमी • परिवहन सेवाओं का अभाव • उचित धारण क्षमता का अभाव • अस्वच्छ वध प्रथाएँ • जानवरों में आघात • संगठित बाजार पहुँच का अभाव	• प्राथमिक समाज स्तर पर भेड़ / बकरी के पालन को बढ़ावा देना • एकत्रीकरण एवं प्रजनन फार्मों की स्थापना • महासंघ स्तर पर कसाईखाने /बूचड़खाने की स्थापना (सहकारी कॉर्पोरेट साझदारी)

डेयरी	• उत्पादन का निम्न स्तर • कम स्तर के संग्रह और प्रसंस्करण क्षमताओं का कम उपयोग • उत्पाद की लंबाई और चौड़ाई और खराब रणनीतियों के कारण खराब बाजार पहुँच	• व्यक्तिगत डेयरी फार्म इकाइयाँ (5 और 19 पशु इकाइयाँ) • सहकारी डेयरी फार्म (50 पशु इकाइयाँ) • प्राथमिक सहकारी समितियों को इनपुट आपूर्ति • दूध प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि • कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता • विपणन और ब्रांडिंग
मछली पालन	• पारंपरिक प्रथाओं की निर्भरता • ट्राउट के मामले में भारी क्षमता के बावजूद वाणिज्यिक उत्पादन की अनुपस्थिति • जल प्रदूषण • अपर्याप्त प्रजनन और मछली बीज उत्पादन सुविधाएं • मछली किसानों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता विकास	• ट्राउट फार्मिंग • ट्राउट इंडोर हैचरी • ब्रीडिंग फार्म के साथ ट्राउट हैचरी • फीड प्लांट • एंगलिंग स्कीम • पंगेशियस खेती • प्रमुख कार्प खेती • ओएसिस • विपणन और ब्रांडिंग • मार्केट प्लेस (मंडी) • खुदरा दुकानें
सुगंधित	• सुगंधित और जड़ी बूटियों के तहत भूमि क्षेत्र का निम्न स्तर	• पौड़ी जिले में 500 से अधिक हेक्टेयर में लेमन ग्रास की खेती • डैमस्क वाणिज्यिक बागवानी • देहरादून जिले में 500 हेक्टेयर में पुदीने की खेती का विकास • कोटाबाग के आसपास 500 हेक्टेयर में दालचीनी की खेती
रेशम उत्पादन	• धागे तक पहुँच का अभावय बाजार पहुँच का अभाव	• परिक्रमी निधि • यार्न बैंक • प्रसंस्करण इकाई • विपणन इकाई / केंद्र
पर्यटन	• ग्रामीण उत्तराखंड में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच का अभाव • आतिथ्य व्यवसाय के बारे में जानकारी का अभाव	• चार धाम रूट पर होम स्टे

क्षेत्र	कार्य
विपणन समितियाँ	पूरे राज्य में भंडारण के बुनियादी ढांचे की वृद्धि
सहकारी बैंक	बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण को मजबूत करना, माइक्रो ए.टी.एम.एस. के माध्यम से वित्तीय समावेशन
यू.सी.एफ.	रसद और विपणन क्षमताओं को मजबूत करना
पी.सी.यू.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

कार्यान्वयन योजना और सिफारिश रूपरेखा में उजागर किए गए मुख्य मुद्दे हैं:

1. पी.ए.सी.एस. के मामले में, प्रतिनिधि के रूप में छह पी.ए.सी.एस. के लिए सूक्ष्म योजनाएँ तैयार की गई हैं और, निधि का प्रावधान औसत सकल परियोजना लागत के आधार पर किया गया है। वर्तमान अध्ययन में पी.ए.सी.एस. की सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी के लिए एक मैनुअल शामिल है और, यह अनुशंसा करता है कि संबंधित पी.ए.सी.एस. की परियोजनाओं के लिए वास्तविक फंड वितरण आदर्श रूप से चरण II (कार्यान्वयन चरण) के दौरान तैयार की गई सूक्ष्म योजनाओं पर आधारित हो सकता है।

2. इसी तरह की योजनाऐं पर्यटन, यू.सी.एफ., रेशम उत्पादन और सहकारी बैंकों जैसे घटकों के लिए बनाई गई है। क्योंकि कार्य की प्रकृति व्यापक तौर पर प्रकृति में ढांचे को सक्षम कर रही है और सेवा में प्रवेश के अनुमानित क्षेत्र के आधार पर कार्यान्वयन के समय वास्तविक व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।

3. भेड़ और बकरी पालन के क्षेत्र में, सहकारी कॉर्पोरेट साझेदारी (सी.सी.पी.) मॉडल में कसाईखाने खोले जाने की सिफारिश करता है।

6.11 आँचल सहकारी समिति

उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (यू.सी.डी.एफ. लिमिटेड के रूप में संक्षिप्त) उत्तराखंड राज्य में जिला दूध सहकारी संघों का एक शीर्ष स्तर का राज्य संघ है। यह राज्य के भीतर डेयरी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए मंगल पारो, हल्द्वानी (नैनीताल) में अपने प्रधान कार्यालय के साथ पंजीकरण संख्या 555, दिनांक 12-03-2001 के तहत वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। संगठन ने ब्रांड नाम पंजीकृत किया है, जिसे "**आँचल**" के रूप में जाना जाता है। 9 नवंबर 2000 को 27 वें राज्य के रूप में उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (यू.सी.डी.एफ. लिमिटेड) उत्तर प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के उत्तराधिकारी निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। यू.सी.डी. एफ. लिमिटेड उत्तराखंड राज्य सहकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2001 में पंजीकृत किया गया था।

किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएँ जैसे आई.डी.डी.पी., आर.के.वी.वाय., एन.पी.डी.डी. आदि को संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य योजनाएँ जैसे बिग डेयरी, मिनी डेयरी, महिला डेयरी विकास कार्यक्रम आदि का भी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अपने स्वामित्व के पशु चारा कारखाने की मदद से, संगठन अपने सहयोगी सहकारी सदस्यों को उचित मूल्य पर पशु चारा, चारा और बीज प्रदान करता है। राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाओं, कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान, टीकाकरण, निर्जलीकरण, पशु आहार ज्ञान, पशु चिकित्सा दवाओं, और अन्य प्रकार के तकनीकी निवेश जैसे पशु चिकित्सा सुविधाएँ गांव के स्तर के समाजों में संगठन के सदस्य दूध संघों की मदद से प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय.)

निधिकरण शैली: 100% केंद्रीय अनदान

आवृत्त जनपद: उत्तराखंड के सभी जनपद

परियोजना अवधि: वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 (4 वर्ष), वर्ष 2017-18 तक भारत सरकार द्वारा विस्तारित

परियोजना की कुल लागत: रु.1784.93 लाख

आर.के.वी.वाय. के तहत की गई गतिविधियाँ

1. उत्तराखंड में सहकारी दूध उत्पादक संघ में डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना (2013–14)
2. देहरादून डेयरी प्लांट का नवीनीकरण (2013-14).
3. हरिद्वार दूध संघ के डेयरी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (2013-14)
4. जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में दूध सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण (2013–14)
5. नैनीताल के डी.यू.एस.एस. लालकुआं में आर.सी.सी. ओवरहेड (18 मीटर स्टेजिंग) जल भंडारण टैंक, क्षमता –150 के.एल. और एस.एम.पी. गोदाम (क्षमता 300 एम.टी.) का निर्माण
6. ए.टी.एम. की स्थापना – मोबाइल मिल्क वेंडिंग मशीन
7. दूध के कमरों का निर्माण
8. डी.पी.एम.सी.यू. की स्थापना

प्रदर्शन और गतिविधियाँ

- राज्य के सभी 13 जनपद, 11 जिला स्तर की दूध संघों द्वारा आवृत्त हैं (जनपद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर क्रमशः श्रीनगर और अल्मोड़ा दूध संघों के साथ शामिल हैं)
- जिला दूध संघों और राज्य महासंघ में सदस्यों के निर्वाचित बोर्ड
- बुनियादी अवसंरचना – 255 टी.एल.पी.डी. और 44 चिलिंग सेंटर (बी.एम.सी. सहित) की प्रोसेसिंग क्षमता वाले 09 दूध प्रसंस्करण संयंत्र 95 टी.एल.पी.डी. की हैंडलिंग क्षमता के साथ।

- मवेशी चारा संयंत्र की क्षमता 100 मीट्रिक टन / दिन, कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक प्लांट क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रति दिन और खनिज मिश्रण संयंत्र क्षमता 4 मीट्रिक टन प्रति दिन मवेशी चारा फैक्ट्रो, रुद्रपुर में स्थापित की गई।

- यू.सी.डी.एफ. रुद्रपुर में अपने स्वामित्व वाले पशु चारा कारखाने में निर्मित दूध उत्पादकों को गुणवत्ता वाले पशु आहार, क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और कॉम्पैक्ट चारा ब्लॉक की आपूर्ति कर रहा है।

- नैनीताल दूध संघ आई.एस.ओ. 9001 और 2000 प्रमाणित है।

- देहरादून में चेडर और रिकोटा पनीर संयंत्र स्थापित किया।

- विभिन्न सरकारी और अन्य योजनाओं के माध्यम से मवेशियों की संख्या के आधार पर मवेशियों का व्यापक प्रसार।

- ऊर्जा, बिजली, पानी और ईंधन को बचाने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल मशीनों और संयंत्रों की स्थापना पर जोर देना।

- एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आई.डी.डी.पी.), राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एन.ए.डी.पी.), आर.के.वी.वाय. आदि जैसे भारत सरकार प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, गंगा गाय महिला डेयरी योजना और महिला डेयरी विकास परियोजना जैसे सहायता प्राप्त डेयरी विकास कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन।

- एस.टी.ई.पी. डेयरी योजनाओं के तहत समिति के कमजोर वर्गों की महिलाओं को डेयरी सहकारी के तहत संगठित किया जाता है, जहाँ उन्हें सामाजिक–आर्थिक कल्याण (महिला डेयरी प्रोजेक्ट) के उन्नयन और उनके कौशल को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है।

6.12 उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ

परिचय

उत्तराखंड राज्य सहकारी महासंघ लिमिटेड (यू.सी.एफ.) उत्तराखंड का बहुउद्देशीय महासंघ है। यू.सी.एफ. को यू.पी. सहकारी महासंघ लिमिटेड, (पी.सी.एफ.) लखनऊ से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 15 जुलाई 2002 को पंजीकृत किया गया था। महासंघ ने केवल रू. 12000.00 की शेयर पूंजी के साथ प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे पी.सी.एफ. के 16 कर्मचारियों के साथ शुरुआत की थी। महासंघ का वर्तमान कारोबार रू.20123.00 लाख है। महासंघ निम्नलिखित क्षेत्रों में काम कर रहा हैः –

1. पी.ए.सी.एस. के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, प्रमाणित बीज और कीटनाशकों का वितरण

2. पी.ए.सी.एस. के माध्यम से गेहूं और धान की खरीद

3. राज्य कार्यालयों / सहकारी समितियों को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति

4. आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और इफको टोकियो बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों का बीमा

5. गोदाम संचालन अर्थात गोदामों आदि का किराया

6. भवन, सड़क, नहर आदि का निर्माण।

7. पूरे भारत के सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति। यू.सी.एफ. की रानीखेत (अल्मोड़ा) में अपनी दवा निर्माण इकाई है।

8. खनन के क्षेत्र में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य और कार्य

- कृषि उपज का विपणन और प्रसंस्करण
- सरकार की नीति के अनुसार किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों का वितरण।
- कोयले आदि का वितरण।
- उत्तराखंड की खरीद नीति के अनुसार सरकारी कार्यालयों में उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति
- गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और संचालन।
- यू.सी.एफ. की सदस्य समितियों को मदद करना और परामर्श देना
- आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन और देश के सरकारी अस्पताल में इन दवाओं की आपूर्ति

यू.सी.एफ. द्वारा किए जा रहे कार्य

1. सहकारी समिति के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में राज्य की सबसे बड़ी खाद्य अनाज (गेहूं और धान) की खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करना।

2. उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर **90,300** मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के साथ खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण के लिए राज्य की प्रमुख गोदाम एजेंसी के रूप में कार्य करना।

3. सहकारी क्षेत्र में दुनिया भर में उर्वरक कंपनी इफको सी.ए. के परिवहन और संचय एजेंट के रूप में कार्य करना।

4. सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का वितरण।

5. राज्य कार्यालयों / सहकारी समिति में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति।

6. आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और इफको टोकियो बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों का बीमा।

7. रानीखेत और हल्दूचौड़ में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सा विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से देशभर के सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के क्षेत्र में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम करना।

6.13 सी.डी.एफ. रानीखेत

सहकारी औषधि कारखाने की स्थापना वर्ष 1954 में रानीखेत में की गई थी और वर्ष 1955 से आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और उत्पादन शुरू हुआ था। भूमि और भवन हिमालय के प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में स्थित है। यह कारखाना हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के साथ–साथ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आधुनिकीकरण के प्रलोभन के बावजूद, रानीखेत की पहाड़ियों में स्थित सहकारी औषधि कारखाना उसी तरह से दवाइयाँ बनाता है जिस तरह से मूल रूप से तैयार किया जाना था।

आयुर्वेद का विज्ञान जड़ी–बूटियों की सूची को निर्धारित करने की तलना में बहुत गहरा है। सूत्रीकरण की विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं सामग्री महत्वपूर्ण है। सी.डी.एफ. सहकारी औषधि कारखाने में, आयुर्वेद के पूर्ण रूप से योग्य चिकित्सक कठोर रूप से ड्रग्स विकसित करने वाले ऋषियों द्वारा आवश्यक अनुशासन बनाए रखते हैं।

जड़ी बूटियों और दवाओं के चयन, भंडारण और तैयारी में अनुशासन। वे परिष्कृत प्रयोगशाला से सुसज्जित एक बेहतर कार्य भी करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों में कोई समझौता नहीं करते ह।

कारखाना आज लगभग 200 आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाता है, जिसमें च्यवनप्राश, द्राक्षासव, ब्राह्मी और भृंगराज हेयर ऑयल, पाचनलवण प्रख्यात हैं। इन्हें प्रत्येक बीमारो के मूल कारण को प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। एक बहुत ही उन्नत विज्ञान के वास्तविक उत्पाद हैं।

सहकारी औषधि कारखाने ने अपने अस्तित्व के 53 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह कारखाना भारत के स्वर्ण युग के ज्ञान को जीवित रखने के लिए समर्पित है।

6.14 यू.एम.पी.एल. हल्दूचौड़

घरेलू और वैश्विक समाज में "आयुष" की बढती उपभोक्ता स्वीकृति के साथ, उत्तराखंड सहकारी संघ (यू.सी.एफ.) ने हल्दूचौड़, जनपद – नैनीताल में वर्ष 2007 में एक और "आयुष" औषधि निर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। यू.एम.पी.सी.एल. के नाम से हम दो सौ प्रकार की शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाईयों जैसे आसव अरिस्था, रसरसायन, गोलियाँ, पाक अवलेह, मेडिकेटेड तेल आदि के उत्पादन के लिए आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

यू.एम.पी.सी.एल. एक जी.एम.पी. प्रमाणित इकाई है और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत दिनांक 18 मई 2007 के परिपत्र सं. R 15011/03/2007 द्वारा एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध है। उत्तराखंड राज्य कॉ–ओपरेटिव मेडिसिंस एंड फार्मास्युटिक्लस विभिन्न राज्यों में आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि।

6.15 व्यावसायिक गतिविधियाँ

उर्वरक

यू.सी.एफ. इफको के उर्वरकों के परिवहन और भंडारण का काम करता है। भारतीय पोटाश लिमिटेड, कृभको आदि यू.सी.एफ. द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र एवं समितियों के माध्यम से किसानों को उर्वरक का समय पर वितरण, कीटनाशकों और जैव उर्वरक की खरीद और वितरण के वितरण के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है।

बीज / कृषि इनपुटः

प्रमाणित बीज उत्तराखंड बीज निगम से खरीदे जाते हैं। सरकार की नीति के अनुसार किसानों को तराई बीज विकास निगम आदि द्वारा रियायती दरों पर उनकी आपूर्ति की जाती है।

कृषि उपज का विपणनः

पारिश्रमिक मूल्य पर किसानों की कृषि की खरीद और राज्य के भीतर और बाहर इसके बाद के विपणन को सीधे और साथ ही अन्य राज्य सहकारी एजेंसियों की ओर से किया जाता है।

कोयले का वितरणः

उत्तराखंड सरकार कोयले के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में यू.सी.एफ. को नियुक्त करती है जो केंद्रीय कोयला फील्ड लिमिटेड (सी.सी.एल.) द्वारा प्राप्त की जाती है। यू.सी.एफ. उत्तराखंड में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को कोयले के वितरण के लिए ठेकेदार नियुक्त करता है।

आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन

6.16 सहकारिता विभाग, उत्तराखंड में स्टाफ की स्थिति

(स्रोतः प्रदर्शन बजट 2018-19)

क्र.सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरा हुए	रिक्त
समूह -A				
1	पंजीयक	1	1	0
2	अतिरिक्त पंजीयक	2	0	2
3	संयुक्त पंजीयक	2	0	2
4	उप पंजीयक	5	5	0
5	वित्तीय नियंत्रक	1	1	0
समूह B				

1	सहायक पंजीयक	17	9	8
2	सहायक खाता अधिकारी	2	2	0
3	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
5	सह–निरीक्षक कक्षा 1 / अपर जिला सहकारी अधिकारी	78	73	5
समूह - C				
1	व्यक्तिगत अधिकारी	1	0	1
2	वरिष्ठ व्यक्तिगत अधिकारी	2	1	1
3	निजी सहायक	2	2	0
4	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
5	सहायक विकास अधिकारी	142	116	26
6	मुनीम	16	1	15
7	अन्वेषक कम कंप्यूटर	11	0	11
8	सहायक लेखक	7	3	4
9	प्रधान सहायक	7	7	0
10	कनिष्ठ अभियंता	1	0	1
11	वरिष्ठ सहायक	11	4	7
12	राज्य पर्यवेक्षक	176	112	64
5	कनिष्ठ सहायक	13	9	4
5	कंप्यूटर ऑपरेटर	6	6	0
6	संग्रह अमीन	133	63	डेड पद: 70
	कुल	**644**	**423**	**151**
समूह -D				
1	चालक	16	2	14
2	सहायक /चौकीदार	28	18	10

3	जमादार	2	0	2
	कुल	**46**	**21**	**26**
सहकारी पंच				
1	निदेशक	1	1	0
2	सदस्य	2	2	0
3	सचिव	1	0	1
4	निजी सहायक	1	0	1
5	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
6	चालक	1	0	1
7	सहायक /चौकीदार	2	1	1
8	प्रोसैस सर्वर	1	0	1
	कुल	**10**	**5**	**5**
संस्थागत सेवा बोर्ड (पंजीयक पूर्व अध्यक्ष)				
1	सचिव	1	0	1
2	निजी सहायक	1	0	1
	कुल	**02**	**01**	**0**
	कुल योग	**702**	**452**	**184**

विभागान्तर्गत सभी सवंर्गो में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 702 है, जिनमें से 184 रिक्त हैं। स्वीकृत पदों में से 26.2 % पद रिक्त हैं। ग्रुप D में रिक्त पदों का प्रतिशत 56.5 % सीटों के साथ (46 में से 26) सर्वाधिक है। ग्रुप A में 11 स्वीकृत पदों में से 4 रिक्त हैं अर्थात् 36.36% सीटें रिक्त हैं। ग्रुप A के प"चात् ग्रुप C आता ह, जिसमें स्वीकृत 398 पदों में से 134 (33.66%) पद रिक्त हैं।

सिफारिशें

- पर्वती जनपदों में कम आबादी के कारण कम ऋण दिया जाता है, एन.पी.ए. हो जाने के डर से बैंक के ऋण देने की अनिच्छा जैसे कारण इस पैटर्न को और बढ़ावा देते है। ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस पहलू पर लगातार काम करने की जरूरत है।

- जिला सहकारी बैंक अभी भी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में मौजूद नहीं है। लाइसेंस के लिए अनुरोध पहले ही केंद्र को भेजा जा चुका है। राज्य के गठन को लगभग 19 साल हो चुके हैं। प्रमुख महत्व के साथ प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।
- यू.सी.एफ. के तहत मार्केटिंग सोसायटी को मजबूत करने की जरूरत है।
- समितियों के संचालन को नियमित बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए न की संख्या बढ़ाने पर।
- डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क निर्माण को मजबूत किया जाना चाहिए।

संदर्भ

- सहकारिता विभाग उत्तराखंड
- परिणाम बजट 2019-20, सहकारिता विभाग उत्तराखंड
- प्रदर्शन बजट 2018-19
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) के माध्यम से राज्य के विकास के लिए कार्यक्रम
- www.ucdfaanchal.org/

अध्याय 7

सफलता की कहानियाँ

इस अध्याय में अनेक सफल केस स्टडी को पेश किया गया हैं। ये उन दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने में सफल होंगे, इस प्रकार से पलायन प्रवास की समस्या का समाधान करना संभव होगा।

7.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः सफलता की कहानियां

7.1.1 जिला अल्मोड़ाः

1. पटिया में मछली तालाब निर्माण– गीता बिष्ट पत्नी वीरेंद्र बिष्टः

वर्षः 2017

पटिया में एक मछली फार्म तालाब (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017–2018 में किया गया था। इस कार्य के लिए कुल 236 मानव कार्य दिवस उत्पन्न हुए।

मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अधीन, लाभार्थी परिवार को न केवल योजना के अंतर्गत काम मिला, बल्कि मछली पालन से भी लाभ मिला। तालाब की सफाई से जो पानी निकलता है उसका उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है और यह लाभ को आगे बढ़ाता है। योजना के अधीन निर्माण के कारण लाभार्थी परिवार की आर्थिक कल्याण की सरकार द्वारा सराहना की गई और अब अन्य ग्रामीणों को भी मछली पालन शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा ह।

2. मंडलकोट में बकरी गृह का निर्माण – मनोज सिंह / दीवान सिंह

वर्षः 2016–17

श्रेणी बी (व्यक्तिगत परिसंपत्तियों) के अधीन मंडलकोट में एक बकरी गृह का निर्माण किया गया था, जिसमें कुल 112 कार्य–दिवस सृजित हुए।

ग्राम पंचायत मंडलकोट विकास ब्लॉक ताड़ीखेत से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांववासी बकरी पालन के कार्य में संलग्न हैं। लाभार्थी मनोज सिंह के पास 8 बकरियां हैं लेकिन उन्हें रखने के लिए एक गृह नहीं था और उन्हें गायों और भैंसों के साथ रखना पड़ता था। ग्राम विकास अधिकारी ने गाँव की बैठक में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत बकरी और पोल्ट्री शेड निर्माण की जानकारी दी। लाभार्थियों में मनोज सिंह के बेटे दीवान सिंह का नाम शामिल किया गया था और कुछ समय बाद शेड तैयार हो गया।

लाभः मनोज के पास अब बकरी का शेल्टर है, इसलिए उसे अपने सभी मवेशियों को एक साथ नहीं रखना पड़ता हैं। उसके पास अब 10 बकरियाँ हैं और बकरी पालन के माध्यम से अच्छी कमाई करता है। वह बकरियों द्वारा उत्पादित गोबर का उपयोग खेत में उर्वरक के रूप में भी करता है।

3. रिजर्वायर (जलाशय) का निर्माण

स्थान : ग्राम पंचायत चमकना छादरी

वर्ष : 2016–17

ग्राम पंचायत चमकना छादरी में जल संरक्षण की कोई सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2016–17 में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अधीन गाँव में जलाशय के निर्माण के लिए 2,00,000 रूपए स्वीकृत किए गए थे। एम.जी.एन.आर.ई.जी. एस. के अधीन, पंजीकृत श्रमिकों को जलाशय के निर्माण के लिए मांग के आधार पर काम प्रदान किया गया था। कुल 672 कार्य–दिवसों का सृजन किया गया और 56 पंजीकृत मजदूरों को काम दिया गया। जलाशय निर्माण (रिजर्वायर) के बाद किसान नियमित रूप से अपनी फसलों की सिंचाई करने में सक्षम हैं जिसके कारण उत्पादकता में वृद्धि हुई है जिससे किसानों की बेहतर वित्तीय स्थिति हुई है।

4. खेत तालाब

विकास खंड : द्वाराहाट

कार्य का नामः खेत तालाब (व्यक्तिगत संपति)

लाभार्थी का नामः सुरेंद्र सिंह, पुत्र पूरन सिंह

ग्राम पंचायतः बसूलिसेरा

सृजित कार्य दिवसों की संख्या : 278

परिणाम / सफलता की कहानीः इस संपत्ति के निर्माण के माध्यम से लाभार्थी पानी का संरक्षण करने में सक्षम है और यह उसकी आजीविका में मदद कर रहा है। अन्य ग्रामीण भी जल संरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं।

7.1.2 : पिथौरागढ

अभिसरण के माध्यम से आजीविका में सुधार (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. और दीदीहाट चाय विकास योजना)

दीदीहाट जिला मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है लेकिन यह पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है। क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादन क्षमता कम है। इसके कारण खेती योग्य भूमि बंजर होने से खेती में लोगों की रुचि कम हो गई है। ग्रामीणों को आजीविका कमाने में कठिनाई होती है और वे अपने बच्चों की शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाते हैं। गाँव में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ग्रामीणों को अधिक पैसा कमाने के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा है। अभिसरण के माध्यम से उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा है, यह महिलाओं को आजीविका के अधिक अवसर प्रदान करता है, मनुष्य के पशु संघर्ष का प्रबंधन करने और प्रवास पर अंकुश लगाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। 60 हेक्टेयर भूमि जो 14 ग्राम पंचायतों में बंजर पड़ी थी, में चाय बागान लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः

1. रोजगार का सजन

2. भूमि का विकास

3. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन

4. प्रवासन पर अंकुश लगाना

5. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि

6. हरित पट्टी के विकास में मदद करना

विकास खंड डोडोहाट में, लगभग 31 हेक्टेयर भूमि जो कि बंजर पड़ी हुई थी, को चाय विकास योजना के तहत चाय बागान में विकसित किया गया है। 250 लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत 36103 कार्य–दिवसों का सृजन किया हैं, जिनमें से 27120 कार्यदिवस महिलाओं के लिए था। वर्तमान समय में सात ग्राम पंचायतों में काम किया गया हैः मध, तिलडी, भागगाँव, भैसुडी, नानपापोन, लेपर्थी और भालुदियार। शुरु में 4 से 5 किलोग्राम / हेक्टेयर चाय उत्पादन की आशा है, जो कि आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर 100 किलोग्राम / हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। 800 रुपये प्रति किलो की दर से किसान लगभग 3200 – 4000 रुपये / हेक्टेयर कमा सकते हैं। शुरुआती 7 वर्षों के दौरान चाय बोर्ड कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करायेगा और उसके बाद किसान समूह खुद चाय की पत्तियाँ तोड़ना शुरू कर सकते हैं और इसे बेचकर अपनी आय अर्जित कर सकते हैं।

7.1.3 चमोली जिला

गुलाब की खेती

जिला चमोली के जोशीमठ विकास खण्ड में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अधीन साघंद दूध केंद्र, सेलंकी, देहरादून की तकनीकी मदद से गुलाब की खेती की जा रही है। कुल 81.18 हेक्टेयर में गुलाब की खेती की जा रही है। योजना के लिए कुल 88 किसानों का चयन किया गया है। परियोजना पर कुल 17. 10 लाख व्यय होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2017–18 में इस योजना पर रू. 6.80 लाख खर्च किए गए हैं। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दीर्घकाल के लिए बढ़ाना है।

7.2 सफलता की कहानीः हिमालय के लिए आजीविका सुधार परियोजना

7.2.1 Drudgery Reduction – आजीविका के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में प्रारंभिक प्रयास

महिलाएं उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हालांकि, वनों, पानी और अन्य सामान्य प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर कमी के परिणामस्वरूप महिलाओं को पहले की तुलना में अनेकों गुना परिश्रम करना पड़ रहा है। साथ ही, अधिक संख्या में पुरूषों के प्रवासन ने उनके तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है।

परिश्रम न्यूनीकरण उपाय 618 गाँवों में किया गया था, जहाँ उपायों जैसे 4,975 घरों (एच.एच.) में वर्मी कम्पोस्टिंग, 0.53 मिलियन नेपियर घास टफ्ट्स का रोपण 9,519 हेक्टेयर में किया गया – यह एक

उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता (स्थानीय घास से 7 गुना अधिक) पौष्टिक चारे के लिए उपयुक्त घास है – और 7631 हेक्टेयर में 6,842 बेहतर कृषि अनुप्रयोग किए गए। अनेक कृषि उपकरणों को समाविष्ट किया गया जिसमें धान थ्रेशर, फिंगर मिलर थ्रेशर, सिकल, विनोइंग फैन, गार्डन रेक आदि शामिल है। इन सभी उपकरणों का कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षण कर एर्गोनोमिक रूप से बेहतर घोषित किया गया था, जो कार्य विशेष के लिए परिश्रम को 50 से 70ः तक कम करता है।

अभिग्रहण की दर की निगरानी करनाः इसके लिए, 29 एन.जी.ओ. भागीदारों की मदद से परियोजना ने स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के अंदर नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।

सीखः अधिग्रहण के साथ–साथ, कुछ सूखा प्रभावित गांवों में खेती की गई नेपियर घास सूख भी गई है। इस स्थिति ने इन क्षेत्रों के लिए घास की किस्मों की खोज के लिए परियोजना को और अधिक जागरूक बना दिया है। समुदाय को अन्य स्थानीय घासों के साथ नेपियर के संयोजन के बारे में भी सचेत किया गया था क्योंकि नेपियर में ऑक्सलेट होता है जिसे अगर अकेले खाया जाए तो पशुओं में कैल्शियम की कमी हो सकती है। पहले वष के खेत में किए गए अनुप्रयोग के सामर्थ्य के आधार पर परियोजना को आईएफएडी से अभिनव अनुदान परियोजना प्राप्त हुई।

7.2.2 प्रकाश फैलाना

बिलांगना नदी की घाटी में बसे, दूरस्थ शहर घुट्टू के ऊपर, स्थानीय उद्यमिता का एक उदाहरण है जो इस क्षेत्र के गांवों में लाभ पहुंचा रहा है। लगभग 12 वर्ष पहले, उम्मेद सिंह के पिता ने गेहूं, रागी और अमरंथ पीसने के लिए एक पानी मिल स्थापित की थी। अब, वे और उनके भाई महिपाल सिंह मिल का प्रबंधन करते हैं और अब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए बिजली का उत्पादन करने के लिए 7.5 किलोवाट का जनरेटर स्थापित किया है।

एक स्थानीय इंजीनियर, भीम सिंह नेगी, बेल्ट को बदलने और उपकरणों के रखरखाव में मदद करते हैं। जनरेटर सफलतापूर्वक 30–40 लाइट बल्ब और चार टीवी के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति देता है। "मैं शुल्क नहीं लेता हूँ लेकिन उपयोग करने वाले प्रत्येक घर इसके संचालन से संबंधित खर्चों के लिए प्रति माह 50 रुपये का योगदान देते है"। सरकारी बिजली की आपूर्ति के लिए प्रति माह 300 रुपये की तुलना में, यह एक बढ़िया सौदा है, क्योंकि पानी जनरेटर से बिजली बंद नहीं होती है! जाहिर है, भाइयों ने अपनी सेवा से काफी सामाजिक पूंजी अर्जित की है।

यह मिल समीप के आठ गाँवों की सेवा करती है और प्रति दिन लगभग 300 किलोग्राम वस्तुओं का प्रसंस्करण करती है। उम्मेद सिंह, रुद्रप्रयाग जिले में अन्य मिलों को देखने के लिए आयोजित एक एक्सपोजर विजिट में शामिल हुए, जिसका आयोजन आजीविका द्वारा किया गया था। उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसके परिणामस्वरूप, उन्होंने जलद्वार को एक बड़े पाइप से बदल दिया है ताकि अधिक से अधिक पानी का प्रवाह हो सके और अब 15 किलोवाट जनरेटर स्थापित करने की योजना है। यह एक्सपोज़र विज़िट की प्रभावशीलता को दिखाता है और आजीविका उद्यम विकास के लिए एक बेहतर प्रदर्शन बन सकता है।

7.2.3 आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान का आधार विकसित करना

जब एन.जी.ओ. पार्टनर ने ग्रामीणों के साथ कुरोइलर (सामान्य स्थानीय पोल्ट्री बर्ड की तुलना में उच्च उत्पादकता वाले बैकयार्ड पोल्ट्री पक्षी की एक संकर किस्म) पर चर्चा शुरू की और उसी के लिए

तैयार घरों को सूचीबद्ध किया, तो भूप सिंह ने अधिक से अधिक संख्या में कुरोइलर लेने की इच्छा दिखाई। हालांकि सबसे निर्धन किसान होने के कारण, भूप सिंह के उत्साह और आत्मविश्वास को देखते हुए, इस परियोजना के अंतर्गत भूप सिंह को 60 चूज़े दिए गए, जिसके लिए उन्होंने रु 7 / – प्रति चूजे का भुगतान किया। उन्होंने ऋण लिया और पालन के लिए 60 चूजों को समायोजित करने के लिए एक बड़े मुर्गी शेड का निर्माण किया। उन्होंने सभी पक्षियों को बड़ी सफलता के साथ पाला और इस गतिविधि को आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। भूप सिंह पहले दिन से ही चूजों के खाने, पीने और सोने की आदत को लेकर बहुत चौकस थे। उन्होंने 60 चूजों से जो सीखा, उस पर उनका विश्वास उनकी आंखों से साफ झलकता है। भूप सिंह जैसे लोग किफायती आजीविका संवर्धन के लिए जमीनी स्तर पर ज्ञान के आधार को विकसित करने के लिए मूलभूत अंग हैं। अजीविका में सबसे कमजोर लोगों को शामिल करते हुए, परियोजना सचेत हो गई कि यदि सबसे कमजोर लोगों को परियोजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो यह अपने मूल उद्देश्यों में विफल हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की मदद से स्थिर वित्तीय और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए उनके जीवन की दशा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 की शुरुआत के बाद से, अजीविका ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा कार्यनीतिक रूप से आगे बढ़ा। शारीरिक पुनर्वास – शारीरिक रूप से 84 विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन एक परियोजना से श्रवण सहायता, क्रेच, जयपुर फुट (कृत्रिम अंग) उपलब्ध कराया गया था।

सीखः परियोजना द्वारा चिन्हित किए गए 1,400 मामलें परियोजना गांवों में सबसे कमजोर व्यक्तियों से संबंधित है। मानसिक रूप से विकलांगों को प्रमाण पत्र देने के लिए केवल एक जिला (जिला–टिहरी) पर ध्यान दिया सका। इसका कारण प्रमाणीकरण के लिए परीक्षा बोर्ड के पैनल में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी था। तकनीकी लाइन विभागों के साथ आजीविका को बेहतर बनाने के कार्यों में अभिसरण प्राप्त करने की तुलना में सरकारी पेंशन योजना और शारीरिक पुनर्वास कार्यक्रमों की मदद से इन श्रेणियों के कमजोर लोगों की लिए अभिसरण करना अधिक कठिन कार्य था। इस मामले में, मामले दर मामले के आधार पर अभिसरण प्राप्त करना पड़ा, जिसके लिए संवेदनशीलता, व्यक्तिगत देखभाल, महत्वपूर्ण समय और क्षेत्र सचिवों का ध्यान देने की जरूरत पड़ी। परियोजना के सभी 29 एन.जी.ओ. साझेदार कमजोर लोगों के पनर्वास के लिए संवेदनशील नहीं थे। उन्हें इस मुद्दे पर विशेष रूप से संवेदनशील होना पड़ेगा।

7.3 सफलता की कहानी आई.एफ.ए.डी.

7.3.1. पहाड़ियों में आधुनिक खेती के चक्र को पुनृस्थापित करना

वर्ष 2017 में, इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ 131 आजीविका संग्राहको को प्रदान किया गया। सितंबर 2018 तक, 131 एफ.एम.बी. केंद्र कार्यरत्त थे, प्रति लाइवलीहुड कलेक्टिव में एक एफ.एम.बी. केंद्र स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए लक्षित 250 चालू एफ.एम.बी. केंद्रों वाले 250 आजीविका संग्राहकों की स्थापना करना है। एक एफ.एम.बी. केंद्र के लिए खरीदे गए उपकरण लगभग 40–50 हेक्टेयर खेत को कवर करते हैं। औसतन प्रत्येक एफ.एम.बी. इकेंद्र लगभग 500 घरों और 50 उत्पादक समूहों की मदद करने के लिए पर्याप्त है।

रेखा भंडारी, जाजुराली ग्राम, विण विकास खण्ड, पिथौरागढ की एक 32 वर्षीय महिला किसान है, जो अपने परिवार की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 वर्ष पूर्व कृषि कार्य से जुड़ी थी। अब वह अपने खेतों से एक साल में 40,000 रूपए कमाने में सक्षम है। वह ससुराल में एक संयुक्त परिवार में रहती

है, उनके दो बच्चे हैं और उनका पति गाँव में एक किराने की छोटी दुकान चलाते है। वह कहती हैं कि वर्ष 2015 से यू.जी.वी.एस. के साथ उनके 3 वर्ष पुराने जुड़ाव ने उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद किया है। वह गुरुंग घाट आजीविका साहित्य सहकारिता की अध्यक्ष भी हैं। एक उत्साही किसान, वह यू.जी.वी.एस. द्वारा आयोजित कृषि उत्पादकता में सुधार के बारे में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक्सपोज़र विजिट में शामिल हुई है। वह नियमित रूप से फार्म मशीनरी बैंक केंद्रों से अपने खेतों में में झाड़ी कटर और पावर वीडर और व्हीट थ्रेशर जैसे उपकरणा का उपयोग करती है। शुरू में तो उन्होंने कुछ हिचक दिखाई, लेकिन अब खुद ही मशीनों को संचालित करना सीख लिया है। वह कहती हैं कि मशीनों के इस्तेमाल से काफी समय की बचत होती है और इससे उनके लिए खेती आसान हो गई है। मशीनों को संचालित करते हुए देखकर, गाँव की अन्य महिलाएँ भी प्रेरित हुईं और अब इन उपकरणों का उपयोग करती हैं।

7.3.2 आजीविका श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए जुड़े हुए बाड़ लगाने की स्वदेशी नवाचार पहल।

आई.एल.एस.पी. यू.जी.वी.एस. से जुड़े किसानों के सामने आने वाली कई दीर्घकालिक चुनौतिया में से एक खेत की फसलों को जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया जाना था। ऑपरेशन के तेरहवें वर्ष में यू.जी.वी. एस.ने एक पायलट योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत चेन से जुड़ी बाड़ लगाकर जंगली जानवरों को खेत से दूर रखने का उपाय सुझाया गया। बाड़ की मांग कई गुना बढ़ गई है और कुछ किसान जो इन खेतों को छोड़ चुके हैं, अब इन बाड़ के कारण खेती की ओर वापस लौट रहे हैं।

चंबा जिले के ग्रामीणों ने कहा, "हमें खेती में कम से कम रूची थी क्योंकि जंगली जानवर मेहनत से उगाई गई हमारी फसलों को नष्ट कर दिया करते थे। हम जो भी फसल उगाते हैं, उसे वह जंगली सूअर, साही और बंदरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।" ग्रामीणों में से एक ने कहा कि"अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए हमारे पास अपना गाँव छोड़ने और काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जंगली जानवरों से हमारे खेतों को बचाने के लिए आई. एल.एस.पी. यू.जी.वी.एस. द्वारा उपलब्ध कराए गए बाड़ का उपयोग करने के बाद से हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है।"

रेखा देवी अपने पति, दो बच्चों और वृद्ध ससुराल के साथ जुजराली गांव, पिथौरागढ़ में रहती हैं। अपने खेत में बाड़ लगाने के बाद उन्होंने चैन की साँस ली है। पहले उन्हें रात में खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी, जंगली सूअर को डराने के लिए वे आग जलाया करते थे जिसमें उन्हें सीमित सफलता ही मिली थी। वे बाड़ लगाने का खर्च वहन नहीं सकते थ। चेन लिंक बाड़ लगाने के बाद जंगली जानवरों को खेतों से दूर रखने में सफलता मिली है। अब वह और उनका परिवार रात में चैन की नींद ले पा रहे हैं। इस मौसम में उन्होंने गोभी की दोगुनी फसल उगाई।

7.3.3 जमराड़ीः स्रोत पर एक ग्रामीण उद्योग का मशीनीकरण

नारी एकता सहकारी 86 स्व–सहायता समूहों का एक महासंघ है, जो 881 लघु सीमांत किसानों से मिलकर बना है, जो सुदूर सरयू घाटी के 26 गाँवों में फैला हुआ है, जहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र रहता है। इन गाँवों में धनिया, हल्दी, मिर्च, अदरक, दालचीनी और तेजपत्ता जैसे बहत सारे मसालों की खेती की जाती हैं। इसने अल्मोड़ा जिले के भैसियाचाना ब्लॉक के मंगलाटा गांव में एक ग्रामीण उद्योग स्थापित

किया है। अल्मोड़ा से साठ किलोमीटर दूर, यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमाओं पर स्थित हैं। किसान दालें – सोयाबीन, गहत, मसूर और फल जैसे आम, माल्टा, नींबू और अखरोट की भी खेती करते हैं।

हिलांसः नए ब्रांड हिलांस, अल्मोड़ा भोग, फ्रेश एंड क्राफ्ट को आई.एल.एस.पी.चरण में लॉन्च किया गया था और सभी फेडरेशन इस ब्रांड इमेज का इस्तेमाल स्थानीय उत्पादन कर रहे हैं। केंद्र उत्पादक समूहों से अनुमोदित कीमतों पर मसालों को खरीदता और उन्हें संसाधित करता है, और स्थानीय स्तर पर दिल्ली सहित (400 किलो मीटर दूर) और बड़े शहरों में भी बेचा जा सकता है। वर्तमान में, यह इकाई प्रति महीने 23.5 क्विंटल मंडुआ आटा और 3 क्विंटल मसालों का उत्पादन कर रही है।

बागेश्वर में मोनालघाटी की महिला सदस्यों द्वारा तैयार किए गए मांडवा बिस्कुट की मांग अधिक है। 26 अप्रैल 2018 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में य्जीवीएस की आजीविका सामूहिक के महिला सदस्य द्वारा मंडुवा आटे से तैयार किए गए इन बिस्कुट की सराहना की।

सहकारी के 787 अंशधारक हैं, प्रत्येक ने 110 रुपये की एक बार सदस्यता शुल्क का योगदान दिया है। शेयरधारकों को खरीद के दौरान उत्तम दरें और अन्य लाभ प्राप्त होता हैं। कीमतें क्षेत्रीय मंडी की मौजूदा दरों और परिवहन लागत को जोड़कर तय की जाती हैं, जिसका वहन स्थानीय किसान को इसके अलावा करना होता है। बिचौलियों के मौजूदा नेटवर्क को हतोत्साहित करने के लिए दरों को काफी प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। यह बहुत वाद–विवाद आर दबाव उत्पन्न करता है।

बेहतर प्रतिलाभः इस उद्योग में सितंबर 2013 से किया गया कुल निवेश 44.7 लाख रुपये है। इसमें से परियोजना का निवेश 3.1 लाख रुपये था। कुल कारोबार 57 लाख रुपए हुआ है, जिस पर 5. 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। कुछ बाधाओं, जिन्हें आने वाले वर्षों में सुलझाना होग, वे हैंः स्थानीय उत्पादन की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता। इस इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना होगा। फसल बीमा की केंद्रीय योजना अभी तक इन पहाड़ों तक नहीं पहुंची है। कीमतों की लड़ाईः खरीद की दरों के बारे मे निर्णय लेने के लिए एक सरल विधि का अभाव एक और समस्या है।

7.3.4 विपणन के लिए नवीन सोच

उत्पादित मात्रा और प्रति इकाई निश्चित लागत के बीच एक व्युत्क्रम संबंध है

परंपरागत रूप से, कम उत्पादन होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र में किसान अपने उत्पादों को औने–पौने दामा पर आस–पास के बाजारों में बेच देते है। अल्मोड़ा से 100 किलोमीटर दूर चौखुटिया के पास एक सुदूर गाँव में 6 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मंडुवा, बाजरा बेचा गया है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दूरदराज के गांवों में परिवहन सुविधाएं कम हैं।

अधिक मात्रा मं उत्पादनः सामाजिक गतिशीलता और गांवों में उत्पादक समूहों की स्थापना के साथ इस क्षेत्र में वर्ष 2013 में आई.एल.एस.पी. परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना ने वर्ष 2015 में चौखुटिया विकास खण्ड में क्रेता विक्रेता सम्मेलन के आयोजन की पहल की। रामनगर, हल्द्वानी, रानीखेत, भतरोझखन आदि के व्यापारियों और व्यवसायियों को आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार के अन्य आजीविका विशेषज्ञ, बैंक प्रतिनिधि, कृषि, बागवानी से लाइन अधिकारी, पशुपालन विभागों को भी आमंत्रित किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप, कुछ महीने बाद 2015 की सर्दियों में सहकारी समूहों द्वारा 20 क्विंटल मंडुवा एकत्र किया गया था, इसे उत्पादक समूहों से 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाहर के व्यापारियों को बेचा गयाः इससे किसान के साथ–साथ सहकारी समितियों को अच्छा लाभ प्राप्त हुआ।

सामूहिक विपणनः सल्ट विकास खण्ड में अस्सी किलोमीटर दूर, हरदा गांव में मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सीमा मोलखी ने ऐसा करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी परियोजना सहयोग से 3500 रुपये निकाले और मिर्च का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें सिर्फ एक या दो हफ्त में 630 रुपये का लाभ हुआ। इस सफलता से अब यह समूह इतना उत्साहित है कि उन्होंने स्थानीय रूप से 120 किलोग्राम अदरक की खरीद और चौखुटिया बाजार में व्यापार करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2015 में प्रगति एस. आर.सी. मोथियापाथेर जैसे कुछ संघों द्वारा आलू के बीजों का सामूहिक विपणन शुरू किया गया था; उन्होंने मनाली से 13 लाख ("कुफरी ज्योति" ब्रांड) रुपये की दर से सामूहिक रूप से 52 प्रति किलोग्राम की दर से शुद्ध आलू के बीज खरीदे और 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सभी संघों को वितरित किया।

मौजूदा खिलाड़ीः इस परियोजना ने अंचल (डेयरी सहकारी) और स्थानीय बाजारों जैसे मौजूदा खिलाड़ियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है।

प्रदर्शनियाँः देहरादून में जीवंत प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं; इसने सभी व्यापारियों, खरीदारों, सरकारी और निजी कंपनियों, महासंघों, स्वयं सहायता समूहों और समाजों को अपनी उपज, कृषि उपकरण और यंत्रों, आई.ई.सी. सामग्री और बेहतर बीज और कीटनाशकों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया, ताकि छोटे और सीमांत किसान इन नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच सकें। इन प्रदर्शनियों में दो फेडरेशन सदस्यों ने भाग लिया और 28380.00 रूपए की शुद्ध बिक्री और 3160.00 रूपए का शुद्ध लाभ हुआ।

स्थानीय बाजारः कुछ पी.जी. / वी.पी.जी. स्थानीय बाजार में अपनी उपज के लिए खोए हुए स्थान को फिर से प्राप्त करने में सक्षम हैं। गारुद में समूह, नागरिक अधिकारियों से मिला और उन्होंने उन्हें एक शेड में रविवार की सब्जी मंडी स्थापित करने की अनुमति दी, जिसका निर्माण इसी उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन इस समय लावारिस और अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। बिचौलियों को उत्पाद बेचने के बजाय वे 6–7 किमी दूर इस शेड में साप्ताहिक दुकान लगाना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं।

7.3.5 जिला चंदौली के नारायणगढ़ विकास खण्ड के हरिकुल स्वेत सहकारिता, कुलसरी के छोटे उत्पादकों का एक व्यापारिक सहकारी संगठन

पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग से लगभग चालीस किलोमीटर दूर कुलसारी गाँव में हरिकुल सहकारी, लगभग 16 गाँवों में फैले 45 एसएचजी का एक महासंघ है। इसके 439 शेयरधारक हैं, जिनमें से 383 महिलाएं हैं। यह अनीता रावत के नेतृत्व में कार्य करती है। फरवरी 2008 में इसकी स्थापना हुई और वर्ष 2010 में सहकारी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसकी अनूठी विशेषता यह है कि यह स्थानीय किसानों से विभिन्न प्रकार की उपज खरीदती है, उन्हें विभिन्न दुकानों पर बेचती है और बदले में किसानों को विविध सेवाएं प्रदान करती हैः जिसमें टाटा चाय, बीज, सोलर लालटेन से लेकर मेहनत कम करने वाले उपकरण और प्लास्टिक के उपकरण शामिल है। दूसरा चरण (आई.एल.एस.पी.) 2012 में शुरू हुआ, जिसके

दौरान परियोजना ने सहकारी को लगातार समर्थन दिया; इससे यह सुनिश्चित हो गया कि संगठन के सुदृढ़ होने और आत्मनिर्भर होने तक संचालन सुचारू रूप से जारी रहे। इसकी कुल पूंजी लगभग 4.5 लाख रुपये है, जिसका आधा हिस्सा वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में लगाया गया है। सहकारी कंपनी 200 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में सोयाबीन, दलहन, अनाज, बाजरा जैसे स्थानीय उत्पाद बेचती है, इसके अलावा हिलांस ब्रांड के तहत अपनी खुद की दुकान (समृद्धि ग्रामीण बाजार) के माध्यम से भी उत्पादों को बेचती है। यह अनेक प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से भी इन वस्तुओं को बेचती है – और कभी–कभी, यह अपनी उपज को कुलसारी में यहीं बेचती है, जब इसे एक अच्छा खरीदार मिल जाता है, जिससे उपज को मंडी में भेजने की परेशानी और खर्च से राहत मिलती है।

अपनी अभिसरण कार्यनीति के भाग के रूप में, यह थराली में आर्गेनिक कोऑपरेटिव को अपनी उपज बेचने में सक्षम है, जो बदले में, देश में कहीं और दूरदराज के उपभोक्ताओं को आर्गेनिक उत्पाद की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, यह टाटा टी, गांवों में एक लोकप्रिय उपभोक्ता वस्तु, का भी व्यापार करती है। यह अन्य आजीविका संघों से चाय और अन्य वस्तुओं की खरीद करता है। अपने नेटवर्किंग और विविधता लाने के प्रयासों की कड़ी में, यझ सहकारी समुदाय विभिन्न विषयों पर रिलायंस, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन, केवीके आदि के साथ काम कर रही है।

गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सीमा पर स्थित एक दूरदराज के गांव से आने वाली, अनीता सोचती है कि पिछले एक दशक में, उसने और उसकी सहकारिता ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, जिसका वे कभी सपना देखा करते थे; एक कार्यालय और बैंक में पूंजी का होना इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है; वह सोचती है कि इस तरह से अनेक महिलाओं से मिलना और काम करना इस लंबी यात्रा का सच्चा आकर्षण है।

7.3.6 जौनसार में फसल परिवर्तन – गैर–मौसमी सब्जियों की खेती शुरू हुई

उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए मिट्टी बहुत उपजाऊ है। आज तक, 101 (राज्य में 254 में से) ओ.एस.वी. उत्पादक समूह अकेले चकराता प्रखंड से हैं। यह एक बड़ा बदलाव और एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है; यह दर्शाता ह कि धीरे–धीरे लेकिन लगातार, जौनसारी किसान नई फसलों और आजीविका के लिए नए सोच प्रति जागरूक हो रहे हैं।

जौनसार के पहाड़ों में सामाजिक लामबंदी से आई.एल.एस.पी. की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। एच.ए.आर.सी. ने, टीए के रूप में, चकराता प्रखंड में 158 गांवों में किसानों के 269 उत्पादक समूहों के गठन में मदद की। कालसी प्रखंड (चकराता के पास) में टैग्री हयाऊ गांव के 48 वर्षीय देवेंद्र सिंह चौहान ऐसे ही किसान हैं। वह क्रांति निर्माता समूह (18 सदस्य) से संबंधित है, जो खत सैली फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। आठ वर्ष पहले तक, उन्होंने और उनके बारह सदस्यों वाले संयुक्त परिवार ने धान और आलू का उत्पादन किया। फिर, वह 23 किलोमीटर दूर साहिया के पास रहने वाले एक रिश्तेदार के घर गए; उसने उससे गोभी के कुछ बीज उधार लिए – और बहुत सी नई जानकारी प्राप्त की। तब से, उन्होंने अदरक, अरवो ('गगल') और आलू पर ध्यान केंद्रित किया। अपने समूह के अन्य किसानों के साथ, वे एक गाड़ी किराये पर लेकर अपनी उपज को 36 किलोमीटर दूर विकासनगर सब्जी मंडी में ले जाते हैं – 5 किलोमीटर की कच्ची सड़क उनके दूरदराज के गांव को मुख्य चकराता सड़क से जोड़ती है। उनके अन्य पांच भाई पास के शहर में प्रवास कर रहे हैं।

इस क्षेत्र से अदरक को भारत के बाहर भी निर्यात किया जा रहा है, अफगानिस्तान जैसे देशों में, जहां अदरक को सूखाया जाता है और मसाले के रूप में संरक्षित किया जाता है।

इस समूह के दूसरे किसान– शमशेर सिंह, मटर, टमाटर, अदरक और अरवी की खेती कर रहे हैं। साथ में, उनके उत्पादक समूह को कुछ उपयोगी प्रथाओं को अपनाना पड़ता है जैसे उपज को पहले से छाँटना और ग्रेड करना, सुबह 6 बजे से पहले सब्जी मंडी पहुँचना और बेहतर कीमतों प्राप्त करने के लिए अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचना। उनके पी.जी., क्रांतिदल उत्पादक समूह ने वर्ष 2014–16 में 90,900 रुपये का हस्तक्षेप किया है, जिसमें से उनका खुद का योगदान 10,035 रुपये का था; इसे बीज खरीद, नर्सरी तैयार करनेने और पौधों की सुरक्षा और एल.डी.पी.ई. शीट, शेड नेट, 150 एमटीआर पाइप के लिए इस्तेमाल किया गया था। उनके समूह में 18 किसान हैं जो सामूहिक सब्जी खेती के माध्यम से सुखद भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित हैं।

7.3.7 मसालों पर आधारित सूक्ष्म उद्यम ने एक सीमावर्ती गाँव में किसानों के लक्ष्य को प्रोत्साहित किया है

पिथौरागढ़ जिले के मुनकोट प्रखंड में राजयुदा नामक एक सीमावर्ती गाँव है। इस गाँव में लगभग 105 परिवार निवास करते हैं और उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल परिवार) रहते हैं। यहाँ मुख्य आजीविका के विकल्प निर्वाह कृषि, बागवानी और पशुपालन हैं। लेकिन चूंकि सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज्यादातर कृषि कार्य वर्षा आधारित है। यही कारण है कि अनेक किसान उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राजयुदा के ग्रामीण समुदाय ने 2014 में आई.एल.एस.पी. की मदद से कुछ स्वयं सहायता समूह और पी.जी. स्थापित किए। इनमें से एक महाकाली स्व–सहायता समूह है, जिसमें 5 प्रगतिशील किसान शामिल हैं। कृष्णमणि भट्ट के कुशल नेतृत्व में समूह, क्षेत्र में मसाला उत्पादन और गैर–मौसमी सब्जियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा है। समूह ने हल्दी, अदरक, धनिया और मिर्च जैसे स्थानीय रूप से उत्पादित मसालों को पीसने, पैकेजिंग और विपणन के लिए मसाला इकाई स्थापित की है। जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने से परेशान किसान अब मसाले की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि जंगली सूअर और बंदर मसाले की फसल को नष्ट नहीं करते हैं। परियोजना से वित्तीय मदद प्राप्त कर, महाकाली समूह ने अपने संचालन को बढ़ाया है और अब स्थानीय उत्पादों जैसे मिरोबलान (आंवला), आम, बुरन फूल, जंगली अनार आदि को प्रसंस्कृत और बेहतर बना रहा है। ये फल और फूल पहले बर्बाद हो जाया करते थे। अब इन्हे अचार, जूस, जैम आदि में परिवर्तित किया जा रहा है। गाँव के किसान अब इस समूह को अपनी उपज बेचते हैं।

समूह ने सब्जियों की नकदी फसल – जैसे कि टमाटर, बैंगन, गोभी, शिमला मिर्च आदि – को बढ़ावा देने के लिए एक वनस्पति नर्सरी भी शुरू की है। इन सभी पहलों ने अन्य किसानों सदस्यों की आय बढ़ी है और किसान अन्य अनुकूल विकल्पों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित हुए है। मसालों को पीसने के लिए माजिरकंडा, भटेडी, राजुड़ा, दौली आदि स्थानीय लोगों द्वारा मसाला इकाई का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, ये गाँव स्थानीय स्तर पर उगाए गए कच्चे माल जैसे मसाले उपलब्ध करा रहे हैं।

भविष्य की योजनाएं: इस इकाई को राज्य उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत किया गया है। समूह की जल्द ही एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के राज्य विभाग के अधीन पंजीकृत कराने की योजना है।

7.3.8 एक संकीर्ण घाटी में बड़ी इलायची का उत्पादन – जलवायु के लिए उपयुक्त फसल

44 वर्षीय सुनीता, नौ महिला निर्माता समूह, नागदेव उत्पादक समूह, की अध्यक्षा हैं, जो लुंगा में – रुद्रप्रयाग जिले के जाखोली प्रखंड में एक संकीर्ण घाटी में एक छोटा सा गाँव है। यह समूह वर्ष 2015 में ए .एस.ई.ई.डी. द्वारा स्थापित किया गया था। ए.एस.ई.ई.डी. आई.एल.एस.पी. की तकनीकी एजेंसी है। आई. एल.एस.पी. अगस्तमुनि विकास खण्ड में 3102 घरों को लाभान्वित करने वाले 381 समूहों का समर्थन कर रहा है। यही बात स्थानीय औषधीय जड़ी बूटी विशेषज्ञों (भेषज संघ) ने लगभग दस साल पहले ग्रामीणों को बताई थी।

वह समूह केवल कागजों पर ही रहा – और शुरुआत में कुछ काम ही हुए। कुछ किसानों ने शुरू में इससे संघर्ष किया। यह तीसरे वर्ष के बाद ही कटाई के लिए तैयार होता है। तकनीकी एजेंसी– ए . एस.ई.ई.डी.– इस फसल के सभी तकनीकी मुद्दों को समझाकर उनकी मदद के लिए आगे आई। अब वे इसे व्यवस्थित रूप से बढ़ा रहे हैं और कीटनाशक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। समूह में 4 एपीएल और 5 बीपीएल परिवार हैं। पिछले साल सुनीता ने 25 किलोग्राम इलायची को 30,000 रुपये म बेचा था। अगले मौसम में, समूह 40 किमी दूर लोकप्रिय तीर्थस्थलों जैसे रुद्रप्रयाग में 1200–1300 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 40–50 किलोग्राम बड़ी इलायची बेचने की योजना बना रहा है। तिलवाड़ा और ऋषिकेश में भी मसालों की बड़ी मांग है। वे प्रति सदस्य प्रति माह 100 रुपये की बचत करते हैं और विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक में 30,100 रुपये जमा कर रखें हैं। समूह अन्य फसलों की भी खेती कर रहा हैः आलू, लहसुन, प्याज और हल्दी कम मात्रा में, जिसे वे अक्सर अपने महासंघ जागृति अजिविका स्वेता सहकारिता के भीतर अदला–बदली करते हैं या बेचते हैं। इस समूह को सिंचाई सुविधा की कमी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें भूकंप, सड़क निर्माण की कमी, (नागदेव उत्पादक समूह, लांगा गाँव की लक्ष्मी, सुनीता, ममता आर लीला) से भी निपटना पड़ता है (जड़ के पास छिपा हुआ : बड़ी इलायची एक महत्वपूर्ण मसाला है।) भूस्खलन अक्सर सिंचाई चैनलों (गूल) को बाधित करते हैं और खेत सूखे रह जाते है और उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता हैं। समूह ने एल.डी.पी. टैंकों के लिए और सौर ऊर्जा संचालित जल उठाने वाले पंप के लिए भी आवेदन किया है।

यू.जी.वी.एस. के अधीन 8 गांवों में फैले 15 उत्पादक समूहों में बड़ी इलायची की खेती 99 परिवारों द्वारा की गई है। अनेक किसानों द्वारा इस कार्य में संलग्न होने की व्यापक संभावनाएँ है। उत्तराखंड में यह अभी भी मिर्च, अदरक और लहसुन से काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम, एक अन्य हिमालयी राज्य ने हाल के वर्षों में बड़ी इलायची खी खेती में बहुत प्रगति की है, जिससे साबित होता है कि विशेष मसालों की खेती में पहाड़ के किसानों का प्रदर्शन बेहतर है।

7.3.9 उत्तरोतर कृषि संबंधी पहल में उत्तरकाशी की फेडरेशन्स ने जिम्मेदारी ली

माँ जगदंबा पीजी ने उत्तरकाशी में आयोजित सर्दियों के त्यौहार– माघ मेला में सोया बडी और बुरांस का रस बेचा। उन्होंने 5 अप्रैल को एक बुरंस उत्सव का आयोजन किया, जिसके दौरान समूह ने रोडोडेंड्रोन फूलों को इकट्ठा किया, पंखुड़ियों को अलग किया, साफ किया और इसे उबाला ताकि इसका, रस बना कर बेचा जा सके, इसका उपयोग संरक्षक के रूप में किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त तकनीकी इंडिया (ए.टी.आई.), तकनीकी एजेंसी, ने उन्हें पहले ही 80 बोतलों में से प्रत्येक के लिए 80 रुपये में ऑर्डर दे चुकी है। कई फेडरेशन इस कार्य में बहुत गंभीरता से रुचि ले रहे हैं। वे वास्तव में सहकारी और इसके संसाधनों के मालिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आई.एल.एस.पी. का उद्देश्य राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी एलसी और राज्य लाइन विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। हाल ही में एक सरकारी बैठक में, मुख्य विकास अधिकारी (सी.डी.ओ.) इतने प्रभावित हुए उन्होंने वादा किया कि, नाबार्ड समूहों की तरह, आई.एल.एस.पी. महासंघों को भी सरकार द्वारा शेष 5ः अनुदान के साथ 7ः पर सीसीएल दिया जाएगा। यह पहाड़ों के किसानों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज पर राशि उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ समन्वय से यह आशा बंधी है कि फेडरेशन को केवल 10ः लागत पर 5 पॉलीहाउस दिए जाएंगे, जिसका भुगतान श्रम के रूप में किया जाएगा। ए.टी.आई. ने कृषि विभाग– जिसे लाभार्थियो को खोजने में कठिनाई हो रही थी – के साथ गंठबंधन स्थापित किया है, ताकि प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को केवल 300 रुपये में एक छिड़काव मशीन उपलब्ध कराया जा सके। डी. आर.डी.ओ.ः हिल्स बाजार द्वारा हरि महाराज महासंघ को उत्तरकाशी में किराया–मुक्त दुकान दी गई है। यह सोया बडी, बर्सन जूस, हस्तनिर्मित अगरबत्ती, शहद आदि बेचता है। महासंघ अधिक उत्पादों पेश करने की योजना बना रहा हैं ताकि दुकान पूरे वर्ष भर चलता रहें। तीन बच्चों वाली 37 वर्षीय तलाशुदा सरोजिनी से अक्सर पूछा जाता हैः आप इन कार्यों को कैसे कर पा रही हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक युवा तलाक के रूप में पीड़ित होने के बाद, वह अन्य महिलाओं के दुःख–दर्द को महसूस करती और उनकी परवाह करती है। उनके विचार में ग्रामीण महिलाओं की मुक्ति में आर्थिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने गाँव मानपुर में एक "संग्रह केंद्र" स्थापित करने का प्रयास करते हुए, उन्होंने अपनी धैर्य दिखाया। उन्हें गाँव के शूर वीर सिंह से दान में भूमि प्राप्त हुई।

7.4 सफलता की कहानी यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी.

7.4.1 पी.ए.आर.ए.वी.ई.टी.– आजीविका का विकल्प

कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से स्थानीय मवेशियों की नस्ल म सुधार करना दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए एक चुनौती है। पशुचिकित्सा अस्पतालों में उपचार के लिए मवेशियों का परिवहन एक महंगा और खतरनाक प्रस्ताव है। ग्राम्या ने इस समस्या की पहचान की और एक स्थानीय व्यक्ति को एक पर्वत के रूप में प्रशिक्षण देकर समस्या का समाधान करने की कोशिश की, जो किसानों के दरवाजे पर गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो।

इस पहल के एक हिस्से के रूप में, एक शिक्षित बेरोजगार युवक, पिथौरागढ़ जिले के ग्राम तिरगोली के निवासी श्री दीपेश जंगपांगी को पर्वत प्रशिक्षण के लिए चुना गया। उन्होंने वर्ष 2016 में पशू लोक, ऋषिकेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने गाँव में एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किया। केंद्र को एक पर्वत किट उपलब्ध कराया जिसमें तरल नाइट्रोजन कंटेनर, वीर्य स्ट्रा आदि जैसे उपकरण शामिल थे, जिन्हें परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया जबकि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ने तकनीकी जानकारी प्रदान की।

कुछ ही समय में, केंद्र आस–पास के 4 से 6 किलोमीटर के भीतर अनेक किसानों को अपनी सेवाएं देने लगा। उनके द्वारा लगभग 83ः की सफलता दर के साथ लगभग 100 मवेशियों का कृत्रिम गर्भधारण कराया गया।

श्री दीपेश उन किसानों के लिए 300 रुपये का शुल्क लेते हैं जो अपने मवेशियों को उनके केंद्र पर लाते हैं और घर जाने लिए लगभग 600 रुपये लेते हैं। एक पारावेट के रूप में समाज में उनकी स्थिति बेहतर हुई है और उन्हें आय का एक सुरक्षित स्रोत मिला है। किसानों के लिए यह एक बड़ा लाभ है कि

उनके दरवाजे पर उचित दरों पर ऐसी सेवा उपलब्ध हो। परियोजना द्वारा इस पहल ने न केवल एक व्यक्ति के लिए आय का स्रोत तैयार किया, बल्कि किसानों को उनके गांव में मवेशियों की नस्ल सुधारने में भी सहायता की है।

7.4.2 सौर ऊर्जा गांव में जीवन की एक नई आशा लेकर आई

अल्मोड़ा जिले का लाडोली गाँव जलवायु के लचीलापन के निर्माण की दिशा में एक आदर्श उदाहरण है, जो स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाला है। गाँव ने ग्राम्या का ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर आकृष्ट क्योकि हिमालयी गाँव उम्मीद के विपरीत बंजर थे। पूछने पर कि "खेत बंजर क्यों हैं?" "हमारे यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है" प्रतिक्रिया मिली।

महिलाएं वर्षा आधारित खेती करती थी जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान थी क्योंकि पुरुष शहरों में अधिक स्थायी आय के लिए चले गए थे। वे रबी के दौरान गेहूं और थोड़ी मसूर और खरीफ के दौरान मडुवा, जिंगोरा आदि उगाया करते थे, जिनमें से ज्यादातर पिछले वर्ष की फसल से बचाए गए बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, एक किसान ने बताया।

किसानों के साथ विचार–विमर्श से यह विचार सामने आया कि जल धारा से पानी प्राप्त करने और सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को कृषि क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है और रोक बांध कर निर्माण कर ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाले जल को जमा किया जा सकता है और तलछट टैंक में एकत्र किया जा सकता है। गांव से टंकी से पानी निकालने के लिए एक पंप को संचालित करने के लिए डीजल का उपयोग करने के बजाय सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए एक नवीन विचार की कल्पना की गई। यह उपाय जलवायु के अनुकूल था और कार्बन फुट प्रिंट भी कम था।

सिंचाई टैंक (15000 लीटर) का निर्माण किया गया। वी.पी.के.ए.एस. के वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने कृषि प्रशिक्षण दिया। 3000 वाट के 10 सौर पैनल स्थापित किए गए और 21 एल.डी.पी.ई. टैंक खोदे गए। लगभग। 4,35,000 लीटर पानी उन सभी टैंकों में जमा किया जा सकता है जो उनकी फसलों को पानी देने के लिए पर्याप्त थ। सौर ऊर्जा ने किसानों के जीवन में एक नया प्रकाश फैलाया।

इसी तरह के उदाहरण धर्मकोट में देखा जा सकता है, जहां 6 सौर पैनल लगाए गए हैं, जो अब लगभग 5 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। फिर एक और उदाहरण कागथुम ग्राम पंचायत में देखा जाता है। इन उपायों के कारण गाँव के निचले छोर में स्थित जल स्रोत में जल स्तर में काफी वृद्धि हुई। और यह पानी अब सरसों, पालक, मूली, मटर, भिंडी, प्याज, मिर्च, लहसुन, और धनिया, आदि और सब्जियों को उगाने और पीने के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

भूमि क्षरण उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बड़ी चिंता का विषय था, जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। हालांकि, ग्राम्या ने परती भूमि के पुनर्जीवन और पुनरुद्धार के समस्या का समाधान किया। इसका मुख्य उद्देश्य के समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित करना था। इस प्रकार हस्तक्षेप का उद्देश्य इनपुट लागत को व्यवहारिक और न्यूनतम करना था, हालाँकि सुनिश्चित उत्पादकता के लिए उनका व्यावहारिक और वैज्ञानिक होना भी जरूरी था।

7.4.3 बीज उत्पादनः जलवायु परिवर्तन में एक लाभप्रद बाजार

मैदानों के लिए बीज बदलने की दर 15–20 प्रतिशत है, जबकि पहाड़ियों क्षेत्रों में यह मात्र 3–4 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र में किसान अपने पिछले मौसम की फसल की उपज को बचाने और अगले बुवाई के मौसम के लिए उसी बीज का उपयोग करने के अभ्यस्त में हैं। कृषि फसलों के प्रमाणित बीज केवल बीज निगमों के पास उपलब्ध हैं।

ग्राम्या ने प्रमाणित बीज उपलब्धता की कमी और किसानों को संघ द्वारा प्रमाणित बीजों के उत्पादन का अवसर प्रदान किया और उन्हें तकनीकी जानकारी और सहयोग का अहसास कराया। ग्राम्या ने धौला देवी ब्लॉक के किसानों को प्रेरित, प्रोत्साहित और संगठित किया और बाद में 17 एफ.आई.जी. को "जगन्नाथ कृषि बीज उत्पादक संघ, अर्तोला" नामक एक महासंघ के रूप में पंजीकृत किया गया। "प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम" की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। यह महासंघ तराई बीज और विकास निगम से प्रमाणित और नवीन बीज बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला फेडरेशन था। किसानों ने कृषि विभाग और उत्तराखंड राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी (यू.एस.एस.सी.ए.) के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रमाणित बीज उत्पादन में शामिल प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। फसल तैयार होने के बाद, टीडीसी द्वारा प्रदान की गई मोबाइल सीड प्रोसेसिंग वैन द्वारा संग्रह की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

उपलब्धि

पहले वर्ष में, लगभग 48.8 क्विंटल धान, मडुवा, मदीरा, गहत, भट्ट और रामदाना के बीजों को प्रसंस्कृत और चिन्हित किया गया था। दो लाख रुपये में ग्राम्या द्वारा फेडरेशन से प्रमाणित बीज खरीदा गया। रबी सीजन के दौरान प्रमाणित बीज कार्यक्रम के अंतर्गत 40.0 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई, हालांकि वर्षा की कमी के वजह से फसल ख़राब हो गई थी, लेकिन परियोजना द्वारा फेडरेशन से पचासी हजार रुपये में बीज खरीद लिया गया था।

वर्ष 2016 के खरीफ सीज़न में, फेडरेशन ने फाउंडेशन बीज के 71.82 क्विंटल को प्रसंस्कृत किया जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण की मंजूरी देने के बाद प्रमाणित किया गया था और तीन लाख रुपये में ग्राम्या द्वारा खरीदा गया था।

वर्ष 2017 के खरीफ मौसम में, अल्मोड़ा और नैनीताल में वी.पी.के.ए.एस., टीडीसी और राज्य के कृषि विभाग से धान, मडुवा, मदीरा, रामदाना, गहत और भट्ट किस्मों के संकर बीजों का उत्पादन किया गया। फेडरेशन क्षेत्र में 132 क्विंटल बीज का उत्पादन करने में सफल रहा, जो कि बीज की पर्याप्त मांग को पूरा करेगा। मडुवा (वी.एल.– 347,324 और 352), मदीरा (वी.एल.–85 और 62), रामदाना (वी.एल.–44), गहत / कुलथी (वी.एल.–19) और धान / धान (वी.एल.–85 और 62) के बीज फाउंडेशन बीज फेडरेशन द्वारा बिक्री करने के लिए तैयार हैं।

7.4.4 फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी का दोहन

जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन दिखाते हुए जल संरक्षण के समस्या की समाधान करने की दिशा में परियोजना ने पहल की है। उत्तराखंड के आठ पहाड़ी जिलों में लागू ग्राम्य का मुख्य लक्ष्य वर्षा आधारित क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परियोजना चयनित जलविभाजन (वॉटर्शेड) वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और जल स्रोतों की स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।

देहरादून जिले के कुन्ना गाँव ने एक सदाबहार पानी की धारा पर एक ग्राम टंकी के निर्माण का प्रस्ताव रखा जिसमें सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। टैंक में पानी के संग्रह करने से सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति की जाने लगी। टैंक से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया गया, जिससे किसानों को गैर–मौसमी सब्जी उत्पादन में विविधता लाने में मदद मिली। उन्होंने 123 क्विंटल हिमसोना किस्म के टमाटर की खेती और विपणन क माध्यम से 3.56 लाख रूपए कमायें।

देहरादून जिले के सुरू ग्राम पंचायत के किसानों को चारगढ़ टोक में एकमात्र बारहमासी जल स्रोत सूखने के कारण सिंचाई और पीने की पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा, जो गाँव से लगभग 1.5 किमी दूर था। परियोजना के माध्यम से ओक और संबंधित प्रजातियों के पौधें को लगभग 5 हेक्टेयर में लगाया गया। क्षेत्र में जल संरक्षण के उद्देश्य से पुनर्भरण करने वाले गड्ढों और समोच्च खाई बनाए गए थे। इस स्रोत के पुनर्जीवित होने के बाद, परियोजना ने दो संग्रह कक्षों के साथ–साथ 1800 और 100 मीटर की दो एच.डी.पी.ई. पाइपलाइनों को बिछाने में सहायता की। इसने सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2.65 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया है, जिससे किसान मटर, सेम और अदरक जैसी फसलों को विविधतापूरण खेती करने में सक्षम हुए है।

प्रत्यक्ष

मक्का, धान और गेहूं बुवाई के लिए वर्षा आधारित फसल प्रणाली पर निर्भर परिवारों ने बेहतर उत्पादन वाले वाले किस्म का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके माध्यम से टमाटर, मटर और लहसुन आदि की नकदी फसलों की खेती करने लगे। इससे उनके आय में काफी वृद्धि हुई और उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई।

अप्रत्यक्ष

जिन महिलाओं का पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उन्हें अभी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित है और वे अपने घरेलू कामों के लिए समय का सदुपयोग कर रही हैं।

7.5 पलायन आयोग रिपोर्ट

7.5.1 जिला पौड़ी (पौड़ी रिपोर्ट, पलायन आयोग)

7.5.1.1 डेयरी

- पूर्व आईएएफ अधिकारी श्री प्रेम सिंह भंडारी ने पाबा विकास खण्ड में लगभग 20 गायों की मदद से एक डेयरी शुरू की है।
- उन्होंने एक छोटा दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र भी स्थापित किया है और उसे स्थानीय और पौड़ी बाजार में वितरण करते है।
- उनके पोल्ट्री शेड में लगभग 250 पक्षी हैं और उतनी ही चूजे भी हैं। उनके पास 2 तालाब हैं और मत्स्य पालन शुरू करने की योजना कर रह ह। उन्होंने 4 ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया है।

7.5.1.2 अगरबत्ती का निर्माण

- रिखणीखाल ब्लॉक के निवासी श्री महेश घिल्डियाल ने दूसरों के लिए एक मिसाल स्थापित की है।
- वह मुंबई से अपने गाँव वापस आ गए और अगरबत्ती और धुप (अगरबत्ती) बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया।
- उन्होंने 6 महिला सदस्यों की एक स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) का गठन किया है और अगरबत्ती और धुप बनाने के लिए स्थानीय स्तर से प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया है।
- वह अधिक सदस्यों को शामिल करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते है।

7.5.1.3 महिला स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)

- गौरी कोट गांव, पौड़ी ब्लॉक में, 18 महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण करने के लिए एक साथ आईं है।
- उन्होंने लगभग 4 हेक्टेयर जमीन में खेती करना शुरू किया हैं और सहकारी के रूप में काम कर रही हैं।
- वे गैर–मौसमी सब्जियों, मुर्गी पालन, मछली पालन, दालों और फूलों की खेती करती हैं।
- पावर टिलर और अन्य कृषि उपकरणों के उपयोग करने से खेती की मुश्किलें कम हा गई है।
- सरकारी योजनाओं की मदद से उन्होंने अपने खेतों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। वे अपनी उत्पादन को स्थानीय पौड़ी बाजार में बेचते हैं।
- यह लैंड पूलिंग का एक अच्छा उदाहरण है और अन्य गांवों के लिए भी आदर्श हो सकता है।

7.5.1.4 नेपाली मूल के किसानों की कहानी

- पौड़ी और उसके आसपास के किसान को आसानी से खेती करते, विशेषकर सब्जी की खेती करते हुए देखा जा सकता हैं। ये स्थानीय लोग नहीं बल्कि नेपाली मूल के लोग हैं। यहां पौड़ी में, कुछ मुट्ठी भर नेपाली मूल के लोग मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी, और खेती में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ अब लगभग दो पीढ़ियों से पौड़ी में निवास कर रहे हैं और कृषि में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी कानूनी समझौते या बंधन के स्थानीय लोगों द्वारा किराए पर दी गई जमीन पर खेती करते है। चूंकि कई स्थानीय निवासी खेती को एक आकर्षक विकल्प नहीं मानते हैं, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में यह भूमि बंजर हो गई है। नेपाली मूल के लोगों ने बंजर भूमि को उत्पादक भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब वे साल भर सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। किसो ने सब्जी के खेतों में ही अपनी अस्थायी झोपड़ियों बना ली है और दिन भर खेत में ही रहते है, चाहे वह गर्मी का उमस भर दिन ही क्यों न हो।

7.5.2 प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको.टूरिज्म) रिपोर्ट

7.5.2.1 देहरादून चिड़ियाघर

देहरादून चिड़ियाघर की स्थापना वर्ष 1976 में मालसी हिरण पार्क के रूप में की गई थी, जिसे वर्ष 2015 में देहरादून चिड़ियाघर का नाम दिया गया था। यह मसूरी की तलहटी में स्थित है और देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। चिड़ियाघर माल्सी रिज़र्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र है। चिड़ियाघर में कुल 419 पक्षी और जानवर हैं।

चिड़ियाघर बनने के बाद इस केंद्र में अनेक ढांचागत विकास किए गए हैं। चिड़ियाघर के नए बुनियादी ढांचे में एक फूड कोर्ट बिल्डिंग, एक्वेरियम, एवियरी, पार्क, एक्यूटिक वर्ल्ड और टिकट प्लाजा का निर्माण शामिल हैं। तेंदुआ बचाव केंद्र और बाड़े को भी विकसित किया गया हैं। सफारी रोड के विकास पर भी काम चल रहा है।

चिड़ियाघर की आय वर्ष 2014–15 (मालसी हिरन पार्क के रूप में) में 25.61 (लाख) से लगभग दोगुना बढ़कर वर्ष 2015–16 में (देहरादून चिड़ियाघर के रूप में) 40.77 (लाख) हो गया। चिड़ियाघर ने वर्ष 2018–2019 में अप्रैल से जून तक पहले ही 62.5 (लाख) का आय अर्जित किया है।

पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ चिड़ियाघर के अधिकारियों ने पर्यटकों द्वारा छोड़े जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक नया तरीका अपनाया है। यह 3 आर के सिद्धांत पर काम करता है जैसे कम करना (रिड्यूस), पुनः उपयोग (रियूज) करना तथा पुनर्चक्रण करना (रिसाइकिल)। प्लास्टिक के अपशिष्ट को कम करने के लिए, प्रवेश द्वार पर प्रति प्लास्टिक की बोतल पर पर्यटक द्वारा 10 रुपये जमा करवाएं जाते हैं और बाहर निकलने पर अपशिष्ट को इकट्ठा करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जाता है। इससे चिड़ियाघर परिसर में प्लास्टिक के अपशिष्ट में कमी आई है। पुनर्चक्रण के लिए, प्रवेश द्वार पर एक प्लास्टिक की बोतल क्रशिंग मशीन स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से प्लास्टिक की बोतलों को छोटे टुकड़ों में क्रश किया जा सकता है, जिसे बाजार में 16 रू/ किग्रा की दर से बेचा जाता है। इस कार्य के लिए, पर्यटकों को उनके द्वारा क्रश किए गए प्रत्येक बोतल पर दो प्रतिदान अंक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में उद्योगों और व्यक्तियों से सीएसआर के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के परिसर में, प्लास्टिक के अपशिष्ट का पुनः उपयोग भी किया जा रहा है। इस अपशिष्ट से 40 घन मीटर से अधिक निर्माण कार्य किया गया है।

(स्रोतः देहरादून चिड़ियाघर, 2018)

7.5.2.2 रंग आदिवासी संग्रहालय (Rang Tribal Museum)

धारचूला में रंग आदिवासी संग्रहालय क्षेत्र के रंग आदिवासी लोगों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सहयोग का परिणाम है। रंग कल्याण संस्थान (आर.के.एस.) इस क्षेत्र का एक प्रमुख सामाजिक संगठन है जो दशकों से सक्रिय रूप से कठोर प्राकृतिक परिस्थितियो में रहने वाले लोगों के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। इस संगठन ने रंग आदिवासी संग्रहालय के सपने को वास्तविकता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रंग ट्राइबल म्यूज़ियम में व्यान, दर्म और चंडास घाटियों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन, रीति–रिवाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत दृ ष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो देश और विदेश के ट्रेकर्स, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन से गुलजार रहते है। केएमवीएन ने प्रावधान किया है कि रंग टूरिज्म म्यूज़ियम म यात्रा करने

वाले सभी पर्यटकों के लिए यात्रा–कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। यह पर्यटकों को क्षेत्र को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है और उन्हें जिम्मेदार आगंतुकों के रूप में व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। (स्रोतः उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड)

7.5.3 जिला अल्मोड़ा (जिला रिपोर्ट अल्मोड़ा, पलायन आयोग)

7.5.3.1 मोबाइल एग्री –क्लिनिक वैन

अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया, यह एग्री–क्लिनिक वैन कृषि, बागवानी, पशुपालन, आदि जैसे विभिन्न सरकारी लाइन विभागों से इनपुट और संबंधित जानकारी दरवाजे तक और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है। इस वैन का इस्तेमाल मौजूदा और नई सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है। यह पहल किसानों और समग्र रूप से ग्रामीण जनता के लिए बहुत सहायक है।

योजना को 3 वर्षों, वष 2018–19 से 2021–22 तक के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसे एन.एम.ए.ई.टी., जिला योजना, कृषि विभाग, कृषि विभाग, युवा कल्याण विभाग और पी.आर.डी. के माध्यम से वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान किया गया है। राज्य के अन्य पहाड़ी जिलों में भी ऐसी ही पहल किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

आई.एल.एस.पी., उत्तराखंड

यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी., उत्तराखंड

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. विभाग, उत्तराखंड

उत्तराखंड पलायन आयोग

अध्याय 8

विश्लेषण और सिफारिशें

ग्रामीण विकास क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जा रही विविध योजनाओं और कार्यक्रमों का आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है जहाँ प्राथमिक आंकड़े इन योजनओं के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं और सहायक आंकड़े आधिकारिक स्रोत तथा क्षेत्र में स्थानीय स्टाफ एवं समुदायों के साथ चर्चा से प्राप्त किए गए हैं। यहाँ कुछ विस्तृत सिफारिशें दी गई हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या को रोकने में सहायक होंगी।

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.

- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. की वेबसाइट पर प्रकाशित वर्तमान आंकड़े दर्शाते है कि समय पर भुगतान (15 दिन के भीतर) जो वर्ष 2015.16 में राज्य के सभी जनपदों में 50% से कम था, वर्तमान में राज्य में सभी जनपदों के लिए 99% से अधिक लगभग 100% के करीब हो गया है।

- वर्ष 2018.19 में महिलाओं को दिए गए रोजगार का औसत 51.94 प्रतिशत है, हालाँकि राज्य औसत 50% से अधिक है जनपदों के बीच अंतर हैं, जहाँ टिहरी जनपद 73.02% के साथ उत्पन्न महिला दिवसों का एक उच्च प्रतिशत दिखाता है जबकि देहरादून और हरिद्वार में क्रमशः केवल 31.79% और 32.92% है। पर्वतीय जनपदों में चम्पावत, पिथौरागढ और नैनीताल में यह पिछले 4 साल के दौरान 50% से कम रहा है। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके सभी जनपदों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- बिना किसी व्यय वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या देहरादून में सर्वाधिक है (462 में से 46) एवं उसके बाद 1168 में से 72 ग्राम पंचायतों के साथ अल्मोड़ा है।

- सभी जनपदों में पंजीकृत कुशल श्रमिकों की संख्या में एक स्पष्ट लैंगिक अंतर देखा जा सकता है जो पौड़ो में अधिकतम है जहाँ 20699 पुरुष श्रमिक और 1251 महिला श्रमिक हैं। महिला राजमिस्त्री के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- वर्ष 2017.18 और उसके पहले के समय के लिए समापन दर औसतन 90 से अधिक है। वंचित समुदायों के परिवारों की संख्या जिनके पास व्यक्तिगत संपत्तियां हैं और जिन्होंने एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. कार्यों की माँग करना बंद कर दिया है, अल्मोड़ा, पौड़ो और पिथौरागढ जनपदों में यह संख्या शून्य है। संपत्ति सृजन और उसके द्वारा स्थायी आजीविका सृजित करने की उसकी क्षमता के बोच अभी भी अंतर है।

- उत्तराखंड राज्य के लिए, रोजगार माँग शैली की जाँच करते समय पता चला है कि पिछले पाँच सालों में जुलाई और जनवरी महीनों में रोजगार की मांग सर्वाधिक है, नवंबर और अप्रैल महीनों में माँग अपेक्षाकृत कम है।

- धन व्यय की दृष्टि से, उत्तराखंड में एन.आर.एम. कार्यों पर व्यय अधिदिष्ट 65% की तुलना में एम. डब्ल्यू.सी. (मिशन जल संरक्षण) ब्लॉक में केवल 50% है। 2 भूजल तनावग्रस्त ब्लॉक में पूर्ण किए गए कार्यों में से, केवल 4% कार्य भूजल पुनर्भरण से संबंधित हैं। राज्य को निश्चित रूप से एन. आर.एम. कार्य अधिक लेने को आवश्यकता है (राज्य प्रदर्शन रिपोर्ट 2017–18 और कार्य योजना 2018–19)

- नदी के कायाकल्प कार्यों को लिया जाना चाहिए।

- एन.आर.एम. गतिविधियों से संबंधित कुल 39095 कार्य शुरू किए गए थे जिसमें से 22270 कार्य पूर्ण किए गए हैं। अधिकतम संख्या म कार्य भूमि आवंटन/भूमि उन्नयन में (11555) और उसके बाद बाढ़ नियंत्रण (6346) में किए गए हैं।

- कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक/व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए नर्सरी विकास (15) में सबसे कम संख्या में कार्य शुरू किए गए हैं जिसमें से केवल 3 पूर्ण किए गए हैं। राज्य में नर्सरियों में बडो क्षमता है और अधिक कार्य लिए जाने चाहिए तथा इसमें समापन दर में वृद्धि की जानी चाहिए।

- 27784 ग्रामीण अवसंरचना कार्यों में से 15773 पूर्ण किए गए हैं जो लगभग 56% है। ग्रामीण अवसंरचना में सामुदायिक/आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण, अनाज भंडारण, सुरक्षा दीवार आदि शामिल हैं जो समग्र विकास और पहुँच के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ग में समापन दर में सुधार लाना आवश्यक है।

- राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या का प्रतिशत 6.09% है जिसे कम से कम एक बार ऑडिट किया गया है जा काफी कम है। सामाजिक ऑडिट जमीनी समस्यों को पहचानने में सहायता करता है इसलिए प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a- एम.ए.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं, ध्यान केंद्रण उन कार्यों पर होना चाहिए जो महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय सृजित कर सके। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके सभी जनपदों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे कुशल श्रमिकों के रूप में लाभ उठा सके न कि अकुशल श्रमिकों के रूप में।

b- फसलों को बंदर और जंगली सूअर जैसे जानवरों द्वारा नुकसान होने की समस्या है। कुछ ब्लॉक में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं, सभी जनपदों में ऐसा किया जाना आवश्यक है। बंदरों से फसलों की सुरक्षा के लिए संपत्तियां बनाने के लिए एक योजना वन विभाग की सहायता से तैयार की जानी चाहिए।

c- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल और सिंचाई दोनों के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए इस योजना के तहत कार्यों का संयोजन किया जा सकता है। राज्य में बहुविध योजनाऐं स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रही हैं,

जिनमें मनरेगा के तहत सामुदायिक सम्पत्तियों के अनतर्गत सामान्य कार्य क्षेत्र/"ाड का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के सरल संचालन में मदद मिलेगी। डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम. स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य वर्क शेड्स के निर्माण का काम शुरू किया गया था, जिनमें से 47 कार्यों में से केवल 14 पूर्ण किए गए हैं। इस योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या को देखते हुए, उनमें किए गए कार्यों की संख्या बहुत कम है, आगे पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या और भी कम है। इसके तहत काम में तेजी लाई जा सकती है, ताकि वे विभिन्न आजीविका गतिविधियों के केंद्र बन सकें।

डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम.

- स्थापना के बाद से गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य से अधिक है। परिणामस्वरूप 19385 के लक्ष्य की तुलना में स्थापना के बाद से 21308 स्वयं सहायता समूह गठित की गई हैं। एस.एच.जी. के पूंजीकरण की रणनीति में अन्य सभी चरणों में उपलब्धियां पिछड़ रही हैं (आर.एफ., एम.सी.पी. तैयारी, सो.आई.एफ., वी.ओ. और सी.सी.एल.)।

- आजीविका कौशल के तहत कुल 14,632 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें 11,420 को रोजगार उपलब्ध कराया गया है (78.05%)। बागेश्वर में 100. के लक्ष्य के सापेक्ष किसी को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया था। अन्य जनपदों की तुलना मे चमोली में रोजगार की उपलब्धतता कम थो, (कुल प्रशिक्षितों में से केवल 40.66%)

- एन.पी.ए. की सर्वाधिक प्रतिशत खानपुर (हरिद्वार) में हैंः 85.34%, कल्जीखाल (पौड़ी): 66.49% काशीपुर (ऊधमसिंह नगर): 61.25%, हल्द्वानी (नैनीताल): 54.25%, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी): 50.61%, गंगोलीहाट (पिथौरागढ): 47.57%, खटीमा (ऊधमसिंह नगर): 46.97% और चम्पावत (चम्पावत): 44.5%।

- रुद्रप्रयाग जनपद में निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों की संख्या अधिकतम है, 714 सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की तुलना में 678 निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह हैं। लगभग 50% स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हो गए हैं। उसी प्रकार टिहरी के लिए 1347 सक्रिय की तुलना में 786 स्वयं सहायता समूहों . निष्क्रिय हैं। यह संख्या ऊधमसिंह नगर में सबसे कम हैं जहाँ केवल 49 निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह और 3734 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं।

- निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों की अधिकतम संख्या को प्री एन.आर.एल.एम. के रूप में पहचाना जाता है (अर्थात एस.जी.एस.वाय.) (2333 स्वयं सहायता समूह)। निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों के लिए सूचीबद्ध अन्य कारण हैं बैंक खाते खुलवाए नहीं गए हैं (770 स्वयं सहायता समूह), पंचसूत्र का पालन नहीं हो रहा (583 स्वयं सहायता समूह), आर.एफ. प्राप्त नहीं हुआ है (154 स्वयं सहायता समूह) अथवा एस.एच.जी. में 5 से कम सदस्य हैं (155 स्वयं सहायता समूह)।

- आजीवका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन सुगम बनाकर आजीविका प्रदान करना था, अब परिवहन सेवा को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है जिससे योजना को बढ़ावा मिलेगा। यह सीधे तौर पर एस.एच.जी. को फायदा पहुंचाएगा और साथ ही कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a- सी.सी.एल. की प्राप्ति में अंतर को विभिन्न कारणों से जिम्मेदार ठहराया जाता है जैसे कि उचित एम.सी.पी. की कमी, ऋण लेने के लिए समुदाय की अनिच्छा और बैंक आदि। सूक्ष्म ऋण योजना तैयारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जो जरुरत आधारित है। योजना की तैयारी के सुचारू संचालन के लिए मास्टर ट्रेनरों को बढ़ाया जाना चाहिए। सामुदायिक जागरूकता और बैक लिंकेज को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को बढ़ाया जाना चाहिए।

b- उत्तराखंड में औषधीय और सुगंधी पौधों की अच्छी क्षमता है लेकिन वर्तमान में वह राज्य में एक लाभकारी गतिविधि के रूप में नहीं उभर रहा है। राज्य में इसकी वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने के और इसे महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधि में से एक में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

c- मशरूम उत्पादन राज्य के लगभग हर जिले में लाभदायक साबित हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना चाहिए और राज्य में मशरूम उत्पादन के विस्तार के लिए नए बाजार संपर्क का गठन किया जाना चाहिए।

d- आजीविका गतिविधियों में सर्वाधिक विविधीकरण देहरादून (40), हरिद्वार (36) और रुद्रप्रयाग (33) जनपदों में है। न्यूनतम विविधता टिहरी (6), चम्पावत (8) और अल्मोड़ा (7) जनपदों में देखने को मिलती है। इन जनपदों में आजीविका गतिविधियों में विविधता पर फोकस होना चाहिए।

e- गठित स्वयं सहायता समूहों का उचित अनुश्रवण और समीक्षा अनिवार्य है। समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकता आधारित एवं क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण की समझ विकसित की जानी चाहिए। अनुश्रवण न केवल स्वयं सहायता समूहों . के सुचारू संचालन में मदद करेगी बल्कि उन मामलों में भी मदद करेगी जहाँ पता लगाया जाना जरूरी है कि स्वयं सहायता समूहों . क्यों निष्क्रिय बन रहे हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों की स्थिरता स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

f- अधिक संमिलन आवश्यक है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए., आई.सी.डी.एस., मध्याहन भोजन योजना, कृषि और सहायक विभागों की योजनाएँ, वन विभाग लक्षित समूह के आजीविका अवसरों में वृद्धि करने के डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम. के ध्येयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

g- राज्य ने प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों से परियोजना संसाधन व्यक्तियों की पहचान की है, जिनमें राज्य विशिष्ट क्षमता, संस्कृति और मुद्दों की समझ की कमी होगी। एस.ई.आर.पी. तेलंगाना और जीविका बिहार में से 50 पी.आर.पी.एस. (परियोजना संसाधन व्यक्ति) को लिया गया है। पुराने 30 सघन ब्लॉक में एस.ई.आर.पी. (ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए सोसायटी) तेलंगाना में से सी.आर.पी. की 60 टीम ली गई हैं। नए 30 इंटेंसिव ब्लॉक में जीविका बिहार में से 60 टीम ली गई हैं। राज्य के भीतर क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि संचार और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया जा सके।

h- 100 बैंक सखियों (वर्ष 2018-19 तक) के लक्ष्य में से केवल 43 को प्रशिक्षण दिया गया था और 200 कृषि सखियों में से केवल 25 को प्रशिक्षित किया गया था। वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उनके विकास का अत्यधिक महत्व होना चाहिए।

i- स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए गुणवत्ता निगरानी और प्रमाणन किया जाना चाहिए। इससे मानकीकरण होगा और सार्वभौमिक बाजार खुलेगा। विपणन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादों के विपणन और खुदरा के लिए गतिशील ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए जाने चाहिए। एक सोशल मीडिया रणनीति विकसित की जानी चाहिए। सैनिटरी पैड बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह विकसित किए जा सकते ह। प्रत्येक जनपद में एक इकाई की स्थापना की जा सकती है क्योंकि यह मासिक धर्म स्वच्छता की ज्वलंत समस्या और आजीविका अवसर दोनों है। वर्तमान में, रुद्रपुर में एक इकाई चलाई जाती है जिसमें 30 महिला कर्मचारी हैं। इससे बाजार में अन्यथा उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्प की तुलना में पहुँच में वृद्धि होगी एवं मूल्यों में कमी आएगी।

j- कुछ स्वयं सहायता समूह टेक होम राशन का उत्पादन कर रहे हैं जैसे कि लमगड़ा ब्लॉक में, इसे राज्य स्तर पर बढ़ाया जा सकता है।

आई.एल.एस.पी.–आई.एफ.ए.डी.

- एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना (आई.एल.एस.पी.) उत्तराखंड सरकार और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (आई.एफ.ए.डी.) का एक संयुक्त उपक्रम है और उत्तराखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 पर्वतीय जनपदों के 44 ब्लॉक में लागू किया जा रहा है।

- परियोजना में निगरानी और मूल्यांकन एक लगातार प्रक्रिया के रूप में विकसित किए गए हैं। वह परिणामों की प्राप्ति के प्रति प्रदर्शन और प्रगति को मापने के लिए विश्वनीय आंकड़े और जानकारी एकत्रित करने में सहायता करता है। वह परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है।

- विपणन सुविधाओं के लिए राज्य स्तर पर 1 किसान आउटलेट, जनपद स्तर पर 10 और समूह स्तर पर 111 किसान आउटलेट कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 13 हाट बाजार (साप्ताहिक) भी कार्यरत हैं। विपणन सुविधाएँ बाजार के लिए उत्पाद और उत्पादक के लिए उचित उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- गुणवत्ता के आश्वासन और बाजार पर कब्जा करने में ब्रांड सृजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 'हिलांस' को उस ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तहत आजीविका समूह के उत्पाद पैक और बेचे जाते हैं। 'हिलांस' ब्रांड के तहत 12 किसान आउटलेट्स खोले गए हैं जिनको जनपदों में क्रियाशील बनाया जा रहा है और औसतन 1079 रुपये प्रति दिन का मुनाफा प्राप्त कर रहा है।

- प्रगतिशील अधिगम के लिए विचारों / प्रौद्योगिकियों / नवाचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान का एक अवसर आवश्यक है। आई.एल.एस.पी. के तहत आयोजित किसान मेले ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जहाँ विभिन्न हितधारक भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले में मेले का आयाजन किया जाता है।

- तैयार किए गए 10 कृषि व्यवसायों में से केवल एक ही 31st मार्च, 2018 तक लागू किया गया है।

- मूल्य श्रृंखला आधारित समूह विकास और तदनुसार मूल्य श्रृंखला गतिविधियों का संवर्धन किया जा रहा है। उत्पादक समूहों और कमजोर उत्पादक समूहों द्वारा 5 मूल्य श्रृंखलाएं लागू की जा रही हैं।

- पारंपरिक पहाड़ी किस्म के बीज का उत्पादन परियोजना के तहत किया जा रहा है जैसे कि अल्मोड़ा में 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 15 समूह सदस्यों के साथ लहसुन – विविधता पार्वती और जमुना सफेद बीज उत्पादन; प्याज की किस्म – वीएल प्याज – 3 अल्मोड़ा में बीज उत्पादन 25 समूह सदस्यों के साथ 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है। थराली क्षेत्र, चमोली में 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर 55 समूह सदस्यों के साथ प्याज – पारंपरिक पहाड़ी किस्म के बीज उत्पादन। के.वी.के. पंतनगर, कृषि विभाग (ए.टी.एम.ए.) और यू.एस. एंड टी.डी.सी. के तकनीकी सहयोग के माध्यम से पिथौरागढ में 500 समूह सदस्यों के साथ 10.0 हेक्टेयर क्षेत्रों पर रागी और पहाड़ी धान का बीज उत्पादन। इससे बीज बैंक बनाने में मदद मिलेगी और पहाड़ी बीज का संरक्षण भी होगा क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध अधिकतम बीज मैदानी ह।

- कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 2597 युवाओं को नौकरी पर रखा गया है।

- बीमा योजनाओं, कृषि विकास केंद्रों, सेरीकल्चर विभाग आदि जैसी परियोजना का समर्थन करने के लिए रेखीय विभागों के साथ संयोजन किया गया है। इससे आजीविका विकास के लिए अधिक प्रभावी कार्यान्वयन और समग्र दृष्टिकोण में मदद मिलती है।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. वोके"ानल ट्रेनिंग एजेंसी द्वारा आमतौर पर राज्य के बाहर कम वेतन के साथ पंजीकरण किया जा रहा है। यू.पी.एन.एल., पी.आर.डी. और अन्य सरकारी एजेंसी के साथ संमिलन शुरू किए जाना आवश्यक है ताकि युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिल सके।

b. बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्रों में संयोजन के माध्यम से कृषि आधारित संग्रहण सुविधा की उपलब्धता शुरू की जानी आवश्यक है ताकि उत्पादकों को सामूहिक उत्पादन और उसके विपणन के लिए सम्मानजनक पारिश्रमिक मिल सके।

c. बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्रों में संयोजन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है, ताकि सामूहिक उत्पादन में सुधार किया जा सके। संयोजन के माध्यम से बनाई गई संपत्तियों का अनुश्रवण किया जाना चाहिए और उचित रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि वे क्षेत्र में फायदेमंद साबित हों।

d. किसी भी व्यवसाय को पनपने के लिए एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला अनिवार्य है। उसे कार्यात्मक बाजार लिंकेजिस और परिवहन सुविधाओं के साथ सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

e. होटलों, रिसोर्ट्स, सरकारी अतिथि गृहों आदि के लिए एक प्रत्यक्ष आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए जो उन्हें स्थानीय अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में से खरीद करने के लिए सक्षम बनाए। इससे परिवहन कीमत कम होगी और स्थानीय रूप से आय उत्पन्न होगी।

f. जैविक उत्पादन प्रमाणित होना चाहिए और हैम्प बैग जैसी प्राकृतिक सामग्री में से विशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विकसित किया जा सकता है। पुनः प्रयोज्य और स्थानीय रूप से उपलब्ध पैकेजिंग आय का वैकल्पिक स्रोत पैदा करने में भी मदद करेगा। यदि प्लास्टिक का उपयोग करना है तो अंतिम उत्पाद की पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ाने के लिए जैव विघटनकारी प्लास्टिक (गेहूँ, आलू अथवा मक्का जैसे स्रोत में से बना) का उपयोग किया जाना चाहिए।

g. अनुश्रवण तृतीय पक्ष समीक्षाओं द्वारा आंतरिक और बाहरी दोनों तरीकों से की जाती है। यह देखा जा सकता है कि बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं में एक अच्छी तरह से परिभाषित, गतिशील और इंटरैक्टिव अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली है। यह सभी विकास योजनाओं द्वारा अपनाया जाना चाहिए भले ही वे सीधे तौर पर सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

h. सोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स पर 'हिलांस' ब्रांड की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है। सामूहिक/गाँव की कहानी को उत्पाद के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे पैकेजिंग में शामिल किया जा सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से दृश्यता एवं जागरूकता पैदा करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

i. हितधारकों को फेसबुक पेज अथवा अन्य किसी साशल मीडिया समूह जैसे परस्पर संवादात्मक मच पर जोड़ा जा सकता है ताकि वे बारबार आपस में और जनपदों में अपने अनुभव तथा कहानियों को साझा कर सके चाहे वे भौतिक रूप से एकदूसरे से मिलने के लिए सक्षम न हो।

j. फोकस न केवल कृषि व्यवसाय योजनाओं पर बल्कि उनके कार्यान्वयन पर भी होना चाहिए।

k. दालों और पारंपरिक फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले मंडुवा, झंगोरा, लाल चावल जैसे पारंपरिक उत्पाद की मूल्य श्रृंखला बनाई जा सकती है।

l. रिपोर्ट म परियोजना की कई सफल कहानियों का पहले उल्लेख किया गया है। बड़ी सफलताओं में से एक है बागेश्वर में मोनाल घाटी की महिला सदस्यों द्वारा बनाया गया मंडुवा बिस्किट जिसकी माँग बढ़ी है। इस उपक्रम की सफलता का प्रधान मंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी वर्णन किया गया था। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन के अपस्केलिंग के साथ नवाचार करके इस तरह के और भी रास्ते तलाशे जाने चाहिए।

पी.एम.जी.एस.वाय.

- वर्ष 2018-19 में कुल 1,756.269 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के साथ पी.एम.जी.एस.वाय. के तहत कुल 202 बस्तियों को जोड़ा गया था। वर्ष 2017-18 में 1,839.106 की संपूर्ण लंबाई के साथ 207 बस्तियों को जोड़ा गया था।

- ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपदों की बस्तियाँ पी.एम.जी.एस.वाय. के तहत मानदंडों / पात्रता के अनुसार पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं।

- पी.एम.जी.एस.वाय. में पात्र कुल 2643 बस्तियों में से 1813 अधिकृत की गई थी। अभी भी 1.64 अधिकृत की जानी बाकी है। 778 बस्तियों को अन्य राज्य की योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। 8 बस्तियाँ संभव नहीं हैं। शेष 508 बस्तियों को जोड़ा जाना है।

- नई तकनीक के उपयोग के तहत 3550.16 किलोमीटर के लिए कुल कार्य प्रगति पर हैं। वे कोल्ड मिक्स तकनीक, वाटरप्रूफिंग के लिए नैनो तकनीक और सीमेंट स्थिरीकरण का उपयोग कर रहे हैं।

- वर्तमान में राज्य में सामुदायिक अनुबंध के तहत कुल 29 सड़कें (196 किलोमीटर लंबाई) हैं (46 महिला समूहों को दी गई)।

- रखरखाव कार्यों की अपेक्षा असंतोषजनक कार्यों का प्रति"ात अत्यधिक है। राज्य में वह 21.31% है जहाँ अल्मोड़ा के लिए 42.86%, पिथौरागढ़ के लिए 40% और पौड़ा के लिए 30% है।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाना आवश्यक है। ऑफ कैरिज का रखरखाव स्थानीय लोगों द्वारा स्वामित्व और आजीविका स्रोत दोनों के लिए किया जा सकता है। राज्य में नियमित रख–रखाव की गतिविधियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों पर भूस्खलन और तीव्र बारिश के दारान वाशआउट का खतरा रहता है और इस दौरान नियमित निरीक्षण की आवश्यकता होती है। रखरखाव सड़क नेटवर्क की कार्यक्षमता सुनिश्चित करेगा और परिसंपत्ति के नुकसान को रोकेगा।

b. योजना के तहत अधिक से अधिक स्थानीय समुदायों / स्वयं सहायता समूहों को लगाया जाना चाहिए। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए विशेष रूप से ऑफ कैरिज रखरखाव के लिए सामुदायिक अनुबंध को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डी.डी.यू.–जी.के.वाय.

- डी.डी.यू. जी.के.वाय. का उद्देश्य सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कम से कम 70% को रोजगार उपलब्ध कराना है। राज्य में प्रशिक्षित 724 में से, कुल 315 को नियुक्त किया गया है जो 43.5 प्रतिशत है। यह भी देखा जा सकता है कि जनपद के भीतर अधिकतम प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के बावज़्द पलायन होता है। इसका कारण क्षेत्र के भीतर रोजगार क्षमता की कमी है। रोजगार के द"ाऐ गए आंकड़े उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में है अथवा राज्य के बाहर। यह योजना संगठित क्षेत्र को लक्षित कर रही है। इससे इस क्षेत्र में नियुक्ति मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में चल रहे हैं। इससे वेतन पर्चियों की अनुपलब्धता उत्पन्न होती है और नियुक्त छात्र की ट्रैकिंग मुश्किल होती है, जो डी.डी.यू.–जी.के.वाय. में एक शासनादेश है।

- प्रारंभिक लक्ष्य 2019 तक 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करना था। यह परियोजना देर से कार्यान्वयन के चलते दिए गए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है।

- विभाग द्वारा इंगित मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

    - जनपद स्तर पर उद्योग की गैर–उपलब्धता
    - प्रत्याशियों की उच्च आकांक्षा
    - शहरी क्षेत्रों में कार्यबल की माँग

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. ऐसे कौशल की पहचान करने की आवश्यकता है जो पलायन को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट / आवश्यकता आधारित हैं।

b. पर्वतीय क्षेत्रों में पी.आई.ए. की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। पर्वतीय जनपदों में अधिक पी. आई.ए. की स्थापना की जानी चाहिए। वर्तमान में एक प्रशिक्षण केंद्र भीमताल में है और एक पौड़ी गढ़वाल में स्थित है बाकी सभी मैदानी इलाकों में हैं, जो पहाड़ी–मैदानी विषमता को बढ़ा रहे हैं।

c. हालाँकि इस योजना को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, किन्तु इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के अभाव में इंटरनेट आधारित उपस्थिति जैसे कुछ पहलुओं के लिए पर्वतीय जनपदों में छूट दी जा सकती है। ई.टी.सी. के साथ अभिसरण की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से नया बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकता है।

d. राज्य में स्वरोजगार सृजित करने, के लिए आर.एस.ई.टी.आई. पर ध्यान देने तथा उन्हें जीवंत बनाने की आवश्यकता है। कितने प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लिया और ऋण चुकाने में सक्षम हैं, इसकी उचित अनुश्रवण भी करना चाहिए।

e. वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इसे संबोधित किया जाना चाहिए और क्षमता विकास होना चाहिए।

f. वर्ष 2018-19 में राज्य के 12 जनपदों में आयोजित किए गए रोजगार मेलों में 249 नियोक्ता थे, जिन्होंने कुल 25000 रिक्तियों के साथ भाग लिया था। 14967 रोजगार इच्छकों ने मेले में हिस्सा लिया था, जिनमें से कई बार शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद केवल 435 को ही अंतिम प्रस्ताव पत्र दिया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य में नियोक्ता की आवश्यकता और रोजगार इच्छुक के बीच अभी भी एक कौशल अंतर है। इस पर काम करने की जरूरत है और रोजगार इच्छुक के रोजगार क्षमता में वृद्धि की जरूरत है।

g. एन.एस.डी.सी. द्वारा की गई गैप स्टडी ने राज्य में रोजगार अंतराल और संभावनाओं की पहचान की है। लिंग के संबंध में देखा जाए तो, लड़कियों को नर्सिंग, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण जैसी नौकरियों में अधिक रुचि थी। इन क्षेत्रों में अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह क्षेत्र से पलायन को रोकने में भी मदद करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर स्थानीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

h. रोजगार पंजीकरण सम्बन्धी डेटा से पता चलता है कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए भर्ती करने वालों की संख्या राज्य के बाहर से अधिकतम है, भले ही हमारा राज्य खुद एक महत्वपूर्ण

पर्यटन स्थल है। राज्य में स्थित होटल और रिसॉर्ट्स के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन लोगों को काम पर रखा जा सके जिन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। यह बेहतर प्रतिधारण सुनिश्चित करने में मदद करेगा क्योंकि वेतन सीमा प्रति महीना 7000-9000 रुपये के बीच है जो एक महानगर में आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें शोषण से भी बचाएगा।

i. पलायन सहायता केंद्रों की स्थापना में बहुत काम नहीं किया गया है, भले ही प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्थानीय क्षेत्र के बाहर नियुक्त किया गया हो। डी.डी.यू.–जी.के.वाय. के इस पहलू को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

पी.एम.ए.वाय.

- शासनादेश अनुसार अधिकतम घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 2016-17 में बनाए गए कुल 6544 घरों में से केवल 1594 घरों में गैस–स्टोव प्रदान किए गए थे। योजना के तहत बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं को शामिल करने के लिए उज्ज्वला (एल.पी.जी.), यू.आर.ई.डी.ए. (सौर ऊर्जा), पावर डिपार्टमेंट (बिजली) और पीने के पानी के साथ पी.एम.ए.वाय.–जी. से संयोजन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- वर्तमान में उज्ज्वला के साथ राज्य अभिसरण रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल 12208 घर एल.पी. जी. कनेक्शन के लिए पात्र हैं और केवल 3920 घरों को एल.पी.जी. कनेक्शन दिया गया है।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. केंद्रीय वेबसाइट पर आंकड़ों के अधिक गतिशील और नियमित अद्यतीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रस्तुत रिपोर्ट अद्यतन रिपोर्ट नहीं हैं।

b. अधिकृत मकानों का समय पर पूरा होना सनिश्चित किया जाना चाहिए और गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना चाहिए। हर साल अधूरे मकानों को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। 2017-18 में निर्माण के तहत 4910 घरों को 2018-19 में पूरा किया जाना था। निर्माण कार्य समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए।

c. उत्तराखंड जैसे राज्य में गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है जिसमें लगभग सभी क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के क्षेत्र 4 और 5 में हैं। इसलिए, अच्छी गुणवत्ता के निर्माण के माध्यम से जोखिम में कमी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

d. पी.एम.ए.वाय.–जी. के तहत घर पाने वाले विकलांगों की संख्या पिछले 5 वर्षों में 2 लोग ही पंजीकृत हुए हैं, जो कि अत्यन्त कम है। विकलांगों के समुचित समावेश को सुनिश्चित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

e. पिछले 5 वर्षों में भूमिहीन परिवारों के लिए कोई घर नहीं बनाया गया था। भूमिहीन परिवारों को योजना में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

एन.एस.डी.सी. गैप स्टडी

- एन.एस.डी.सी. द्वारा किए गए गैप स्टडी ने राज्य में रोजगार अंतराल और संभावनाओं की पहचान की ह।
- पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए अपर संभावनाएँ हैं और उसके आसपास प्रशिक्षण विकसित किए जाने चाहिए।
- आई.टी.आई. में प्रदान किया गया प्रशिक्षण छात्रों और उद्योग दोनों द्वारा बहुत उपयोगी नहीं पाया गया था, इसलिए उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षणों को बेहतर रूप से आयोजित किया जाना चाहिए और वे अधिक नौकरी विशिष्ट होने चाहिए।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की कमी जारी है। कौशल विकास को संबोधित करने के लिए एक अधिक व्यापक क्षेत्र विशिष्ट रणनीति विकसित की जानी चाहिए।

b. कौशल विकास और आजीविका आवश्यकताओं के बीच स्पष्ट लिंक स्थापित करना आवश्यक है।

c. बेहतर लाभ प्राप्ति के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वदेशी/पारंपरिक कौशल के साथ जोड़ना जरूरी है।

d. कृषि और पशुपालन संबंधित कौशलों का एकीकृत प्रशिक्षण उनकी स्व–रोजगार क्षमता में वृद्धि करेगा।

e. उन जनपदों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जो नकारात्मक अथवा कम विकास दर्शाते हैं। संस्करण केन्द्रों, पैकेजिंग और नर्सरी विकास के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता रखने वाले कौशल प्रदान किए जाने चाहिए।

f. विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और समय समय पर क्षेत्र में लोगों की कौशल आवश्यकता समझने के लिए स्थानीय / जनपद स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में माँग संतृप्त हुई है और किन क्षेत्रों को अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

g. कौशल विकास के बाद उद्योग में व्यावहारिक व क्रियाशील अनुभव के लिए उद्योग के साथ संपर्क के माध्यम से अप्रेंसि"ाप प्रदान किए जा सकते हैं।

h. स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), सी.एस.आर के साथ संपर्क बनाए जा सकते हैं जिन्हें प्रोत्साहित करना होगा।

i. लिंग के संबंध में देखा जाए तो, लड़कियों को नर्सिंग, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण जैसी नौकरियों में अधिक रुचि थी। इन क्षेत्रों में अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वे क्षेत्र से पलायन को रोकने में भी मदद करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर स्थानीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं। लिंग एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे कौशल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उत्तराखंड कौशल विकास मिशन

- पी.एम.के.वी.वाय. 2.0 के तहत कुल 12444 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से केवल 2385 को रोजगार में नियुक्त किया गया है। रोजगार पंजीयन प्रशिक्षुओं की कुल संख्या से काफी कम है। यह सूचित करता है कि प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित नहीं हैं अथवा प्रत्याशी की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।
- राज्य में वर्तमान में जारी प्रशिक्षणों में से, 16 देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हैं; 13 नैनीताल में और 1 अल्मोड़ा में, 1 पौड़ी में और 1 टिहरी में है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिकतम संख्या में प्रशिक्षण उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं, जो विषम क्षेत्रीय वितरण का संकेत है।

स्टाफ

- पर्वतीय जनपदों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या मैदानी जनपदों और व्यक्तिगत रूप की तुलना में अधिक है। अल्मोड़ा में 50% अधिक पद, चंपावत में 50%, उत्तरकाशी में 40% और बागेश्वर में 38% पद खाली हैं। यह फील्ड स्टाफ (जमीनी स्तर पर कर्मचारियों) में कमी की ओर इशारा करता है जो जमीनी स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। क्षेत्र में वी.डी.ओ. पर अधिक जिम्मेदारी के साथ उनकी दक्षता भी घट जाती है। जमीनी स्तर पर बहतर और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।
- 2015-16 से नव नियुक्त वी.डी.आ. के लिए किसी भी ई.टी.सी. में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था जो कि 6 महीने का प्रशिक्षण है। ई.टी.सी. अल्मोड़ा में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कुल आमंत्रित 60 वी.पी.डी.ओ में से मात्र 22 वी.पी.डी.ओ. ने ही प्रा"िक्षण प्राप्त किया।
- ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण 6 महीने के अंतराल के बाद नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारिया की जमीनी उत्पादकता और बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना

- यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. उत्तराखंड सरकार के जलागम निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और विश्व बैंक द्वारा बाह्य वित्त पोषित की जा रही है।

- अनुश्रवण प्रक्रिया डब्ल्यू.एम.डी. कर्मचारियों द्वारा की गई आंतरिक अनुश्रवण और वर्तमान में सूत्र कंसल्टेंसी द्वार प्रत्येक 6 माह में बाहरी अनुश्रवण किया जा रहा है। समय–समय की समीक्षा से अपेक्षित परियोजना परिणामों और समयसीमा के संबंध में प्रगति का विश्लेषण करने में मदद मिलती है जो प्राप्त करना तय किया गया था। यह जहाँ भी आवश्यक हो, गुण–दोष की दृष्टि स प्रगति की समीक्षा करने और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में मदद करता है। यह परियोजना के हितधारकों और लाभार्थियों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने में भी मदद करता है और कार्यान्वयन प्रक्रिया में समस्याओं / बाधाओं की पहचान भी करता है। यह आगे नए अवसरों की पहचान करने में मदद करता है।

- महिला आमसभा की अवधारणा लैंगिक मुद्दों को पारदर्शी तरीके से संबोधित करने के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण के रूप में साबित होती है।

- ग्राम्या I ने पाइन सुई ब्रिकेटिंग की शुरुआत की, जिसे एस.एल.ई.एम. द्वारा बढ़ाया गया। एस.एल.ई. एम. ने अन्य पारंपरिक गतिविधियों जैसे घराट बिजली उत्पादन, ओक का प्राकृतिक उत्थान और बांस की टोकरी बनाना और स्थानीय पौधों को बढ़ावा देना।

- ग्राम्या 2 में, ऊर्जा संरक्षण ने बायो गैस प्लांट के बाद सौर लालटेन के अपने दो कार्यों में प्रभावशाली प्रगति हासिल की। हालाँकि यह परियोजना सौर लालटेन में समग्र परियोजना लक्ष्य को पार कर गई है, लेकिन समुदाय द्वारा आवश्यकता आधारित मांग के कारण इस पहल में निरंतरता बनी हुई है।

- ग्राम्य–I में, 18 किसान संघ जो प्रसंस्करण केंद्रों से जुड़े थे और 9 किसान संघ संग्रह केंद्रों से जुड़े थे। वर्तमान में प्रसंस्करण इकाइयों के साथ और संग्रह केंद्र के साथ जुड़े सात सक्रिय किसान संघ हैं। पूर्ववर्ती कार्यों के अनुश्रवण के साथ ही जहाँ भी सम्भव हो उन्हें समेकित किया जाना चाहिए। विभाग नयी परियोजनाओं पर कार्य करते हैं, किन्तु पूर्व में किए गए कार्यों के अनुश्रवण का अवलोकन नहीं करते हैं। सभी विकास योजनाओं के लिए अनुश्रवण का पुनर्वालोकन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- ड्रेनेज लाइन उपचार कार्यों के घटक के तहत, ड्राय स्टोन और क्रेट वायर, चेक डैम के निर्माण में कुल मिलाकर अधिकतम उपलब्धि क्रमशः 70% और 65% के साथ दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर रिटेनिंग वॉल की प्रगति 41% पूर्णता दर तक पहुंच गई है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के पहले छह महीने की प्रगति को देखते हुए, इस घटक में तेज प्रगति की आवश्यकता है।

- पॉली हाउस का आकार वर्तमान माप से बढ़ाया जाना चाहिए (लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले पॉली हाउस बहुत छोटे आकार के हैं जो केवल बीज के अंकुरण या नर्सरी रोपण के विकास के लिए उपयोगी हैं। नियंत्रित स्थितियों में पॉली के आकार के तहत गैर–मौसमी सब्जियाँ उगाने के लिए पॉली हाउस के आकार को बढ़ाने की आवश्यकता है)

- उत्पादन प्रणाली का विकास – जो अपशिष्ट को कम करता है और अपशिष्ट के पुनः उपयोग को अधिकतम करता है; पलवार, आर.डब्ल्यू.एच., टपकन सिंचाई को प्रशिक्षणों और प्रदर्शन के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। बीजों के सुरक्षित भंडारण और वितरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी / अन्य सेटअप के तहत बीज संग्रह श्रृखला विकसित किए जाने की जरूरत है।

- परियोजना के अंत तक बीज प्रतिस्थापन अनुपात को 20-25% तक बढ़ाना परियोजना जनादेश में अनिवार्य होना चाहिए (केवल खेत की फसलों के लिए)

- मदर डेयरी, किसान और रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियों के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। टमाटर में उत्पादन के पैमाने के साथ क्षेत्र में कुछ उपर्युक्त कंपनियों के साथ एक गठजोड़ किया जा सकता है।

- मुर्गी पालन के मामले में, लाभ के अनुपात में चारा रूपांतरण अनुपात और खेत के स्तर पर चारा की तैयारी पर तकनीकी पहलुओं पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- एक विशेष स्थान पर आर.डब्ल्यू.एच. टैंक के डिजाइन के लिए, छत के शीर्ष और वर्षा पैटर्न के सतह क्षेत्र में योगदान करने वाले कुल अपवाह को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. इसे अच्छी तरह से परिभाषित अपेक्षित प्रोजेक्ट परिणामों के साथ परियोजना मोड में चलाया जा रहा है। यह परियोजना की प्रगति की अनुश्रवण प्रक्रिया को मजबूत करता है। अन्य राज्य द्वारा संचालित योजना को इस मॉडल से सीखना चाहिए और उन्हें परियोजना मोड में उचित परियोजना समापन समयसीमाओं के साथ चलाना चाहिए।

b. लेखाकार सहायक के रूप में स्थानीय आबादी को शामिल करने से ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता बढ़ाने में मदद मिली। यह आजीविका बनाने के अलावा स्वामित्व और उच्च प्रतिधारण में मदद करता है। अन्य विकास योजनाएँ भी समान दिशा में क्षमता विकास की सम्भावनाओं का मूल्यांकन कर सकती है।

c. योजना की पूर्णता के बाद एक स्पष्ट निकासी योजना व्यवधान के बिना किए गए कार्यों के सुचारू संचालन में मदद करती है। यह समर्थन दिए जाने के बाद भी स्थिरता में मदद करता है। विभिन्न विकास योजनाओं के तहत किए जा रहे सभी कार्यों में इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

d. जलवायु परिवर्तन शमन को संबोधित करने और रेसीलीयंस में योगदान देने के लिए परियोजना में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है।

e. एक जरूरत आधारित दृष्टिकोण जो फ्लेक्सिबल हो, का समुदाय के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अभ्यास किया जाना आवश्यक है।

f. केवल लक्ष्य आधारित परिणाम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसकी वर्तमान कार्यक्षमता और लाभ का भी समय–समय पर आकलन करने की आवश्यकता है। यह न केवल दोनों बेहतर दृष्टिकोण को सफलता और विफलता दोनों के क्षेत्र से सीख का उपयोग करने में मदद करेगा, बल्कि स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा।

g. उत्तरकाशो में एफ.आई.जी. की संख्या सबसे अधिक है लेकिन आयोजित की गई बैठकों की संख्या विकास खण्ड़ों में सबसे कम है। समय–समय पर बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए।

h. वृक्षारोपण और बागवानी उत्पादन के लिए आवश्यक पिछड़े और आगे के लिंकेजिस लिए प्रावधान के माध्यम से प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

i. मूल्य श्रृंखलाएं स्थानीयकृत हैं और उत्पादन कम मात्रा में है। उपज का एकत्रीकरण और विपणन दिखाई नहीं देता है। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एफ.आई.जी. के क्षैतिज लिंकेज की आवश्यकता है।

पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम

- पंचायती राज का विज़न पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्व–सरकार को प्राप्त करना है। पी.आर.आई. को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने वाली प्राथमिकताओं और परियोजनाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी थी। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना, जनवरी 2018 तक, 94 मास्टर ट्रेनर और 21919 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी 7602 योजनाओं को मंजूरी दी गई है और 4719 को वर्ष 2018-19में प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया गया है।

- पी.आर.आई. को बजट का आवंटन वर्तमान में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और 14वें केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से किया जा रहा है।

- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में विचलन योजना, यद्यपि विभिन्न पहलुओं जैसे पृथकता, जनसंख्या, कर प्रयास आदि को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है, ग्राम पंचायत स्तर पर बजट का वितरण उच्च असमानताओं को दर्शाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी काफी कम होने के कारण बजट का हिस्सा भी घटता है। यह अविकसित क्षेत्रों के विकास को भी प्रभावित करता है, जबकि उच्च जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायते हर साल उच्च बजट हिस्सेदारी के साथ विकास की ओर बढ़ती ह।

- वर्तमान में उत्तराखंड की 7,554 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 6355 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन उपलब्ध हैं, जबकि 1599 पंचायतों में पंचायत भवन उपलब्ध नहीं हैं।

- 2018-19 में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता निर्माण के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें जनपद / विकास खंड स्तर पर विभाग में क्षेत्र पर तैनात किए जा रहे इंजीनियरों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों का उन्मुखीकरण भी शामिल था। 35346 के लक्ष्य में से, 25592 को प्रशिक्षित किया गया। विकास खण्ड स्तर पर जी.पी.डी.पी. के लिए कोई प्रशिक्षण देहरादून में नहीं किया गया था। अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई प्रशिक्षण जनपद या ब्लॉक स्तर पर नहीं किया गया था। विकास खण्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पौड़ी और बागेश्वर जिलों में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। नैनीताल में जनपद स्तर पर कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। जनपद उत्तरकाशी के लिए जी.पी.डी.पी. और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कोई प्रशिक्षण जनपद या ब्लॉक स्तर पर आयोजित नहीं किया गया था।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. प्रत्येक जनपद में न्यूनतम राशि में बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जिस अनुपात में ग्राम पंचायतों हेतु धनरा"ा आवंटित की जाती है, वह अनुपात पर्वतीय जनपदों में बहुत अधिक है। यह प्रतिशत चमोली और बागेश्वर में 50% के साथ उच्चतम है और इसके बाद रुद्रप्रयाग (लगभग 50% जी.पी. एस.) है। मैदानी जिलों के लिए न्यूनतम बजट प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशत संख्या 2% से कम है। क्षेत्र की दूरस्थता का भार बढाया जाना चाहिए और दूरस्थता का निर्धारण करने वाले कारकों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि अधिकांश दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके।

b. वर्ष के लिए पंचायत द्वारा की गई गतिविधियों की योजना में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह इसे अधिक आवश्यकता आधारित और समावेशी बनाएगा।

c. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लगभग 20% पद खाली हैं। पी.आर.आई. के कुशल कामकाज के लिए क्षमता विकास महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो रिक्तियां अधिक हैं, उन्हें बेहतर शासन और लाभ के लिए जमीनी स्तर पर भरा जाना चाहिए।

d. पी.आर.आई.एस. द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इससे कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

e. जहाँ पंचायत भवन की उपलब्धता नहीं है, वहाँ प्राथमिकता पर भवन निर्माण किया जाना चाहिए।

f. योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

सहकारी समितियों के विकास कार्यक्रम

- सहकारी समितियों में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। उत्तराखंड में सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय प्राथमिक समितियों के रूप में बनाया गया है और ये कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के बड़े स्पेक्ट्रम का आधार हो सकत है। वे किसानों को धन उधारदाताओं से मुक्त कराने और स्वरोजगार के निर्माण मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- सहकारी आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से छोटे और सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा लिए गए सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों को शुरुआत की गई है। छोटे और सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे के किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। सहकारी भागीदारी योजना के तहत वितरित ऋण पर ब्याज राहत प्रदान की जा रही है।

- सहकारी ऋण समितियाँ अपने किसान सदस्यों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि के लिए साधन उपलब्ध करा रही हैं।

- संगठित बाजार पहुँच स्थापित करने की आवश्यकता है। किसानों को उनकी उपज के लिए उनके गाँव के पास उचित बाज़ार उपलब्ध कराने, उनके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें बाज़ार के विभिन्न शोषणों से बचाने के लिए सहकारिता क्रय–विक्रय योजना लागू की जा रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसमें काम करने की जरूरत है।

- डी.डी.यू. सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत जिलेवार ऋण वितरण आंकड़े बताते हैं कि रुद्रप्रयाग म सबसे कम वितरण 2184 लाभार्थियों के साथ हुआ है। यह हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक है।

- हानि में समितियों की अधिकतम संख्या चमोली जनपद में 54 में से 31 (57.4%) है। उत्तरकाशी में 54 पी.ए.सी. में से 23 हानि (52.27%) में हैं। पौड़ी (43.9%) में 132 में से 58 हानि में है। पिथौरागढ जिले में कुल 112 पी.ए.सी. हैं जो पौड़ी के बाद दूसरे स्थान पर हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

- सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज उत्तराखंड, राजपुर में कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों को सहकारी प्रशिक्षण के लिए देहरादून में संचालित किया जा रहा है।

सिफारिशें:

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

a. बिखरी और छोटी भूमि जोत को देखते हुए राज्य में सहकारी खेती की जरूरत है। इसके विस्तार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए काम और लाभ के बंटवारे के लिए उचित प्रणाली विकसित की जा सकती है। सहकारी खेती और इसके लाभों के संबंध में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

b. प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण को मजबूत किया जाना चाहिए। हालाँकि राज्य जैविक खेती का दावा करता है लेकिन प्रमाणन की कमी बाजार को सीमित कर देती है। जैविक उत्पादों के प्रमाणन से नए बाजार खोलने में मदद मिलेगी।

c. डेयरी और मत्स्य (विशेषकर ट्राउट) के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन सीमित / कम है। क्षमता वृद्धि, पोषक तत्वों से भरपूर चारे की पहुँच, बाजार की जगह का निर्माण और उचित ब्रांडिंग के जरिए व्यावसायिक उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है।

d. पूरे राज्य में गोदामों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य में बुनियादी ढांचे के वितरण को बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

e. पर्वतीय जनपदों में ऋण कम आबादी को दिया जाता है, लेकिन अन्य कारक भी इसे बैंकों की जैसे यह एन.पी.ए. में बदल जाने के डर से इसे बैंकों के ऋण देने की अनिच्छा को बढ़ता है। ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस पहलू पर लगातार काम करने की जरूरत है।

f. जिला सहकारी बैंक अभी भी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में मौजूद नहीं है। लाइसेंस के लिए अनुरोध पहले ही केंद्र को भेजा जा चुका है। राज्य के गठन को लगभग 19 साल हो चुके हैं। प्रमुख महत्व के साथ प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।

g. समितियों को संधारणीय बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र सहकारी समितियों का आयोजन करता है और सहकारी समितियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्थानीय जनता में जागरूकता फैलाता है। इन कार्यक्रमों की आउटरीच को बढ़ाने की आवश्यकता है और अंतिम मील तक उन्हें ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

h. डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क निर्माण को मजबूत किया जाना चाहिए। यू.सी.एफ. के तहत मार्केटिंग सोसायटी को मजबूत करने की जरूरत है। कुशल विपणन और बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए सहकारी समितियाँ बनाई जा सकती हैं। उन्हें बुनियादी प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और राज्य में अन्य उद्योगों के साथ क्रय–विक्रय के लिए बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए जैसे कि किसान, मदर डेयरी, मैरिको, इमामी आदि।

अनुबंध I

कुछ ग्राम्य विकास योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन

उद्देश्य: उत्तराखंड राज्य में 70% से अधिक आबादी ग्राम्य क्षेत्रों में रहती है। अपनी आजीविका के लिए 43.59% ग्राम्य आबादी कृषि पर, 32.22% श्रम पर, 10.22% सरकारी सेवा पर, 2.64% डेयरी पर, 2.11% बागवानी पर और शेष 8.63% आबादी अन्य कामों पर निर्भर है। राज्य में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार गारंटी अधिनियम), पी.एम.जी.एस.वाय. (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), पी.एम.ए.वाय. – जी (प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्राम्य), एन.आर.एल. एम. (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), और बी.ए.डी.पी. (सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की जा रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में इन योजनाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि वह अपने पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन का सामना कर रहा है।

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था:

- क्षेत्र में ग्राम्य विकास के तहत विविध योजनाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन।
- क्षेत्र में सामाजिक–अर्थव्यवस्था को समझना।
- योजनाओं की पलायन कम करने/रोकने में सक्षमता।

कार्यप्रणाली: सामाजिक आर्थिक विकास और स्थिरता के संदर्भ में उत्तराखंड के ग्राम्य विभाग द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के प्रभाव के आकलन के लिए एक अंतर–विभागीय सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के लिए आयोग द्वारा एक संरचित प्रश्नावली विकसित की गई थी। उसके प्रथम हिस्से का उद्देश्य गाँवों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल के बारे में जानना था जबकि दूसरा हिस्सा संभावित सूचकांको की सूचो के साथ योजना वार प्रश्नावली था जिसका उपयोग आर्थिक, रोजगार और सामाजिक आयामों के साथ साथ योजनाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता था। सवेक्षण करने के लिए ब्लॉक वार ग्राम विकास अधिकारियों का चयन किया गया था। उचित डेटा संग्रह सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में अंतराल/असमानता दूर करने के लिए, चयनित ग्राम विकास अधिकारियों का सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण दहरादून में 26 दिसंबर, 2018 को और काठगोदाम में 8 जनवरी, 2019 को किया गया था। सर्वेक्षण 3 महीनों में पूरा किया गया था।

ग्राम विकास अधिकारियों ने गाँवों का दौरा किया है और एक धारणा आधारित सर्वेक्षण किया है, जिसके बाद आयोग की टीम ने यादृच्छिक रूप से क्षेत्रीय डेटा की दुबारा जाँच की है।

नमूना: एक बहु–स्तरीय यादृच्छिक नमूना लेने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। सर्वेक्षण राज्य के 12 जनपदों में किया गया था। सघन, गैर–सघन ओर सीमावर्ती विकास खण्ड़ों के आधार पर 36 विकास खण्ड चुने गए थे। इन विकास खण्ड़ों में से उन ग्राम पंचायतों को चुना गया था जिसमें 2 या अधिक गाँव थे

जहाँ पिछले 10 साल में आबादी 50% से अधिक कम हो गई थी। इसके अलावा, सर्वेक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में 156 गाँव/तहसीलों को चुना गया था जहाँ पिछले 10 साल में देशांतरण 50% से अधिक था।

परिणामः

ग्राम विकास की योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड के 156 गाँवों/तोकों में आयोजित सर्वेक्षण में से प्राप्त डाटा नीचे योजना वार दिया गया है। दिए गए परिणामों पर पहुँचने के लिए डाटा का विश्लेषण किया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. एक राष्ट्रीय योजना है जो पूरे राज्य में लागू है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. का मुख्य उद्देश्य है "हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में आश्वस्त वेतन रोजगार के कम से कम 100 दिन प्रदान करके ग्राम्य क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना"। यह एक जरुरत आधारित कार्यक्रम है, जिसम श्रमिक द्वारा सीधे काम की माँग की जाती है। गाँव में गाँव की सामाजिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में योजना का एक प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। इस योजना के तहत 156 गाँवों/तोकों के सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया। वि"लेषण उपरांत परिणाम इस विभाग में पेश किए गए हैं। डेटा पिछले पाँच सालों के संबंध में एकत्रित किया गया था।

- योजना के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण से केवल 21% गाँवों/तोकों में ही कृषि उत्पादकता में 25% तक की औसत वृद्धि हुई है। उत्पादकता में 25% से अधिक वृद्धि केवल 3% गाँवों/तोकों में देखी गई है। न्यूनतम प्रभाव जनपद पौड़ो (4%) में देखा गया है और अधिकतम अल्मोड़ा जनपद (71%) में देखा गया है। कई जनपदों में कृषि उत्पादकता पर प्रभाव शून्य है। 76% गाँवों में कृषि उत्पादकता पर परिसंपत्ति सृजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

- आय के संदर्भ में, न्यूनतम प्रभाव जनपद पौड़ो में देखा गया जहाँ केवल 10% गाँवों ने आय में 25% तक की वृद्धि पंजीकृत की थी। अधिकतम प्रभाव आय में 25% तक की वृद्धि दर्ज करने वाले 75% गाँवों के साथ जनपद पिथौरागढ़ में देखे गये है। राज्य मे 32% गाँवों में आय में औसत वृद्धि 25% तक हुई है। आय में 25% से अधिक औसत वृद्धि सवेक्षण के तहत आवटित कुल गाँवों में से केवल 5% गाँव में देखने को मिली है। 65% गाँवों में आय में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है, जिसमें अधिकतम ऊधमसिंह नगर में पंजीकृत हुऐ थे और न्यूनतम जनपद अल्मोड़ा में।

- राज्य में पलायन के संबंध में, सर्वेक्षण के तहत आवरित 156 कुल गाँवों/तोकों में से, 79% गाँवों में पिछले पाँच सालों में पलायन पर योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। केवल 21% में पलायन में कमी देखने को मिली थी।

डेटा नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

जनपद	चुने गए ब्लॉक्स की संख्या	चुने गए गाँव/तोक की संख्या	कृषि उत्पादकता में औसत वृद्धि (% में)			आय में औसत वृद्धि (% में)			स्थानांतर पर प्रभाव	
			25% तक	25% से अधिक	कोई परिवर्तन नहीं	25% तक	25% से अधिक	कोई परिवर्तन नहीं	कमी	कोई परिवर्तन नहीं
रुद्रप्रयाग	2	9	22	0	78	33	11	56	0	100
बागेश्वर	2	18	50	0	50	39	6	56	17	83
पिथोरागढ़	3	20	45	5	50	75	0	25	0	100
तेहरी	5	17	18	12	70	36	12	53	0	100
पौरी	10	51	4	0	96	10	0	90	45	55
ऊधमसिंह नगर	1	2	0	0	100	0	0	100	0	100
उत्तरकाशी	2	10	30	0	70	70	0	30	0	100
चम्पावत	3	8	0	0	100	38	0	63	25	75
चमोली	3	7	14	14	72	28	0	71	0	100
नैनिताल	2	3	0	33	67	0	33	68	100	0
अल्मोड़ा	2	7	71	0	29	43	43	14	14	86
देहरादून	1	4	0	0	100	0	0	100	0	100
उत्तराखंड	36	156	21	3	76	32	5	63	21	79

- योजना के तहत सर्जित परिसंपत्तियों में, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और भूमि विकास जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों की संख्या नर्सरी, पशु आश्रय आदि जैसी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की संख्या से अधिक है।

- योजना के तहत सर्जित परिसंपत्तियाँ बहुधा लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं लेकिन परिसंपत्तियों का उपयोग आय सृजन के लिए नहीं बल्कि घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है।

- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. योजना में पिछले पाँच सालों में, आजीविका विकास के लिए सबसे कम काम नैनोताल के गाँवों/तालुकाओं में हुआ था, और अधिकाँश पिथारागढ़ के गाँवों/तालुकाओं में हुआ है, जबकि जनपद ऊधमसिंह नगर के गाँवों/तालुकाओं में शून्य प्रतिशत काम किए गए हैं।

- सर्जित परिसंपत्तियों का रखरखाव समुदाय अथवा सरकार के बजाय मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

- मनरेगा के तहत जल संचयन और जल संरक्षण के लिए सर्जित परिसंपत्तियों के माध्यम से केवल 4: गांवों / तोकों में जल उपलब्धता में वृद्धि की पुष्टि की जा सकती है

परिसंपत्ति सृजन के बाद गाँवों/तोकों में जल उपलब्धता					
सिंचाई			पेयजल		
वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित
27	13	60	31	8	61

- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत शुरू की गई अधिकांश आजीविका गतिविधियाँ जैसे कृषि, बागवानी, नकदी फसलें, पशु पालन आदि. ने न्यूनतम परिवर्तन दर्ज किया है।

आजीविका प्रथाओं में परिवर्तन																	
कृषि			पारंपरिक			गैर–पारंपरिक (नकदी फसलें)			बागवानी			पशु पालन			अन्य		
वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित
28	18	54	18	8	74	19	13	68	14	12	75	38	10	52	10	0	90

- पी.एम.जी.एस.वाय., पी.एम.ए.वाय., एन.आर.एल.एम. आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के साथ संयोजन 50% से अधिक गाँवों/तोकों में नहीं किया जा रहा है।

- निम्न तालिका दर्शाती है कि संपत्ति से पहले और संपत्ति के बाद, एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. से प्राप्त औसत घरेलू आय में परिवर्तन हुआ था। केवल 29 प्रतिशत चिन्हित गाँवों के गाँववासियों की आय 5000 रुपये से बढ़कर 10000 हुई है। जबकि केवल 4% गाँवों में 10000 रुपये स अधिक वृद्धि देखी गई है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के माध्यम से सर्जित परिसंपत्तियों से प्राप्त हो रही औसत घरेलू आय में परिवर्तन (% गाँव)					
परिसंपत्ति सृजन से पहले (रु. में)			परिसंपत्ति सृजन के बाद (रु. में)		
नोटः चारा, सिंचाई, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक लाभ।					
5000 से कम	5000-10,000	10,000 से अधिक	5000 से कम	5000-10,000	10,000 से अधिक
95	3	2	62	32	6

- परिसंपत्ति सृजन के बाद रोजगार माँग में कमी दिखाई दे सकती है।

परिसंपत्ति सृजन के बाद गाँवों/तोकों में रोजगार की माँग (% में)					
परिसंपत्ति सृजन से पहले			परिसंपत्ति सृजन के बाद (रु. में)		
वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित	वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित
14	21	65	15	43	42

- पिछले पाँच सालों में, जॉब कार्ड धारकों द्वारा 40% गाँवों/तोकों में स्थायी पलायन और 43% गाँवों/तोकों में अस्थायी पलायन देखा गया।

- अक्टूबर से फरवरी के महीनों में अधिकतम रोजगार माँग देखी गई।

- पिछले पाँच सालों में वर्ष 2013-14 और वर्ष 2017-18 के बीच माँग में वृद्धि देखी गई।

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाय.) आरंभ से (1985 में एक उप–योजना के रूप में) बी.पी.एल. परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है जो बेघर हैं या जिनके पास एक सुरक्षित और टिकाऊ आश्रय के निर्माण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाय.) के साथ एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में ग्राम आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। पी.एम.ए.वाय.–जी. सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एस.ए.सी.सी.), 2011 में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों को चुनता है जिसका ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन किया जाना है। इस योजना के प्रारंभ से ही निर्मित मकानों का डेटा लिया गया था। आयोग द्वारा उक्त योजना के तहत सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के बाद, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर निम्नानुसार प्रभाव देखे गए हैं:

- आयोग द्वारा चुने गए 156 गाँवों/तोकों में इस योजना से केवल 13% गाँवों के गरीब परिवारों को लाभ हुआ है।

- विश्लेषण में पाया गया था कि केवल 55% गाँवों/तोकों में लाभार्थियों के पास योजना के तहत घर के निर्माण के लिए खुद के स्वामित्व वाली भूमि थी, जबकि 45% गाँवों/तोकों में घर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। रुद्रप्रयाग के गाँवों में यह प्रतिशत उच्चतम है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में, घर के निर्माण के लिए भूमि की गैर–उपलब्धता के मामले में पहचाने गए गाँवों में भूमि की उपलब्धता निम्न तालिका के अनुसार सुनिश्चित की गई है।

भूमि की उपलब्धता के लिए मुआवजा यदि घर के लिए कोई भूमि नहीं है			
लाभार्थी	**सरकार**	**समुदाय**	**अन्य**
45	**20**	**25**	**10**

लाभार्थियों के लिए भूमि की अधिकतम मात्रा जनपद पौड़ो (6 गाँव/तोक) में उपलब्ध कराई गई है।

- योजना के तहत लाभान्वित 13% गाँवों के विश्लेषण से, यह देखा गया कि 95% लाभार्थियों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे कि शौचालय, पेय जल, गैस और बिजली मौजूद हैं।

- 13% गावों से प्राप्त डेटा दर्शाता है कि 60% गाँवों/तोकों में घर के लिए स्थान (Area) पर्याप्त है जबकि 40% गाँवों/तोकों में पूरे परिवार के लिए घर निर्माण स्थान को पर्याप्त नहीं माना गया है।

- योजना से लाभान्वित 13% चिन्हित गाँवों के केवल 35% गांव अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को उपयुक्त मानते हैं जबकि 65% पहचाने गए गाँव उसे अनुपयुक्त मानते हैं।

- योजना के तहत लाभान्वित 13% गाँवों से प्राप्त डेटा से, यह स्पष्ट है कि उनके गाँव/तोक में से किसी लाभार्थी ने पलायन नहीं किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवका मिशन

आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा शुरू की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

वर्ल्ड बैंक द्वारा निवेश समर्थन के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, यह मिशन ग्रामीण गरीबों के कार्यक्षम और प्रभावी संस्थागत मंच बनाने, उन्हें स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं के लिए संशोधित पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है।

आयोग द्वारा इसके प्रभाव के मूल्यांकन के लिए चयनित 156 गाँवों में सर्वेक्षण करवाया गया था। डेटा 2013 तक गठित स्वयं सहायता समूहों और 2014 से पहले गठित किए गए स्वयं सहायता समूहों के लिए एकत्रित किया गया था जो अभी भी कार्यरत हैं (4 अथवा अधिक साल पूर्ण किए हैं)। डेटा एन.आर.एल.एम. के तहत वर्तमान स्वयं सहायता समूहों और गतिविधियों से भी एकत्रित किया गया था। विश्लेषण के परिणाम निम्नानुसार हैं:

- एन.आर.एल.एम. योजना 156 पहचाने गए गाँवों में से केवल 26% में कार्यरत थी क्योंकि पिछले सालों में यह योजना केवल इंटेंसिव विकास खण्ड़ों में लागू की जा रही थी।

- 26% गाँवों में से, 87.5% गाँवों/तोकों में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जबकि 12.5% गाँव अभी भी वित्तीय सहायता से वंचित हैं।

- 26% गाँवों में एन.आर.एल.एम. के तहत जहाँ योजना लागू की जा रही थी, केवल 27.5% गाँवों/तोकों में वित्तीय सहायता मिलने के बाद बाजार लिंकेज स्थापित किए गए हैं जबकि 72.4% गाँवों/तोकों में बाजार लिंकेज स्थापित नहीं किए गए हैं।

- 26% गाँवों/तोकों में से, 60% गाँवों/तोकों में स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा गया है।

- उक्त योजना के तहत, 26% चिन्हित गाँवों में अधिकांश स्वयं सहायता समूह डेयरी और सब्जी उत्पादन जैसी गतिविधियाँ कर रही हैं जबकि स्वयं सहायता समूहों की दिलचस्पी बागवानी, सिलाई बुनाई, हस्तशिल्प, मुर्गी पालन, जनरल स्टोर आदि जैसी गतिविधियों में कम है।

- 26% गाँवों के केवल 35% में स्वयं सहायता समूह की पहचानी की गई है जिनमें महिलाओं को आर.एस.ई.टी.आई. के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।

- 26% गाँवों में 72% गाँवों के स्वयं सहायता समूह जहाँ कुल 156 चयनित गाँवों में योजना लागू की जा रही है, समूह के भीतर आंतरिक ऋण से लाभ उठा रहे हैं जबकि 28% गाँवों ने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है।

- चयनित गाँवों के 26% में योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न सामाजिक मापदंडों में योगदान दिया है जो नीचे तालिका में दिया गया है:

क्या एसएचजी इसमें उपयोगी है (उत्तरदाता के अनुसार) (% गाँवों में)													
सामाजिक समानता पैदा करना		**लैंगिक समानता**		**आर्थिक**		**जागरूकता पैदा करना**		**शराब के सेवन जैसी सामाजिक बुराइयों को कम करना**		**स्वास्थ्य और स्वच्छता**		**महिला सशक्तिकरण**	
हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
75	**25**	**72.5**	**27.5**	**75**	**25**	**75**	**25**	**58**	**38**	**70**	**30**	**90**	**10**

दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना

डी.डी.यू.–जी.के.वाय. विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के 15 और 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। इसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय के लिए विविधता जोड़ना और ग्रामीण युवाओं के कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करने जैसे दोहरे उद्देश्य के साथ काम सौंपा गया है।

इस योजना का फोकस न्यूनतम 6,000/- रुपये मासिक वेतन के साथ प्रशिक्षण भागीदारों के समर्थन और नियोक्ता अनुबंध के माध्यम से सभी प्रशिक्षुओं का 70% परियोजना लक्ष्यांक का न्यूनतम पंजीकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रभाव को समझने के लिए, 50% से अधिक पलायन वाले पहचाने गए गाँवों में आयोजित सर्वेक्षण में आयोग द्वारा एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक का डेटा एकत्रित किया गया था। परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- आयोग ने 12 जनपदों में 37 विकास खण्ड़ों के 156 गाँवों/तोकों में सर्वेक्षण किया था। इनमें से, केवल 7 जनपदों के 11 विकास खण्ड़ों के 19 गाँवों/तोकों में प्रभाव देखा गया था।

- डी.डी.यू.–जी.के.वाय. द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक 19 गाँवों में आयोजित प्रशिक्षण नोचे तालिका में दिए गए हैं:

डी.डी.यू.–जी.के.वाय के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (2015 से) (चयनित गाँवों में)											
वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
6	**3**	**9**	**17**	**7**	**24**	**159**	**347**	**486**	**28**	**9**	**37**

- तालिका दर्शाती है कि अधिकतम प्रशिक्षण 2017-18 में आयोजित किए गए थे, जिसमें से अधिकतम संख्या में प्रशिक्षित लोग (404) जनपद टिहरी के विकास खण्ड़ चम्बा में थे और 10 को विकास खण्ड़ों थौलदार (टिहरी) में प्रशिक्षित किया गया था। न्यूनतम संख्या जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड़ बेरीनाग में थी जहाँ केवल एक व्यक्ति को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था।

- डी.डी.यू.–जी.के.वाय. के तहत पहचाने गए 19 गाँवों के सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रशिक्षण ज्यादातर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया है।

- 19 गाँवों में प्रशिक्षण स्थानीय संसाधनों पर केन्द्रित किया जा रहा है। विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

स्थानीय संसाधनों पर केन्द्रित प्रशिक्षणों का विवरण (गाँवों की संख्या)										
पर्यटन	अभिनव खेती	पशुपालन	बागवानी	सब्जी उत्पादन	सुगंधित पौधे	मोटर वाइंडिंग	बिजली	राफ्टिंग	मधुमक्खी पालन	अन्य
5	**1**	**3**	**4**	**3**	**1**	**5**	**2**	**0**	**1**	**2**

आयोजित प्रशिक्षण का प्रकार (गाँवों/तोकों की संख्या)					
पर्यटन / आतिथ्य	स्वास्थ्य	निर्माण कार्य	यांत्रिक	विद्युतीय	अन्य
5	**2**	**4**	**4**	**4**	**2**

- योजना से पहचाने गए 19 गाँवों के लाभार्थियों के तहत ग्रामीण कौशल योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, 32 युवा और 4 महिलाओं को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है, जबकि 19 पुरुषों और 9 महिलाओं को गाँव में ही आजीविका अवसर मिला है।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था और वह पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूरस्थ और दुर्गम स्थलों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों और कल्याण को पूरा करना

तथा केन्द्र/राज्य/बी.ए.डी.पी./स्थानीय योजनाओं के संयोजन एवं सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से संपूर्ण आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को परिपूर्ण करना है।

इस योजना के तहत, जो नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहते हैं उन्हें उनकी विविध आवश्यकताओं की परिपूर्णता के दृष्टि से चुना गया था, उक्त योजना देश के 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जनपदों में लागू की जा रही है। उत्तराखंड के 5 सीमावर्ती जनपद भी शामिल किए गए हैं जो है ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत और पिथौरागढ़। इस योजना का उद्दे"य सीमावर्ती गाँवों में निवासरत लोगों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना, बुनियादी ढाँचों का निर्माण करना आदि है। प्राथमिकता है उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इस संदर्भ में, आयोग द्वारा इस योजना का सर्वेक्षण और विश्लेषण किया गया था, जिसके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- इस योजना का प्रभाव आयोग द्वारा चुने गए कुल 156 गाँवों में से जनपद पिथौरागढ़ के 7 गाँवों में क्रियाशील है।

- बी.ए.डी.पी. के तहत चुने गए जनपदों में, आयोग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 50% से अधिक पलायन वाले गाँवों को चुना गया था। वर्ष 2015-16 से पिथौरागढ़ के 7 गाँवों में, कृषि / पशु पालन और संबंधित क्षेत्रों (डेयरी, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन, बागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई सुविधा, चरागाह आदि) में कोई कार्य नहीं किया गया है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में, वर्ष 2015-16 से 7 गाँवों में कोई कार्य नहीं किया गया है। (जिसमें शामिल है चिकित्सकों और स्टाफ के लिए आवास निर्माण, पी.एच.सी., सी.एच.सी., एच.एच.सी. ईमारत निर्माण, चिकित्सक उपकरण, एम्ब्युलेंस, अस्पताल आदि)

- आंकड़ें दर्शाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में (शिक्षकों के लिए आवास, स्कूल की ईमारत, हॉस्टल, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, छात्राओं के लिए शौचालय आदि); खेलकूद गतिविधियों के क्षेत्र में (खेल का मैदान, साहसिक खेल, मिनी ओपन स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम, सभागार, व्यायामशाला आदि) और सामाजिक क्षेत्र में (सामुदायिक केंद्र, बुजुर्ग और विकलांग आश्रय, शौचालय सुविधा, ग्रामीण आत्म–नियंत्रण, क्षमता कौशल विकास, महिलाओं के शौचालय, पर्यटन और बैंक्वेट हॉल आदि) कोई काम नहीं किया गया है।

- इस योजना के तहत, पिथौरागढ़ के 7 गाँव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विकास की योजना के तहत (स्वच्छ पेय जल, संपर्क मार्ग, पुल, रज्जुमार्ग, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्रों का संरक्षण, जल निकासी, बायोगैस, लघु उद्योग, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि)। वर्ष 2016-17 में धारचूला के जुम्मा में कुल 51 कार्य (अधिकतम) किए गए हैं।

- सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के लिए आवासों का निर्माण धारचूला विकास ब्लॉक के संकुरी गाँव में किया गया है और इसका उपयोग भी किया जा रहा है। वह किसी अन्य गाँव में नहीं किया गया है।

- बी.ए.डी.पो. के तहत पिथौरागढ़ के 7 गाँवों में से जिंगल, कालिचिनी का नाटती और राठी, धारचूला के जुम्मा को सड़क द्वारा जोड़ा गया है लेकिन खल, चिपचिपा और सांकुरी गाँव अभी भी उक्त सुविधा से वंचित हैं।

- सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा से स्पष्ट है कि बी.ए.डी.पी. में शामिल किए गए 7 गाँवों में गाँववासियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है।

- बी.ए.डी.पी. के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों का रखरखाव समुदाय द्वारा किया जा रहा है।

सिफारिशें:

- सर्वेक्षण बताता है कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत किया गया परिसंपत्ति सृजन का कोई प्रभाव 76% गाँवों में कृषि उत्पादकता पर नहीं पड़ा है। राज्य में कृषि में गिरावट के साथ योजना के तहत बनाई जा रही परिसंपत्तियों के लिए ध्यान देने और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह उचित रखरखाव के माध्यम से और परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करके किया जा सकता है।

- सर्वेक्षण में पी.एम.जी.एस.वाय., पी.एम.ए.वाय., एन.आर.एल.एम. जैसे अन्य विभागों के साथ संयोजन में अंतर देखा गया था। संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने और उसे आजीविका विकास के साथ जोड़ने के लिए संयोजन को अधिक सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

- पी.एम.ए.वाय. के तहत भूमिहीन परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की जरुरत है जो कि बहुत कम है।

- योजना के तहत लाभान्वित लोगों ने अपने गाँव/तोक से पलायन नहीं किया है, जो दर्शाता है कि योजना गाँवों से पलायन रोकने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और लोगों को वास्तव में योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों (जैसेकि आवास) से लाभ हो रहा है।

- एन.आर.एल.एम. योजना के तहत, बाजार संपर्क स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। आजीविका गतिविधियों को टिकाऊ बनाने में बाजार संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह एक मूल्य परिवर्तन पैदा करने में मदद करते हैं, इसलिए, बाजार संपर्क स्थापित करना और निर्मित माल या कृषि उपज के लिए बाजार सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- बागवानी में आमजन की रुचि काफी कम है। राज्य के पास बागवानी में अपार संभावनाएँ हैं जिसका पता लगाया जाना चाहिए।

- योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न सामाजिक मापदंडो के लिए पर्याप्त योगदान दिया है जैसेकि सामाजिक समानता, लैंगिक समानता पैदा करना, जागरूकता सृजन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वयं सहायता समूह सामाजिक ताने–बाने और समग्र विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **डी.डी.यू.–जी.के.वाय.** का प्रभाव 156 चयनित गाँवों के केवल 19 गाँवों में देखने को मिला था। जमीनी स्तर तक आउटरीच पर ध्यान देने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल विकास योजना है जिसका उद्देश्य योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रखना है। कार्यान्वयन को मजबूत करने की और लाभार्थी की पहुँच को विस्तारित करने की आवश्यकता है।

- प्रशिक्षित लोगों की संख्या वर्ष 2017-18 (486) में सबसे अधिक है जो 2018-19 (37) में कम हो गई है। प्रशिक्षणों का प्रसार भी जनपदों में समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। जहाँ एक तरफ़ विकास खण्ड चंबा में 404 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया था, वहीं पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में केवल एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया था। आगे असमानता और विषम विकास से बचने के लिए योजना के माध्यम से लाभान्वित होने के लिए क्षेत्रीय वितरण में संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

- प्रशिक्षणों का स्थायी संसाधनों पर केन्द्रित होना आवश्यक है ताकि लोगा को नौकरियों के लिए दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने की जरुरत न पड़े।

- सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम पिथौरागढ़ के उन 7 गाँवों में क्रियाशील था जो चुने गए थे। कृषि/पशुपालन और संबंधित क्षेत्रों के तहत कोई भी कार्य किया हुआ नहीं पाया गया था। यह डेटा दर्शाता है कि वर्ष 2015-16 से शिक्षा, खेलकूद में या सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों में निवासरत लोगों को आर्थिक अवसर देना, बुनियादी ढाँचों का निर्माण करना, और सामाजिक मूल्य पैदा करना है, कार्यक्रम के तहत इन क्षत्रों में विकास की प्रक्रिया को चलाने और मार्गदर्शन करने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए।

- सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के लिए आवासों का निर्माण धारचूला विकास खण्ड के सांकुरी गाँव में किया गया है और उनका उपयोग भो हो रहा है। ऐसा अन्य किसी गाँव में नहीं किया गया है। समान प्रकार के कार्य अन्य क्षेत्रों में किए जा सकते हैं।

- सात सर्वेक्षणों में से तीन गाँवों को अभी भी सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है। सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता माना जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।

- सर्वेक्षण से यह भी अनिवार्य है कि जमीनी स्तर (योजना के वास्तविक लक्षित लाभार्थी) पर योजनाओं के वास्तविक लाभ और क्षेत्र पर समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी और प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। यह अधिक विशिष्ट क्षेत्र और आवश्यकता आधारित तरीके से कार्यान्वयन के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने में भी मदद करेगा। यह सुझाव भी दिया जाता है कि योजनाओं और क्षेत्र की सामाजिक अर्थव्यवस्था में देखे गए मूर्त परिणामों के वास्तविक लाभ को अधिक रूप से समझने के लिए एक लागत लाभ विश्लेषण किया जा सकता है।

अनुबंध II

RURAL DEVELOPMENT AND MIGRATION COMMISSION, UTTARAKHAND, PAURI

No..72 Dated 05/06/2018

Constitution of expert group on strengthening rural development for providing an impetus to the rural economy of Uttarakhand

Strengthening rural development has been considered as one of the key drivers for impetus to the rural economy of Uttarakhand, particularly in the hill districts. The rural population depends largely on agriculture and labor for their livelihoods. Strengthening the rural economy of the state will be one of the key interventions for arresting the out-migration from these areas and enhancing socio-economic growth. An expert group, with the following composition, is hereby constituted for providing inputs to commission:

1- Shri A K Rajput, Deputy Commissioner Rural Development Chairman
2- Smt Sudha Tomar BDO Raipur
3- Shri Naveen Anand, Expert
4- Shri Rajinder Singh Rawat PD Dehradun
5- Ms Divya Pandey YP, RDMC Pauri, Coordinator

The expert group will provide inputs on the following matters to the commission within 5 months:

a- To study the interventions in rural development thematic sector (including programmes and projects) in the state.
b- To provide recommendations for strengthening this sector that would provide an impetus to socio-economic growth in the rural areas of the state; thus mitigating the problem of out-migration

The taskforce may incorporate views from various other experts in this field.

5/6/18

(Dr S S Negi)

Vice Chairman

Cc

1- Shri A K Rajput, Deputy Commissioner Rural Development Chairman
2- Shri Rajinder Singh Rawat PD Dehradun
3- Smt Sudha Tomar BDO Raipur
4- Shri Naveen Anand, Consultant
5- Ms Divya Pandey YP, RDMC Pauri, Coordinator